दशम माला, खंड 36, अंक 6

बुधवार, 14 दिसम्बर, 1994
23 अग्रहायण, 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

बारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रूपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

14 दिसम्बर, 1994 के लोक सभा ववाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र।

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
32	1	(ग) और (व)	(ग) और (घ)
35	30-32	प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग) में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):	प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी):
141	11	मणी पुर	मणिपुर
218	6 और 19	"[illegible] पर" शब्दों का लोप करें।	

विषय-सूची

दशम माला, खंड 36, बारहवां सत्र, 1994/1916 (शक)
अंक 6, बुधवार, 14 दिसम्बर, 1994/23 अग्रहायण, 1916 (शक)

विषय		कालम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या :	101, 102 और 104	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		22—213
तारांकित प्रश्न संख्या :	103 और 105 से 120	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	1088—1110	
	1112—1205	
	1207—1234 और	
	1236—1253	
कागज मिलों के बारे में 27 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य		214
अनधिकृत कालोनियों के बारे में दिनांक 3 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1489 के उत्तर के शुद्धि करने वाला वक्तव्य		214—215
विदेशों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बारे में दिनांक 24.8.94 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4383 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य		215
चीनी के आयात पर ज्ञान प्रकाश समिति की प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के संबंध में		215—244

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

बुधवार, 14 दिसम्बर, 1994/23, अग्रहायण 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

भारतीय जल सीमा में विदेशी जलपोत

*101. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान भारतीय तटरक्षकों ने भारतीय जल सीमा के अंदर अवैध रूप से मछली पकड़ने वाले विदेशी जलपोत पकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन जलपोतों से जब्त किए गए सामान का ब्यौरा क्या है;

(घ) ये जलपोत किन–किन देशों के हैं;

(ङ) प्रत्येक मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(च) देश के सुरक्षा हितों की, विशेषकर अंडमान क्षेत्र में, रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (च). विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

भारतीय तटरक्षक ने वर्ष 1993–94 के दौरान 54 विदेशी मत्स्य नौकाएं और वर्ष 1994–95 के दौरान 18 विदेशी मत्स्य नौकाएं पकड़ीं। इन मत्स्य नौकाओं को उन पर लगे मत्स्य गियर व कैच सहित पकड़ा गया। पकड़ी गई इन नौकाओं में से 28 श्रीलंका, 24 थाइलैंड, 13 पाकिस्तान, 3 चीन और 3 इंडोनेशिया तथा एक ताइवान की थीं। इन सभी नौकाओं के मामले में भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 तथा इसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की गई है और उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए नामित पत्तनों पर पुलिस को सौंप दिया गया है।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से लगे भारतीय समुद्री क्षेत्र में देश के सुरक्षा हितों की रक्षा करने के लिए तटरक्षक के पोतों और वायुयानों द्वारा अधिक निगरानी रखी जा रही है। अण्डमान में तैनात सभी संक्रियात्मक पोतों को निगरानी गश्त के कार्य पर लगाया जाता है। मद्रास में तैनात तटरक्षक डोरनियर वायुयानों को टोह और समन्वित हवाई समुद्री गश्त के कार्य पर लगा कर बल स्तर में वृद्धि की गई है। अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में गहन निगरानी गश्त के लिए तैनात तटरक्षक यूनिटों की सहायता के लिए दिग्लीपुर और काम्पबेल खाड़ी में दो तटरक्षक जिला मुख्यालय–एवं–स्टेशन स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अण्डमान क्षेत्र में अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में भारतीय नौसेना के फोरट्रैस कमांडर भी अपने कमान के साजोसामान से देश के सुरक्षा हितों की रक्षा करते हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के उत्तर में जो वक्तव्य रखा गया, उसे मैंने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उससे यह स्पष्ट है कि अनेक देशों के जहाज हमारी समुद्री सीमा में अनाधिकार प्रवेश करते हैं, मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर झगड़ा भी करते हैं। क्या यह सच है कि जो चीनी जहाज पकड़े गये हैं, वे चीनी जहाज म्यांमार के झंडे लगाये हुए थे?

श्री हरि किशोर सिंह : जो चीन के जहाज हैं, वही चीनी जहाज कहे जाते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इनके मुंह में चीनी घुल रही है। ये जहाज फिशिंग ट्रालर्स नहीं थे। ये सपेन्टाइन टाइप बोट्स थीं जो कारगो ले जाने के लिए काम में आती हैं। अगर उन्हें मछलियां पकड़ने के लिए आना ही था तो म्यांमार का झंडा लगाने की क्या आवश्यकता थी? क्या यह पहली दफा आई हैं? पाकिस्तान के जहाज भी हमारे यहां आ रहे हैं, इसके बारे में भी सरकार ने अपने उत्तर में माना है और मेरे पास जो जानकारी है, उसके अनुसार पाकिस्तान के जहाज केवल समुद्र की सीमा में ही मछलियां पकड़ने तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि वे अंडमान निकोबार की बस्ती की सीमा तक भी पहुंचने की कोशिश करते हैं।

ये गतिविधियां अचानक बढ़ गई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि हमारे कोस्ट गार्ड को और मजबूत करने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं और क्या सरकार, इस समय जो सुरक्षा व्यवस्था है, उससे सन्तुष्ट है? कम से कम हम लोग सन्तुष्ट नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह सत्य है और विवरण में यह बताया गया है कि अन्य मत्स्य नौकाओं सहित तीन चीनी मत्स्य नौकाएं भी पकड़ी गईं। पकड़ी गई इन नौकाओं में से 28 श्रीलंका, 24 थाइलैंड, 13 पाकिस्तान, 3–3 चीन और इंडोनेशिया तथा एक ताइवान की थीं।

महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया है कि अंडमान और निकोबार क्षेत्र में सुरक्षा की स्थिति हम सबके लिए चिंता का विषय है। महोदय, ये सभी पकड़ी गई नौकाएं अवैध रुप से मछली पकड़ने वाली नौकाएं थीं। ऐसी कोई और बात नहीं है जिस की वजह से ये मत्स्य नौकाएं हमारी जल सीमा में आई हों। इसकी भी जांच कर ली गई है।

तटरक्षक लगातार विशेषरूप से अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हवाई निगरानी कर रहे हैं तथा गश्त लगा रहे हैं। भारतीय नौसेना

में फोरट्रैस कमांडर होता है जिसकी कमान के अधीन साजोसामान के साथ–साथ सेना की एक ब्रिगड होती है। कार निकोबार में एक हवाई पट्टी भी है जहां किसी भी आकस्मिकता के लिये और उस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती के लिये हेलीकॉप्टर तैयार खड़े रहते हैं।

जहां तक वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान लगभग 72 मत्स्य नौकाएं पकड़ने का संबंध है, भारतीय सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम के अनुसार इन मत्स्य नौकाओं को विनिदिष्ट पत्तनों पर पुलिस को सौंप दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, श्री मल्लिकार्जुन जी, प्रश्न यह पूछा गया था कि क्या आप तटरक्षक दल को मजबूत करने के लिए कोई उपाय कर रहे हैं?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, मैंने यही बताया है। हम तटरक्षक दल को मजबूत कर रहे हैं। वास्तव में 1978 में भारतीय तटरक्षक दल स्थापित करने के बाद से आज तक इसके पास कुछ ही पोत थे और तटरक्षक दल को मजबूत करने के लिए तटरक्षक विकास योजना 1992–1997 के अंतर्गत हम तीन उन्नत अपतटीय तीव्रगति पोत और छः इंटरसेपटर्स खरीद रहे हैं। इस क्षेत्र में हमारे पास छः डोरनियर विमान पहले ही हैं जो हवाई निगरानी का कार्य करते हैं और हम इसकी भी और वृद्धि करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या यह सच है कि अंडमान के अलावा बंगाल की खाड़ी में भी विदेशी जहाजों की गतिविधियां बढ़ रही हैं? क्या यह सच है कि बंगाल की खाड़ी में जो द्वीप हैं, उन्हें प्राप्त करने की कोशिश कुछ देशों द्वारा की जा रही है? इस संबंध में जो समाचार प्रकाशित हुए है, क्या सरकार का ध्यान उनकी ओर गया है?

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, इन द्वीपसमूहों की जहां अतिक्रमण की संभावना है, सुरक्षा के लिए हमारा बेड़ा उपलब्ध है और वह इसकी सुरक्षा कर रहा है। अभी तक ऐसे किसी भी द्वीपसमूह पर अवैध कब्जा नहीं किया गया है और न ही हमारा देश ऐसे किसी द्वीपसमूह पर जहां आबादी नहीं है कब्जा होने देगा।

श्री हरि किशोर सिंह : महोदय, प्रश्न यह नहीं है कि हम अपनी सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा कर रहे हैं और उस क्षेत्र की रक्षा के लिए राष्ट्र में इच्छा शक्ति का अभाव है। मेरा साधारण–सा प्रश्न है कि क्या सरकार इस संदर्भ विशेष में इस देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए कृतसंकल्प है। माननीय मंत्री ने यह स्पष्ट वक्तव्य दिया है कि उनका यह निश्चित विचार है कि यह नौकाएं मत्स्य नौकाएं थीं और इस बात को दर्शाने के लिए कोई तथ्य नहीं है कि वे कोई अन्य नौकाएं थीं। किस आधार पर यह जानकारी एकत्र की गई है? महोदय, आप स्वयं जानते हैं.....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य : गले में मछली का कांटा फंस गया है।

श्री हरि किशोर सिंह : मछली का कांटा लग गया है, कल मैंने मछली खा ली थी।...**(व्यवधान)** चीनी तो उधर अटकी हुई है। ज्ञान प्रकाश के बाद आप सुरेन्द्र सिंह को ले आये हैं।

[अनुवाद]

सरकार ने यह निष्कर्ष किस आधार पर निकाला कि वे मत्स्य नौकाएं ही थीं? महोदय, यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है और जब तक हमारे मित्र को वह मत्स्य नौका प्राप्त होगी जिसके लिए आदेश दिया गया है तब तक डोरनियर विमान पुराने पड़ चुके होंगे। वह मेरे अच्छे मित्र हैं, इसलिये मैं चाहता हूं कि वह बिल्कुल सही–सही स्पष्ट उत्तर दें क्योंकि इस पर मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव लाऊंगा। इसलिए उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्रीजी को इस प्रकार धमकी नहीं दे सकते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : मैं अपने शब्द वापिस लेता हूं और क्षमा मांगता हूं। लेकिन उनका उत्तर सही होना चाहिए क्योंकि मेरे पास जो जानकारी है वह इससे बिल्कुल अलग है। इस देश पर अन्य क्षेत्रों, जैसे परमाणु अप्रसार संधि आदि, अन्य बातें, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और अन्य द्वीपसमूहों के बारे में निरंतर दबाव बना हुआ है। विशेष रुप से अण्डमान में पर्यटन को बढ़ावा देनें के लिए यह सरकार कतिपय अप्रवासी भारतीयों को यह द्वीपसमूह बेचने की योजना बना रही है। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार को देश को गुमराह नहीं करना चाहिए। जनता देश के हितों की रक्षा के लिए कृतसंकल्प है न कि इस सरकार के हितों के लिए।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, माननीय सदस्य मेरे अच्छे मित्र हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसलिए आप दोनों के बीच यह मित्रतापूर्ण बातचीत चल रही है।

श्री मल्लिकार्जुन : यदि वह मेरे विरुद्ध विशेषधिकार प्रस्ताव लाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : मैं पहले ही क्षमा मांग चुका हूं। मैं रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री अथवा इस अक्षम सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव लाऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : वह प्रस्ताव नहीं लाएंगे। **(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय अक्षम या सक्षम का निर्णय करना मेरा कार्य नहीं है। सबसे पहली बात सरकार गुमराह नहीं कर रही है, दूसरे...**(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : मुझे आधार बताइए...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उसे स्पष्ट कर दिया है।

श्री हरि किशोर सिंह : नहीं, महोदय, उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

श्री मल्लिकार्जुन : अध्यक्ष महोदय, मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई हैं। यदि उन्हें यह डर है कि कुछ अन्य देशों के पास अत्याधुनिक सामग्री है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं हमारे पोत भी...**(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह : उन्हें इसकी मूल बात का पता नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री मल्लिकार्जुन : हमारे पोतों में अच्छे उपस्कर हैं और सेन्सोर भी लगे हुये हैं। हम यह जानते हैं कि चीज क्या है। कुछ माननीय सदस्य रक्षा कार्मिक भी रह चुके हैं वे इसकी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

महोदय, ये मत्स्य नौकाएं अवैध रुप से हमारे सामुहिक क्षेत्र विशेषरूप से विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में घुस आई थीं। यदि समुचित निगरानी न की जाती तो वे वापिस चली जातीं; इसलिए हमने दो वर्षों—1993—94 और 1994—95 में लगभग 72 मत्स्य नौकाएं पकड़ीं। अधिनियम के अनुसार हम उन्हें विनिर्दिष्ट पत्तनों पर ले जाते हैं जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर कार्य के लिए हम उत्तरदायी हैं। उन्हें न्यायालय में मामला दायर करना चाहिए और कभी—कभी द्विपक्षीय संबंधों के कारण वे ऐसा नहीं करते। इस बात की पुष्टि कर लेने के बाद कि ये केवल मत्स्य नौकाएं ही हैं हम उन्हें छोड़ भी देते हैं। यदि वह चाहते हैं तो मैं इसका ब्यौरा दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न केवल यह है कि आपने किस आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि वह वहां केवल रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोगी जानकारी एकत्र करने नहीं आ रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, अपनी पूरी जानकारी के आधार पर ही मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह यह नहीं पूछ रहे हैं कि क्या आपने मामला दायर किया या नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : ठीक है महोदय, मैं भी यही बता रहा हूं। जो भी मत्स्य नौकाएं पकड़ी गई हैं उनकी जांच करने पर पता लगा कि उनके पास आपतिजनक उपस्कर नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस उद्देश्य के लिए उपयोगी उपस्कर उनके पास नहीं थे।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं भी यही बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, कृपया श्री जनार्दनन जी वह पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं, पहले उत्तर में उन्होंने इसका जवाब दे दिया है।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, पोत केवल मत्स्य नौकाएं हैं। महोदय, गत सप्ताह या हाल ही में श्रीलंका के विदेश मंत्री श्री लक्ष्मण कादिरगमर भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री से बातचीत की थी। महोदय, समुद्र के बीच में हमारे भारतीय मछुआरों पर श्रीलंका की नौसेना ने आक्रमण किया और गोलियां चलाई। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट रुप से यह जानना चाहता हूं कि क्या श्रीलंका के विदेश मंत्री ने भारत के दौरे के दौरान इस मुद्दे पर बातचीत की थी और उनका क्या उत्तर रहा? यदि नहीं, तो भारतीय मछुआरों के हित में श्रीलंका के विदेश मंत्री के साथ यह मुद्दा न उठाने के क्या कारण हैं? कितने ही मछुआरे मौत का शिकार हो रहे हैं। पिछले वर्ष भी ऐसा हुआ था यह प्रक्रिया जारी है। अतः, मैं सरकार से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, हमारे मंत्री और श्रीलंका के विदेश मंत्री के बीच क्या हुआ, इसके बारे में मुझे सही—सही नहीं मालूम। लेकिन, महोदय, जहां तक मछुआरों के बारे में माननीय सदस्य की चिंता का सम्बन्ध है, हम वास्ताविकता के प्रति सचेत हैं और श्रीलंका की सरकार के साथ संपर्क बनाये हुए हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उन्हें बिना वजह हमारे मछुआरों पर गोलीबारी नहीं करनी चाहिये। लेकिन दुर्भाग्य से अथवा सौभाग्य से, मुझे यह बात इस महान सभा की जानकारी में लानी पड़ रही है कि तमिलनाडु में हमारे मछुआरे मछली पकड़ने के लिए रात के समय जाते हैं।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, उन पर श्रीलंका के जहाजों द्वारा आक्रमण किया जाता है।

श्री मल्लिकार्जुन : कृपया मेरी बात सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : वह किसी अन्य देश के आर्थिक क्षेत्र के बारे में नहीं, बल्कि खुले समुद्र के बारे में बात कर रहे हैं।

श्री मल्लिकार्जुन : इस बात का सम्बन्ध श्रीलंका की सीमा से है। वे रात के समय जाते हैं। वे अपने पोत लेकर जाते हैं। वे गरीब मछुआरे हैं। वे जाल डाल कर नाव पर सो जाते हैं। दूसरी ओर, जब वे देखते हैं कि उनके पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम वाली कुछ नावें आ रही हैं तो वे उन्हें आवाज देते हैं। दुर्भाग्य से, कई बार ये लोग उनका कोई जवाब नहीं देते, कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करते क्योंकि निर्धारित प्रक्रिया यह है कि उन्हें पोत के मालिक को संबोधित करना चाहिये और अगर वह उनकी बात का जवाब न दे, उसके पश्चात् उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिये। अतः, कुछ मामलों में ऐसा ही हुआ है। हम श्रीलंका से भी लगातार संपर्क बनाये हुए हैं।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : क्या अब नव—निर्वाचित सरकार के साथ आपकी बातचीत हुई है?

श्री मल्लिकार्जुन : इस समय मेरा प्रश्न यह नहीं है।

डा. कार्तिकेश्वर पात्र : मंत्री महोदय ने कहा है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करने वाले जहाजों पर निगरानी रखने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में हमारे दो ठिकाने हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या भारत के समुद्री तटों से विदेशी जहाजों के प्रवेश पर निगरानी रखने के लिए तटरक्षक संस्थान के पास कोई साधन है।

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह बात मैं पहले ही बता चुका हूं। हमारे द्रुतगामी गश्ती पोत भली—भांति सुसज्जित हैं। उनके पास संवेदी यंत्र हैं। अगर कहीं से कोई जहाज प्रवेश करता है तो वे एक निश्चित दूरी से उसका पता लगा सकते हैं और इन जहाजों पर हवाई निगरानी रखी जाती है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मैंने जवाब में यह देखा है कि अनधिकृत रुप से मछली पकड़ने वाले देश चीन और ताईवान हैं जिनके पास अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्तियां हैं। लेकिन उनमें से चार देश, अर्थात् श्रीलंका, थाईलैंड, पाकिस्तान और इंडोनेशिया हमारे समुद्रतटीय

पड़ोसी हैं। उनमें से कुछ के साथ हमारी स्पष्ट समुद्री सीमा–रेखा है। लेकिन उनमें से कुछ के साथ ऐसा नहीं है। अतः, मैं माननीय मंत्री से सही–सही रुप से यह जानना चाहता हूं कि ये अनधिकृत रुप से मछली पकड़ने वाले पोत कहां से पकड़े गये थे; और क्या वे स्पष्टतया हमारे समुद्री क्षेत्रों के भीतर थे।

दूसरे, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि इन पिछले दो वर्षों के दौरान हमारे समुद्री क्षेत्र में प्रवेश करके अनधिकृत रुप से मछली पकड़ने वाले सभी पोतों को पकड़ लिया गया है अथवा नहीं।

श्री मल्लिकार्जुन : इन अनधिकृत रुप से मछली पकड़ने वाले पोतों को उसी समय पकड़ लिया गया जब उन्होंने हमारे आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उन सभी पोतों को पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र और सभी जगह से पकड़ लिया गया है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा था कि श्रीलंका, थाईलैंड और इंडोनेशिया के मामले में हमारी स्पष्ट समुद्री सीमा है। हमने थाईलैंड के साथ हाल ही में त्रि–पक्षीय समझौता किया है। हमने श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ भी ऐसे ही समझौते किये हैं। लेकिन, पाकिस्तान के साथ समुद्री सीमा के संबंध में अभी समझौते करने बाकी हैं और इसी वजह से विवादों को बढ़ावा मिलता है। अतः, मैं इस बात का ठीक–ठीक पता लगाना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तानी पोत विवादित क्षेत्र में नहीं, बल्कि स्पष्ट रुप से हमारे समुद्री क्षेत्र में थे।

श्री मल्लिकार्जुन : मैंने यही बताया है। उन्होंने प्रवेश किया है। हमने समुद्री सीमा को अंतिम रुप दिया है अथवा नहीं, वह एक अलग बात है। लेकिन उन्हें तब पकड़ा गया है, जब उन्होंने हमारे विशेष समुद्री आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। इस प्रकार पाकिस्तान के 13 पोत पकड़े गये हैं उनमें से कुछ को द्विपक्षीय सम्बन्धों के कारण छोड़ दिया गया है।

विवाहित महिलाओं के अधिकार

\+
*102. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक** :
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवासी भारतीयों सहित विदेशियों से विवाहित या विवाह करने वाली महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किन उपायों पर विचार किया गया है;

(ख) क्या इस संबंध में आवश्यक कानून बनाए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). अनिवासी भारतीय से विवाह करने वाली भारतीय महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए विधान बनाने की संभावनाओं के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए सुझाव पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है। तथापि, विदेशियों जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय भी हैं, और भारतीय महिलाओं के बीच, भारत में अनुष्ठापित विवाहों की बाबत केवल विवाह विषयक वादों के लिए किसी विधि का उपबंध करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए हमारी वचनबद्धता के बावजूद भारतीय महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक शोषण जारी है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी अनिवासी दूल्हा या पति विदेशी न्यायालयों में सम्बन्ध–विच्छेद करवा लेता है। लेकिन वक्तव्य में कहा गया है, "तथापि केवल विवाह–विषयक बातों के लिए किसी विधि की व्यवस्था करना व्यवहार्य नहीं समझा गया है।" क्या इसका तात्पर्य यह है कि एक व्यापक विधान लाने की संभावना है? और अगर ऐसा है, तो सामाजिक ढांचे में आये परिवर्तन और भारतीय महिलाओं द्वारा अनिवासी भारतीय सहित विदेशियों से विवाह करने के बढ़ते हुए मामलों को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या सरकार, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है, इस उपबंध वाला एक व्यापक विधान लाने की संभावना का पता लगायेगी कि किसी अनिवासी भारतीय और भारतीय महिला के बीच भारत में संपन्न हुए विवाह को विदेश स्थित किसी न्यायालय द्वारा भंग न किया जा सके, विशेष रूप से तब जबकि ब्रिटेन के नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए वहां इसी प्रकार के कानून जैसे 1940 का भारतीय तथा औनिवेशिक विवाह–विच्छेद क्षेत्राधिकार अधिनियम मौजूद हैं?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, जहां तक विवाहित भारतीय महिला अथवा अन्यथा की सुरक्षा की चिंता करने का सम्बन्ध है, मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। हमारे कानून पर्याप्त है। भारतीय विवाह अधिनियम, हिन्दु विवाह अधिनियम और भारत में लागू सभी अन्य कानून भारत में संपन्न हुए सभी विवाहों का ध्यान रखते हैं।

आपको यह मालूम ही होगा कि हमारी विधायिकायें भारतीय क्षेत्र से परे कानून बनाने में सक्षम नहीं हैं। अतः, जब तक दो राष्ट्रों में कोई द्विपक्षीय समझौता अथवा बातचीत नहीं होती तब तक हम अपनी डिक्रियां अन्य देशों पर लागू नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : क्या निजी अंतर्राष्ट्रीय विवाह कानून लागू नहीं होगा?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, वह तर्कसंगत है। सी.पी.सी. की धारा 13 इन तात्कालिकाताओं का ध्यान रखती है। जहां कहीं भी धोखाधड़ी द्वारा डिक्री दी जाती है, भारतीय न्यायालय उस डिक्री की सीमाओं से परे जाकर उसे भारत में रद्द कर देते हैं। उच्चतम न्यायालय ने ऐसे अनेक निर्णय दिए हैं और अगर मेरी बात सही है, तो सत्या बनाम तेजा सिंह का मामला एक सुसंगत मामला है, जिस पर उच्चतम न्यायालय ने 1970 में निर्णय किया था, जो पृष्ठ 105 पर उल्लिखित है। उन्होंने यह स्पष्ट निर्णय दिया है कि भारतीय काननू ही मूल कानून है क्योंकि निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रत्येक देश में भिन्न–भिन्न है। संयुक्त राज्य अमरीका के पच्चीस राज्यों में विवाह संबंधी अलग–अलग कानून हैं। अतः, उन्हें एक अमरीकी न्यायालय की डिक्री को किसी अन्य राज्य में परखते हैं क्योंकि उनके यहां

संघीय ढांचा है। अतः, यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है। भारतीय न्यायालय किसी डिक्री की जांच करते हैं कि इसे धोखेबाजी अथवा किसी अन्य तरीके से तो प्राप्त नहीं किया गया है। ऐसे अनेक मामले हैं जहां भारतीय न्यायालयों ने इसका ध्यान रखा है। यहां तक कि इस मामले में भी जो इस प्रश्न की विषयवस्तु है, भारतीय न्यायालयों ने संयुक्त राज्य अमरीका के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री के परे जाकर इसे रद्द किया है और भारतीय महिलाओं को राहत पहुंचाई है।

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में भी जब किसी भारतीय महिला और किसी अनिवासी भारतीय का विवाह–विच्छेद किसी विदेशी न्यायालय के निर्णय के आधार पर होता है, तो क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या उस स्थिति में सरकार, विधान के द्वारा भी यह सुनिश्चित करेगी कि विदेश में बस गया पति भारत तथा विदेश स्थित अपनी संपत्ति में से अपनी पत्नी के लिए पर्याप्त निर्वाह–धन जमा करे ताकि विवाह–विच्छेद होने के पश्चात् वह पीड़ा और निरसहायता की स्थिति का सामना न करे और स्वयं को पुनः स्थापित करके गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके?

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, हमें भारत स्थित संपत्ति को जब्त करने में कोई समस्या नहीं हैं। लेकिन भारत से बाहर की संपत्ति निश्चित रूप से विदेश स्थित न्यायालय द्वारा ही जब्त की जा सकती है और यह कार्य उसी तरीके से किया जाता है, जैसा कि वहां निर्धारित है। जहां कहीं भी हमारे पास व्यवस्था है, हम ऐसा करते हैं।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मामलों की कमी नहीं है, जहां अनिवासी भारतीयों द्वारा सरल, विश्वसनीय, उच्च शिक्षा प्राप्त और गुण–सम्पन्न युवतियों को सब्ज–बाग दिखाकर विवाह–संबंध स्थापित किया जाता है। उनके भारत से जाते ही इन युवतियों के सपने और आशाएं बुरी तरह से चकनाचूर हो जाते हैं। मेरे विचार में स्थिति इतनी खराब या निराशापूर्ण नहीं है जितनी कि माननीय मंत्री के वक्तव्य से प्रतीत होती है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि हमारे मिशनों को कार्यवाही करने के लिए विशेष रूप से बहुविवाह के मामलों में कुछ अधिकार दिये जायेंगे, जहां भारत से गई कोई लड़की अपने आपको अकेली और असहाय स्थिति में पाती है और सहायता के लिए किसी का दरवाजा खटखटाने में भी समर्थ नहीं होती, या फिर जैसा कि पहले करने का प्रयास किया गया था, वर्तमान भारतीय कानून में परिवर्तन किया जायेगा ताकि ऐसे विवाहों में, विशेष रूप से बहुविवाह के मामलों में गवाह के रूप में आये लोग अथवा अन्य रिश्तेदार, जिनके नाम न्यायालय में दर्ज हैं, को दोषी ठहराया जाये।

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, इस मामले में भारतीय कानून में किसी भी संशोधन का मैं पूर्ण स्वागत करता हूं क्योंकि ये मामले जीवन की नई समस्याओं से उत्पन्न हो रहे हैं। जो कुछ भी परिवर्तन भारतीय कानून में करने की आवश्यकता है, हम और यह विधायिका उसे करने में सक्षम है। हम इस पर अवश्य विचार करेंगे। हम देश से बाहर समस्या को ही निपटाने में लगे हुए थे और हमारे न्यायालय उन मामलों को मिटाने में असमर्थ नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया : माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा प्रश्न हो गया है। यहां से जो भी महिलाएं विवाह करके जाती हैं, हमारे सामने कभी–कभी ऐसे मामले आए हैं कि वहां एयरपोर्ट पर विवाह करके वे जाती हैं तो उसका पति उसको लेने के लिए आता ही नहीं है। क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कोई मामले आए हैं और अगर आए हैं तो ऐसे मामलों में सरकार ने क्या उचित कदम इन महिलाओं की रक्षा के लिए उठाए हैं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है।

श्री सैयद शहबुद्दीन : अध्यक्ष महोदय, उन भारतीय महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तो दूर ज़िन्होंने विदेशी राष्ट्रिकों अथवा विदेशों में बसे हुए अनिवासी भारतीयों से विवाह किया है, भारत सरकार मामले के तथ्यों को भी नहीं जानती। इस देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय महिलाओं के साथ हुए सभी विवाह का पंजीकरण करना अनिवार्य करता हो। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि कोई ऐसा सरल कानून क्यों नहीं हो सकता जो पति द्वारा शादी से पहले एक शपथ–पत्र देना आवश्यक बनाये और विवाह भारत में पूर्ण रूप से पंजीकृत हो तथा कम से कम तथ्य तो मालूम हों ताकि अगर किसी भारतीय महिला को विदेश में किसी कठिनाई अथवा संकट का सामना करना पड़े तो विदेश स्थित हमारे प्रतिनिधियों को सारे तथ्य दिये जा सकें। उसके पश्चात् वे मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इस समय ऐसा कोई कानून नहीं है।

श्री एच.आर. भारद्वाज : महोदय, एक कानून भारतीय विवाह अधिनियम मौजूद है जिसके अन्तर्गत सभी विवाह संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य है। लेकिन हिन्दू विवाह अधिनियम एवं मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे पर्सनल लॉ के अन्तर्गत विवाह संबंधों का पंजीकरण नहीं किया जाता है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, निश्चित रूप से यही मेरा मुद्दा है। मेरा यह कहना है कि निश्चित रूप से इसी मुद्दे पर एक कानून होना चाहिए कि विदेशी नागरिकों के साथ भारतीय महिलाओं के विवाह का देश में पंजीकरण किया जाये।

श्री एच.आर. भारद्वाज : मैं नहीं जानता कि उनको अपने समुदाय की ओर से कहने का कितना अधिकार है। यह समस्या सरकार के साथ नहीं है, बल्कि पर्सनल लॉं के साथ है और हमारे पास एक ऐसा कानून है जिसके अन्तर्गत पंजीकरण द्वारा विवाह किया जा सकता है। जिन समस्याओं का सामना किया जा रहा है, हमें उसके बारे में जनता मे जागरूकता पैदा करनी होगी। जहां तक इन कानूनों का संबंध है, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत हैं। कानून बनने तक सरकार हस्तक्षेप कर सकती है।

अब, यह समस्या हाल ही में आरम्भ हुई है क्योंकि अनिवासी भारतीय समाचार–पत्रों में बहुत विज्ञापन देते हैं और माननीय सदस्य ने बताया था कि इस प्रकार के विवाहों के लिए पार्टियों को प्रलोभन

दिया जाता है। जब भारत में अनिवासी भारतीय का विवाह हो जाता है, तो वह विदेश चला जाता है और वह अपनी पत्नी को भूल जाता है। अतः, इस प्रकार की घटनायें घट रही हैं और हमारे न्यायालयों ने इन मामलों पर समुचित ध्यान दिया है। हमने किसी एक भी मामले में ऐसा होने नहीं दिया है, जब एक निसहाय महिला को अपेक्षित आर्थिक सहायता नहीं दी गई हो। इस विशेष मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने निर्वाह–व्यय को एक लाख रू. से बढ़ाकर दो लाख रू. कर दियां है। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में न्यायालयों द्वारा विस्तृत निर्णय किये गये हैं। परन्तु, जैसा कि श्री पवन कुमार बंसल ने सुझाव दिया है, हमें अपने भारतीय कानूनों पर नये सिरे से ध्यान देना होगा ताकि ऐसे आपत्काल में, हम जहां तक हो सके बेहतर ढंग से विवाहित महिला की समस्याओं को निपटा सकें।

श्री पीटर जी. मरबनिआंग : महोदय, हो सकता है कि मेरा अनुपूरक प्रश्न, मूल प्रश्न से सीधे संबंधित न हो, लेकिन यह भारतीय महिलाओं के अधिकार के संरक्षण संबंधी विधान से संबंधित है।

महोदय, इसाई समुदाय के अनुसार लगभग सभी पर्सनल लॉ निरर्थक हैं। इसाई विवाह अधिनियम, इसाई विवाह–विच्छेद अधिनियम, इसाई दत्तक ग्रहण अधिनियम, इसाई उत्तराधिकार अधिनिय, इन सभी कानूनों को फिर से बनाये जाने की आवश्यकता है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इसके लिए इसाई समुदाय सहमत हो गया है और इन सभी काननों के संबंध में भारत सरकार के विधि मंत्रालय को एक मसौदा प्रस्ताव सौंपा गया है। लेकिन दो वर्ष हो चुके हैं और सरकार ने इस संबंध में अब तक कुछ भी नहीं किया है। बेसिलिकन के जमाने में बनाये गये इन पुराने कानूनों से इसाई महिलाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार द्वारा संसद में तुरन्त क्रिश्चियन पर्सनल लॉ लाने के लिए वास्तव में कोई सक्रिय कदम उठाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अनिवासी भारतीय से संबंधित है इसाई समुदाय से नहीं। अतः, इसे अस्वीकार किया जाता है।

पवन ऊर्जा

\+

***104. श्री दत्तात्रेय बंडारू :**

डा. मुमताज अंसारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पवन ऊर्जा से राज्य–वार प्रतिवर्ष विद्युत का कितना उत्पादन होता है;

(ख) देश में, राज्य–वार पवन ऊर्जा की कुल क्षमता कितनी है; और

(ग) इस पूरी क्षमता का कब तक उपयोग कर लिया जाएगा?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) पवन विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से आठवीं योजना के दौरान, राज्य–वार, वार्षिक ऊर्जा उत्पादन सभा पटल पर रखे गए विवरण में दिया है।

(ख) देश में कुल 20,000 मेवा की संभाव्यता का अनुमान लगाया गया है। संभाव्यता वाले राज्यों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, राज्य–वार पहचान की गई संभाव्यता सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

(ग) आठवीं योजना के लिए पवन विद्युत उत्पादन हेतु संशोधित लक्ष्य 500 मेवा है। अब तक 180 मेवा क्षमता संस्थापित की गई है। पूर्ण संभाव्यता का दोहन उपयुक्त स्थलों की पहचान और निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अंतिम रूप दिया जाने पर निर्भर करेगा।

विवरण

राज्य-वार पवन विद्युत उत्पादन और पवन विद्युत की संभाव्यता

राज्य	विद्युत उत्पादन लाख कि.वा./घंटे 1992–93	1993–94	1994–95 (अक्तूबर तक)	पवन विद्युत संभाव्यता (मेवा)
तमिलनाडु	568.73	719.16	1025.99	2000
गुजरात	187.93	215.93	261.61	5000
आंध्र प्रदेश	0.63	1.62	1.75	850
महाराष्ट्र	5.19	2.09	7.80	75
मध्य प्रदेश	4.07	3.36	1.77	25
कर्नाटक	–	–	–	200
केरल	–	–	–	173

श्री दत्तात्रेय बंडारू : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने लिखित उत्तर की जो प्रति दी है, वह बहुत ही अस्पष्ट है। पवन ऊर्जा कार्यक्रम भारत में विशेषकर तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है। तटीय क्षेत्रों में उन्होंने इसकी जो संभाव्यता बताई है वह 20,000 मेवा है। लेकिन उनके द्वारा शुरू की गई कुछ परियोजनाओं में संभाव्यता 30,000 मेवा से अधिक बताई गई है।

इसको ध्यान में रखते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एक निश्चित लक्ष्य के साथ पर्याप्त बजट आबंटन कर पवन विद्युत विकास हेतु दस वर्ष की अवधि का कोई मास्टर प्लान तैयार किया गया है। क्या मंत्रालय ने इस 30,000 मेवा पवन ऊर्जा का विदोहन करने के लिए कोई मास्टर प्लान बनाया है?

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, वर्तमान आकलन यह है कि देश में पवन ऊर्जा की कुल क्षमता 20,000 मेवा है। यह पूरी तरह से संभव है कि हमने जो राष्ट्रीय सर्वेक्षण एवं जांच आरम्भ किया है, उसके आधार पर इन आकलनों में परिवर्तन आया हो।

जहां तक पवन ऊर्जा विकास हेतु भावी योजना का संबंध है, आठवीं योजना के दौरान मंत्रालय के समक्ष रखा गया लक्ष्य 100 मेवा था हमने स्वयं ही लक्ष्य को बढ़ाकर 500 मेवा कर दिया है। ऐसा भारत सरकार की निजी क्षेत्र को निवेश की अनुमति देने की नीति के कारण हुआ है। चूंकि विद्युत बोर्डों के पास निवेश हेतु कोई संसाधन नहीं है, इसलिए क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा था। हमारी प्रोत्साहन नीति के फलस्वरूप एक व्यापक पवन ऊर्जा

कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब यह सर्वत्र स्वीकार किया गया है कि भारत विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा तेजी से पवन ऊर्जा का विकास कर रहा है।

20,000 मेवा का विदोहन, बजटीय संसाधनों, स्थलों की पहचान और अनेक बातों पर निर्भर करता है। लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह आवश्वासन देना चाहता हूं कि हर वर्ष हमारी उपलब्धि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में तीन गुणा अधिक है। गत दो वर्षों के दौरान यह उपलब्धि 50 मेवा थी, उसके बाद यह बढ़कर 150 मेवा हो गई और अगले वर्ष यह 450 मेवा होगी। अतः, यह कार्य तेजी से चल रहा है और जैसे–जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ते जायेंगे, हम योजना का विकास करेंगे। हम इस कार्यक्रम की शैशवावस्था में हैं।

श्री दत्तात्रेय बंडारू : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री महोदय का कहना है, प्रस्तावित योजना की तुलना में लक्ष्य हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। कई राज्य सरकारों के पास मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और कई अन्य अभिकरण भी सक्रिय हैं, लेकिन उद्यमियों को उचित रूप से कोई कार्यक्रम नहीं दिए गये है। अतः, क्या केन्द्र सरकार द्वारा नये उद्यमियों को कोई कार्यक्रम दिया जा रहा है? यह मेरे प्रश्न का भाग (क) है।

मेरे प्रश्न का दूसरा भाग आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात से संबंधति है क्योंकि इन राज्यों के पास लम्बा तटीय क्षेत्र है। क्या इन प्रचुर पवन संसाधन वाले क्षेत्रों अर्थात आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात हेतु कोई मास्टर प्लान तैया किया गया है?

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, इस मंत्रालय ने पहले से ही प्रोत्साहन सहित बहुत ही विस्तृत एवं व्यापक मार्गनिर्देश तैयार किये हैं, जो सभी राज्यों को भेज दिये गये हैं। राज्य सरकारों को दिये ज़ा रहे प्रोत्साहनों को देखते हुए, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात आदि अनेक राज्य सरकारों ने इन्हें पहले से ही स्वीकृत कर लिया है। उद्यमियों को 100 प्रतिशत वर्धित मूल्यहास, सीमा शुल्क में रियायत, कर से छूट, उद्योग का दर्जा, ग्रिड संयोजन सुविधाएं, विद्युत का पारेषण एवं संचयन विद्युत के लिए लाभकारी मूल्य सहित वित्तीय कार्यक्रम प्रदान किया जाएगा। सम्पूर्ण देश में इस कार्यक्रम को लागू करने के कारण सम्पूर्णतया पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम तथा विशेष रूप से पवन ऊर्जा कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ है।

रही बात आन्ध्र प्रदेश एवं गुजरात की, तो गुजरात पवन उर्जा उत्पादन करने के मामले में दूसरे स्थान पर है, जब कि तमिलनाडु पहले और आन्ध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। समस्या है तो केवल स्थलों की पहचान करने, भूमि उपलब्ध कराने, समन्वय करने एवं स्थापित करने की कुछ कठिनाइयां हैं, जिन्हें हम धीरे–धीरे दूर करते जा रहे हैं। सम्पूर्ण देश में 4000 मेवा के लिए लगभग 79 स्थलों की पहचान की गयी है।

उद्यमियों की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त स्थल हैं और पर्याप्त उद्यमी हैं। समस्या है तो केवल भूमि आबंटन की और हम इस समस्या को भी दूर कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय उनके प्रश्न में जो सबसे अच्छी बात पूछी गई है वह यह है कि क्या इस संबंध में आपका कोई दीर्घकालिक मास्टर प्लान है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : हमारा मास्टर प्लान यह है कि यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम सन् 2000 ईस्वी तक 20,000 मेगावाट की पवन संभाव्यता का कम से कम 75 प्रतिशत प्राप्त कर लेंगे।

डा. मुमताज अंसारी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने ठीक ही बताया है कि पवन संभाव्यता 20,000 मेगावाट है और विश्व बैंक द्वारा भी इस बारे में अध्ययन कराया गया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस बात को दोहराना आवश्यक है?

डा. मुमताज अंसारी : लेकिन, माननीय मंत्रीजी ने अपने लिखित उत्तर में एक गलती कर दी है। केवल 8,325 मेगावाट संभाव्यता को तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और विभिन्न अन्य राज्यों में विद्यमान बताया गया है। शेष संभाव्यता कहां विद्यमान है? अतः, मैं इस बारे में जानना चाहता हूं।

दूसरा मुद्दा यह है कि दूसरे देशों के अनेक प्रतिनिधियों तथा विदेशी कम्पनियों ने भारत का दौरा किया है और उन्होंने भारत में अपने दूसरे पक्ष के साथ इस देश में कुछ पवन ऊर्जा विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बातचीत की है। इसलिए, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि इस देश में कितनी परियोजनाएं आरम्भ होने जा रही हैं जिसमें अमेरिका, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन की विदेशी कम्पनियां शामिल हैं, इस संबंध में क्या प्रगति हुई है और वे राज्य कौन से हैं जहां अब तक इस संबंध में निवेश किया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके प्रश्न के अन्तिम भाग की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा. मुमताज अंसारी : महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : उनके प्रश्न के अन्तिम भाग का लिखित उत्तर दिया जा सकता है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : 20,000 मेगावाट संभाव्यता का पूर्वानुमान वैज्ञानिक आधार पर लगाया गया है। जो कुछ भी दिखाया गया है वह सर्वेक्षणों के आधार पर पहले से ही दिखाया जा रहा था और साबित किया जा चुका है। दूसरा पहले से छोटा है।

अब, महोदय पवन ऊर्जा संबंधी मशीनों का निर्माण भारत में ही किया जा रहा है। यहां 17 निर्माता है। वे सब विदेशी तकनीक से जुड़े हुए हैं। लेकिन 75 प्रतिशत का स्वदेशीकरण कर लिया गया है। विदेशी निवेश मूलतः मशीनरी से संबंधित प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में किया गया है। संयुक्त उपक्रम के लिए भी कुछ प्रस्ताव आए हैं जिसमें विदेशी निवेश शामिल होगा, लेकिन अब तक कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं रही है। पवन ऊर्जा के संबंध में बहुत संभावनाएं हैं और इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भारत में पवन ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेश किया जा रहा है।

श्री विजय एन. पाटील : अध्यक्ष महोदय, हम सब जानते है कि उद्योगों के लिए, परिवहन के लिए और व्यक्ति की दिन–प्रतिदिन की जरूरतों के लिए ऊर्जा एक प्रमुख आवश्यकता है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की काफी संभाव्यता है। मंत्रालय का बजट उतना पर्याप्त नहीं है लेकिन फिर भी मैं मंत्रीजी से यह जानना

चाहूंगा कि क्या वे उन किसानों को केन्द्र द्वारा राजसहायता की पर्याप्त राशि देना आरम्भ कर रहे हैं जो पवनचक्की लगाने का साहस करते हैं और कोयले और तेल से अर्जित ऊर्जा को बचाते हैं। इसलिए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आप उन किसानों को पर्याप्त मात्रा में सहायता देने जा रहे हैं जो अपने खेतों में पवनचक्की लगा रहे हैं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, यह एक नया विभाग है और एक नए क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष का बजटीय आबंटन 225 करोड़ रू. का है जो कि भारत सरकार की कुल ऊर्जा बजट का केवल एक प्रतिशत है। यह बहुत कम है और हम अधिक राशि के लिए अनुरोध कर रहे हैं। योजना आयोग और वित्त मंत्रालय ने बजटीय आबंटन को बढ़ाने के पक्ष में लिखा है क्योंकि अच्छे परिणाम उपलब्ध हुए हैं। महोदय, पवन ऊर्जा कार्यक्रम पहले से ही व्यावसायिक बन गया है।

किसी राजसहायता की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी सरकार बजट के द्वारा नहीं दे पा रही है, वह हम वित्तीय कार्यक्रम के द्वारा दे रहे है जो उद्यमी ले सकते हैं। हमारे अधिकांश कार्यक्रम व्यावसायीकरण के विभिन्न स्तरों पर हैं। राजसहायता देने की अनुमति वहां दी गई है, जहां इसकी जरूरत है और जब वह व्यावसायीकरण के स्तर पर पहुंच जाती है, तो राजसहायता को धीरे–धीरे वापस ले लिया जाता है। यही हमारी नीति है। ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनके लिए राजसहायता दी जाती है। ऐसी भी अनेक योजनाएं हैं जिनमें कोई राजसहायता नहीं दी जाती है। पवन ऊर्जा कार्यक्रम को कोई राजसहायता नहीं दी जाती है क्योंकि यह पहले से ही व्यावसायिक और लाभकारी बन गई है।

श्री राम कापसे : माननीय मंत्रीजी ने यह स्वीकार किया है कि पूरी संभाव्यता का विदोहन उपयुक्त स्थलों का पता लग जाने पर निर्भर करता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि उपयुक्त स्थलों का पता कौन लगाने जा रहा है, राज्य सरकार अथवा आपका विभाग। इन स्थलों का पता लगाने के संबंध में क्या स्थिति है?

मुझे एक और प्रश्न पूछना है। आप निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने पर निर्भर कर रहे है। आपके विभाग के द्वारा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाने के संबंध में क्या स्थिति है?

श्री एस. कृष्ण कुमार : भौगोलिक शब्दावली में उन स्थानों और भूभागों की संख्या 79 है जहां पवन की स्थिति अच्छी है और जिनका पहले ही पता लगाया जा चुका है और जो हमे 4,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता दे सकते है। हम केवल 180 मेगावाट पर पहुंचे है।

श्री राम कापसे : आपको 20,000 मेगावाट तक पहुंचना है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : यह कार्यक्रम यथार्थतः केवल दो वर्ष पहले आरम्भ किया गया था। दो वर्षों में हमने 4,000 मेगावाट वाले स्थानों की पहचान कर ली है। यहां ऐसे अनेक स्थल हैं जिसका फायदा उद्यमी उठा सकते हैं। यहां उद्यमी भी हैं और स्थान भी हैं। राज्य सरकारों को उद्यमियों का चयन करना है उनको वित्त उपलब्ध कराता है और भूमि उपलब्ध करानी है और इसे आरम्भ करने के लिए उन्हें ग्रिड का कनैक्शन लेना है। यही प्रक्रिया हम अपना रहे हैं। हमने अन्य 16,000 मेगावाट का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय पवन ऊर्जा सर्वेक्षण आरम्भ किया है। पूरे देश में 500 पवन निरूपण केन्द्र स्थापित किए गए है। पवन निरूपण किया जा रहा है।

इससे पहले कि हम निवेश की अनुमति दें, हमें तीन वर्षों के आंकड़े चाहिएं। मूलतः यह कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और हम केवल एक प्रेरक और एक शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

प्रो. सावित्री लक्ष्मणन : मुझे एक शंका थी कि 11,675 मेगावाट का अन्तर क्यों है। माननीय मंत्रीजी ने श्री मुमताज अंसारी को उत्तर देते हुए यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि यह अन्तर क्यों है। अब मुझे एक अन्य शंका है कि केरल और कर्नाटक की अनुमानित संभाव्यता का विदोहन विद्युत के उत्पादन के लिए क्यों नहीं किया गया है क्या उपयुक्त स्थलों का पता नहीं चला है अथवा क्या सरकार इस संबंध में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अन्तिम रूप दिए जाने का इन्तजार कर रही है।

श्री एस. कृष्ण कुमार : विभिन्न राज्य, भारत सरकार की नीतियों को विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित करने में लगे हैं। यदि मैं बिना किसी भेदभाव के कहूं, तो सबसे अच्छे राज्य तमिलनाडु, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। अन्य राज्य उद्यमियों को कार्यक्रम देने, स्थालों का पता लगाने और ऐसे अन्य कार्यों के संबंध में निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे हैं। कर्नाटक और केरल के पास पवन ऊर्जा संभाव्यता है। देश में कुछ अच्छे स्थल कर्नाटक में जगीमत्ती और केरल में रामाकालमेडु हैं। कर्नाटक में वन मंत्रालय की पर्यावरण और वन–संबंधी स्वीकृति मिलने की भी समस्या है। केरल के स्थल थोड़े दुर्गम हैं। ग्रिड को लम्बी दूरी तय करके ले जाना पड़ता है। कुछ व्यक्तियों की भी समस्याएं हैं। निश्चय ही हम राज्य सरकारों पर दबाव डाल रहे हैं कि पवन ऊर्जा संभाव्यता को, जो प्रदूषण रहित ऊर्जा का साफ–सुथरा रूप है शीघ्रातिशीघ्र विकसित किया जाना चाहिए। हम उसका अनुसरण कर रहे हैं और राज्य भी उसे अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने पोटेन्शिऐल के बारे में जो जवाब दिया है, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि देश का सबसे बड़ा भण्डार जहां पाया जाता है, उसे इन्होंने छोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड इलाके में यदि पवन ऊर्जा के पोटेन्शिऐंल को आंका जाए तो गुजरात के समान लगभग 5 हजार मेगावाट विद्युत क्षमता वहां है लेकिन उसके बारे में अपने जवाब में इन्होंने कुछ नहीं कहा है। लेकिन जवाब में इसका जिक्र ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड का विंड एनर्जी पोटेन्शिऐल जो देश में सबसे ज्यादा है, क्यों इस चार्ट में शामिल नहीं है। यदि आपके पास इसके बारे में कोई सूचना है तो कृपया बताईये। यदि आपने इस पोटेन्शिऐल का सर्वे नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है? क्या आप उसे करने वाले हैं?

अभी आपने पावर जनरेशन के बारे में कहा है। कुछ क्षेत्रों में आपने इन्सटॉल किये हैं। मेरे क्षेत्र में ही करीब 4–5 इन्सटॉल किए

हुए हैं लेकिन ये पिछले तीन–चार सालों से बेकार पड़े हुए हैं। मैंने आपसे इसके बारे में प्रश्न भी किया था। क्या आप बताएंगे कि जो खराब हैं वे कब तक रिपेयर होकर प्रोडेक्शन के योग्य हो जायेंगे?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : पवन ऊर्जा क्षमता केवल देश के तटीय क्षेत्रों में ही उपलब्ध नहीं है, बल्कि जहां कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र हैं अर्थात पर्वत–घाटी की स्थिति है, उनमें उपलब्ध है और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी अत्याधिक संभावना है। लेकिन, दुर्भाग्य से, विगत में उपेक्षा के कारण उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। बड़े विंड फार्मस् संभव नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन पवन ऊर्जा उत्पादन की वहां काफी संभावना है। उत्तर प्रदेश सहित जहां कहीं भी पर्वत हैं, हमने वहां पवन ऊर्जा सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखण्ड क्षेत्र इत्यादि में इसकी बहुत अच्छी संभावना है।

माननीय सदस्य निरूपण परियोजनाओं के उस प्रथम सम्प्रवाह का उल्लेख कर रहे हैं जिन्हें बहुत पहले अर्थात दस–पन्द्रह वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। उनमें से कुछ कार्य वहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां तक वर्तमान कार्यक्रम का संबंध है, स्थापित की गई हर इकाई कार्य कर रही है और विद्युत उत्पादन कर रही है क्योंकि उन्हें उद्यमियों द्वारा चलाया जा रहा है। उन्होंने धन निवेश किया है। हम उसके आधार पर उन्हें लाभ दे रहे हैं।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : उनका क्या हुआ जो बेकार पड़े हैं।...(**व्यवधान**)...

श्री हरिलाल ननजी पटेल : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक बात जानना चाहता हूं। मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि जहां तक इस ऊर्जा का संबंध है, गुजरात इसमें दूसरे स्थान पर है। यह ऊर्जा अधिकांश रूप में मेरे निर्वाचन क्षेत्र कच्छ में उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने किसी स्थान का पता लगाया है कि नहीं। निजी पार्टियों ने इसने लिए आवेदन किया है। कई महीनों के बाद भी उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है। कृपया क्या आप मुझे बताएंगे?

अध्यक्ष महोदय : मैं निजी पार्टियों के इस तरह के प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री हरिलाल ननजी पटेल : वहां पर निजी परियोजना है।

श्री पी.सी. थामस : यह ऊर्जा का एक ऐसा स्रोत है जिसमें बहुत थोड़ा धन निवेश करके ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनका विदोहन नहीं किया गया है, जिनका पता नहीं लगाया गया है और दूसरा कारण यह है कि सर्वेक्षण नहीं किया गया है। क्या मंत्री महोदय हमें यह जानकारी देंगे कि हम अपने देश के विभिन्न भागों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनमें हमारे विचार से पवन ऊर्जा उत्पादन की संभावना है, सर्वेक्षण कैसे करवा सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

[हिन्दी]

डा. छत्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि देश के बहुत से प्रदेश ऐसे है जहां आपकी योजना नहीं चल रही हैं। देश के प्रत्येक प्रदेश में जो पोटेन्शिऐल है, क्या आप उन सबका सर्वे कर वहां कोई योजना स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : 20–25 राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण पहले ही हो चुका है, जहां कहीं भी 20,000 मेगावाट पवन ऊर्जा की संभावना होगी, हम वहां सर्वेक्षण करेंगे और स्थानों का पता लगाएंगे। लेकिन यह एक प्रगामी कार्यक्रम है और यह बजट के साथ–साथ हमारी संगठनात्मक क्षमता पर भी निर्भर है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस संबंध में अच्छी तरह से कार्य करने वाले राज्यों में से एक राज्य पश्चिम बंगाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहां क्या संभावना उपलब्ध है? सर्वेक्षण रिपोर्ट का क्या हुआ? वहां कितनी प्रगति हुई है? महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहता हूं।

श्री एस. कृष्ण कुमार : मैं कह रहा था कि भारत सरकार द्वारा सुझाए गए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल भी सम्मिलित है। पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा कार्यक्रम के बारे में कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल अच्छा कार्य कर रहा है। दुर्भाग्य से पवन ऊर्जा के लिए वहां पर बहुत बड़े पवन ऊर्जा स्थल नहीं हैं। हमने हाल ही में सागर द्वीप में एक पवन ऊर्जा स्थल को मंजूरी दी है जिसका मैंने व्यक्तिगत रूप से दौरा किया था। हम उस दुर्गम द्वीप को देश में पुनर्प्रयोज्य ऊर्जा के मॉडल द्वीप के रूप में विकसित करना चाहते हैं।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, निःसंदेह यह एक अच्छी शुरूआत है। लागत और पर्यावरण के अनुरूप होने की दृष्टि से भी पवन ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का एक बहुत ही अच्छा विकल्प है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या निष्पादन के बारे में अभी तक कोई मूल्यांकन किया गया है। इन क्षेत्रों में संयन्त्र और घटक का क्या रहा है? दूसरी बात यह है कि उड़ीसा जिसका तटवर्ती क्षेत्र बहुत लम्बा है, एक गरीब और घाटे में चलने वाला राज्य है। उस राज्य की उपेक्षा कैसे की गई है और उसे मंत्री महोदय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूची में शामिल क्यों नहीं किया गया है? जब उड़ीसा में इसकी मांग है और वहां इसकी संभावना भी है, तो इस परियोजना के संबंध में ऐसे राज्यों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उत्तर दे दिया है।

...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं संयन्त्र भार घटक के बारे में जानना चाहता हूं क्योंकि इसमें इस बात का जरा भी उल्लेख नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री श्रीबल्लभ पाणिगृही : मैंने उड़ीसा के बारे में एक प्रश्न उठाया है। ...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : यह संभव नहीं है।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, आपका धन्यवाद। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण तमिलनाडु के कायतर और मुप्पांडल क्षेत्र में 3000 मेगावाट पवन ऊर्जा का अनुमान लगाया गया है। क्या यह बात सच है कि 3000 मेगावाट क्षमता का पता लगाया गया है, यदि हां, तो सरकार का तमिलनाडु और पूरे राष्ट्र के लिए इस ऊर्जा का विदोहन करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

श्री एस. कृष्ण कुमार : मुप्पांडल और कायतर हमारे देश में पवन ऊर्जा के कुछ उत्कृष्ट क्षेत्रों में से हैं। अब तक हमारी कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का दो–तिहाई भाग तमिलनाडु में स्थापित है। सबसे अधिक कार्य तमिलनाडु में हो रहा है और यह कार्यक्रम अच्छी तरह से चल रहा है। यह बात सही है कि वहां पर कम से कम 3000 मेगावाट की क्षमता है। निजी उद्यमियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और वहां पर जमीन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। यदि आप तमिलनाडु में इन क्षेत्रों से गुजरें तो आप बड़ी संख्या में पवन ऊर्जा फार्मस् देख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में ऊर्जा के काफी भंडार पाए जा सकते हैं। अखबारों के जरिए वहां के लिए काफी ऐनाउंसमेंट हुई है कि वहां बहुत रूपया खर्च किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में कौन–कौन से क्षेत्र को पवन ऊर्जा के क्षेत्र में लिया गया है और उसके लिए कितने धन का प्रावधान किया गया है?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, हमें हिमाचल प्रदेश में 161 छोटे जलविद्युत स्थलों के विकसित होने की उम्मीद है। पुनर्प्रनोज्य ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक क्षमता है। वहां अन्य जगहों की तुलना मे कम पवन है। लेकिन वहां जल–विद्युत्त की अत्यधिक क्षमता है। सर्वेक्षण हो चुके हैं; राज्य सरकार ने उद्यमियों का चयन कर लिया है और कार्य प्रगति पर है। हम इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि राजस्थान में जहां विद्युत ऊर्जा का बहुत अभाव है लेकिन पवन ऊर्जा का उपयोग काफी किया जा सकता है क्योंकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में तेज हवाएं बहुत चलती रहती हैं, क्या सरकार ने कभी इस बात पर सर्वेक्षण कराया है कि वहां के रेगिस्तानी इलाकों में पवन ऊर्जा के पोटेन्शिऐल का अधिकाधिक उपयोग करने के लिए विस्तार किया जाए? क्या राज्य सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? यदि प्राप्त हुआ है, तो केन्द्र सरकार की उस संबंध में अब तक क्या प्रतिक्रिया रही हैं?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : राजस्थान को मरूस्थल क्षेत्रों सहित हमारे पवन ऊर्जा कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वहां कुछ क्षमता वाले स्थल होने की संभावना है जिन्हें हम विकसित करेंगे। लेकिन राजस्थान में मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के विकास पर ही बल दिया जा रहा है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, पवन ऊर्जा, ऊर्जा के उत्कृष्ण स्रोतों में से एक है। लेकिन आवर्ती उत्पादन लागत भी बहुत कम होगी, एवं सबसे बड़ी बाधा परियोजना स्थापित करने की उच्च लागत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकार ने परियोजना स्थापित करने की लागत को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, उदाहरण के लिए आयात की जाने वाली मशीनों की लागत पर होने वाले व्यय के साथ–साथ देश के भीतर उत्पादन की जाने वाली सामग्री की लागत को कम करने के लिए, क्या कदम उठाए गए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसे कैसे अधिक से अधिक कम किया जा सकता है ताकि यह वास्तव में अर्थक्षम हो सके और देश में विद्युत आपूर्ति बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक हो सके?

श्री एस. कृष्ण कुमार : पवन ऊर्जा की प्रति मेगावाट स्थापना लागत घटकर 2.75 करोड़ रूपए हो गई है जबकि सरकार द्वारा मंजूर की जा रही नई ताप ऊर्जा परियोजनाओं के लिए यह लागत चार करोड़ रूपए से अधिक है। अतः, यह पहले ही बहुत अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। आयात के लिए टैरिफं को धीरे–धीरे कम किया जा रहा है जो इस समय 25 प्रतिशत है। यह 60 प्रतिशत हुआ करता था। हमने इसे घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया है। हम इसे और कम करने के कोशिश करेंगे। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि पवन ऊर्जा परियोजना की स्थापना लागत परंपरागत ऊर्जा परियोजना की लागत से कम है।

[हिन्दी]

श्री डी.जे. टंडेल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं और मांग करना चाहता हूं जो कि दमन और दीव द्वीपसमूह पर है। वहां हवा बहुत जोर से चलती है। क्या वहां सरकार ने पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए कोई व्यवस्था की है? हमने एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा सैण्ट्रल गवर्नमेंट से मांग की है कि दीव और दमन द्वीपसमूह से पवन ऊर्जा उत्पादन की व्यवस्था की जाय क्योंकि, वहां अभी बिजली की बहुत समस्या है और लोगों को वहां बहुत तकलीफ है। वहां उद्योग बन्द पड़े हुए हैं, वहां बिजली बिल्कुल नहीं है, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे है। दमण और द्वीव भी क्षमता वाले क्षेत्र हैं। वहां केवल पवन ऊर्जा फार्म ही विकसित नहीं हो रहे हैं बल्कि दमण में पवन ऊर्जा उपकरण विनिर्मित करने वाला संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग आयोग

*103. **श्री गुमान मल लोढा :**
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि में निरन्तर कमी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान तथा ऋण के रूप में कितनी राशि दी गई;

(घ) मार्च, 1994 के अंत में खादी ग्रामोद्योग आयोग के पास कार्य संचालन हेतु कुल कितनी पूंजी थी;

(ङ) क्या आयोग को अपने पूंजी आधार का विस्तार करने के लिए अन्य स्रोतों से ऋण लेने की स्वतंत्रता दी गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) खादी और ग्रामोद्योग कार्यकलापों के लिए योजना स्कीमों के अधीन सरकार द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को दिये गए अनुदानों और ऋणों की राशि इस प्रकार है :–

वर्ष	कुल अनुदान और ऋण (रू. करोड़ में)	
	योजनागत	गैर–योजनागत
1991–92	193.00	74.30
1992–93	193.00	77.30
1993–94	208.00	77.30

(घ) 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों के पास बकाया पूंजी 107.84 करोड़ रू. थी। इसके अलावा, राज्य बोर्डों और संस्थानों के पास अग्रिम राशि 103.60 करोड़ रू. थी, व्यापारिक एककों में निवेश 78.13 करोड़ रू. था और के.वी.आई.सी. के पास बैंक शेष 7.22 करोड़ रू. था। इस प्रकार 31.3.1994 की स्थिति के अनुसार के.वी.आई.सी. और इसके संस्थानों के पास कुल 1267.78 करोड रू. उपलब्ध था।

(ङ) और (च). जी, नहीं। के.वी.आई.सी. सरकार की मंजूरी से उधार ले सकती है।

[अनुवाद]

कीटनाशक

*105. **श्री एम. रमन्ना राय** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान अब तक विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) क्या किसी परीक्षण रिपोर्ट में इन कीटनाशकों की उपयोगिता की सिफारिश की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन कीटनाशकों के नाम क्या हैं, जिनके उपयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तथा जिनका उपयोग कृषि के लिए लाभप्रद बताया गया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) 1994–95 (अप्रैल–जून) के दौरान आयात किए गए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों की मात्रा संलग्न विवरण–I में दी जाती है।

(ख) और (ग). किसी कीटनाशक की उपयोगिता का निर्धारण उसकी क्षमता, विषाक्तता, पर्यावरण पर प्रभाव और लागत संबंधी आंकड़ों से होता है। प्राप्त आंकड़ों की वैज्ञानिक दृष्टि से जांच के बाद कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत कीटनाशकों का पंजीकरण किया जाता है।

(घ) कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत पंजीकृत कीटनाशकों के नाम संलग्न विवरण–II में दिये जाते हैं और भारत में जिनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध लगाया गया है उनके नाम संलग्न विवरण–III में दिए जाते हैं।

विवरण-I

1994-95(अप्रैल-जुलाई) में कीटनाशकों का आयात

		मात्रा मी. टन में (अस्थाई)
1.	क्लोरडेन	6.7
2.	डी.डी.वी.पी.	61.4
3.	हेप्टाक्लोर	9.07
4.	मिथाइल ब्रोगाइड	16.5
5.	पैराथिओन मिथाइल	50.0
6.	साइपरमेथरीन	0.8
7.	एलीथ्रिन	3.17
8.	सिन्थेटिक पायरीथ्रोइड्स	1.89
9.	अन्य	1015.04

विवरण-II

6.12.94 तक कीटनाशक अधिनियम, 1968 के खण्ड 9(3) के अन्तर्गत नियमित आधार पर पंजीकृत कीटनाशकों की सूची

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम
1	2
1.	एसीफेट
2.	अलाक्लोर
3.	अल्डीक्रेब
4.	अलेथ्रीन
5.	अल्फा नेफ्थाइल एसिटिक एसिड
6.	एल्यूमिनियम फोस्फाइड
7.	एनीलोफोस
8.	एट्राजाइम
9.	अल्फासीप्रेमेथ्रीन
10.	एरोफुंगिन
11.	बेरियम कार्बोनेट
12.	बेंजीन (हेक्साक्लोराइड)
13.	बेथीक्रेब (थियोबेनेक्रब)
14.	बेनोमिल
15.	बीट्रेटनोल
16.	ब्रोमेडिओलोन
17.	बूटाक्लोर
18.	कैल्शियम साइनाइड
19.	केप्टाफोल
20.	कैप्टन
21.	कारटेप हाइड्रोक्लोराइड
22.	कारबारिल
23.	कारबेन्डाजाइम
24.	कारबोफुरेन
25.	कारबोविसन
26.	क्यूमेट्रेटरिल
27.	क्लोरफेनविनफोस
28.	क्लोरमिक्वेट क्लोराइड (सीसीसी)
29.	क्लोरबेंजीलेट
30.	क्लोरपायरीफोस
31.	कॉपर आक्सीक्लोराइड
32.	क्यूमाक्लोर
33.	केपरोस आक्साइड
34.	सिपरमेंथ्रीन
35.	क्लोरोथालोनिल
36.	कॉपर सल्फेट
37.	डालापोन
38.	डीकेमीथ्रिन (डिलेंथामिथ्रिन)
39.	डीक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन (डीडीटी)
40.	डाइक्लोरोवोस (डीडीवीपी)
41.	डाइक्लोरोप्रोपेन और डाइक्लोरोप्रोपेनीस मिक्सचर (डीडी मिक्सचर)
42.	डाइकोफोल
43.	डाइफ्लूडेनजूरोन
44.	डाइमेथोफ्ट
45.	डाइनोकेब
46.	डाइथियानोन
47.	डायरोन
48.	डोडाइन
49.	डायजीनोन
50.	डाइड्रिन
51.	2,4–डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड (2,4–डी सोडियम, एमाइन एंड इस्टर साल्ट)
52.	एथिलीन डाइब्रोमाइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड मिक्सचर (इडीसीटी मिक्सचर 3:1)
53.	एडीफेनफोस
54.	एन्डोसल्फान
55.	एथोफेनप्रोक्स (एटोफेनप्रोक्स)
56.	एथीपोन
57.	एथीलीन डाइब्रोमाइड (ईडीबी)
58.	एथीओन
59.	फेनीट्रोथिओन
60.	फेनारिमोल
61.	फेनथिओन
62.	फेनवालेरेट
63.	फेंरबोम
64.	फलूंक्लोरालिन
65.	फोरमोथिओर
66.	फलूवालीनेट
67.	फोसिटिल–ए 1

1	2
68.	ग्लिफोसफेट
69.	गीबेरेलिक एसिड
70.	आइसोप्रोट्रोन
71.	इथाइल मर्करी क्लोराइड
72.	कीटाजिन
73.	लिनडेन (गामा बीएचसी)
74.	लाइम सल्फर
75.	मेट्रीबूजिन
76.	मेलाथिओर
77.	मेलिक हाइड्रोजाइड
78.	मेनकोजेब
79.	मिथाइल क्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड (एमसीपीए)
80.	मेनाजोन
81.	मेथोक्सी इथाइल मर्करी क्लोराइड (एमईएमसी)
82.	मेटालडीहाइड
83.	मेथाबेंथीजूरोन
84.	मिथाइल ब्रोमाइड
85.	मिथाइल पेराथिओन
86.	मिथाइल ब्रोमाइड+एथीलीन डाइब्रोमाइड
87.	मेटोजूरोन
88.	मोनोक्रोटोफोस
89.	मेटालाजिल
90.	मेथोमिल
91.	मोनो सोडियम मिथेन एरसिनेट (एमएसएमए)
92.	निकल क्लोराइड
93.	निकोटाइन सल्फेट
94.	आक्सीडेमोटोन–मिथाइल
95.	आक्सीफलूरोफेन
96.	पेरिस ग्रीन (कॉपर एसिटोरसेनाइट)
97.	पेराक्वेट डाइक्लोराइड
98.	पेराडीक्लोरोबेंजीन
99.	पेंडीमेथालिन
100.	ट्रीसाइक्लाजोल
101.	परमेथ्रीन
102.	फेनथोएट
103.	फोरेट
104.	फोसालोन
105.	फोसफेमीडोन
106.	पीरीमिफोस–मिथाइल
107.	फिनाइल मर्करी एसीटेट (पीएमए)
108.	[illegible]नेनिल
109.	प्रोपेटामफोस
110.	प्रोपोक्सर
111.	पायरीथ्रम
112.	क्विनालफोस
113.	सेवीडोल (4:4 कारबेरिल और गामा बीएचसी)
114.	सीमाजाइन
115.	सिरमेट
116.	सोडियम साइनाइड
117.	स्ट्रेप्टोसाइक्लीन [स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट+टेट्रासाइ[illegible] क्लोराइड (9:1)]
118.	सल्फर
119.	टेमीफोस
120.	ट्राइक्लोरा एसिटिक एसिड
121.	ट्राइएलेट
122.	ट्राइक्लोरोफोन
123.	ट्राइडेमोरफ
124.	थिओमेटोन
125.	थिआरेम
126.	थियोफेनेट मिथाइल
127.	ट्राइजोफोस
128.	ट्राइएडीमीफोन
129.	वारफेरिन
130.	जिंक फास्फाइड
131.	जीनेब
132.	जीरेम
133.	मेटोलाक्लोर
134.	माइक्लोबूटानिल
135.	फेनोबूकेरेब (बीपीएमसी)
136.	ट्राइफलूरालिन
137.	आक्सीडिजोन
*138.	मेग्नीशियम फास्फाइड टेबलेट
139.	आक्सीकारबोक्सिन

* केवल निर्यात के लिए

विवरण-III

6.12.94 तक भारत में प्रयोग के लिए प्रतिबन्धित कीटनाशकों की सूची

क्र.सं.	कीटनाशक का नाम
1.	डाइब्रोमोक्लोरोप्रोपेन (डीबीसीपी)
2.	एनड्रिन
3.	पेन्टाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन (पीसीएनबी)
4.	पेन्टाक्लोरोफेनोल (पीसीपी)
5.	टोक्साफेन
6.	इथाइल पेराथिओन
7.	*क्लोरोडेन
8.	*हेप्टाक्लोर
9.	*आलड्रिन
10.	पेराक्वेट–डाइ–मिथाइल सल्फेट
11.	निट्रोफेन
12.	टेट्राडीफोन
13.	पीएमए
14.	निकोटाइन सल्फेट

* राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के निदेशों के अनुसार इन कीटनाशकों की नये सिरे से पुनरीक्षा की जा रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन

***106. श्री सनत कुमार मंडल :**
श्री हरिसिंह चावडा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के संबंध में गठित की गई विशेषज्ञ समिति ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन को, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के लिए और अधिक कारगर बनाने के लिए इसमें दूरगामी परिवर्तन किये जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा दिए सुझावों की प्रमुख बातें क्या हैं; और

(ग) इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर गठित की गई उच्चाधिकार प्रापत विशेषज्ञ समिति ने हाल ही में अपनी अंतरिम रिपोर्ट पेश कर दी है।

(ख) समिति द्वारा दिए गए सुझावों की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :—

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी।

(2) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे परिवारों का चयन, परिसम्पत्तियों के संचालन में कुशलता, अभिरूचि और अनुभव रखने वालों में से किया जाना चाहिए। अन्यों को भी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता मुहैया करायी जा सकती है बशर्ते कि वे ट्राइसेम अथवा अन्य संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत कुशलता अर्जित कर लें अथवा उसमें वृद्धि कर लें।

(3) शुरू में सबसिडी देने की वर्तमान व्यवस्था के बजाय अन्त में देने का तरीका अपनाना।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऋण की बेहतर वसूली के उपाय।

(5) कार्यकारी पूंजी आवश्यकता को पूरा करने की आवश्यकता।

(6) वास्तविक वसूली, अनुसूची और प्रतिभूति मुक्त सीमाओं में वृद्धि करना।

(7) बेहतर आयोजना और ढांचा विकास पर बल देना।

(8) अधिक ऋण और अधिक सबसिडी मुहैया कराके प्रति परिवार सहायता के स्तर में वृद्धि करना।

(ग) उक्त रिपोर्ट की भारतीय रिजर्व बैंक और ग्रामीण विकास मंत्रालय में जांच की जा रही है। मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके रिपोर्ट पर अंतिम रूप से विचार करेगा।

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

***107. प्रो.के.वी. थामस** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेउ को डी.डी.टी और बी.एच.सी. की सप्लाई के लिए प्राप्त हुए क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के विभिन्न एककों को कितना घाटा हुआ और कितना लाभ हुआ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) 1994–95 के दौरान हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि. (एचआईएल) को स्वास्थ्य मंत्रालय से 6152 मी.टन डी.डी.टी. और 701 मी.टन बी.एच.सी. की सप्लाई के लिए क्रयादेश प्राप्त हुए हैं।

(ख) डिकोफोल, मोनोक्रोटोफास, कार्बोक्सिन, मेनकोजेब और एसीफेट के विनिर्माण हेतु संयंत्रों की मंजूरी दी गई है जिनका कार्यान्वयन 8वीं पंचवर्षीय योजना में किया जाएगा।

(ग) कंपनी को 1993–94 के दौरान 200.30 लाख रू. का लाभ हुआ था किन्तु संचित हानियों को मद्दे नजर रखते हुए

31.3.1994 की स्थिति के अनुसार 1411.22 लाख रू. की हानि घोषित की गई थी। वर्ष 1994–95 के लाभ तथा हानि के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एकक–वार लाभ तथा हानि घोषित नहीं की जाती है।

भोपाल गैस पीड़ित

***108. श्री सुदर्शन राय चौधरी :**

प्रो. सुशांत चक्रवर्ती :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे किसी साफ्टवेयर पैकेज की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है जिससे भोपाल गैस पीड़ितों के दावों का निपटान करने, मुआवजे के भुगतान में धोखधड़ी की संभावना को कम करने और मुआवजे के लिए दावेदारों द्वारा एक से अधिक केन्द्र पर अपना नाम लिखवाने के मामलों का पता लगाने में सहायता मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक लागू किये जाने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ग). कम्प्यूटर मेन्टिनेन्स कारपोरेशन (सी एम सी) और इलेट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (ई सी आई एल) ने नकली दावों का पता लगाने और समाप्त करने के लिए एक फिंगर प्रिंट पहचान पद्धति की टर्नकी आधार पर स्थापना करने की सरकार से पेशकश की है। इन पद्धतियों से फिंगरप्रिंटों के पैटर्न की पहचान की जायेगी, फिंगरप्रिन्टों का कोड बनाया जायेगा, स्टोर किया जायेगा तथा मिलान किया जायेगा। इस पूरी प्रक्रिया की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

औद्योगिक प्रतिनिधि मंडल

***109. श्री तेज नारायण सिंह :**

श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर्थिक उदारीकरण नीति की घोषणा के बाद किन–किन देशों में उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडलों ने भारत की यात्रा की है;

(ख) देश में उद्योगों की स्थापना के लिए उन्होंने कितने प्रस्ताव प्रस्तुत किए; और

(ग) उनके द्वारा वर्ष 1994 के दौरान अब तक कितनी विदेशी पूंजी का निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उदारीकरण के बाद अधिकांश संभावित निवेशक देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत का दौरा किया है। जिन देशों के प्रतिनिधि मण्डलों ने भारत का दौरा किया है उनमें से कुछ प्रमुख देशों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जुलाई, 1991 से अक्तूबर, 1994 के द्रौरान इन देशों से प्राप्त औद्योगिक पूंजी निवेश के लिए अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या 1801 है।

(ग) 1994 (अक्तूबर, 1994 तक) में इन देशों द्वारा लगभग 1094 करोड़ रू. की राशि की विदेशी पूंजी निवेश की गयी है।

विवरण-I

कुछ ऐसे प्रमुख देशों की सूची जिनके औद्योगिक प्रतिनिधि मंडलों ने उदारीकरण के बाद भारत का दौरा किया है

1. संयुक्त राज्य अमरीका
2. कनाडा
3. यू.के.
4. जर्मनी
5. फ्रांस
6. इटली
7. स्वीडन
8. नीदरलैंड्स
9. आस्ट्रिया
10. चैकोस्लोवाकिया गणराज्य
11. स्लोवाकिया
12. जापान
13. हांगकांग
14. सिंगापुर
15. कोरिया गणराज्य
16. थाईलैंड
17. मारीशस
18. श्रीलंका
19. बंगलादेश
20. आस्ट्रेलिया
21. कातार
22. ईरान

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत

***110. श्री रतिलाल वर्मा :**

डा. असीम बाला :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1993–94 के दौरान अपारंपरिक ऊर्जा के विकास हेतु राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन करने वाले

विभिन्न क्षेत्रों के नाम क्या है और उन्होंने विद्युत का कुल कितना उत्पादन किया?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभिन्न अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं, जिसमें देश में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन शामिल है, के लिएं विदेशी कंपनियों सहित निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन दे रहा है। सरकार द्वारा विभिन्न राजकोषीय और संवर्धनात्मक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं जिनमें शत–प्रतिशत त्वरित मूल्यह्रास, रियायती सीमा शुल्क, उत्पाद और बिक्री कर से छूट, पांच वर्ष का कर–अवकाश, ग्रिड संयोजन के लिए राज्य बिजली बोर्डों द्वारा सुविधाएं, नए और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए व्हीलिंग, बैंकिंग और तीसरे पक्ष की बिक्री शामिल है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अपारंपरिक ऊर्जा के विकास के लिए वर्ष 1993–94 के दौरान 204 करोड़ रूपए का बजट आवंटन किया था। वर्ष 1994–95 के लिए बजट आवंटन 225 करोड़ रूपए है। राज्यों को धनराशियां प्रत्येक मामले में कार्य–निष्पादन और कार्यक्रमों के मानदण्डों के अनुसार उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिनके माध्यम से भारत में विद्युत (बिजली) का उत्पादन किया जा रहा है, में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा (सौर प्रकाशवोल्टीय), छोटी पन–बिजली और बायोमास शामिल है। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजनाओं/प्रणालियों की संचयी संस्थापित क्षमता 300 मेवा है। इन स्रोतों से बिजली का अनुमानित उत्पादन 2225 मिलियन कि.वा.घं. है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा चालित कारें

***111. श्री के.जी. शिवप्पा :**
श्री सी.पी.मुदाल गिरियप्पा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के कुछ देशों में "सौर ऊर्जा चालित कारें" सड़कों पर चलने लगी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भारत में सौर ऊर्जा चालित कारों संबंधी प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). जी हां। संयुक्त राज अमेरिका, आस्ट्रेलिया, स्वीजरलैंड, जर्मनी आदि जैसे कुछ देशों में सोलर कारों को उपभोक्ता कारों एवं रेस कारों के रूप में परीक्षण चालन और प्रायोगिक आधार पर चलाया जा रहा हैं।

(ग) और (घ). इस समय देश में सोलर कार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कोई अनुसंधान कार्य नहीं चल रहा है चूंकि सोलर कार की पूंजीगत लागत बहुत अधिक होने का अनुमान लगाया गया है तथापि सरकार कुछ राजकोषीय और वित्तीय सहायता देकर बैटरी चालित इलैक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहन दे रही है। बैटरी से चालित और फोटोवॉल्टिक चार्जिंग से अनुपूरित सौर पैसेंजर परिवहन वाहन "सोलर बेबी" के विनिर्माण के लिए मैसर्स फ्रेजर नास पीयर लैस आटो लिमि., ब्रिटेन के साथ सहयोग किया है। इस सहयोग प्रस्ताव को सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

आधारभूत औद्योगिक ढांचा

***112. श्री चित्त बसु** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कुछ राज्यों में आधारभूत औद्योगिक ढांचे के त्वरित विकास हेतु कुछ विशेष परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं किन–किन राज्यों में शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ग) इनका चयन किस आधार पर किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जी, हां। उद्योगों के क्षेत्रीय फैलाव के उद्देश्य से, सरकार ने 8वीं पंचवर्षीय योजनावधि में देश भर में 70 विकास केन्द्रों की स्थापना करने की एक योजना की घोषणा जून, 1988 में की थी। इनमें से संलग्न विवरण में दिए गए 69 केन्द्रों का पता लगा लिया गया है। इन केन्द्रों को बिजली, पानी, बैंकिंग तथा दूर–संचार आदि की बुनियादी सुविधाएं मुहैया की जायेंगी ताकि ये केन्द्र उद्योगों को आकर्षित कर सकें।

(ग) राज्यों को विकास केन्द्रों का आबंटन जनसंख्या, क्षेत्र तथा औद्योगिक पिछड़ेपन की सीमा के संयुक्त मानदंडों के आधार पर किया जाता है।

विवरण

विकास केन्द्र का नाम	21.11.1994 तक की स्थिति के अनुसार दी गई सहायता राशि (लाख रूपये में)	टिप्पणी
1	2	
आंध्र प्रदेश (4)		
1. हिंदपुर	200.00	
2. खम्मम (वेमसूर मंडल)	50.00	
3. अंगोले	200.00	
4. विजयानगरम–बोबिली	200.00	

1	2
अरूणाचल प्रदेश (1)	
5. निकलोक नाओरलंग	–
असम (2)	
6. चारीदुआर	–
7. बालीजाना	–
बिहार (6)	
8. भागलपुर	–
9. दरभंगा	–
10. हजारीबाग	–
11. बेगूसराय	–
12. मुजफ्फरपुर	–
13. छपरा	–
गोआ (1)	
14. इलेक्ट्रोनिक सिटी	50.00
गुजरात (3)	
15. गांधी धाम	50.00
16. पालनपुर	50.00
17. वागरा	300.00
हरियाण (2)	
18. बावल	200.00
19. अम्बाला	–
हिमाचल प्रदेश (1)	
20. कांगडा	–
जम्मू और कश्मीर (2)	
21. गंदेरबाल	–
22. साम्भा	200.00
कर्नाटक (3)	
23. धारवाड़	300.00
24. रायचुर	200.00
25. हसन	200.00
केरल (2)	
26. अल्लेप्पी–पथानामतिता	50.00
27. कन्नूर–कोज़ीकोड–मालापुरम	50.00
मध्य प्रदेश (6)	
28. बोराई	300.00
29. चैनपुरा	100.00
30. घिरौंगी	600.00
31. खेडा	400.00
32. सतलापुर	50.00
33. सिलतारा	200.00
महाराष्ट्र (5)	
34. अकोला	200.00
35. चन्द्रपुर	200.00
36. धुले	200.00
37. रत्नागिरि	200.00
38. नांदेड़	–
मणिपुर (1)	
39. कंगलाटोंगरि	–
मिजोरम (1)	
40. लुआगंमुअत	–
नागालैंड (1)	
41. दीमापुर	50.00 पी
उड़ीसा (4)	
42. छत्रपुर	50.00 पी
43. चिपलिमा	50.00 पी
44. दुबुरी	50.00 पी
45. केसिंग	–
पॉण्डिचेरी (1)	
46. करायकल	–
पंजाब (2)	
47. भटिंडा	700.00
48. पठानकोट	274.00
राजस्थान (5)	
49. आबू रोड	200.00
50. भीलवाडा	50.00 पी
51. बीकानेर	200.00
52. झालवाडा	50.00
53. धौलपुर	50.00
तमिलनाडु (3)	
54. इरोडे	150.00
55. पनानगुडी–तिरूमारूगल	–
56. तिरूनेल्वेली (गंगाई कोन्डालनानूर ब्लाक)	200.00
त्रिपुरा (1)	
57. उत्तर–चम्पामुरा, पश्चिम त्रिपुरा	50.00 पी
उत्तर प्रदेश (8)	
58. बचौली बुजुर्ग	50.00
59. बन्धारा	50.00

1		2
60.	चौधरपुर	50.00
61.	दिबियापुर	–
62.	खुर्जा	50.00
63.	मुंगरा–सथारिया	50.00
64.	सहजनवा	150.00
65.	शिवराजपुर–पदमपुर	50.00 पी
पश्चिम बंगाल (3)		
66.	बोलपुर	–
67.	जलपाईगुड़ी	–
58.	मालदा	–
मेघालय (1)		
69.	मेंदीपठार	–
	कुल	7324.00

प्रत्येक राज्य के सामने दर्शाये गये कोष्ठकों मे आंकड़े उस राज्य के लिए आबंटित विकास केन्द्रों की संख्या बताते हैं।

नोट :– ये सभी केन्द्र जिनको केन्द्रीय सहायता दी गयी है, सरकार द्वारा पूर्णरूपेण अनुमोदित हैं। इसमें वे 7 केन्द्र शामिल नहीं हैं जिनके आगे टिप्पणी कालम में "पी" शब्द का उल्लेख किया गया है।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा का योगदान

***113. श्री दत्ता मेघे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कुल विद्युत उत्पादन में कितना भाग परमाणु ऊर्जा का है;

(ख) क्या इस भाग को और बढ़ाने हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग) में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) 1991–92 से लेकर 1993–94 तक के तीन वर्षों के दौरान काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों में उत्पादित होने वाली बिजली का योगदान देश में उत्पादित कुल बिजली का लगभग 2 प्रतिशत बैठता है।

(ख) और (ग). परमाणु विद्युत की वर्तमान स्थापित क्षमता 1720 मेगावाट है। आशा है कि ककरापार यूनिट–2 (220 मेगावाट) के दिसम्बर, 1994 तक चालू हो जाने पर 1995 में परमाणु विद्युत की कुल स्थापित क्षमता 1940 मेगावाट हो जाएगी। कैगा 1 तथा 2 (2×220 मेगावाट) और राजस्थान 3 तथा 4 (2×220मेगावाट) जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है, के क्रमशः जून, 1996/दिसम्बर, 1995 और नवम्बर, 1996 तथा मई, 1997 तक क्रांतिकता प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। इन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर परमाणु विद्युत की कुल स्थापित क्षमता सन् 1997 तक 2820 मेगावाट पहुंच जाएगी।

परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के अंतर्गत तारापुर में 500 मेगावाट क्षमता वाले 2 यूनिट, कैगा (कैगा 3 से 6) में 220 मेगावाट क्षमता वाले 4 यूनिट और राजस्थान (राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना 5 तथा 6) में 2 यूनिट जिनकी प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी तथा तमिलनाडु में कुडानकुलम में 2×1000 मेगावाट क्षमता में स्थल के लिए पर्यावरण तथा सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के साथ–साथ परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड से भी प्राप्त हो गई है। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) देश में होने वाले बिजली के कुल उत्पादन में परमाणु बिजली का अंश तुलनात्मक दृष्टि से अन्ततः, इस क्षेत्र में परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए, अर्थ–व्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से धनराशि के प्रतिस्पर्धात्मक दावों को देखते हुए, धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

घरेलू बचत

***114. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**
श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने हाल ही में अपने संसाधन आधार पर विविधीकरण करने के लिए एक जमा योजना के माध्यम से घरेलू बचतों का उपयोग करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें और उद्देश्य क्या है; और

(ग) यह योजना राज्यों से विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश में किस सीमा तक सहायक होगी?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख). जी, हां। आवास तथा नगर विकास निगम (हडको) ने अपने आम स्रोतों के आधार पर विस्तार और विविधता देने के लिए 12 अक्तूबर, 1994 को एक सार्वजनिक जमा योजना घोषित की है, जिसमें निवासी/अनिवासी व्यक्ति, अवयस्क बच्चे अपने अभिभावकों की मार्फत, अविभाजित हिन्दू परिवार, न्यास, सहकारी समितियां (अप्रत्यवर्तनीय आधार तक) अपनी राशि जमा कर सकते हैं।

इस बारे में कानूनी विज्ञापन 12 अक्तूबर, 1994 को प्रैस में प्रकाशित हुआ था। राशि जमा करने बावत ब्यौरे सांविधिक कानूनी विज्ञापन में दर्शाये गये हैं। योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :–

1. सुरक्षित निवेश

2. अधिक लाभांश
3. आसान नकद भुगतान
4. अग्रिम ब्याज वारंट
5. कर संबंधी लागू [आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11(5)(iv)] के अन्तर्गत धारा 80एल की पात्रता
6. सम्पत्ति कर में छूट।
7. मासिक आधार पर चक्रवद्धि ब्याज

हडको की सार्वजनिक जमा योजना के प्रति अच्छी प्रतिक्रिया हुई है तथा 9 दिसम्बर, 1994 तक 110 करोड़ रू. से अधिक की जमा राशि प्राप्त हुई है।

(ग) सार्वजनिक जमा योजना के तहत प्राप्त धन राशि से हडको का संसाधन आधार का विस्तार होगा, जिसका उपयोग आन्ध्र प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में विभिन्न आवास तथा नगर विकास योजनाओं के लिए धन देने में उपयोग किया जाएगा।

जल शोधन

*115. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जल शोधन की प्रौद्योगिकी की और उन्नत बनाने का है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). जल शोधन में काम आने वाले सामान्य यूनिट कार्यकलाप इस प्रकार हैं :--

1. पूर्व क्लोरीनीकरण
2. वायु मिश्रण--तीव्र विलयन
3. द्रव ठोसकरण
4. संकणन मंद्धीय विलयन
5. अवसादन
6. छानन
7. कीटाणु नाशन

इस सभी कार्यकलापों में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी में लगातार परिवर्तन हो रहा है। शहरी विकास मंत्रालय ने जलशोधन मैनुअल को अघतन करके उसमें प्रयोग हेतु उपलब्ध नयी और उन्नत प्रौद्योगिकियों का समावेश किया है। ये हैं :--

(1) स्वाद और गन्ध निवारण हेतु यथा आवश्यकता पूर्व क्लोरीनीकरण।

(2) वायु मिश्रण।

(3) द्रव्य से ठोस बनाने में पॉलीइनेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग तथा परीक्षण।

(4) अवसादन के लिए ट्यूबसेट्लर्स अपनाने बावत क्षेत्रगत परीक्षण।

(5) बेहतर कार्यदक्षता के लिए द्विआगामी व बहुआगामी फिल्टरों का उपयोग/हॉरीजेन्टल रफिंग फिल्टर और अनुवर्ती स्लो सैण्ड फिल्टर्से उपयोग बावत भी फील्ड परीक्षण चल रहा है।

(6) इलेक्ट्रानिक कीटाणु नाशन प्रणाली विकसित की जा रही है।

पेयजल में पराजीवाणु निवारण हेतु एक अन्य खोजी अध्ययन चल रहा है।

पेयजल से लोहा, मैंगनीज, फ्लोराइड और लवर्णयता निवारण जैसी विशेष समस्याओं के समाधान के अलावा उस क्षेत्र में विशेषतः ग्रामीण लोगों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भी प्रौद्योगिकियां विकसित करके अपनायी गयी हों।

आज सामान्यीकरण प्रक्रियाएं अपना कर पानी के भारीपन को दूर करने की प्रमाणिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है।

[हिन्दी]

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

*116. **डा. लाल बहादुर रावल** :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन घाटों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) से (ग). फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. (एफ.सी.आई.) के स्वामित्व में रामागुण्डम और तालचर, देश मे कोयले पर आधारित मात्र दो उर्वरक संयंत्र हैं। डिजाइन कमियों, उपस्कर असन्तुलन, कोयले में राख की उच्च मात्रा आदि के कारण कम क्षमता उपयोगिता की वजह से ये संयंत्र लाभप्रद सिद्ध नहीं हुए हैं। दीर्घावधिक पावर कटौतियों, पावर प्रतिबन्धों ने भी इन संयंत्रों के निष्पादन को प्रभावित किया है।

एफ.सी.आई. को रूग्ण औद्योगिक कंपनियां (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) द्वारा रूग्ण कंपनी घोषित किया गया है। इन संयंत्रों के पुनरूद्धार के संबंध में कोई भी कार्यवाही बी.आई.एफ.आर. जो कि एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के अंतिम निष्कर्ष पर निर्भर करेगी। इस बीच, सरकार यथासम्भव सीमा तक कंपनी को गैर योजना सहायता प्रदान कर रही है ताकि वह इन दो कोयले पर आधारित संयंत्रों सहित अपने संयंत्रों में प्रचालन जारी रखे।

उर्वरकों की कमी

***117. श्री राम कृपाल यादव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों की मांग तेजी से बढ़ रही है;

(ख) क्या उर्वरकों का उत्पादन मांग के अनुरूप हो रहा है;

(ग) यदि नहीं, तो इनकी मांग और कमी का ब्यौरा क्या है;

(घ) उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान इनका कितना उत्पादन हुआ; और

(च) गत तीन वर्षों के दौरान नए उर्वरक संयंत्रों के विस्तार का ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) से (च). गत पांच वर्षों में उर्वरकों की खपत, उत्पादन और आयात के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :

[आंकड़े लाख टन उर्वरक पोषकों (एन+पी+के) में हैं]

वर्ष	खपत	उत्पादन	आयात
1989–90	115.58	85.43	31.14
1990–91	125.46	90.44	27.58
1991–92	127.28	98.64	27.69
1992–93	121.55	97.36	29.76
1993–94 (अनंतिम)	123.66	90.47	31.67

अति महत्वपूर्ण नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक (एन), अर्थात यूरिया की खपत और उत्पादन गत पांच वर्षों में निरन्तर बढ़ रहा है। फासफेटिक उर्वरकों (पी) के मामलें में, उनकी खपत और उत्पादन अगस्त 1992 में अनियंत्रण के पश्चात् कम उठान के कारण 1991–92 के स्तर से कम रहा है। देश की पोटाश (के) की सम्पूर्ण आवश्यकता को आयातों के माध्यम से पूरा किया जाता है, क्योंकि देश में वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार नहीं है। इसके अनियंत्रण के कारण गत दो वर्षों में पोटाश की खपत 1991–92 की खपत से कम रही है।

उर्वरकों की मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच के अन्तर को आयातों से पूरा किया जाता है।

गत तीन वर्षों के दौरान, निम्नलिखित नये मुख्य उर्वरक संयंत्रों ने उत्पादन शुरू किया है :–

1991-92

(1) भरूच (गुजरात) स्थित गुजरात नर्मदा वेली फर्टिलाइजर्स कंपनी लि. (जीएनएफसी) का अमोनयिम नाइट्रो फासफेट (23:23:0) संयंत्र।

(2) भरूच (गुजरात) स्थित जीएनएफसी का कैल्शियम अमोनयिम नाइट्रेट (सी ए एन) संयंत्र।

1992-93

(1) तलोजा (बम्बई के निकट) स्थित दीपक फर्टिलाइजर एण्ड पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि. का अमोनियम नाइट्रो फासफेट (23:23:0) संयंत्र।

(2) काकीनाडा (आन्ध्र प्रदेश) स्थित नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. का यूरिया संयंत्र।

1993-94

गड़ेपन (राजस्थान में कोटा के निकट) स्थित चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि. का यूरिया संयंत्र।

उपरोक्त सभी नये संयंत्रों ने मिलकर 7.77 लाख टन पोषकों की क्षमता जोड़ी है (6.91 लाख टन नाइट्रोजन और 0.86 लाख टन फास्फेट)।

[अनुवाद]

औषधियों के मूल्य

***118. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1992 में औषध नीति की समीक्षा पर हुई चर्चा के बाद औषधियों के बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करने के लिये कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1987 के संशोधित औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के बाद आवश्यक औषधियों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु कोई उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) से (घ). जी, हां। औषध नीति, 1986 की पुनरीक्षा से संबंधित एक पृष्टिभूमि नोट चर्चा के लिए 12.8.92 को सदन में रखा गया था। सदन में 19 और 21 अगस्त, 1993 को इस पर चर्चा हुई थी। औषध नीति को पुनरीक्षा पूरी हो गई है और "औषध नीति, 1986 में संशोधन" की घोषणा सितंबर, 1994 में कर दी गई है और उसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। लगभग सभी प्रपुंज औषधों और मध्यवर्तियों तथा सूत्रयोगों के औद्योगिक लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है। इस उदारीकरण से भेषज उद्योग आवश्यक औषधों के निर्माण के लिए क्षमताओं की स्थापना करने और विस्तार करने में समर्थ होगा। जिसके परिणामस्वरूप उनकी उपलब्धता में बढोतरी होगी। औषधों और दवाइयों का मूल्य सूचकांक (आधार 1981–82 = 100) नवंबर, 1994 में 222.4 (अस्थायी) था जो सभी वस्तुओं के सूचकांक 274.8 (अस्थायी) की तुलना में 19 प्रतिशत कम था। निवेश लागतों में वृद्धि के कारण औषधों और दवाइयों की कीमतों में कुछ वृद्धि के वोनश अवश्यमभाती है।

हानिकारक औषध

***119. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में हानिकार औषधों के निर्माण और उनकी बिक्री में तेजी से वृद्धि हो रही है;

(ख) क्या ऐसी औषधों के निर्माण और उनकी बिक्री की रोकथाम हेतु कोई तन्त्र मौजूद है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान पता लगाए गए हानिकारक औषधों संबंधी मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार इनमें से प्रत्येक मामले के संबंध में क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ङ). ऐसा कोई मामला जानकारी में नहीं आया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार नकली पाई गई औषधों के नमूनों की संख्या निम्न प्रकार है :—

वर्ष	नमूनों की संख्या
1990—91	125
1991—92	96
1992—93.	34

ऐसी औषधियों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए औषध और सौंदर्य प्रसाधन अधिनिमय के अंतर्गत राज्य औषध नियंत्रण संगठन को अधिकार प्राप्त है।

उर्वरक संयंत्र

***120. डा. कृपा सिन्धु भोई :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निजी क्षेत्र में कुछ उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अनिवासी भारतीयों ने इस मामले में गहरी रूचि दिखाई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख). उर्वरक उद्योग 15.7.1991 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। तदनुसार उद्यमी, निजी क्षेत्र सहित प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को, पर्यावरणात्मक दृष्टि से मंजूरी सहित पूरा करने के पश्चात उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ). इस समय, उर्वरक उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अनिवासी भारतीयों द्वारा और निवेश करने के कोई संकेत नहीं है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहन

1088. श्री बारे लाल जाटव : क्या **प्रधान मंत्री** 28 जुलाई, के अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी प्राप्त कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और यह कब तक प्राप्त हो जाएगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (ग). 28.7.1994 को उत्तर के लिए अतारांकित प्रश्न संख्या 669 के उत्तर के संबंध में दिए गए आश्वासन की पूर्ति कर दी गई है। अपेक्षित सूचना पुनः प्रस्तुत की जाती है "भारत सरकार ने अनिवासी भारतीयों द्वारा आवास और वास्तविक भूसम्पत्ति में निवेश करने को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना तैयार की है। राज्य सरकारों को इस योजना को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने इस संबंध में अनिवासी भारतीयों द्वारा भूखण्डों और आवासीय और व्यावसायिक परिसरों के विकास, शहरी मूलभूत ढांचे के विकास और आवासीय वित्त संस्थानों इत्यादि में निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों के मामलों का एक ही स्थान पर शीघ्रता से निपटान करने के लिए एक नोडल सैल की स्थापना की है।

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में किसी प्रकार की विशेष आर्थिक, वित्तीय, अथवा कानूनी रियायत नहीं दी गई है।"

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष के प्रबन्धन हेतु अधिकार प्राप्त प्राधिकरण

1089. श्री हाराधन राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय नवीकरण कोष के प्रबन्धन के लिए गठित किए गए उच्च अधिकार प्राप्त प्राधिकरण के गैर—सरकारी सदस्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन सदस्यों के चयन के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) इस अधिकार प्राप्त प्राधिकरण में कुल कितने सदस्य हैं और गैर—सरकारी सदस्यों की संख्या कितनी है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). राष्ट्रीय नवीकरण निधि के स्वीकृत दिशा–निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय नवीकरण निधि के अधिकार प्राप्त प्राधिकरण के गैर–सरकारी सदस्यों को निम्नलिखित रूप से वर्ग वार मनोनीत किया जाता है :–

(1) श्रम मंत्रालय द्वारा मनोनीत श्रम प्रतिनिधि।

(2) उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग द्वारा मनोनीत नियोजक का प्रतिनिधि।

(3) प्रबंध, औद्योगिक अथवा श्रम से संबंद्ध क्षेत्रों में व्यावसायिक अनुभव प्राप्त अथवा विशेज्ञता प्राप्त सरकार के बाहर के दो विशिष्ट व्यक्ति।

अधिकार प्राप्त प्राधिकरण के अध्यक्ष औद्योगिक विकास विभाग के सचिव हैं। अधिकार प्राप्त प्राधिकरण के अन्य सरकारी सदस्यों में व्यय, सरकारी उद्यम, कंपनी कार्य, शिक्षा विभागों, श्रम मंत्रालय में सचिव, उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार, कार्यकारी निदेशक के रूप में औद्योगिक विकास विभाग के अपर सचिव शामिल हैं। अधिकार प्राप्त प्राधिकरण के मौजूदा सरकारी सदस्यों की कुल संख्या छह और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या चार है।

बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा

1090. श्री राम नाईक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन ने भारत से बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समझौते हेतु पेरिस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम रूप से तैयार प्रारूप की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). पेरिस सम्मेलन पेटेंट, ट्रेड मार्क्स औद्योगिक डिजायनों इत्यादि से संबंधित औद्योगिक संपदा अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक बहुपक्षीय समझौता है। चूंकि इस समझौते का प्रशासन विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन द्वारा किया जाता है, उन्होंने पहले कुछ अवसरों पर उन लाभों का उल्लेख किया है जो कि भारत को इस सम्मेलन में शामिल होने से उपलब्ध होंगे। तथापि इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अंतर्गत वैज्ञानिक

1091. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1994 तक वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद् के अंतर्गत कुल कितने वैज्ञानिक कार्यरत है तथा उनका श्रेणीबार ब्यौरा क्या है;

(ख) किन–किन श्रेणियों में नियुक्ति पूर्णतया अथवा अंशतः प्रोन्नति के द्वारा होती है; और

(ग) वर्तमान में लागू प्रोन्नति नीति की मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में वैज्ञानिक कार्मिक ग्रुप iv (1) से iv (7) तक सात ग्रेड में रखे गए हैं। प्रत्येक ग्रेड में 1.4.1994 को कार्यरत वैज्ञानिकों की संख्या सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों से एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन के पटल पर रख दी जाएगीं।

(ख) वैज्ञानिकों के पदों पर भर्ती ग्रेड iv (1) (रूपए 2200–4000) में प्रवेश स्तर पर पूर्णतया सीधी भर्ती के द्वारा की जाती है। तथापि, विशेष आवश्यकता होने या पड़ने पर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शेष छः ग्रेडों मैं भी भर्ती किए जाने का प्रावधान मार्गदर्शी सिद्धांतों में दिया गया है।

(ग) वैज्ञानिकों पर लचीली पूरक योजना (फ्लेक्सिबल कॉमप्लिमेन्टिंग स्कीम) लागू होती है और सामान्य मूल्यांकन किए जाने की पांच वर्ष कर निर्धारित रेज़ीडेंसी अवधि पूरी होने पर अगले उच्चतर ग्रेड/ग्रेडों में उनके मूल्यांकन के लिए विचार किया जाता है। किसी भी ग्रेड में मूल्यांकन प्रोन्नति के लिए प्रतिशतता का कोई प्रतिबंध नहीं है। उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत अगले उच्चतर ग्रेड में संबंधित कर्मचारियों की मूल्यांकन द्वारा प्रोन्नति होने पर रिक्त हुए सभी पद प्रवेश स्तर अर्थात ग्रेड iv (1) (रू. 2200–4000) में प्रत्यावर्तित हो जाते हैं।

मूल्यांकन प्रोन्नति नीति की प्रमुख बातों में न्यूनतम रेज़ीडेंसी अवधि का पूरा होना, थ्रेश होल्ड क्वालिटी मानदंड, अंकों के परिमाणन में एकरूपता, पियर रिव्यू पद्धति इत्यादि सम्मिलित हैं।

भारतीय पेटेंट अधिनियम

1092. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डंकल मसौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के फलस्वरूप नए उत्पादों हेतु उत्पाद पेटंट और पेटंट उत्पादन की अवधि के संबंध में भारतीय पेटेंट अधिनियम में कुल परिवर्तन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). उरूग्वे राउंड समझौते की अंतिम कार्रवाई के रूप में सदस्यों को अपने कानून और विनियमों को इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के अनुरूप लाना होता है, हमें बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के बारे में समझौते के उपबंधों के अनुसार पेटेंट अधिनियम,

1970 में संशोधन करना होगा। ये संशोधन पेटेंट नीयता के कार्य क्षेत्र, संरक्षण की शर्त, अनिवार्य लाइसेंसीकरण उपबंधों इत्यादि के संबंध में है।

किन्तु पेटेंट संरक्षण की शर्त के संबंध में ट्रीप समझौते के उपबंधों के लिए आवदेन 1 जनवरी, 2000 तक की अर्न्तवर्ती अवधि है और अब तक असंरक्षित प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के लिए उत्पाद पेटेंट संरक्षण शुरू करने के लिए 1 जनवरी 2005 तक की अवधि है।

[हिन्दी]

गुजरात के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

1093. श्री महेश कनोडिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में जून, 1994 तक कुल कितना निवेश किया गया;

(ख) प्रत्येक उपक्रम के वार्षिक उत्पादन, लाभ/घाटे का ब्यौरा क्या है तथा इनमें से प्रत्येक में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं; और

(ग) गुजरात की इन परियोजनों का ब्यौरा क्या है जिनमें सरकार का विचार फिर से निवेश करने का है तथा इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). केवल 31.3.1993 की अवधि तक जानकारी उपलब्ध है जिसके अनुसार गुजरात राज्य में इण्डियन पेट्रोकेमिक्ल्स कारपोरेशन लि. और एन. टी. सी. (गुजरात) लि. नामक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के दो उद्यम थे। सरकारी क्षेत्र के इन दो उद्यमों में सामान्य शेयरों और ऋणों के रूप में किया गया निवेश, उत्पादन मूल्य, निवल लाभ/हानि और कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है :

(करोड़ रूपयों में)

सरकारी क्षेत्र के उद्यम का नाम	31.3.94 तक निवेश	1992–93 के दौरान उत्पादन मूल्य	1992–93 के दौरान निवल लाभ/हानि	31.3.93 तक कर्मचारियों की संख्या
इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि.	1851	1676	132	11742
ने. टे. का. (गुजरात) लि. (गुजरात)	1258	55	(–) 84	11240

(ग) 31.3.1993 तक विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र की 100 करोड़ रूपये और इससे अधिक लागत वाली कार्यान्यवाधीन परियोजनाओं के साथ–साथ उनके पूरा होने का संभावित समय 23.2.1994 के संसद में प्रस्तुत किये गये लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992–93 के खण्ड 1 के पृष्ठ सं. 47 से पृ. संख्या 60 तक दिया गया है।

मतदाता सूचियां

1094. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में मतदाता सूचियों को अंतिम रूप कब तक दे दिया जायेगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : *(क) से (घ). अर्हता की तारीख 1.1.1995 के प्रति निर्देश से, गुजरात राज्य में निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण* का कार्य चल रहा है। प्रारूप निर्वाचक नामावलियां 14.11.1994 को प्रकाशित कर दी गई है और निर्वाचन आयोग द्वारा विहित किए गए समय–कार्यक्रम के अनुसार, अंतिम नामावलियां 2 जनवरी, 1995 को प्रकाशित की जानी हैं।

[अनुवाद]

आई. डी. पी. एल. का निजीकरण

1095. श्री मोहन रावले : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यिुटीकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) के मद्रास तथा बिहार में मुजफ्फरपुर स्थित एककों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ख). जी, नहीं। इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई डी पी एल) के लिए औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार, मुजफ्फरपुर और मद्रास स्थित आई डी पी एल की दो इकाइयों को पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में परिवर्तित कर दिया गया है।

पंचग्राम पेपर मिल

1096. श्री उद्धव बर्मन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पंचग्राम पेपर मिल, पंचग्राम असाम के उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों प्रति वर्ष प्रत्येक मिल में कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उत्पादन में आई इस गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण क्या रहे;

(घ) क्या सरकार का पेपर मिल को निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). कछार पेपर मिल की गत 3 वर्षों की उत्पादन प्रवृत्ति तथा वर्तमान प्रवृत्ति निम्न प्रकार है :–

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिक टन)	क्षमता उपयोगिता (प्रतिशत)
1991–92	54,455	54.45
1992–93	59,150	59.15
1993–94	51,432	51.43
1994–95 (अप्रैल से नवम्बर)	44,563	68.84

1993–94 में उत्पादन में गिरावट कुछ तकनीकी समस्याओं और कच्चे माल की कठिनाई के कारण हुई।

(घ) से (ङ). हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की कछार पेपर मिल्स और नौगांव पेपर मिल्स अपने आरम्भ से ही घाटा उठा रही हैं। कुछ समय से, सरकार उन्हें जैव्य बनाने के विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है और इनकी पुनसंरचना और ? सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत चलाने के साथ–साथ निजी क्षेत्र की पार्टियों को सौंपने के विकल्पों के तुलनात्मक फायदों पर सलाह देने के लिए एस. बी. आई. कैपिटल मार्किट्स लिमिटेड को नियुक्त किया गया है।

कर्नाटक में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं/कार्यक्रम

1097. श्री रामचन्द्र वीरप्पा : क्या **योजना और कार्यक्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान केन्द्र सरकार की प्रायोजित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए कर्नाटक को कुल कितनी सहायता कार्यक्रम–वार दी गई;

(ख) प्रत्येक कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी प्रतिशत उपलब्धियां प्राप्त की गई; और

(ग) वर्ष 1994–95 के दौरान प्रत्येक कार्यक्रम के लिए कितना वित्तीय आवंटन किया जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं। इन स्कीमों का संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मानीटर किया जाता है। इनके कार्यान्वयन में योजना आयोग की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है फिर भी यह आमतौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना विचार–विमर्श के दौरान योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

भवनों को किराये पर देना

1098. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **शहरी विकास मंत्री** 2 मार्च, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1173 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) इस मंत्रालय द्वारा, सांस्थानिक परिसंपत्तियों के पट्टाधारकों द्वारा अन्य संगठनों को परिसर को किराये पर दिये जाने के कारण परिसरों के दुरुपयोग के निर्यापतिकरण के लिए अपनाये जाने वाले मानदण्ड तथा प्रक्रिया बाबत विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं। अतारांकित प्रश्न 1173 के भाग (क) में उल्लिखित सांस्कृतिक संस्थानों को पट्टे पर दी गयी परिसम्पतियों की किराया आय तथा अन्य संस्थानों को किराये पर दिये गये क्षेत्र का पूरा विवरण पता लगाने के लिए भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा जांच करा ली गयी है। इसके अतिरिक्त विगत में हुए दुरुपयोग के नियमितिकरण बाबत स्पष्टीकरण शीघ्र ही जारी किये जाने की आशा है तथा प्रश्न संख्या 1173 पर दिये गये आश्वासन को तत्पश्चात ही पूरा किया जायेगा।

लोक अदालतें

1099. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लोक अदालतें कारगर तरीके से कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन अदालतों ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मामले निपटाए है; और

(घ) क्या सरकार मामलों को तेजी से निपटाने के लिए और अधिक लोक अदालतें स्थापित करने पर विचार कर रही है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा समय–समय पर पूरे देश में लोक अदालतें आयोजित की जा रही हैं। राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पिछले तीन वर्षों, अर्थात 1991, 1992 और 1993 के दौरान लोक अदालतों द्वारा निपटाए गए मामलों की वर्षवार संख्या संलग्न विवरण में अंतविष्ट है।

(घ) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा जब भी और जहां भी आवश्यक समझा जाता है, लोक अदालते आयोजित की जाती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों, 1991, 1992 और 1993 के दौरान निपटाए गए मामलों की राज्यवार संख्या (विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान निपटाए गए मामले		
		1991	1992	1993
*1.	आंध्र प्रदेश	34,873	11,638	18,581
2.	असम	79	57	1,614
*3.	बिहार	2,959	कोई नहीं	1,828
4.	गोवा	464	425	481
5.	गुजरात	17,081	13,193	13,461
6.	हरियाणा	15,407	27,476	25,861
7.	हिमाचल प्रदेश	2,690	7,161	5,376
8.	जम्मू–कश्मीर	76	–	58
9.	कर्नाटक	4,386	15,291	28,784
10.	केरल	7,598	6,891	7,472
11.	मध्य प्रदेश	57,397	40,158	59,041
12.	महाराष्ट्र	10,457	10,579	8,953
13.	मणिपुर		कोई नहीं	
14.	मेघालय		कोई नहीं	
15.	मिजोराम	–	268**	–
16.	उड़ीसा	1,19,837	78,203	63,897
17.	पंजाब	5,833	10,424	14,275
*18.	राजस्थान	1,17,146	1,08,254	75,844
19.	सिक्किम		कोई नहीं	
20.	तमिलनाडु	4,197	4,320	8,330
21.	त्रिपुरा	–	432**	–
*22.	उत्तर प्रदेश	2,16,173	2,85,586	2,94,053
23.	पश्चिमी बंगाल	456	78	96
24.	चडीगढ़	–	106**	–
25.	दिल्ली	998	1,469	594
26.	पाडिचेरी	92	317	263

* ये आंकड़े वित्तीय वर्षों अर्थात 1991–92, 1992–93 और 1993–94 पर आधारित है।

** ये आंकडे तीन वर्षों के लिए है। वर्ष–वार ब्यौरा नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

वैकल्पिक प्लाटों का आवंटन

1100. श्री सज्जन कुमार : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में जिन व्यक्तियों की भूमि अधिगृहीत की गई है उनको वैकल्पिक आवासीय प्लाट आवंटित किए जाने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली सरकार के पास वैकल्पिक प्लाटों के कितने दावे विचाराधीन है; और

(ग) इस पर अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री. पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) 30.11.94 की स्थिति के अनुसार, 1758 मामले/दावे विचाराधीन है।

(ग) चूंकि, यह एक सतत् प्रक्रिया है, अतः कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

सौर विद्युत क्षमता

1101. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपलब्ध सौर विद्युत क्षमता का आकलन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को सौर तटीय विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). देश पर पड़ने वाले कुल सौर विकिरण का अनुमान लगभग 5×10^{15} कि.वा./घं/वर्ष लगाया गया है। कुल संभाव्यता प्रयोग की जाने वाली रूपान्तरण प्रौद्योगिकियों और भूमि क्षेत्र, जो उपलब्ध कराया जा सकता है, पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ). कुछ राज्यों से प्रारंभिक प्रस्ताव हुए थे। तथापि, आठवीं योजना के दौरान केवल एक 30 मेवा. अनुसंधान एवं विकास सह–प्रदर्शन परियोजना शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। राजस्थान में एक परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट हाल ही में तैयार की गई है।

सेना द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि के लिए मुआवजा

1102. श्री मृत्युंजय नायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू जिला के गिगारिअल, अखूनर गांव में सेना द्वारा अधिगृहीत की गई भूमि और 1993–94 के किराया संबंधी मुआवजों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है बावजूद इस तथ्य के कि केन्द्रीय सरकार ने इस हेतु धनराशि पहले ही जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जम्मू जिला में अखनूर तहसील के गिगरिअल गांव में 106.375 एकड़ भूमि से कुल अधिगृहीत क्षेत्र के लिए वर्ष 1993–94 का किराया संबंधी मुआवजा रक्षा सम्पदा प्राधिकारियों द्वारा संबंधित उपायुक्त को जारी कर दिया गया है। मुआवजे का वितरण उपायुक्त द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अशोक पेपर मिल्स

1103. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रामेश्वर नगर (दरभंगा) और असम में जोगियाधोपा में स्थित अशोक पेपर मिलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या लुदगी संयंत्र को अंतरित किए जाने के कारण रामेश्वर नगर इकाई से बन्द कर दिया गया है;

(ग) क्या 1982–83 में बिहार सरकार ने रामोवन नगर इकाई के पुनरूद्धार तथा चिथड़ों से लुगदी का निर्माण और विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने का सुझाव दिया था; और

(घ) यदि हां, तो इस इकाई के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे है ?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) बिहार में दरभंगा में स्थित और असम में जोगियाधोपा में स्थित अशोक पेपर मिल्स के दोनों एकक बन्द पड़े हैं।

(ख) रामेश्वर नगर एकक लुगदी की आपूर्ति के लिए असम एकक पर निर्भर है क्योंकि इस एकक की अपनी कोई लुगदी मिल नहीं है। यह एकक बिजली की आपूर्ति के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड पर निर्भर है। इसके सहायक एकक अर्थात असम एकक से पर्याप्त लुगदी की आपूर्ति के अभाव में और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से पर्याप्त बिजली की अनुपलब्धता के कारण रामेश्वर नगर एकक औसतन 50 प्रतिशत क्षमता उपयोग भी प्राप्त नहीं कर सका है और इससे वित्तीय हानि हुई हैं तथा 1982 वर्ष के बाद के महीनों में अंततः उत्पादन रूक गया था।

(ग) और (घ). चीवर लुगदी की क्षमता में पर्याप्त विस्तार करने और अशोक पेपर मिल के आंतरिक विद्युत एकक की स्थापना के लिए मूल आवेदन वर्ष 1982 में नामंजूर कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय की हिदायतों के अनुसार हाल ही में अशोक पेपर मिल्स की कामगार यूनियन द्वारा प्रस्तुत किए गए एक पुनरुज्जीवन पैकेज पर इस विभाग में विचार किया गया है और रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत की गई है।

[अनुवाद]

सीमेंट का उत्पादन/निर्यात

1104. श्री पी. सी. चाको : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान सीमेंट के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) आठवीं योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान सीमेंट के निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया; और

(ग) अब तक कितना निर्यात हुआ है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) निर्धारित लक्ष्य निम्न प्रकार है :–

			(मिलियन टन में)
1994–95	1994–95	–	62.00
	1995–96	–	68.00 (अनंतिम)
	1996–97	–	76.00

(ख) और (ग). निर्यात का कोई वर्षवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, 1994–95 में सीमेंट और खंगड का निर्यात 3 मिलियन टन और 1996–97 में 5 मिलियन टन पर पहुंच जाने की आशा है। सीमेंट और खंगड का वास्तविक निर्यात निम्न प्रकार है :–

	(मिलियन टन में)
1992–93	1.18
1993–94	2.85
1994–95 (अक्तूबर तक)	1.71

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार योजनाएं

1105. श्री बीर सिंह महतो : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष योजना चलाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). बिभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में लागू एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस), नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) तथा प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी एम आर वाई) जैसी विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्रक तथा केन्द्र प्रायोजित विशेष रोजगार स्कीमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में भी प्रचालन में हैं। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में कुछ राज्य सरकारें स्वयं अपनी विशेष रोजगार स्कीमें भी कार्यान्वित कर रही हैं, जैसे मणिपुर में शिक्षित बेरोजगारों के लिए साफ्ट लोन स्कीम तथा असम में बहके हुए युवायों के पुर्नर्वास हेतु विशेष रोजगार स्कीम।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन

1106. श्री मंजय लाल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राज्यों से संबंधित समस्यायों से निबटने के लिए कोई समन्वय प्राधिकरण गठित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के तेजी से क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास एवं इस तरह की योजना के कार्यान्वयन के प्रबोधन एवं उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन किया गया है। साथ ही इस बोर्ड के गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भू–उपयोग के नियंत्रण एवं अवस्थापना विकास हेतु अनुकूल नीतियों को इस प्रकार तैयार करने का है ताकि किसी भी प्रकार के अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके।

(ख) 1.4.85 से 31.3.94 की अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने चालू एवं नयी दोनों योजनाओं के लिए कुल 87.35 करोड़ रूपये की धनराशि ऋण के रूप में जारी की गयी। तदनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान सरकारों द्वारा इसी मद में रू. 73.19 करोड की धनराशि निवेश की गयी। इसके अतिरिक्त, बोर्ड ने 3 सम सुविधा सम्पन्न (काउन्टर मैगनेट) नगरों यथा–पंजाब में पटियाला, मध्य प्रदेश में ग्वालियर तथा राजस्थान में कोटा के विकास के लिए रू. 4.00 करोड़ की धनराशि जारी की है जब कि राज्य सरकारों का इस मद में योगदान रू. 78 लाख है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने क्षेत्रीय योजन–2001 को दिनांक 23.1.89 से लागू किया है। इस योजना के अन्तर्गत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने रू. 4342 करोड़ का आठवीं योजना निवेश कार्यक्रम मंजूर किया है। जिसमें से रू. 2375 करोड़ केन्द्रीय सेक्टर में और 1967 करोड़ रूपये राज्य सेक्टर में है। चूंकि केन्द्रीय सेक्टर के विकास कार्यक्रम भूतल/ परिवहन, रेल, दूरसंचार, पावर और जल संसाधन मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित लिए जाने होते हैं, जब कि राज्य सेक्टर के कार्यक्रम एन. सी. आर. योजना बोर्ड और सहभागी राज्यों की साझी जिम्मेदारी है। आठवीं योजना में, साझे उप घटक का कार्यान्वयन करने के लिए योजना आयोग द्वारा 200 करोड़ रूपये का परिव्यय केन्द्रीय सहायता के रूप में इस शर्त पर पहले ही दियां जा चुका है कि इतनी ही राशि राज्य सरकार द्वारा एन सी आर योजना बोर्ड द्वारा तैयार किए गए निवेश कार्यक्रम के अनुसार जारी की जाएगी।

सिविल सचिवालय पर हमला

1107. श्री पंकज चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर में कश्मीरी आतंकवादियों ने सिविल सचिवालय पर आक्रमण करने का कोई प्रयास किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रयास में सचिवालय को कोई नुकसान पहुंचा था;

(ग) क्या सरकार ने सचिवालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं :

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). 14 सितम्बर, 1994 को उग्रवादियों ने श्रीनगर में नए सचिवालय भवन पर एक रोकट दागा। राकेट, भवन के पांचवे तल के एक हिस्से से टकराया, जिससे इसे मामूली क्षति पहुंची। इसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं गई और न कोई घायल हुआ। सिविल सचिवालय के इर्द–गिर्द सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और उस क्षेत्र में गश्त गहन कर दी गई है।

[हिन्दी]

सिंचाई की दरें

1108. श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नीतीश कुमार :
श्री गुमानमल लोढा :
श्री गुरूदास कामत :
श्री शरत पटनायक :
कुमारी सुशीला तिरिया :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई की दरों से संबंधित वैद्यनाथन समिति की सिफारिशें के अध्ययन के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सिंचाई की दरों में वृद्धि करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (च). जी हां। योजना आयोग ने सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों का दल (जीओओ) बनाया है जिसके अन्य सदस्य केन्द्रीय सरकार के स्तर पर जलसंसाधन, वित्त और कृषि मंत्रालयों और देश के विभिन्न क्षेत्रों से लिए गए व प्रमुख राज्यों के प्रतिनिधि हैं, जो वैधनाथन समिति रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच करेंगे और उस पर की जाने वाली कार्रवाई पर अपनी राय प्रस्तुत करेंगे। अधिकारियों के दल ने अभी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

येलहांका एयर फोर्स स्टेशन पर हुई विमान दुर्घटना की जांच

1109. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या येलहांका एयर फोर्स स्टेशन पर 25 मार्च, 1991 को हुई एवरो विमान दुर्घटना की जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत पायलट अफसरों की शव परीक्षा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो शव परीक्षा की रिर्पोट के क्या निष्कर्ष हैं;

(ङ) क्या सरकार को जानकारी है कि एवरो विमान में क्षमता से अधिक केडेट सवार थे;

(च) क्या अग्निशमन वाहन दुर्घटना स्थल पर विलम्ब से पहुंचे थे और यदि हां, तो क्या दुर्घटनाग्रस्त विमान 20 वर्ष पुराना था; और

(छ) क्या उड़ान के अयोग्य विमान को उड़ान भरने की अनुमति देने के संबंध में कोई उत्तरदायित्व निश्चित किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) 25 मार्च, 1991 को वायुसेना तकनीकी केन्द्र की ओर से पायलट अफ़सर एहसान हाफिज सहित 25 प्रशिक्षणार्थी अफसरों को प्रशिक्षण दिए जाने के लिए स्क्वाड्रन लीडर आर. भल्ला को कैप्टन के रूप में उड़ान भरने के लिए प्राधिकृत किया गया था। उड़ान भरने के तत्काल बाद ही वायुयान अपनी दिशा और ऊंचाई खो बैठा तथा उसमें आग लग गई और वह येलहांका वायुसेना स्टेशन के बाड़े के भीतर ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उसमें सवार सभी कार्मिक मारे गए। जांच अदालत ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस दुर्घटना का कारण स्टार बोर्ड इंजन का ठीक से काम न करना था। इंजन के ठीक से काम न करने के वास्तविक कारण का पता नहीं लगाया जा सका।

(ग) जी, हां।

(घ) शव परीक्षा की रिपोर्ट से पता चला है कि पायलट अफसर के सिर में घातक चोट लगी थी।

(ङ) वायुयान में सवार यात्रियों की संख्या सीमा के भीतर थी। अग्निशमन वाहन दुर्घटना स्थल पर समय पर पहुंचे थे।

(च) यह वायुयान 20 वर्ष से भी अधिक पुराना था किन्तु यह उड़ान भरने के योग्य था।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यायधिकरणों का पुनर्गठन

1110. श्री मंजय लाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मामलों के शीघ्र और कम खर्च में निपटारे लिए पूरे देश मे विभिन्न न्यायधिकरणों के पुनर्गठन हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है करने का विचार है;

(ग) क्या इस पुनर्गठन में अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति का भी प्रावधान होगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज): (क) भारत के उच्चतम न्यायालय ने हाल के एक निर्णय, अर्थात आर.के.जैन बनाम भारत संघ (ए.आई.आर. 1993 एस.सी.1769) में भारत के विधि आयोग को विभिन्न कानूनों के अधीन अधिकरणों के गठन के संबंध में गहन अध्ययन करने और उनके बेहतर कार्यकरण के लिए उपायों का सुझाव देने का निदेश दिया

है। हाल में, कलकत्ता मे हुए विधि मंत्रियों के खुले अधिवेशन में देश में विभिन्न अधिकरणों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कई सिफारिशें की गई हैं। अधिवेशन में विधि मंत्रियों द्वारा अंगीकृत "कलकत्ता संकल्प" से सुसंगत उदाहरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) "कलकत्ता संकल्प" की प्रतियां सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन विभिन्न अधिकरणों के प्रधानों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई हैं।

(ग) और (घ). जी नहीं।

विवरण

17 नवम्बर, 1994 को कलकत्ता में हुए विधि मंत्रियों के खुले अधिवेशन में उनके द्वारा अंगीकृत "कलकत्ता संकल्प" से उद्धहरण

प्रशासनिक अधिकरण :

14. विधि मंत्रियों ने स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प में इस बात पर विचार किया गया था कि उसमे की गई सिफारिशों को यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, प्रशासनिक अधिकरणों को भी लागू किया जाए और सरकार उन अधिकरणों में बकाया मामलों के संबंधित समस्याओं पर विचार करे। उन्होंने विशिष्ट रूप से, उक्त संकल्प की उन सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जिनमें अन्य बातों के साथ ऐसा समय-सीमा नियम करने, जिसके भीतर अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाए, प्रत्येक अधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या का आवधिक पुनर्विलोकन करने, केवल आपवादिक परिस्थितियों में स्थगनादेश देने, मौखिक बहस के लिए समय-सीमा नियत करने, संक्षिप्त में निर्णय देने की आवश्यकता, मामलों को समूहबद्ध करने, अधिकरणों के लिए आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था करने, पुराने मामलों को पूर्विकता देने और आरक्षित निर्णयों को युक्तियुक्त समय के भीतर सुनाए जाने की आवश्यकता की सिफारिशें की गई थीं।

15. विधि मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रशासनिक अधिकरणों के कार्यकारी समूह ने केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक अधिकरणों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है। उन्होंने डाक सं. एल एम एम (डब्ल्यू जी-3) '94 '3 में अन्तर्विष्ट प्रशासनिक अधिकरणों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन विषयक कार्य पत्र पर विचार किया।

16. विधि मंत्री इस बात पर सहमत थे कि प्रशासनिक अधिकरणों की बाबत मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प की सिफारिशों को यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि इन अधिकरणों में रिक्त पदों को अविलंब भरा जाना चाहिए ताकि बकाया मामलों में वृद्धि न हो सके।

17. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल उचित रूप से अधिक अवधि के लिए होना चाहिए और इस संबंध में विभिन्न अधिनियमितयों के उपबंधों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

18. विधि मंत्रियों ने इस पर भी बल दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि अधिकरण के सदस्यों के रूप में केवल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो अन्य बातों के साथ मामलों पर कार्यवाही करने की अपेक्षित योग्यता, उचित व्यक्तित्व आचरण तथा नैतिक व्यवहार, दृढ़ता और निर्भिकता रखते हो।

19. विधि मंत्रियों की यह भी राय थी कि सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बीच तथा दो पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बीच विवादों को न्यायालय या अधिकरण में नहीं ले जाना चाहिए और ऐसे विवादो को पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से निपटाया जाना चाहिए।

20. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति का प्रधान, केन्द्रीय स्तर पर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती और राज्य स्तर पर संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती होना चाहिए और ऐसी चयन समिति एक स्थायी निकाय होना चाहिए।

21. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सभी अधिकरणों पर प्रशासनिक नियंत्रण एक ही मंत्रालय, विभाग को न्यस्त किया जाना चाहिए।

22. विधि मंत्रियों की यह भी राय थी कि प्रशासनिक निकायों द्वारा पारित आदेश सदैव आध्यायक आदेश होना चाहिए ताकि अधिकरण इस बात का मूल्यंकन कर सके कि प्राधिकरियों ने अपने विनिश्चय करने में, वास्तव में, किस बात को महत्व दिया है।

[हिन्दी]

केन्द्रीय मंत्री पर हमला

1112. श्री संतोष गंगवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा हाल ही मे किसी केन्द्रीय मंत्री पर हमला किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कश्मीर घाटी का दौरा करने वाले, सरकार के मंत्रियों सहित राजनैतिक नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सौर ऊर्जा उपस्कर

1113. **श्री सुकदेव पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने सरकार को सौर ऊर्जा उपस्करों के विनिर्माण के लिए प्रस्तावित 55 मिलियन डालर का अनुदान वापस लेने की चेतावनी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सौर उपस्करों का निर्माण करने वाली कंपनियां शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं के बीच सौर ऊर्जा उपस्करों का वाणिज्यीकरण करने में असफल रहीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा उपस्करों पर राज सहायता में कटौती किए जाने के कारण निर्माता उपस्करों के निर्माण से विमुख हो रहे हैं;

(च) सौर उपस्करों पर राज सहायता में कटौती किए जाने के क्या कारण हैं; और

(छ) ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए सस्ती दर पर सौर ऊर्जा उपस्करों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी नहीं। कुछ सौर ऊर्जा उपकरणों के वाणिज्यीकरण का कार्य पहले ही आरंभ हो चुका है।

(ङ) जी नहीं।

(च) और (छ). वाणिज्यीकरण में तेजी लाने के लिए सौर जल तापकों और सौर कुकरों पर केन्द्रीय आर्थिक राज सहायता को चरणों में समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर उदार शर्तों पर ऋण सहायता योजना शुरू की गई है। तथापि, सौर वायु तापकों और सौर निथरन प्रणालियों पर आर्थिक राज सहायता अभी भी जारी रखी जा रही है। सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के लिए समाजोन्मुख योजना के अंतर्गत विशेष श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, द्वीप समूहों, मरूस्थली क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में उपयोगकत्ताओं को और कुछ विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को आर्थिक राज सहायता उपलब्ध है। बाजारोन्मुख योजना के अंतर्गत सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों की खरीद के लिए उदार शर्तों पर ऋण सहायता भी उपलब्ध है।

उदार ऋण योजनाओं को भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमि. (इरेडा) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इरेडा द्वारा उपयोगकर्त्ताओं को ऋण सहायता या तो सीधे ही अथवा विनिर्माताओं, आपूर्तिकत्ताओं एवं वित्तीय बिचौलियों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है।

सिगरेट के मूल्य

1114. **श्री ब्रह्मानन्द मंडल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1994 में केन्द्रीय बजट प्रस्तुत करने के बाद नवम्बर, 1994 तक प्रत्येक सिगरेट निर्माता ने विभिन्न ब्रांड के सिगरेटों के मूल्य में कितनी बार वृद्धि की है;

(ख) प्रत्येक कंपनी द्वारा ब्रांड–वार कितनी वृद्धि की गई; और

(ग) इस वृद्धि के क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विस्थापित कश्मीरियों हेतु योजनाएं

1115. **श्री अरविन्द त्रिवेदी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित कश्मीरियों के लिए कोई राहत योजनाएं शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन योजनाओं के अन्तर्गत दी गई राशि का सदुपयोग नहीं हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो यह जांच कब तक कराई जाएगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) कश्मीर घाटी से पलायन कर गए व्यक्तियों, जो मुख्यतः जम्मू क्षेत्र, दिल्ली तथा थोड़ी संख्या में देश के अन्य भागों में रह रहे हैं, को अनुग्रह–पूर्वक नकद राहत, राशन तथा शिविर–आवास आदि के रूप में अस्थायी व्यवस्था करके सहायता दी जा रही है।

(ख) से (ङ). उपर्युक्त राहत सहायता के लिए दिए गए धन के दुरूपयोग के बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त होगी तो उसकी जांच की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

निर्माण क्षेत्र में विकास

1116. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होने के बावजूद इस क्षेत्र में 1993–94 के दौरान और 1994–95 में अब तक कोई प्रशंसनीय विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस क्षेत्र के विकास में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग). जी, नहीं। विनिर्माणकारी क्षेत्र में 1992–93 की 2.2 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में 1993–94 में 2.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। केन्द्रीय सांख्यकीय संस्थान से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष में (अप्रैल–जुलाई, 1994) इस क्षेत्र की विकास दर में 8.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

चीनी घोटाला संबंधी समिति

1117. श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :
श्री डी.वेंकटेश्वर राव :
श्री श्रवण कुमार पटेल :
श्री चित्तबसु :
श्री मोहन सिंह (फिरोजपुर) :
श्री पी. कुमारासामी :
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :
श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :
श्री अरविन्द त्रिवेदी :
श्री बीर सिंह महतो :
प्रो. राम कापसे :
श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी घोटाले की जांच कर रही ज्ञान प्रकाश समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) सरकार की इन पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) प्रतिवेदन सभा में कब तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा;

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ).

(1) वर्तमान मौसम में चीनी की उपलब्धता में कमी के कारण उत्पन्न हुई स्थिति से निपटने में रही खामियों, यदि कोई हों, से संबंधित तथ्यों का पता लगाने तथा प्रधान मंत्री जी को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसके लिए प्रथम दृष्टि में जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु जुलाई, 1994 में एक प्रारम्भिक प्रशासनिक जांच का आदेश दिया गया था। जांच का कार्य सेवा–निवृत्त भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा–परीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश को सौंपा गया था।

(2) श्री ज्ञान प्रकाश ने अक्तूबर, 1994 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(3) रिपोर्ट में चीनी संकट के ये कारण दर्शाए गए हैं—जैसे चीनी उत्पादन के अविश्वसनीय और बढ़े हुए अनुमान, चीनी के उपलब्ध अंतिरिक्त स्टाक और रिलीजों का कुप्रबन्ध, चीनी आयात करने का निर्णय लेने में देरी, इस निर्णय को लागू करने में विलम्ब तथा समन्वय की कमी। इनके अलावा, इस रिपोर्ट में मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति का चीनी आयात करने के बारे में स्पष्ट निर्णय न ले पाने, विभिन्न संबंधित मंत्रालयों की ओर से संकुचित विभागीय दृष्टिकोण अपनाने, मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति, खाद्य मंत्री, नागरिक आपूर्ति मंत्री और मंत्रिमंडल सचिव द्वारा मामले को मंत्रिमंडल/प्रधान मंत्री के ध्यान में न लाने, खाद्य मंत्री तथा खाद्य सचिव के बीच अच्छे संबंध न होने जिससे मंत्रालय के काम–काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और चीनी आयात करने हेतु निर्णय लेने के बारे में गोपनीयता की कमी होने की वजह से रहीं कुछेक खामियों का उल्लेख किया गया है।

(4) इस रिपोर्ट में भविष्य में चीनी की कमी की स्थिति से निपटने के लिए कुछेक सिफारिशें की गई हैं। संक्षेप में, सिफारिशें ये हैं–गुड़, खांडसारी और चीनी के बारे में एक समन्वित नीति होनी चाहिए; चीनी का पर्याप्त भण्डार होना चाहिए; पूर्वानुमान तथा अनुमान लगाने के वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए; चीनी की कमी की स्थितियों की निगरानी करने के लिए सचिवों की एक समिति गठित की जानी चाहिए; अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की सावधानीपूर्वक खरीदारी की जानी चाहिए; आवश्यकता पड़ने पर आयात संबंधी निर्णयों को आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति अथवा मूल्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति को भेजा जाना चाहिए; अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु बाजारों की गहन निगरानी की जानी चाहिए; अपरिष्कृत चीनी के आयात और उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण की जांच की जानी चाहिए; नागरिक आपूर्ति तथा खाद्य विभागों के लिए एक ही मंत्रालय होना चाहिए; सचिवों के बीच मतभेदों को सुलझाने तथा विवादों को दूर करने के लिए एक संहिता होनी चाहिए; ओपेन जनरल लाइसेंस के आधार पर शुल्करहित चीनी के आयात को जारी रखा जाना चाहिए तथा इसकी तभी समीक्षा की

जानी चाहिए जब उसका घरेलू उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा हो।

(5) श्री ज्ञान प्रकाश द्वारा की गयी सिफारिशों की जांच करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति से 31.12.1994 तक अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

(6) रिपोर्ट को सभा–पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1118. श्री दिलीप भाई संघाणी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा सहायता प्राप्त योजनाएं कौन–कौन सी हैं; और

(ख) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान अब तक प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग): (क) और (ख). केन्द्र प्रायोजित स्कीमें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श करके केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा तैयार की जाती हैं। संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालय इन स्कीमों को मानिटर करते हैं। इनके कार्यान्वयन में योजना आयोग की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती हैं। फिर भी यह आमतौर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वार्षिक योजना विचार–विमर्शों के दौरान योजना स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता है।

ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

1119. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुडको और फ्रांस की एक एजेंसी के बीच ठोस अपशिष्ट पदार्थों के कुशल निपटान हेतु एक दीर्घकालिक सहयोग से संबंधित किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) जी, हां।

(ख) जयपुर, भुवनेश्वर और राजकोट शहरों में साध्यता अध्ययन करने और कूड़ा–कचरा प्रबन्ध के विभिन्न पहलुओं पर प्रौद्योगिकी प्रदर्शनों के लिए 3.10.94 को हुडको और फ्रांसीसी एजेंसी–डी ली इनवायर्नमेंट एट डीला मैट्राइज डी ला एनर्जी (ए डी ई एम ई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। जयपुर को प्रथम चरण में लिया जाएगा। इसमें कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन और स्थानीय एजेंसियों को व्यावसायिक सहायता के लिए हुडको की संस्थागत सुदृढ़ता भी शामिल है।

आंवला (बरेली) स्थित ''इफ्को'' का एकक

1120. श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ''इफ्को'' के आंवला (बरेली) स्थित एकक ने बढ़ाई गई क्षमता के अनुसार उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बढ़ाई गई क्षमता के परिणामस्वरूप कितनी नई नियुक्तियां की गई हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उन किसानों के प्रतिनिधियों को नौकरी दे दी गई है जिनकी भूमि उक्त एकक हेतु अधिग्रहीत की गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो अभी कितने मामले लम्बित हैं; और

(च) उन्हें नौकरी कब तक दे दी जायेगी?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). इफ्को इस समय 3.45 लाख टन नाइट्रोजन प्रति वर्ष अतिरिक्त उत्पादन करने के लिए 960 करोड़ रू. की लागत पर अपनी आंवला स्थित अमोनिया–यूरिया संयंत्र की उत्पादन क्षमता को दुगुनी करने के लिए एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है। परियोजना 1996 के अंतिम तिमाही में यांत्रिक रूप से पूर्ण होनी निर्धारित है।

(ग) अब तक, आंवला विस्तार परियोजना का कार्य रोजगार कार्यालय के माध्यम से दो टंकक लिपिकों की अस्थाई नियुक्ति को छोड़कर विद्यमान कर्मचारियों के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

(घ) से (च). इफ्को ने भूमि खोने वालों से 196 व्यक्तियों को अकुशल और अर्द्धअकुशल श्रेणियों में सीधा नियोजन प्रदान किया है। बाकी परिवार जिन्होंने अपनी भूमि खोई है, को वरीयता प्रदान की जायेगी जब रिक्तियां उत्पन्न होंगी बशर्ते वे योग्यताएं और पात्रता पूरी करते हों।

शहद उत्पादन

1121. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में मधु–मक्खी पालन के विकास और शहद के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना हेतु 1994–95 के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) कृषि मंत्रालय ने कुल 18.87 करोड़ रूपये की परिव्यय से 1994–95 से 1996–97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए "फसल उत्पादकता में सुधार के लिए मधुमक्खी पालन का विकास" संबंधी एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना शुरू की है। योजना के घटकवार विवरण इस प्रकार हैं :–

क्र. सं.	विवरण	रूपये करोड़ में
1.	अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना	2.50
2.	मधुमक्खी कालोनियों का निर्माण	8.05
3.	मधुमक्खी पालन/सहकारिता/समितियों/ संघों को सहायता देना।	6.00
4.	प्रशिक्षण	1.00
5.	संवर्धनात्मक	1.00
6.	दीर्घावधि विकास के लिए आयोजना	0.20
7.	मुख्यालय व्यय	0.12
	कुल	18.87

(ग) 1994–95 के दौरान उक्त योजना के कार्यान्वयन के लिए 1 करोड़ रूपये की राशि निर्धारित की गयी है। राज्य द्वारा निर्धारित अभिकरणों सहित विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव मांगे गये हैं। "मधुमक्खी कालोनी निर्माण" के लिए अस्थायी तौर पर विभिन्न राज्यों को अनन्तिम रूप से 10 लाख रूपये आबंटित किये गए हैं।

विदेशों में प्रशिक्षण

1122. श्री शरत पटनायक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान संवर्ग–वार कितने अधिकारी प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए;

(ख) क्या विदेशी प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) अधिकारियों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए उनके संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा भेजा जाता है। विदेशों में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को भिजवाने से संबंधित सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है। यह सूचना एकत्र की जाएगी तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सभी संवर्गों के अधिकारियों को उनके संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा विदेशों में प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए अधिकारियों की पात्रता, प्रशिक्षण की प्रासंगिकता और उपयुक्तता को देखते हुए भेजा जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक एककों के बीच तालमेल

1123. श्री सुधीर सावन्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों के लाभ के लिए प्रौद्योगिकियों के अंतरण हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान में संलग्न वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं और अन्य संस्थानों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के बीच कड़ी का काम करने के उद्देश्य से देश में किसी संगठन की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपरोक्त संगठन द्वारा ऐसी प्रौद्योगिकियों के अंतरण के लिए कोई शुल्क लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान इससे कितना लाभ अर्जित किया गया?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विदेशी निवेश

1124. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जैव–प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति वर्ष कितने विदेशी निवेश की अनुमति दी गई और इन क्षेत्रों में वास्तविक निवेश कितना हुआ; और

(ख) निवेश करने वाले देश कौन–कौन से हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). 1991 से 1994 (अक्तूबर तक) की अवधि के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्रवार और देशवार ब्यौरे विवरण–I और विवरण–II में संलग्न हैं। बायो–टैक्नोलोजी के विशिष्ट आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

किन्तु, बायो–टैक्नोलोजी विभाग से प्राप्त सूचनानुसार बायो–टैक्नोलोजी के लिये कुछ क्षेत्रों में अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इस प्रकार है :–

वर्ष	अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की राशि (रू. लाख में)
1992	405.41
1993	97.00
1994 (अक्तूबर तक)	23.50

यू.के., फ्रांस, यू.एस.ए., जर्मन, नीदरलैण्ड, जापान, दक्षिण कोरिया, इजरायल की कंपनियों द्वारा निवेश की परिकल्पना की गई है। वास्तविक विदेशी निवेश के अंतर्प्रवाह संबंधी क्षेत्रवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गए हैं।

विवरण-I

1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान विदेशी पूंजी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र.सं.	उद्योग का नाम	1991 राशि (रू. करोड़ में)	1992 राशि (रू. करोड़ में)	1993 राशि (रू. करोड़ में)	1994 (अक्तूबर तक) राशि (रू. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	2.23	58.87	1246.33	884.75
2.	ईधन	2.30	1504.11	2822.54	2137.15
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.72	0.12	53.86	3.47
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	–	–	–	2.24
5.	विद्युत उपकरण	101.39	371.84	645.85	563.64
6.	दूर संचार	13.58	119.07	46.98	14.68
7.	परिवहन	20.11	145.36	306.25	1178.52
8.	औद्योगिक मशीनरी	55.70	70.71	86.84	652.64
9.	मशीनी औजार	1.97	6.73	12.99	17.94
10.	कृषि मशीनरी	–	5.54	–	–
11.	मिट्टी हटाने की मशीन	0.08	0.55	0.60	111.73
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	0.84	37.17	40.38	67.65
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	–	63.81	9.27	8.71
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	4.25	3.60	8.17	6.31
15.	औद्योगिक उपकरण	2.07	14.81	1.69	0.84
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1.65	32.89	–	0.34
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	–	–	–	–
18.	उर्वरक	1.00	–	1.66	0.99
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	146.32	421.17	349.89	1122.12
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	–	7.90	10.73	–
21.	रंजग सामग्री	–	0.08	13.58	0.25
22.	औषध तथा भेषज	0.80	30.17	29.91	128.60
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत. वस्त्रों सहित)	18.55	139.25	119.21	906.14
24.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	4.40	20.15	115.27	198.34
25.	चीनी	–	–	53.50	–
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	–	4.99	147.45	16.00
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	54.09	402.22	907.87	521.84
28.	वनस्पति तैल तथा वनस्पति	3.03	6.13	10.88	11.08
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा कास्मेट प्रिपेरेशन	–	18.86	0.47	21.91
30.	रबड़ की वस्तुएं	1.09	2.37	54.09	21.14
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारण	3.14	27.25	17.04	11.74
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
33.	कांच	0.75	0.34	49.98	85.76
34.	सिरेमिक्स	12.74	19.38	30.08	115.16
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12.00	6.79	25.20	177.73
36.	टिम्बर उत्पाद	–	–	0.16	–
37.	सुरक्षा उद्योग	–	–	–	–
38.	परामर्शदायी सेवाएं	5.81	12.16	10.31	11.28
39.	सेवा क्षेत्र	–	67.21	1136.28	1058.76
40.	होटल तथा पर्यटन	–	198.77	352.98	427.17
41.	ट्रेडिंग कम्पनी	–	5.43	22.57	33.10
42.	विविध उद्योग	63.52	61.74	118.29	270.97
	योग	534.11	3887.54	8859.33	10745.03

विवरण–II

1991 से 1993 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के देशवार ब्यौरे

क्र.सं.	देश का नाम	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6
1.	यू.एस.ए.	1858.5	12315.0	34618.5	17862.4
2.	यू.के.	321.0	1176.7	6227.3	12336.9
3.	जर्मनी	418.0	862.7	1759.3	5357.5
4.	आस्ट्रेलिया	26.1	776.2	295.6	3856.3
5.	जापान	527.1	6102.3	2574.3	3594.1
6.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
7.	मारीशस	–	–	1242.4	2347.4
8.	हांगकांग	211.5	570.8	879.5	1274.1
9.	नीदरलैंड	559.2	967.9	3216.5	1046.3
10.	रूस	86.1	115.9	19.5	1042.2
11.	अफगानिस्तान	–	–	1.0	–
12.	अर्मेनिया	–	–	1.0	–
13.	आस्ट्रिया	15.9	61.4	155.7	198.2
14.	बनामास	–	7.5	–	81.2
15.	बहरीन	–	4.0	4.1	17.0
16.	बेल्जियम	16.1	237.0	60.0	62.4
17.	बेलारूस	–	–	0.5	–
18.	बेरमुडा	–	33.2	–	260.3
19.	ब्राजील	0.1	1.1	–	–
20.	ब्रिटिस ब्रिजन आइसलैंड	–	5.3	46.0	–
21.	कनाडा	48.6	7.8	272.8	417.1

1	2	3	4	5	6
22.	केमन आईसलैंड	–	–	33.0	35.0
23.	चेनल आईसलैंड	–	–	–	12.5
24.	चीन	7.5	–	616.6	272.5
25.	चैक गणराज्य	–	–	4.4	–
26.	चैकोस्लावाकिया	–	52.6	–	–
27.	डेनमार्क	111.7	252.3	319.9	510.6
28.	स्टोनिया	–	–	70.0	–
29.	फिनलैंड	25.3	105.0	20.7	72.1
30.	फ्रांस	193.3	296.4	1290.9	313.2
31.	हंगरी	–	–	22.7	1.6
32.	इंडोनेशिया	–	19.0	3.8	0.0
33.	आयरलैंड	–	0.1	1656.4	7.5
34.	इजरायल	–	12.7	14.6	69.3
35.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
36.	कजाकिस्तान	–	–	15.0	–
37.	कोरिया (उत्तर)	1.6	–	–	–
38.	कोरिया (दक्षिण)	61.5	394.0	293.3	603.7
39.	कुवैत	–	0.9	0.5	30.9
40.	लाटविया	–	2.6	–	–
41.	लक्ष्मबर्ग	–	–	29.0	–
42.	मलेशिया	1.8	744.3	84.8	242.9
43.	मालद्वीप	–	–	–	6.0
44.	माल्टा	–	1.3	–	–
45.	मैक्सिको	–	52.8	2389.8	0.1
46.	नेपाल	–	–	–	0.2
47.	न्यूजीलैंड	–	3.2	0.5	0.0
48.	नाइजीरिया	–	–	–	15.4
49.	नार्वे	3.8	9.2	26.7	3.1
50.	ओमान	–	–	5429.8	15.8
51.	पनामा	–	–	25.5	–
52.	फिलिपीन्स	–	50.0	132.5	34.0
53.	पौलैंड	0.4	–	1.5	–
54.	पुर्तगाल	1.6	12.0	140.0	0.0
55.	कतर	–	45.3	–	–
56.	रूस	86.1	115.9	19.5	1042.2
57.	सिंगापुर	13.7	602.1	667.4	955.6
58.	स्लोवाकिया	–	–	0.5	0.0
59.	स्पेन	3.3	19.2	98.0	20.2
60.	श्रीलंका	–	–	15.1	23.6
61.	स्वीडन	69.1	484.1	6.2	62.6

1	2	3	4	5	6
62.	स्विटजरलैंड	355.0	6897.6	4268.0	264.4
63.	ताइवान	4.5	180.0	100.1	78.9
64.	थाइलैंड	–	25.2	3684.2	91.8
65.	यू.ए.ई.	22.0	64.5	4044.9	512.3
66.	उक्रेन	–	8.4	2.8	4.5
67.	उरूग्वे	–	0.1	–	–
68.	वेस्टइंडीज	–	3.0	–	0.5
69.	यूगोस्लाविया	–	4.4	–	–
70.	अनिवासी भारतीय*	197.0	4391.3	10433.2	4307.4
71.	यूरो इश्यूज*	–	–	–	45510.9
72.	ऊपर समाविष्ट सभी देश	5341.1	38875.4	88593.3	107450.3

[अनुवाद]

दहेज मृत्यु के मामले

1125. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात उच्च न्यायालय में दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने तथा दहेज मृत्यु के कितने मामले लंबित हैं;

(ख) ये मामले कब से लंबित हैं;

(ग) विलम्ब के कारण हैं; और

(घ) कब तक इन मामलों को निपटाया जाएगा?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने अगस्त, 1994 में सूचित किया था कि उनके द्वारा, दहेज से कारित मृत्यु के लिए, कोई अलग अभिलेख नहीं रखा जाता है।

भारत-अमरीकी उद्योग सहयोग

1126. **श्री नुरुल इस्लाम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग क्षेत्र में भारत–अमेरिकी सहयोग हेतु कुछ विशेष क्षेत्रों का चुनाव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक पूरा किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). संयुक्त राज्य अमरीका के वाणिज्य अवर सचिव श्री जेफरे गार्टन ने एक शिष्ट मंडल के साथ नवम्बर, 1994 में भारत का दौरा किया था और संयुक्त राज्य अमरीका के उद्योग के लिए उच्च निवेश की क्षमता वाले क्षेत्रों का पता लगाने के लिए सरकारी और उद्योग दोनों स्तरों पर चर्चा की थी। इन चर्चाओं के दौरान दोनों पक्षों ने भारत में संयुक्त राज्य अमरीका के निवेश के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास, कृषि–संस्करण, पर्यावरण, रेशम, दूर संचार, परिवहन बंदरगाह और हवाई अड्डों, सड़कों, पर्यावरण प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, समुद्री उत्पादों, साफ्टवेयर और इलैक्ट्रानिक्स, आटो–उपकरणों इत्यादि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भाग लेने के लिए अपनी उत्सुकता दिखाई।

(ग) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और प्रौद्योगिकी अंतरण के लिए क्षेत्रों का पता लगाना एक निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है और दोनों देशों के संबंधित उद्यमों द्वारा सहयोग संबंधी समझौतों के लिए विचार–विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

न्यायिक सेवाएं

1127. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण संबंधी आदेशों को उच्च न्यायिक सेवा और अधीनस्थ न्यायिक सेवा में भर्ती के समय क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) क्या आरक्षण आदेशों को पदोन्नति के मामले में भी क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि न्यायिक सेवाओं में भर्ती के समय आरक्षण संबंधी आदेशों का सभी राज्यों में पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 से अनुच्छेद 235 के उपबन्धों के अनुसार, किसी राज्य की उच्चतर और अधीनस्थ न्यायिक सेवाओं के सभी मामले, जिसके अन्तर्गत आरक्षण भी है, संबंधित राज्य सरकार और उच्च न्यायालय के विषय हैं।

[अनुवाद]

विदेशी प्रस्ताव

1128. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनी "सोनी" से देश में एक इलैक्ट्रानिक सामान बनाने वाले एकक स्थापित करने सम्बंधी कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार के पास स्वीकृति हेतु लंबित ऐसे अन्य प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). जी, हां। सरकार ने रंगीन टेलीविजनों तथा इलैक्ट्रानिक एवं दूर संचार के अन्य उत्पादों/उपकरणों के विनिर्माण के लिए भारत में एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी की स्थापना करने के लिए मैसर्स सोनी कार्पोरेशन, जापान के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उक्त प्रस्ताव में 3 वर्ष के दौरान 16.00 मिलियन अमेरिकी डालर के विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की परिकल्पना की गई है।

(घ) प्रस्तावों का प्राप्त होना और इन पर विचार करना एक सतत् प्रक्रिया है।

स्वच्छता कार्यक्रम

1129. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री दत्ता मेघे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 और 1994–95 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम के लिए राज्यों को कितने धन का नियतन किया गया; और

(ख) तत्संबंधी राज्य–वार और वर्ष–वार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख). 1993–94 और 1994–95 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और स्वच्छता कार्यक्रम के लिए राज्यों को किया गया राज्य–वार और वर्ष–वार आबंटन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1993-94 और 1994-95 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम और केन्द्रीय स्वच्छता कार्यक्रम के लिए राज्यों को किया गया राज्य-वार और वर्ष-वार आवंटन

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन		त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन	
		1993–94	1994–95	1993–94	1994–95
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	157.480	315.00	4124.00	4644.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.250	9.00	746.00	842.00
3.	असम	57.470	115.00	1370.00	1422.00
4.	बिहार	279.790	560.00	4856.00	5469.00
5.	गोवा	1.940	5.00	084.00	129.00
6.	गुजरात	71.010	142.00	2656.00	3039.00
7.	हरियाणा	25.520	51.00	1652.00	2008.00
8.	हिमाचल प्रदेश	26.280	53.00	833.00	942.00
9.	जम्मू व कश्मीर	34.650	70.00	2303.00	2599.00
10.	कर्नाटक	127.780	256.00	3512.00	4272.00
11.	केरल	97.200	194.00	1928.00	2172.00
12.	मध्य प्रदेश	184.160	368.00	4564.00	5142.00
13.	महाराष्ट्र	201.800	404.00	5488.00	6182.00
14.	मणिपुर	7.470	15.00	308.00	309.00
15.	मेघालय	8.030	16.00	420.00	420.00

1	2	3	4	5	6
16.	मिजोरम	2.160	5.00	210.00	236.00
17.	नागालैंड	5.580	11.00	422.00	422.00
18.	उड़ीसा	110.540	221.00	2160.00	2434.00
19.	पंजाब	25.960	52.00	688.00	775.00
20.	राजस्थान	94.860	190.00	6886.00	8222.00
21.	सिक्किम	2.090	5.00	372.00	372.00
22.	तमिलनाडु	166.820	334.00	3268.00	3682.00
23.	त्रिपुरा	11.300	23.00	350.00	350.00
24.	उत्तर प्रदेश	391.430	783.00	7648.00	8616.00
25.	पश्चिम बंगाल	151.290	303.00	2952.00	3326.00
26.	अं. व. नि. द्वीप समूह	0.400	5.00	040.00	38.00
27.	दमन व दीव	0.110	5.00	095.00	13.00
28.	लक्षद्वीप	0.020	5.00	010.00	10.00
29.	पांडिचेरी	0.610	5.00	040.00	26.00
30.	दिल्ली	1.620	5.00	022.00	25.00
31.	दादर व नगर हवेली	0.270	5.00	020.00	22.00
32.	चंडीगढ़	0.110	5.00	000.00	0.00
	योग	2250.000	4535.00	60027.00	68160.00

[हिन्दी]

बेरोजगारी/पिछड़ापन

1130. **श्री लाल बाबू राय :**

श्री खेलन राम जांगडे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पिछड़े जिलों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इन जिलों के पिछड़ेपन और बेरोजगारी दूर करने के लिए और कार्यक्रम कार्यान्वित करने का क्या विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) से (घ). सामान्यतया मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों और विशेषरूप से जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर यह महसूस किया गया कि देश के उन चुनिंदा पिछड़े जिलों, जिनमें बेरोजगार और अल्परोजगार वाले ग्रामीण गरीबों का बाहुल्य है, में जवाहर रोजगार योजना को गहन रूप से कार्यान्वित किया जाए। इन क्षेत्रों में और अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से जिलों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के गरीब लोगों को 50 प्रतिशत तरजीह, और प्रति कृषि मजदूर उत्पादकता को 50 प्रतिशत तरजीह देने के आधार पर योजना आयोग के परामर्श से तैयार किये गये पिछडेंपन के सूचकांक के आधार पर 1993–94 के दौरान जवाहर रोजगार योजना का विस्तार किया गया जिसके तहत देश के 120 पिछड़े जिलों का चयन किया गया है। जबकि, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम वाले खंडों को इन 120 जिलों की सूची में शामिल किया गया है, व्यावसायिक और औद्योगिक रूप से विकसित खंडों को इस सूची से हटा दिया गया है। इन 120 चुनिंदा पिछड़े जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत निधियां संबंधित जिला ग्रामीण विकास एजेंसी/जिला परिषद को दी जाती है, जिनके द्वारा अपने जिले के अंदर बेरोजगारी और अल्परोजगार वाले क्षेत्रों का चयन किया जाना होता है, और सतत रोजगार सृजन की संभाव्यता, चल रहे कार्यक्रमों में समेकन तथा गैर–जवाहर रोजगार योजना विकास संसाधनों में सामंजस्य को दृष्टिगत रखते हुए उपलब्ध संसाधनों के आधार पर चुनी गई विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य शुरू किया जाना होता है। इन योजनाओं मे जल संग्रहण विकास कार्यक्रम, लघु सिंचाई कार्यों, भूमि और जल संरक्षण कार्यों, जल एकत्रीकरण ढांचों, बंजर भूमि विकास, कृषि वानिकी, बारहमासी सड़कों के निर्माण से संबंधित योजनायें तथा ग्रामीण रोजगार तथा क्षेत्र में सूखे पर नियंत्रण करने से संबंधित योजनायें शामिल हैं। इन योजनाओं में अन्य संसाधनों/कार्यक्रमों की उपयुक्त पूरक निधियों सहित पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों आदि में ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने जैसे प्राथमिक स्कूल भवन, प्राथमिक बाजार की योजनायें शामिल हैं। जिले की पंचायत समितियों द्वारा जिले की कार्य योजना में शामिल किए जाने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष आरंभ होने से पूर्व अनेक परियोजनाओं की तैयार किया जाना अपेक्षित है जिन्हें जिले में कार्यन्वयन हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा तैयार और अनुमोदित किया जाना है।

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कम से कम 700 करोड़ रूपए के आधार पर 20 प्रतिशत निधियां गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन पर इस्तेमाल की जानी हैं। 1993–94 और 1994–95, के प्रत्येक वर्ष के दौरान गहन जवाहर रोजगार योजना के कार्यान्वयन हेतु 702.56 करोड़ रुपए का केन्द्रीय आवंटन किया गया है।

विवरण

चयन किए गए 120 पिछड़े जिलों की सूची

आन्ध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. महबूबनगर
3. बारांगल
4. खम्माम
5. पूर्वी गोदावरी
6. लालगौंडा
7. प्रकाशम
8. अनन्तपुर
9. कुरनूल

बिहार

10. पलामु
11. पश्चिम सिंहभूम
12. गुमला
13. रांची
14. दुमका
15. गया
16. हजारीबाग
17. साहिबगंज
18. गारवाड़
19. गिरडीह
20. सहरसा
21. मुंगैर
22. वैशाली
23. मुज्जफरपुर
24. दरभंगा
25. सुपूल
26. छपरा
27. जमूई
28. गौंडा
29. माधेपुरा
30. भागलपुर
31. भभुआ
32. नवादा

गुजरात

33. पंचमहल
34. वलसाड
35. सूरत
36. वडोदरा
37. अमरेली
38. सुरेन्द्र नगर

जम्मू व कश्मीर

39. डोडा
40. ऊधमपुर

कर्नाटक

41. गुलबर्गा
42. कोलार
43. धारवाड
44. बीजापुर
45. टुमकूर
46. त्रिदुर्ग
47. बेलारी
48. बीदर

मध्य प्रदेश

49. बस्तर
50. बिलासपुर
51. झबुआ
52. प. निमार
53. सरगुजा
54. रायपुर
55. माणडला
56. रायगढ़
57. धार
58. शाहडोल
59. सियोनी
60. सिधी
61. पू. निमार
62. जबलपुर
63. बेतूल
64. राजनन्दगांव
65. दुर्ग

महाराष्ट्र

66. धूले
67. नासिक
68. थाणे
69. यवतमाल
70. अमरावती
71. नान्देड
72. भण्डारा
73. चन्द्रपुर
74. बुलदाना
75. अकोला
76. पुणे
77. अहमदनगर
78. सांगली
79. शोलापुर
80. बीद
81. औरंगाबाद

उड़ीसा

82. कोरापुट
83. मयूरभंज
84. कटक
85. संबलपुर
86. सुन्दरगढ़
87. कालाहांडी
88. कियोंझर
89. गंजम
90. फूलबनी

राजस्थान

91. उदयपुर
92. बान्सवाड़ा
93. डूंगरपुर
94. सवाईमाधोपुर
95. बाड़मेर
96. अजमेर

तमिलनाडु

97. दक्षिण आरकोट
98. चंगेलपट्टू
99. तंजावुर
100. धर्मपुरी
101. चिदम्बरानार
102. रामनाथपुरम

उत्तर प्रदेश

103. इलाहाबाद
104. सीतापुर
105. गाजीपुर
106. हरदोई
107. सोनभद्र
108. बलिया
109. मिर्जापुर
110. पिथौरागढ़
111. पौड़ी गढ़वाल
112. अल्मोड़ा
113. बांदा
114. बहराइच

पश्चिम बंगाल

115. मिदनापुर
116. कूच बिहार
117. वर्धमान
118. बांकुरा
119. पुर्लिया
120. वीरभूम

दिल्ली में महिला न्यायालय

1131. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :**
श्री बृज भूषण शरण सिंह :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में महिला न्यायालयों के गठन का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या है; और

(ग) ऐसे न्यायालयों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). दिल्ली उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री ने रिपोर्ट दी है कि दिल्ली में 31.8.1994 से चार महिला न्यायालय अर्थात् अपर सेशन न्यायाधीश का एक न्यायालय तीस हजारी में और महानगर मजिस्ट्रेटों के तीन न्यायालय तीस हजारी, नई दिल्ली और कड़कड़डूमा (शाहदरा) में एक-एक स्थापित किए गए है। इन महिला न्यायालयों की, जिनमें पीठासीन अधिकारी के रूप में एक महिला न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट और एक महिला अपर सहायक लोक अगियोजक है, स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि वधू को जलाने, दहेज की मांग के संबंध में अत्याचार, बलात्संग, व्यपहरण, लज्जा गंग करने, आदि से संबंधित अपराधों से पीड़ित महिलाएं, अपने कथन करते समय, अपने को अधिक सहज और दृढ़ महसूस कर सके और यह भी कि इन मामलों की शीघ्रता से भी निपटाया जाएगा।

विदेशी पायलटों को प्रशिक्षण

1132. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री रामपाल सिंह :
डॉ. रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने युद्धक विमानों के पायलटों को प्रशिक्षण देने की क्षमता प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान भारत में विदेशी युद्धक विमानों के कितने पायलटों को प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में विदेशी लड़ाकू वायुयान के पायलटों को कोई उड़ान प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। तथापि, रॉयल मलेशियाई वायुसेना के छह लड़ाकू पायलटों को इस समय भारत में मिग-29 लड़ाकू वायुयान के प्रचालन से संबंधित भू-प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(ग) ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षण के फलस्वरूप 21,042 अमरीकी डालर धनराशि अर्जित की गई है।

[अनुवाद]

ग्यारहवें विधि आयोग की सिफारिशें

1133. श्री राम विलास पासवान :

श्रीमती गिरिजा देवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न स्तरों पर न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या क्या है तथा देश के किन-किन उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की अधिकतम रिक्तियां हैं;

(ख) न्यायपालिका की कर्मचारी संख्या बढ़ाने के संबंध में 11वें विधि आयोग की क्या सिफारिशें हैं;

(ग) सरकार द्वारा 11वें विधि आयोग की सिफारिशें किस हद तक स्वीकार की गई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए। उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) और (ग). ग्यारहवें विधि आयोग ने, अपनी 120वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 10.5 न्यायाधीश की पद संख्या को प्रति दस लाख की जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश तक बढ़ाई जाए। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के पदों की संख्या के संबंध में, अन्य बातों के साथ-साथ, केवल जनसंख्या के आधार की अपेक्षा यह अधिक सुसंगत है कि कितने मामले संस्थित किए गए और कितने लंबित है। अतः यह पाया गया कि सिफारिश स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जहां तक अधीनस्थ न्यायपालिका से संबंधित मामले का संबंध है उनके पदों की संख्या राज्य सरकारों द्वारा संबंधित उच्च न्यायालयों से परामर्श करके अवधारित की जाती है। विधि आयोग की रिपोर्ट की प्रतियां सभी राज्य सरकारों को पहले ही भेज दी गई हैं।

(घ) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और यथासंभव शीघ्र उससे निपटने के लिए तरीके और उपायों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को नई दिल्ली में हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री ने की थी। सम्मेलन द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प में जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है न्यायालयों/अधिकरणों में मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए अनेक कदम उठाने की सिफारिश की गई है और उन्हें सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। तत्पश्चात्, ग्रामीण मुकदमेंबाजी, प्रशासनिक अधिकरण में बकाया मामले और वैकल्पिक विवाद समाधान से संबंधित उपर्युक्त संकल्प में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर विचार करने के लिए विधि मंत्रियों के तीन कार्यकारी समूहों की वैठक हुई। दिसंबर, 1993 के संकल्प के कार्यान्वयन और कार्यकारी समूह द्वारा की गई सिफारिशों का विधि मंत्रियों ने नवम्बर, 1994 में कलकत्ता में हुए अपने खुले अधिवेशन में पुनर्विलोकन किया। अधिवेशन में अंगीकृत संकल्प की एक प्रति विवरण-II में संलग्न है।

विवरण-I

क्र.सं.	उच्च न्यायालय	रिक्त पद स्थायी	अपर	कुल
1.	इलाहाबाद	6	–	6
2.	आंध्र प्रदेश	2	–	2
3.	मुंबई	4	9	13
4.	कलकत्ता	12	–	12
5.	दिल्ली	1	4	5
6.	गुवाहाटी	4	–	4
7.	गुजरात	–	4	4
8.	हिमाचल प्रदेश	–	1	1
9.	जम्मू-कश्मीर	2	2	4
10.	कर्नाटक	2	–	2
11.	केरल	3	–	3
12.	मध्य प्रदेश	6	2	8
13.	मद्रास	4	–	4
14.	उड़ीसा	1	2	3
15.	पटना	4	–	4
16.	पंजाब और हरियाणा	2	4	6
17.	राजस्थान	3	–	3
18.	सिक्किम	1	–	1
	योग	57	28	85
II	उच्चतम न्यायालय	4		

विवरण-II

विधि मंत्रियों की बैठक, 1994

कलकत्ता संकल्प

प्रस्तावना

1. न्यायालयों और अधिकरणों में बकाया मामलों के विषय पर 4 दिसंबर, 1993 को नई दिल्ली में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा अंगीकृत संकल्प के कार्यान्वयन में की गई प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिए और ग्रामीण मुकदमेबाजी, प्रशासनिक अधिकरणों में बकाया मामलों और वैकल्पिक विवाद समाधान के संबंध में उक्त संकल्प में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को और विस्तृत करने के लिए भी 17 नवम्बर, 1994 को कलकत्ता में विधि मंत्रियों की बैठक हुई थी। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री हंसराज भारद्वाज ने इसकी अध्यक्षता की। बैठक में भारत

के मुख्य न्यायमूर्ति श्री ए. एम. अहमदी और पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री श्री ज्योति वसु ने विशेष अभिभाषण दिए।

2. विधि मंत्रियों ने, विधि मंत्रियों के कार्यकारी समूहों में जिन्होंने मुम्बई (6 अक्तूबर, 1994), चण्डीगढ़ (31 अक्तूबर, 1994) और नई दिल्ली में (5 नवम्बर, 1994) को बैठकें की थीं, किए गए कार्य के लिए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की।

मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प का कार्यान्वयन

3. विधि मंत्रियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प को सर्वसम्मति से अंगीकार किया गया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उक्त संकल्प में अन्तर्विष्ट सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। विधि मंत्रियों ने डाक एल एम एम/94/सं. 4 की भी समीक्षा की जिसमें मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शित करने वाला विवरण दिया गया था। इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और न्यायपालिका ने उक्त संकल्प में अन्तर्विष्ट कुछ सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया है, विधि मंत्रियों ने यह टिप्पणी की कि इस संबंध में की गई प्रगति पूर्णतया संतोषजनक नहीं है, उन्होंने युक्तियुक्त समय के भीतर सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह विचार किया कि संकल्प में अन्तर्विष्ट सिफारिशों को कार्यान्वित करने के मार्ग में वित्तीय या अन्य रुकावटों को न आने दिया जाए। उन्हों सभी संबद्ध व्यक्तियों से उक्त संकल्प के कार्यान्वयन के मामले में पूरा सहयोग देने का आह्वान किया। विधि मंत्रियों ने यह आशा व्यक्त की कि राज्य सरकारें, भारत के योजना द्वारा अनुमोदित फार्मूले के आधार पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई रकमों का उपयोग करेंगी।

वैकल्पिक विवाद समाधान

4. विधि मंत्रियों ने यह स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने विवादियों द्वारा वैकल्पिक तरीकों अर्थात् माध्यस्थम, बीच बचाव, सुलह और बातचीत जैसे उपायों द्वारा अपने विवादों का समाधान करने की वांछनीयता पर जोर दिया क्योंकि वे प्रक्रिया में नम्यता का उपबंध करते हैं, और मूल्यवान समय तथा धन की बचत करते हैं और पारंपरिक विचारण के भार से बचते हैं।

5. विधि मंत्रियों ने इस बात पर विचार किया कि माध्यस्थम अधिनियम, 1940 का इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय विचार से तालमेल नहीं रह गया है और माध्यमस्थम पर व्यापक विधि बनाई जाए जो अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यमस्थम विषयक यू एन सी आई टी आर ए एल माडल विधि पर आधारित हो। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि उक्त विधि में सुलह संबंधी उपबंध भी सम्मिलित किए जाएं जो यू एन सी आई टी आर ए एल के सुलह नियमों पर प्रतिरूपणित हों। विधि मंत्रियों ने सिफारिश की कि नई विधि अन्तर्राष्ट्रीय और देशीय दोनों माध्यमस्थम और सुलह को लागू होनी चाहिए।

ग्रामीण मुकदमें-बाजी

6. विधि मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि न्यायालयों में इस समय लंबित मामलों का एक बड़ा भाग ग्रामीण मुकदमें बाजी का है और उन्होंने स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों में ग्रामीण मुकदमेबाजी के कम खर्चीले और शीघ्र निपटारे को सुनिश्चित करने की दृष्टि से न्यायिक प्रणाली के पुनर्गठन की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका सामान्यतया यह विचार था कि ग्रामीण मुकदमेबाजी के निपटारे के लिए न्याय पंचायतें कारगर साधन सिद्ध नहीं हुई हैं।

7. इस बात पर आम सहमति थी कि पर्याप्त सुविधाएं दिए जाने पर न्यायालय, ग्रामीण मुकदमेबाजी से प्रभावी रूप से निपट सकेंगे। विधि मंत्रियों ने इस बाबत कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा तैयार की गई पायलट प्रौजेक्ट स्कीम पर ध्यान दिया जिसने चुनिंदा जिलों में, एक वर्ष की अवधि के भीतर, लगभग पचास प्रतिशत मामलों को निपटाया है। इस स्कीम की सराहना करते हुए विधि मंत्रियों ने अन्य राज्यों में कर्नाटक माडल को अपनाए जाने की सिफारिश की। विधि मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि मध्य प्रदेश और तमिलनाडु ने वैसी ही स्कीमें अपने राज्यों में आरंभ की हैं।

8. बिधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि ग्रामीण मुकदमेबाजी के मामले में अधीनस्थ न्यायालयों के प्रयासों की पूर्ति लोक अदालतों द्वारा किए जाने की आवश्यकता है। इस बात पर संतोष व्यक्त करते हुए कि लोक अदालतों को शीघ्र ही कानूनी प्रास्थिति प्रदान की जाएगी, विधि मंत्रियों ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 को शीघ्र प्रवृत्त किए जाने को आसान बनाने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की सिफारिश की। विधि मंत्रियों ने इस पर भी ध्यान दिया कि पूर्वोत्तर पर्वतीय राज्यों में परपंरागत और रूढ़िगत परिषद् इन राज्यों की जनता को कम खर्चीला और शीघ्र न्याय दिला रही हैं।

9. विधि मंत्रियों ने स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों ने हिमाचल प्रदेश में सुलह न्यायालयों के पैटर्न की सराहना की थी। और यह विश्वास व्यक्त किया कि शीघ्र ही अन्य राज्यों में ऐसे न्यायालय गठित किए जायेंगे।

10. विधि मंत्रियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि कुछ राज्यों में, जैसे तमिलनाडु में, मध्यस्थता और सुलह केन्द्र विद्यमान हैं और सिफारिश की कि ऐसे केन्द्र अन्य राज्यों में भी स्थापित किए जाने चाहिएं।

11. विधि मंत्रियों ने मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों की उस सिफारिश का स्मरण कराया जिससे कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट और विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की

बाबत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों का, ऐसे मामलों की पहचान करके, जिनको निपटाने की उन्हें संहिता के अधीन शक्ति दी गई है, उपयोग किया जाए और इस बात पर बल दिया कि ऐसे मजिस्ट्रेटों का नियुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

12. विधि मंत्रियों ने यह भी महसूस किया कि ऐसे प्रवर्गों के आपराधिक मामलों पर तुरन्त विचार किया जाना चाहिए जो लंबे समय तक लंबित रहने के कारण वापिस लिए जा सकते हैं। इस संदर्भ में विधि मंत्रियों ने न्यायालयों में सरकारी मुकदमेबाजी को कम करने के संबंध में उपयुक्त विनिश्चय करने के प्रयोजन से कुछ राज्यों में अन्य लोगों के साथ–साथ मुख्य सचिव, विधि सचिव और प्रशासनिक सचिव से मिल कर बनी समितियों के गठन पर रुचि दिखाई और उन्होंने अन्य राज्यों में वैसी ही समितियों का गठन किए जाने पर विचार करने की सिफारिश की। मंत्रियों ने महसूस किया कि तुच्छ मुकदमेबाजी से जिसमें सरकार पक्षकार हो, बचने की दृष्टि से नए सिरे से प्रयास किए जाएं।

13. विधि मंत्रियों ने और ध्यान दिया कि प्रक्रिया और साक्ष्य की विधियों में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

प्रशासनिक अधिकरण

14. विधि मंत्रियों ने स्मरण कराया कि मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प में इस बात पर विचार किया गया था कि उनमें की गई सिफारिशों को, यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित, प्रशासनिक अधिकरणों को भी लागू किया जाए और सरकार उन अधिकरणों में बकाया मामलों से संबंधित समस्याओं पर विचार करे। उन्होंने विशिष्ट रूप से, उक्त संकल्प की उन सिफारिशों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जिनमें अन्य बातों के साथ ऐसी समय–सीमा नियत करने, जिसके भीतर अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रस्तावों पर कार्यवाही की जाए, प्रत्येक अधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या का आवधिक पुनर्विलोकन करने, केवल आपवादिक परिस्थितियों में स्थगनादेश देने, मौखिक बहस के लिए समय–सीमा नियत करने, संक्षिप्त में निर्णय देने की आवश्यकता, मामलों को समूहबद्ध करने, अधिकरणों के लिए आधुनिक उपस्करों की व्यवस्था करने, पुराने मामलों को पूर्विकता देने और आरक्षित निर्णयों को युक्तियुक्त समय के भीतर सुनाए जाने की आवश्यकता की सिफारिशें की गई थीं।

15. विधि मंत्रियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि प्रशासनिक अधिकरणों के कार्यकारी समूह ने केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित प्रशासनिक अधिकरणों के कार्यकरण का पुनर्विलोकन किया है। उन्होंने डाक सं. एल एम एम (डबल्यू जी–3)/94/3 में अन्तर्विष्ट (प्रशासनिक अधिकरण के कार्यकरण का पुनर्विलोकन) विषयक कार्य पत्र पर विचार किया।

16. विधि मंत्री इस बात पर सहमत थे कि प्रशासनिक अधिकरणों की बाबत मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायमूर्तियों के संकल्प की सिफारिशों को यथासंभव शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि इन अधिकरणों में रिक्त पदों को अविलंब भरा जाना चाहिए ताकि बकाया मामलों में वृद्धि न हो सके।

17. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति का कार्यकाल उचित रूप से अधिक अवधि के लिए होना चाहिए और इस संबंध में विभिन्न अधिनियमितियों के उपबंधों का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए।

18. विधि मंत्रियों ने इस पर भी बल दिया कि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि अधिकरण के सदस्यों के रूप में केवल ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो अन्य बातों के साथ मामलों पर कार्यवाही करने की अपेक्षित योग्यता, उचित वैयक्तिक आचरण तथा नैतिक व्यवहार, दृढ़ता और निर्भिकता रखते हों।

19. विधि मंत्रियों की यह भी राय थी कि सरकार और पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बीच तथा दो पब्लिक सैक्टर उपक्रमों के बीच विवादों को मानिक न्यायालय या अधिकरण में नहीं ले जाना चाहिए और ऐसे विवादों को पक्षकारों के बीच परस्पर सहमति से निपटाया जाना चाहिए।

20. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि अधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए गठित चयन समिति का प्रधान, केन्द्रीय स्तर पर भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती और राज्य स्तर पर संबद्ध राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति या उसका नामनिर्देशिती होना चाहिए और ऐसी चयन समिति एक स्थायी निकाय होना चाहिए।

21. विधि मंत्रियों ने इस बात पर भी विचार किया कि केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सभी अधिकरणों पर प्रशासनिक नियंत्रण एक ही मंत्रालय विभाग को न्यस्त किया जाना चाहिए।

22. विधि मंत्रियों की यह भी राय थी कि प्रशासनिक निकायों द्वारा पारित आदेश सदैव आख्यापक आदेश होने चाहिए ताकि अधिकरण इस बात का मूल्यांकन कर सकें कि प्राधिकरियों ने अपने विनिश्चय करने में, वास्तव में, किस बात को महत्व दिया है।

23. विधि मंत्रियों ने कलकत्ता में वर्तमान खुला अधिवेशन आयोजित करने के लिए उन्हें आमंत्रित करने और उसे सफल बनाने में किए गए सभी प्रयासों के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार की भूरि–भूरि प्रशंसा की।

कलकत्ता

17 नवम्बर, 1994.

फालतू कर्मचारी

1134. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के फालतू कर्मचारियों के पुनर्गठन/कटौती के संबंध में कोई नीतिगत निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन निर्देशों के अंतर्गत कितने प्रतिशत कर्मचारियों की कटौती किए जाने की संभावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के जिन उद्यमों में कर्मचारियों की संख्या उनकी आवश्यकता से अधिक है, उन्हें कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए सरकारी उद्यम विभाग के दिनांक 5.10.1988 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना अपनाने की सलाह दी गयी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) अंशदायी भविष्य निधि राशि विनियमन के अनुसार उनके अंशदायी भविष्य निधि खाते में बकाया।

(2) उद्यम के नियमानुसार संचित अर्जित छूट्टी के बराबर नकद धनराशि।

(3) कर्मचारियों पर लागू उपदान अधिनियम अथवा उपदान योजना के अनुसार उपदान धन राशि।

(4) एक महीने/तीन महीने का सूचना वेतन (उस पर लागू सेवा शर्तों के अनुसार)।

(5) प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 1–½ महीने की परिलब्धियों (वेतन तथा महंगाई भत्ता जोड़ कर) के बराबर अनुग्रह राशि का भुगतान या सेवानिवृत्ति के समय मासिक परिलब्धि (वेतन और महंगाई भत्ता जोड़ कर) और सामान्य सेवानिवृत्ति से पूर्व बची हुई सेवा के शेष महीनों के गुणनफल के बराबर धनराशि, इनमें से जो भी कम हो।

(6) कर्मचारी और उसके परिवार को अधिकृत श्रेणी में उस स्थान तक की यात्रा करने का हक प्राप्त होगा जहां वे बसना चाहते हों। इस हक में अधिवर्षिता/सेवानिवृत्ति की स्थिति में यथा स्वीकार्य व्यक्तिगत सामान परिवहन व्यय भी शामिल है।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यम में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या का आकलन सरकारी क्षेत्र के उद्यम द्वारा स्वयं ही किया जाना है। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उद्यम में अतिरिक्त कर्मचारियों के रूप में वर्गीकृत किए जा सकने वाले कर्मचारियों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसके अंतर्गत की गई संभावित कमी की प्रतिशतता का उल्लेख करना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

चीन के साथ सहयोग

1135. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अन्तरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के लिए चीन के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) बाह्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शान्तिपूर्ण उपयोगों में सहयोग के संबंध में भारत और चीन के बीच दिसम्बर 1991 में एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमे विविध प्रकार के उपग्रहों, उपग्रह प्रमोचक यान सेवाओं सहित अंतरिक्ष विज्ञान, अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष उपयोग, सुदूर संवेदन और इसके उपयोग, अंतरिक्ष संचार, अन्तरिक्ष में सामग्री संसाधन, अन्तरिक्ष जीवविज्ञान और औषध, वायुमण्डलीय विज्ञान, रेडियो खगोलिकी, खगोल–भौतिकी और माइक्रो–चुम्बकत्व के क्षेत्र में सहयोग और आदान–प्रदान की संकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में भूमि के उपयोग में बदलाव

1136. **श्रीमती गिरिजा देवी** :
श्रीमती सरोज दुबे :
श्री अमल दत्त :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान दिल्ली में भूमि के उपयोग में बदलाव के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और

(ग) स्वीकृत न किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनमें से प्रत्येक मामले के अलग–अलग कारण क्या हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). सरकार को, 1.1.93 से 30.11.94 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण से भू: उपयोग परिवर्तन के 32 मामले अनुमोदनार्थ प्राप्त हुए थे। इनमें से 14 मामलों में सरकार का अनुमोदन भेज दिया गया है।

(ग) कोई भी प्रस्ताव रद्द नहीं किया गया है इस लिए इस स्तर पर ऐसे मामलों के, जिन्हें स्वीकार नहीं किया हो, के ब्यौरे प्रस्तुत करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में विदेशी पूंजी निवेश

1137. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्रों में अन्य देशों से देश–वार कितना–कितना पूंजी निवेश हुआ है, और

(ख) और अधिक विदेशी पूंजी निवेश के लिए राज्य सरकार के परामर्श से समन्वयन में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जनवरी, 1993 से अक्तूबर, 1994 तक महाराष्ट्र राज्य में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 5099.05 करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति दी गई है। पिछड़े क्षेत्रों और 1993 की अवधि से पहले के विदेशी निवेश संबंधी आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गए हैं।

(ख) जबकि स्थापना स्थल के चुनाव को विदेशी निवेशकर्ताओं सहित उद्यमियों की वाणिज्यिक निर्णय पर छोड़ दिया जाता है, फिर भी सरकार विकास केन्द्र योजना, पिछड़े क्षेत्रों में करावकाश योजना और परिवहन राजसहायता योजना के जरिये राज्य सरकारों के औद्योगिकरण और विकास संबंधी प्रयासों में मदद करती है तथा आन ग्राउंड निवेश तथा कार्यान्वियन पद्धतियों को सरल तथा युक्तियुक्त बनाने के लिए समन्वय भी करती है।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम

1138. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग सेवा संस्थान द्वारा चलाए जा रहे उद्यमिता विकास कार्यक्रम और प्रेरणा अभियान का लक्ष्य क्या है;

(ख) वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान अब तक इस योजना के अंतर्गत राज्य–वार कितने जिले लाभान्वित हुए हैं; और

(ग) खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में इस प्रशिक्षण हेतु राज्य–वार कितने जिलों की पहचान की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य लघु उद्यम स्थापित करने और इनका प्रबंध करने संबंधी तकनीकी–आर्थिक और प्रबधकीय पहलुओं के बारे में संभावित लघु उद्यमियों को प्रशिक्षण देना है।

लघु उद्यम स्थापित करके जागरूकता पैदा करने और स्वरोजगार के अवसरों के लिए प्रेरणा देने के लिए प्रोत्साहन अभियान चलाये जाते हैं।

(ख) और (ग). देश में 28 लघु उद्योग सेवा संस्थान और 31 शाखा लघु उद्योग सेवा संस्थान हैं जिनमें देश के सभी जिले शामिल हैं। लघु उद्योग सेवा संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे : प्रशिक्षण कार्यक्रमों में किसी भी जिले के व्यक्ति इसमें भाग ले सकते हैं। लाभ–भोगी के जिलावार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

मंडल आयोग की सिफारिशें

1139. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के संबंध में मंडल आयोग की सिफारिशों को रक्षा मंत्रालय में कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण दिए जाने और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अन्य पिछड़ी जातियों के लिए जारी किए गए आरक्षण रोस्टर प्वाइंट के संबंध में सरकारी अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए उन्हें दिनांक 12.10.1993 और 6.5.1994 को निम्न विरचनाओं सहित रक्षा मंत्रालय में सभी संबंधितों में परिचालित कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मतदाता सूची

1140. **श्री राम टहल चौधरी :**
श्री काशी राम राणा :
श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
डा. सुधीर राय :
श्री साईमन मरांडी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदाता पहचान पत्र तैयार करने हेतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा आदेश जारी करने के बाद उन विदेशी नागरिकों की पहचान कर ली गई है जिनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए गए है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार अब तक ऐसे कितने व्यक्तियों की पहचान की गई है;

(ग) क्या इन व्यक्तियों ने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल नहीं किए जाने पर विरोध व्यक्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा उत्पादन

1141. श्री रामेश्वर पाटीदार :
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में उत्पादन इसकी अधिस्थापित क्षमता के अनुरूप नहीं है;

(ख) यदि हां, तो 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के दौरान वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी थी और वास्तविक उत्पादन कितना हुआ;

(ग) क्या सरकार ने गत कुछ वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र में उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए नई परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू किया है;

(घ) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कौन–कौन सी हैं और इनकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी तथा प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है; और

(ङ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत वाणिज्यिक स्तर पर काम कर रहे परमाणु बिजलीघरों की पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल स्थापित क्षमता और वहां हुआ वास्तविक उत्पादन नीचे दिए अनुसार हैं :

वर्ष	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)	क्षमता का कुल मिलाकर उपयोग (प्रतिशत)
1991–92	1280	5589	51
1992–93	1500	6691	55
1993–94	1720	5427	38

(वर्ष 1993–94 के दौरान कुल उत्पादन में और क्षमता के कुल मिलाकर किए गए उपयोग में कमी मुख्यत; नरोरा में आग लगने की घटना और उसके फलस्वरूप देश में स्थापित परमाणु बिजलीघरों में लगी स्वदेशी टर्बाइनों का क्रमिक रूप से सेवाकालीन निरीक्षण करने के कारण आई है)।

(ख) देश में स्थापित प्रत्येक परमाणु बिजलीघर की इस समय निर्धारित कुल स्थापित क्षमता और उसकी तुलना में उनके वास्तविक उत्पादन तथा क्षमता गुणक वर्ष 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के संदर्भ में नीचे दिए गए हैं :

परमाणु बिजलीघर	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मिलियन यूनिट)			क्षमता गुणक (%)		
		91–92	92–93	93–94	91–92	92–93	93–94
तारापुर–1	160	745	1147	898	53.02	81.79	64.05
तारापुर–2	160	966	788	925	68.69	56.24	66.00
राजस्थान–1	100	123	133	163	7.37	15.16	18.58
राजस्थान–2	200	1062	925	1097	60.47	52.80	62.64
मद्रास–1	220	869	1191	373	42.75	61.80	19.35
मद्रास–2	220	1292	787	1015	63.58	40.83	52.69
नरोरा–1	220	532	1031	*	26.17	53.51	*
नरोरा–2	220	@	649	335	@	44.81	17.36
ककरापार–1	220	#	#	621	#	#	36.00
	1720	5589	6651	5427	51.00	55.00	36.00

* नरोरा–1 को वर्ष 93–94 के दौरान आग लगने की घटना के बाद बन्द कर दिया गया था।

@ नरोरा–2 ने जुलाई, 1992 से वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू किया।

\# ककरापार–1 ने मई, 1993 से वाणिज्यिक रूप से प्रचालन शुरू किया।

(ग) जी, हां।

(घ) तथा (ङ). सूचना नीचे दी गई है :

परियोजना का नाम	उत्पादन क्षमता	निर्माण के दौरान लगे ब्याज सहित निर्माण की नवीनतम अनुमानित लागत* (करोड़ रूपए)	जिस तारीख को चालू करने का लक्ष्य रखा गया
ककरापार 1 और 2	2×220 मेगावाट	रू. 1335 **	दिसम्बर 1994 #
कैगा 1 और 2	2×220 मेगावाट	रू. 2275	जून 1996/दिसम्बर 1996
राजस्थान 3 और 4	2×220 मेगावाट	रू. 2107	नवम्बर 1996/मई 1997

* निर्माण के दौरान लगा ब्याज

** पहले और दूसरे दोनों यूनिटों के लिए

\# यूनिट–२

[हिन्दी]

झूठ पकड़ने वाली मशीन

1142. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार न्यायालयों को झूठ पकड़ने वाली मशीन (पोलीग्राफ) प्रदान करने का विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकार ने पोलीग्राफी की प्रामाणिकता के बारे में सांविधिक मान्यता प्रदान की है;

(ग) क्या पोलीग्राफ मशीन का देश में कुछ महत्वपूर्ण मामलों में उपयोग किया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) पोलीग्राफी की अधिप्रमाणिकता के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन कोई मान्यता नहीं है।

(ग) से (ङ). केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला (केन्द्रीय जांच ब्यूरो) नई दिल्ली द्वारा पोलीग्राफी मशीन का 1974 से उपयोग किया जा रहा है और इससे केन्द्रीय जांच ब्यूरो की शाखाओं और दिल्ली पुलिस और विभिन्न राज्य पुलिस प्राधिकरणों द्वारा भी बड़ी संख्या में निर्दिष्ट किए गए मामलों में झूठ का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में जल-स्तर

1143. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में भूगर्भ जल–स्तर घटता जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गांवों के बहुत सारे हैंड पम्प बेकार हो गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो पेयजल व्यवस्था को बनाए रखने और घटते जल–स्तर को रोकने के लिए केन्द्र सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हरजीभाई पटेल) : (क) मध्य प्रदेश के पठारी क्षेत्र में पानी की अधिक निकासी की तुलना में भूजल की कम सम्पूर्ति के कारण भूजल का स्तर नीचे चला जाता है जिससे पम्पों की क्षमता कम हो जाती है अथवा वे सूखने लगते हैं।

(ख) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :–

(1) जल संरक्षण/जल स्रोतों की सम्पूर्ति के लिए सहायता दी जाती है।

(2) मध्य प्रदेश में जल एकत्रीकरण ढांचों के लिए स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(लाख रूपए में)

जिला	अनुमोदित योजनाओं की कुल लागत	रिलीज की गई निधियां	3/94 तक सूचित खर्च
झबुआ	111.080	111.080	130.750
राजगढ़	143.060	143.060	170.170
शाहडौल	314.600	306.870	301.430

(3) माडल योजनाएं विकसित करने के लिए इस्तेमाल करने हेतु राजगढ़ के लिए 25 लाख रूपए की राशि स्वीकृत और रिलीज की गई है। इन योजनाओं को परियोजना क्षेत्र/राज्य के अन्य भागों में भी चलाया जा सकता है।

(4) काम न कर रहे हैंड पम्पों की मरम्मत सहित जल सप्लाई की योजनाओं के संचालन और रख–रखाव के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम की 10 प्रतिशत और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की 10 प्रतिशत निधियों को इस्तेमाल करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

"डेसफेरल" की कीमत

1144. श्री सी. के. कुप्पुस्वामी : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक गैर–स्वयंसेवी संगठन ने हाल ही में थैलेसेमिया नामक रोग के इलाज हेतु प्रयुक्त जीवन रक्षक दवा "डेसफेरल" की कीमत के घटाए जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) डेसफेरल एक महत्वपूर्ण सूत्रयोग है जो कीमत नियंत्रण से बाहर है। इस सूत्रयोग की कीमत सी. आई. एफ. कीमत, विनिमय दर में परिवर्तन, शुल्क का ढांचा आदि पर निर्भर करती हैं। उत्पाद शुल्क हटाने के कारण 5 वायलों के एक पैक की कीमत हाल ही में 669.88 रू. से घटकर 611.48 रू. हो गयी है।

उर्वरकों के मूल्य

1145. श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
डा. असीम बाला :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन्हें रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). इस समय, केवल यूरिया, जो कि मुख्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है और देश में कुल उर्वरक खपत का लगभग 60 प्रतिशत बैठता है, सांवधिक मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत आता है। इसका बिक्री मूल्य 10.6.1994 को पिछली बार 20 प्रतिशत बढ़ाया गया था। इस वृद्धि के बावजूद, यूरिया के मूल्य पर भारी राजसहायता दी जानी जारी है।

उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के आधार पर फास्फेटिक और पोटेसिक उर्वरकों पर मूल्य और परिवहन नियंत्रण 25.8.92 से हटा दिये गये थे। तथापि, इन उर्वरकों के खुले बाजार मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार स्वदेशी डीएपी की बिक्री पर 1,000/– रू. प्रति टन की दर से विशेष रियायत तथा उसके साथ कम्पलैक्स उर्वरकों और सिंगल सुपर फास्फेट्स (एसएसपी) पर आनुपातिक रियायत प्रदान कर रही है। 1000/–रू. प्रति टन की दर से मूरीऐट आफ पोटाश (एमओपी) पर भी रियायत दी जा रही है, जो कि पूर्णतः आयात किया जाता है।

वार्षिक योजना

1146. श्री लोकनाथ चौधरी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1993–94 और 1994–95 के दौरान राज्यवार कितना वार्षिक आवंटन किया गया, कितनी धनराशि मंजूर की गई और कितनी राशि वितरित की गई?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : वार्षिक योजना 1993–94 के लिए स्वीकृत तथा संशोधित परिव्ययों और वार्षिक योजना 1994–95 के लिए स्वीकृत परिव्ययों की राज्य–वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1993–94		वार्षिक योजना 1994–95
		स्वीकृत–परिव्यय	संशोधित–परिव्यय	स्वीकृत–परिव्यय
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1851.00	1851.00	2130.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	290.00	263.91	335.00
3.	असम	1027.00	872.00	1051.00
4.	बिहार	2300.00	750.00	2400.00
5.	गोआ	170.00	144.50	182.00
6.	गुजरात	2137.00	1900.00	2240.00
7.	हरियाणा	920.00	839.08	1025.00
8.	हिमाचल प्रदेश	560.00	562.82	650.00
9.	जम्मू और कश्मीर	880.00	684.00	950.00
10.	कर्नाटक	3025.00	3025.00	3275.00
11.	केरल	1000.00	1019.77	1260.00
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	2018.21	2750.00
13.	महाराष्ट्र	3804.00	3832.80	4400.00
14.	मणिपुर	230.00	174.84	240.00
15.	मेघालय	281.00	281.00	281.00
16.	मिजोरम	185.00	181.90	207.66
17.	नागालैंड	203.50	168.41	220.00
18.	उड़ीसा	1450.00	1095.19	1951.00
19.	पंजाब	1250.00	1140.00	1450.00
20.	राजस्थान	1700.00	1704.76	2450.00
21.	सिक्किम	120.00	100.12	135.00

1	2	3	4	5
22.	तमिलनाडु	2101.00	2102.21	2750.00
23.	त्रिपुरा	310.00	220.03	310.00
24.	उत्तर प्रदेश	4050.00	2800.00	4562.00
25.	प. बंगाल	1550.00	1020.94	1706.00
	कुल	33794.50	28752.49	38910.66

[हिन्दी]

उर्वरकों का उत्पादन और खपत

1147. श्री राम पूजन पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में यूरिया, पोटाश, फॉस्फेट उर्वरकों का उत्पादन और इनकी खपत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मांग की पूर्ति करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो देश में उत्पादित उर्वरकों और आयातित उर्वरकों की लागत कितनी है;

(घ) क्या सरकार ने उर्वरकों पर दी जाने वाली राजसहायता को बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान पोषकों के रूप में उत्पादन और खपत के ब्यौरे निम्नानुसार हैं :–

(लाख टन)

पोषक का नाम	खपत (अनन्तिम)	स्वदेशी उत्पादन
नाइट्रोजन	87.89	72.31
फासफेट्स	26.69	18.16
पोटाश	9.08	*

पोटाश की सम्पूर्ण आवश्यकता का आयात किया जाता है क्योंकि देश में पोटाश का कोई ज्ञात भण्डार नहीं है।

(ख) उर्वरकों का आयात मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच अंतर को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ग) इस समय केवल यूरिया नामक उर्वरक सांविधिक मूल्य नियंत्रणाधीन है। उर्वरकों के उत्पादन की लागत प्रयोग किए गये फीड स्टाक, संयंत्र के स्वास्थ्य तथा पूरानेपन, क्षमता उपयोग, ऊर्जा खपत आदि के आधार पर संयंत्र दर संयंत्र अलग–अलग होती है। यूरिया के मामले में, प्रति टन यूरिया का भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 4888/– रू. है जो सरकार द्वारा मूल्यांकित उत्पादन का भारित औसत लागत है। इसके विपरीत आयातित यूरिया के मूल्य संविदा किये गये आयातों के मूल्य के आधार पर समय–समय पर बदलते हैं। यूरिया का अद्यतन संविदा मूल्य 202.5 सी एंड एफ प्रति टन अमेरिकी डालर है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अधिवक्ता विधेयक

1148. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अधिवक्ता विधेयक, 1992 में संशोधन (दूसरा संशोधन) करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी अधिवक्ता के विरुद्ध की गई शिकायत के संबंध में शिकायतकर्ता/प्रतिवादी से एक निर्धारित राशि वसूल करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि गरीब व्यक्तियों का भारी राशि वसूल करके शोषण न किया जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). अधिवक्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1992 को वापस लेने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) से (ङ). भारतीय विधिज्ञ परिषद् के नियमों के अधीन किसी अधिवक्ता के विरुद्ध शिकायत करने के संबंध में 100 रू. फीस विहित की गई है। भारतीय विधिज्ञ परिषद् का यह विचार है कि प्रभारित 100 रू. की राशि, प्रत्येक मामले में उपगत होने वाले व्यय का मात्र एक भाग है और वर्तमान स्थितियों के अनुसार अधिक नहीं है।

भुवनेश्वर में ग्लाइडर दुर्घटना

1149. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर के सभी राज्य स्तर के स्कंधों को प्रशिक्षण हेतु ग्लाइडर प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ान के पूर्व इनकी जांच योग्य तकनीकी कर्मचारियों द्वारा की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो हाल में भुवनेश्वर में हुई ग्लाइडर दुर्घटना के क्या कारण हैं तथा भविष्य में इस तरह की दुर्घटनाओं की

पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). राष्ट्रीय कैडेट कोर में 58 हवाई स्क्वाड्रनें हैं जिनमें से 34 स्क्वाड्रनों के पास अपने ग्लाइडर हैं और 13 स्क्वाड्रनें ग्लाइडिंग क्लबों की सहायता से ग्लाइडिंग के क्रिया-कलाप चला रही हैं। 11 स्क्वाड्रनें तकनीकी स्क्वाड्रनें हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) इस दुर्घटना के कारणों की जांच करने और इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उपायों की सिफारिश करने के लिए एक जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं।

सहकारी सामूहिक आवास समितियां

1150. श्री अमल दत्त : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक कितनी सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित की है;

(ख) भूमि आवंटन के लिए प्रतीक्षारत समितियों की क्या संख्या है और इन समितियों को भूमि कब तक आवंटित कर दी जायेगी;

(ग) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी सामूहिक आवास समितियों का पंजीकरण शुरू कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 667 सहकारी आवास समितियों को दिल्ली के विभिन्न भागों में विशिष्ट भूखण्ड आवंटित किये गये हैं। लगभग 1400 सहकारी आवास समितियों में से, जिन्हें 1983 में पंजीकृत किया गया था, 406 पात्र समितियों को भी भूमि की पेशकश की गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण का अन्य 90 प्रतीक्षारत पात्र समितियों को भी वर्ष 1994-95 के दौरान भूखण्ड देने का प्रस्ताव है। लगभग 400 समितियों को 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि भूमि और अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध हों।

(ग) से (घ). ऐसा कोई प्रस्ताव दिल्ली विकास प्राधिकरण और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचाराधीन नहीं है।

उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद

1151. श्री हन्नान मोल्लाह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन्नत किस्म के हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी संभावित सप्लायर से कोई बातचीत की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) रक्षा सेवाओं के उपयोग के लिए एडवांस्ड लाइट हैलीकॉप्टर (एएलएच) का विकास कर रही है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में परती भूमि हेतु धनराशि का आबंटन

1152. डा. साक्षीजी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान परती भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु आबंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) : 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 16 के अंतर्गत वनीकरण/वृक्षारोपण बंजरभूमि सहित भूमि की विभिन्न श्रेणियों पर किया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सहित राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	1991-92 आबंटन	1992-93 आबंटन	1993-94 आबंटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2878.00	2510.52	3324.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	624.64	434.55	511.00
3.	असम	1848.84	1520.00	1217.00
4.	बिहार	4245.00	2112.46	3381
5.	गोवा	104.65	156.95	15[illegible]
6.	गुजरात	5819.69	6713.93	6684.0[illegible]

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा	3937.75	4576.57	3777.40
8.	हिमाचल प्रदेश	2754.98	4746.00	6063.13
9.	जम्मू व कश्मीर	1997.00	1795.95	1108.02
10.	कर्नाटक	5577.51	6157.87	7548.06
11.	केरल	1991.50	1215.00	695.05
12.	मध्य प्रदेश	7031.00	5512.96	7350.68 *
13.	महाराष्ट्र	5177.87	7624.11	8936.45
14.	मणिपुर	491.12	573.65	284.49 @
15.	मेघालय	1407.37	1164.07	1084.20
16.	मिजोरम	290.00	870.00	906.09
17.	नागालैंड	169.27	155.38 *	150.11 *
18.	उड़ीसा	3669.36	4208.00	4069.50
19.	पंजाब	944.12	1159.50	1672.70
20.	राजस्थान	7703.66	9583.00 *	12550.44 *
21.	सिक्किम	494.73	383.87	364.82
22.	तमिलनाडु	1773.69	4640.70	5199.39
23.	त्रिपुरा	1326.30	1158.04	1163.63
24.	उत्तर प्रदेश	9742.99	6790.16	9043.33
25.	पश्चिम बंगाल	2740.31	2880.00 *	2098.30 @
26.	अंडमान–निकोबार द्वीप समूह	120.00	116.25	114.85
27.	चंडीगढ़	30.00	30.00	170.00
28.	दादर व नगर हवेली	93.54	97.20	200.00
29.	दमन व दीव	17.00	13.00	13.00
30.	दिल्ली	100.00	281.00	197.00
31.	लक्षद्वीप	8.50	16.00	16.50
32.	पांडिचेरी	88.57	91.33	131.00
	योग :	75198.96	79288.02	90177.14 @

* संशोधित

@ अनंतिम

[अनुवाद]

अखबारी कागज का उत्पादन

1153. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सार्वजनिक/संयुक्त क्षेत्र के अखबारी कागजों के मिल या तो बंद हो गए हैं या अखबारी कागजों के उत्पादन कम हो गए हैं जिससे उपयोगकर्ताओं को कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अखबारी कागजों के उत्पादन को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). चार बड़ी सरकारी/संयुक्त क्षेत्र की अखबारी कागज मिलों, मै. नेपा लि. ने सूचित किया है कि समाचार पत्र प्रतिष्ठानों के क्रय आदेशों की कमी के कारण बिना बिके हुए अखबारी कागज के भंडार की अधिकता होने से अप्रैल से सितंबर, 1994 के दौरान अखबारी कागज का उत्पादन कम कर देना पड़ा था। मै. तमिलनाडु न्यूजप्रिंट पेपर्स लि. (टीएनपीएल) ने सूचित किया है कि प्राप्त आदेशों के आधार पर

उन्होंने अखबारी कागज का अपना उत्पादन कम कर दिया है और अपना उत्पादन लिखाई व छपाई की ओर दिशांतरित कर दिया है। सरकारी/संयुक्त क्षेत्र की किसी अन्य अखबारी कागज मिल ने न तो अखबारी कागज का उत्पादन बंद किया है और न ही कम किया है।

(ग) और (घ). सरकार ने अखबारी कागज का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :–

(i) औद्योगिक लाइसेंसों/आशय–पत्रों के रूप में एक 6.90 लाख टन क्षमता की स्वीकृति दी गयी है।

(ii) नयी औद्योगिक नीति के अधीन, खोई कृषि अपशेषों तथा अन्य गैर–परंपरागत कच्चे माल से प्राप्त न्यूनतम 75 प्रतिशत लुगदी पर आधारित अखबारी कागज एककों को औद्योगिक लाइसेंस की अनिवार्यता से छूट दी गयी है, बशर्ते कि वे स्थापना स्थल नीति को पूरा करते हों। इसके फलस्वरूप इच्छुक उद्यमियों द्वारा अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए कुल लगभग 15.77 लाख टन की कुल क्षमता के लिए 30 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं।

(iii) अखबारी कागज के विनिर्माण के लिए काष्ठ की लुगदी के आयात पर लगने वाले सीमा शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। अखबारी कागज को उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त है।

(iv) अखबारी कागज की स्वदेशी उपलब्धता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से ऐसी कागज मिलों को अखबारी कागज नियंत्रण आदेश, 1962 की अनुसूची–I में शामिल करने पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है जो समाचार पत्रों के लिए बीआईएस मानकों के अनुरूप अखबारी कागज का उत्पादन कर रही हैं और इनके कागज का यदि समाचार पत्रों द्वारा प्रयोग किया जाता है और यदि वे इसकी गुणवत्ता को संतोषजनक मानते हैं। इस समय देश में 21 अखबारी कागज मिलें हैं जिनकी वार्षिक अधिष्ठापित क्षमता लगभग 5.40 लाख टन है और जिन्हें अनुसूची–I में शामिल किया जा चुका है।

हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड का बंद होना

1154. श्री तारा सिंह : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड के बंद होने की आशंका है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कामगारों को छंटनी से बचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या वर्ष 1994–95 के लिए हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड ने डीडीटी की आपूर्ति करने हेतु स्वास्थ्य मंत्रालय से कोई आदेश प्राप्त किया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) मै. हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि. के डीडीटी संयंत्र बंद होने के कगार पर थे क्योंकि डीडीटी के एकमात्र ग्राहक, स्वास्थ्य मंत्रालय से डीडीटी की सप्लाई के लिए नियमित क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए थे। संकट को टालने के लिए इस मामले को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ उठाया गया था। डीडीटी सप्लाई के लिए नियमित आदेश, यद्यपि कम मात्रा के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय से 15/17.11.1994 को प्राप्त हो चुके हैं, और डीडीटी संयंत्रों ने फिर काम करना आरम्भ कर दिया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का कार्य निष्पादन

1155. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बेहतर कार्य निष्पादन हेतु कुछ मार्ग–निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घाटे में चलने वाले उपक्रम कौन–कौन से हैं तथा उनमें हो रहे घाटे का क्या कारण है; और

(घ) उनमें घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पीएसयू) के कार्य–निष्पादन की सरकार द्वारा नियमित रूप से पुनरीक्षा की जाती है। इन पुनरीक्षा बैठकों के दौरान अपने कार्य–निष्पादन में सुधार लाने के लिए उपक्रमों को सुझाव दिए जाते हैं।

(ग) निम्नलिखित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने 1993–94 के दौरान हानि होने की सूचना दी है :–

1. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन लि. (एच.एफ.सी.)
2. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया (एफ.सी.आई.)
3. प्रोजैक्ट एंड डवलपमेंट आफ इंडिया लि. (पी.डी.आई.एल.)
4. फाइराइट्स, फास्फेट्स एंड केमिकल्स लि. (पी.पी.सी.एल.)
5. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एम.एफ.एल.)
6. राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि. (आर.सी.एफ.)
7. इंडियन ड्रग्स एंड फर्मास्युटिकल्स लि. (आई.डी.पी.एल.)
8. बंगाल इम्युनिटी लि. (बी.आई.एल.)

9. बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. (बी.सी.पी. एल.)

10. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.)

11. स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि. (एस.एस.पी.एल.)

डिजायन/उपस्करों की त्रुटियों, बारम्बार उपस्करों का खराब होना, पुराने संगंत्रों, बिजली की समस्याओं आदि के कारण कम क्षमता उपयोग होने से एच.एफ.सी. और एफ.सी.आई. को हानियां हुई हैं। पी.पी.सी.एल. और एम.एफ.एफ. को जो फास्फेटिक उर्वरकों का उत्पादन करते है., को भी हानियां हुई। परिणामस्वरूप अगस्त, 1992 में नियंत्रण मुक्त होने के बाद फास्फेटिक उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के परिणामस्वरूप कुल खरीद कम होने से उनके संयंत्रों में कम क्षमता उपयोग और आयातित डी.ए.पी. की कीमत उच्चतर उत्पादन लागत के कारण हुई है। एम.एफ.एफ. के मामले में मद्रास शहर में जल की भारी कमी के कारण भी इसको हानि हुई। आर.सी.एफ. को मुख्यतः विनिमय दर में घट–बढ के कारण कुवैती दिनार ऋण से संबंधित अतिरिक्त देयताओं के कारण से हानि हुई है। पी.डी.आई.एल. में जो इंजीनियरी कंसलटेंसी संस्था है, को मुख्य रूप से उत्प्रेरकों के लिए आर्डर की कमी और इंजीनियरी कंसलटेंसी प्रभाग के लिए काम के कम अवसरों के कारण हानियां हुई।

आईडीपीएल, एसएसपीएल, बीआईएल और बीसीपीएल को मुख्यतः विद्यमान क्षमता का कम उपयोग होने, कार्यशील पूंजी की अनुपलब्धता, अधिक जनशक्ति, अधिक ब्याज भार, पुरानी प्रौद्योगिकी इत्यादि के कारण हानियां हुई हैं।

जहां तक एचएएल का सम्बन्ध है, इसे 1993–94 के दौरान हानि मुख्य रूप से सरकारी मियादी ऋणों पर ब्याज के लिए प्रावधान के कारण हुई।

(घ) एचएफसी, एफसीआई और पीडीआईएल को रूग्ण कंपनियां घोषित कर दिया गया है और इनका मामला बीआई एफआर को भेज दिया गया है। आईसी आईसी आई को कार्य संचालन एजेन्सी के रूप में नियुक्त किया गया है और इन कंपनियों हेतु पुनरूद्धार योजनाएं प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया है। इस दौरान जहां तक सम्भव है, सामान्य नवीकरण/प्रतिस्थापना इत्यादि व्यय के लिए इन कंपनियों को बजट सहायता प्रदान की जा रही है। एमएफएल ने शहर के गन्दे पानी से 3.5 एम जी डी पानी तैयार करने के लिए टर्शरी ट्रीटमेंट और विपरीत परासरण संयंत्र चालू किया है। इसके संयंत्र का पुनरूद्धार शुरू किया गया है। आरसीएफ के कुवैती दिनार ऋण की विनिमय दर से घट बढ़ के कारण हुई हानि की क्षतिपूर्ति करने के परिणामस्वरूप वर्ष 1994–95 के दौरान कंपनी को कर पूर्व लाभ होने की आशा है। पीपीसीएल लागत में कमी और कार्य कुशलता में सुधार के लिए भरसक प्रयास कर रहा है जो भविष्य में इसके सम्पूर्ण कार्य–निष्पादन में सुधार करेगा।

आईडीपीएल, बीआईएल, बीसीपीएल और एसएसपीएल को औपचारिक रूप से रूग्ण घोषित किया गया है और बीआईएफआर को भेजा गया है। आई डी पी एल और एस एस पी एल की पुनरूद्धार योजना को बीआईएफआर ने पहले ही अनुमोदित कर दिया है और बी आई एल और बी सी पी एल की पुनरूद्धार योजनाओं के लिए अन्तिम आदेशों की प्रतीक्षा है। एचएएल की पूंजी पुनर्गठन से आशा है कि भविष्य में यह कंपनी अपने सम्पूर्ण कार्य–निष्पादन में सुधार लायेगी।

गुजरात में आवास-निर्माण परियोजनाएं

1156. श्री हरिभाई पटेल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विदेशी सहायता से कुछ आवास निर्माण परियोजनाएं शुरू की गईं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है; और

(ग) किन–किन स्थानों पर कितने मकानों का निर्माण किया गया है/कितने मकानों का निर्माण किया जा रहा हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन): (क) से (ग). कम लागत के मकानों के निर्माणार्थ ऋण मंजूर करने और रिलीज करने हेतु आवास विकास वित्त निगम (एच डी एफ सी) को दिए गए के एफ डब्ल्यू (जर्मनी) ऋण के तहत् भाल नालकंठा खादी ग्रामोद्योग मंडल, रानपुर, गुजरात को उक्त सोसाइटी के कर्मचारियों के लिए 66 टेनामेंटों के निर्माण हेतु 11.22 लाख रूपये की ऋण सहायता दी गई है।

गुजरात सरकार को राज्य में एकमात्र आवास क्रियाकलापों के लिए कोई अन्य विदेशी सहायता नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

1157. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है अथवा उनसे सहायता मांगी जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख). अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा अपारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों द्वारा निजी क्षेत्र निवेश की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। अक्षय ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों के क्षेत्र में विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के लिए अभी पिछले वर्षों में विभिन्न भारतीय और विदेशी कंपनियों के बीच कई अनुबंध हुए हैं। महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लिए निम्नलिखित विदेशी कंपनियों द्वारा रूचि प्रकट की गई है।

1. आस्ट्रेलिया की एक प्रवासी भारतीय कंपनी मैसर्स इंटरनेशनल बिजनेस कनैक्शन्स ने भारत में, कुल

7 मेवा की क्षमता के लिए, बम्बई में दो स्थलों सहित विनिवेश करने की इच्छा प्रकट की है।

2. नगरीय/शहरी अपशिष्टों से बायोमास आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना के लिए मैसर्स जेलक्रोन इण्डस्ट्रीज इनका. यूएसए द्वारा महाराष्ट्र और तमिलनाडु सरकारों को प्रस्ताव भेजे गए हैं।

3. खोई गैसीकरण के माध्यम से 19 मेवा विद्युत के उत्पादन के लिए एक परियोजना की स्थापना हेतु मैसर्स थर्मोकैम इनको. कैलीफोर्निया, यूएसए द्वारा मैसर्स अजिंकयात्रा को-ऑपरेटिव शुगर मिल महाराष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

4. मैसर्स सीमेन्स सोलर, यूएसए द्वारा सीमेन्स सोलर इंडिया, नई दिल्ली के साथ मिलकर औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 1 मेवा प्रतिवर्ष की एक माड्यूमल लाइन की स्थापना की जा रही है।

5. 700 कि.वा. वार्षिक क्षमता के डमियम टेलूराइड आधारित पी वी माड्यूलों के विकास के लिए मैसर्स इको सोलर पुणे द्वारा क्रोलोराडो विश्वविद्यालय यूएसए के साथ कार्य किया जा रहा है।

6. कॉपर इनडीयम डिसेलेनाइड आधरित पीवी माड्यूलों के विनिर्माण के लिए मैसर्स एमजी सोलर सिस्टम, बम्बई ने मार्टिन मेरिएटा, यूएसए के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

[अनुवाद]

ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड

1158. कुमारी ममता बनर्जी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई.आर.बी.आई. कलकत्ता ने पश्चिमी बंगाल स्थित ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड के लिए वैकल्पिक प्रोमोटर हेतु निविदा जारी की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को कंपनी के पुनरूद्धार हेतु इसके अधिकारियों से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार की कंपनी मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड इस समय औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमार्ण बोर्ड (बीआईएफआर) को संदर्भित है। इसे बीआईएफआर द्वारा रूग्ण घोषित किया गया था और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक को प्रचालन एजेन्सी नियुक्त किया गया था। बी आईएफआर ने सरकार को पुनरूद्धार पैकेज तैयार करने की सलाह दी है जिस पर सरकार सक्रियतापूर्वक विचार कर रही है। इस बीच, बीआईएफआर ने प्रचालन एजेन्सी को किसी वैकल्पिक संभावना के लिए विज्ञापन देने का निदेश दिया है और प्रचालन एजेन्सी ने कंपनी के अधिग्रहण की पेशकश का विज्ञापन बिजनेस स्टैण्डर्ड तथा आनन्द बाजार पत्रिका में 4.10.1994 को दे दिया है।

(ग) और (घ). जी, हां। इंजीनियरी उद्योग के बारे में विशेष त्रिपक्षीय समिति की बैठकों के अनुसरण में कंपनी के मजदूर संघ ने एक पुनरूद्धार योजना प्रस्तुत की थी। पुनरूद्धार स्कीम, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनके सुझावों की जांच भी शामिल है, सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

गुजरात के उद्योग विहीन जिले

1159. श्री शंकर सिंह वाघेला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के उद्योग-विहीन जिलों के क्या नाम हैं;

(ख) इन जिलों में उद्योग लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अनुमानतः कितने उद्योगों के लगाए जाने की संम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग). गुजरात में "उद्योग-रहित जिलों" की श्रेणी में केवल डांगस जिले का पता लगाया गया था। भारत सरकार ने उद्योग-रहित जिलों में बुनियादी सुविधाओं का विकास करने के लिए एक योजना चला रही थी। उक्त योजना के तहत गुजरात के डांगस जिले में ऐसी किसी परियोजना का अनुमोदन नहीं किया गया था। 1988 में नयी विकास केन्द्र योजना की घोषणा के बाद उक्त योजना को समाप्त कर दिया गया था।

[अनुवाद]

माचिस उद्योग

1160. श्री जगत बीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित माचिस उद्योग को कच्चे माल की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की अपर्याप्त आपूर्ति या कमी के जिम्मेदार कारक क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार किया जा रहा है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) जी, नहीं।

माचिस उद्योग के लिए साफ्टवुड और माचिस वेक्स के अलावा सारा कच्चा माल बाजार में आसानी से उपलब्ध है। साफ्टवुड और माचिस वेक्स के लिए आवंटन राज्य प्राधिकरणों द्वारा किये जाते हैं। केन्द्र और राज्य स्तर पर किसी भी संबंधित अभिकरण को किसी कच्चे माल की अनुपलब्धता के संबंध में कानपुर में सेफ्टी माचिस एककों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

गुजरात में सौर-ऊर्जा

1161. श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में सौर–ऊर्जा के उपयोग से विद्युत उत्पादित क्षमता में बढोतरी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) से (घ). सौर ऊर्जा का प्रयोग सौर तापीय अथवा सौर प्रकाशवोल्टीय रूट के माध्यम से बिजली का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के निकट 30 मेवा की सौर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी (जी.ई.डी.ए.) से एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। सौर तापीय रूट के माध्यम से विद्युत का उत्पादन एक नई प्रौद्योगिकी है जो स्थल विशिष्ट, अत्यधिक पूंजी वाली और बहुत से अन्य तकनीकी–आर्थिक पहलुओं पर निर्भर करती है। गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी के अनुरोध के अन्य प्रस्तावों के साथ जांच की गई थी और इसे पहली अनुसंधान और विकास परियोजना के अनुकूल नहीं पाया गया था। तथापि, विकेन्द्रीकृत अनुप्रयोगों, जैसे घरेलू रोशनी, सड़क सामुदायिक, टेलीविजन, जल पम्पन, छोटे ग्राम स्तर के विद्युत संयंत्र आदि, के लिए सौर प्रकाश वोल्टीय प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाली परियोजनाएं गुजरात में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

नगरपालिका चुनाव

1162. श्री एन. डेनिस : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुपालन में किन–किन राज्यों में नगरपालिका चुनाव नहीं कराए गए हैं; और

(ख) चुनाव कराने के लिए संशोधन के उपबंधों का राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन कराये जाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाएं हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क). उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्यों ने संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुपालन में नगरपालिकाओं के चुनाव कराए हैं। हरियाणा राज्य ने भी राज्य के नगर निगम बाबत चुनाव कराए हैं।

उक्त अधिनियम के अनुच्छेद 243 जेड एफ में प्रावधान है कि संविधान (74वां संशोधन अधिनियम, 1992 के लागू होने के तुरन्त पहले मौजूद सभी नगरपालिकाएं तब तक अपने कार्यकाल की समाप्ति तक कार्य करती रहेंगी जब तक इन्हें सम्बंधित राज्य के विधान मंडल द्वारा पहले भंग नहीं किया जाता। इसे देखते हुए, ऐसी नगरपालिकाओं के चुनाव उनके निर्धारित कार्यकाल के पूरा हो जाने के बाद ही कराए जाएंगे।

(ख) संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 में ऐसी कोई समय–सीमा नियत नहीं की गई है जिसके भीतर नगरपालिकाओं के गठन हेतु चुनाव कराए जाने हैं। तथापि राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रक्रिया को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी समयावधि के भीतर नगरपालिकाएं गठित करने हेतु तत्काल कदम उठायें।

चक्रवातीय तूफान

1163. श्री बापू हरि चौरे :
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1960 में चक्रवातीय तूफानों की घटनाओं में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है और कई राज्यों में इसका भूमि पर अत्यधिक प्रभाव पडा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है अथवा कराये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) जी, नहीं। पिछले 100 वर्षों का रिकार्ड यह दर्शाता है कि भारतीय समुद्र में चक्रवातीय तूफानों के आने की आवृत्ति के संबंध में कोई ऐसी प्रवृति नहीं है। यद्यपि, उनकी संख्या में हर वर्ष उतार–चढ़ाव आता रहा है। समय–समय पर बहु–भूस्थल पार करने की घटनाएं (मल्टीपल लैंड क्रासिंग्स) होती रही हैं। यद्यपि ऐसा कम होता है फिर भी यह असाधारण घटना नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

विदेशी पूंजी निवेश प्रस्ताव

1164. श्री चेतन पी.एस. चौहान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ विदेशी पूंजी निवेश/समझौता प्रस्तावों को हाल में स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत प्रस्तावों का क्षेत्र–वार तथा देश–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी कितने प्रस्ताव विचाराधीन हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ख). जी, हां। 1991 से 1994 (अक्तूबर तक) तक की अवधि के दौरान मंजूर किए गए विदेशी निवेश प्रस्तावों का क्षेत्रवार तथा देशवार ब्यौरे दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण–I तथा विवरण–II में संलग्न हैं।

(ग) प्रस्तावों की प्राप्ति तथा उन पर विचार करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

विवरण–I

1991, 1992, 1993 तथा 1994 (अक्तूबर तक) विदेशी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	उद्योग का नाम	1991 राशि (रू. करोड़ में)	1992 राशि (रू. करोड़ में)	1993 राशि (रू. करोड़ में)	1994 (अक्तूबर तक) (रू. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	2.23	58.87	1246.53	884.75
2.	ईंधन	2.30	1504.11	2822.54	2137.15
3.	वायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.72	0.12	53.86	3.47
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	–	–	–	2.24
5.	विद्युत उपकरण	101.39	371.84	645.85	563.64
6.	दूर संचार	13.58	119.07	46.98	14.68
7.	परिवहन	20.11	145.36	306.25	1178.52
8.	औद्योगिक मशीनरी	55.70	70.71	86.84	652.64
9.	मशीनी औज़ार	1.97	6.73	12.99	17.94
10.	कृषि मशीनरी	–	5.54	–	–
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	0.00	0.55	0.60	111.73
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	0.84	37.17	40.30	67.65
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	–	63.81	9.27	8.71
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	4.25	3.60	8.17	6.31
15.	औद्योगिक उपकरण	2.07	14.81	1.69	0.84
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1.65	32.89	–	0.34
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	–	–	–	–
18.	उर्वरक	1.00	–	1.66	0.99
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	146.32	421.17	349.89	1122.12
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	–	7.90	10.73	–
21.	रंजक सामग्री	–	0.08	13.58	0.25
22.	औषध तथा भेषज	0.00	30.17	29.91	120.60
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों सहित)	18.55	139.25	119.21	906.14
24.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पादक सहित	4.40	20.15	115.27	198.34
25.	चीनी	–	–	53.50	–

1	2	3	4	5	6
26.	फर्मेन्टेशन उद्योग	–	4.99	147.45	16.00
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	54.09	4002.22	907.87	521.84
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3.03	6.13	10.88	11.68
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रि[illegible]	–	18.86	0.47	21.91
30.	रबड़ की वस्तुएं	1.09	2.37	54.09	21.14
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	3.14	27.25	17.04	11.14
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	–	–	–	–
33.	कांच	0.75	0.34	49.98	85.76
34.	सिरेमिक्स	12.74	19.38	30.98	115.16
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12.00	6.79	25.20	177.73
36.	टिम्बर उत्पाद	–	–	0.16	–
37.	सुरक्षा उद्योग	–	–	–	–
38.	परामर्शदायी सेवाएं	5.81	12.16	10.31	11.28
39.	सेवा क्षेत्र	–	67.21	1136.28	1056.76
40.	होटल तथा पर्यटन	–	198.77	352.98	427.17
41.	ट्रेडिंग कंपनी	–	5.43	22.57	33.10
42.	विविध उद्योग	63.52	61.74	118.29	270.97
	योग	534.11	3887.54	8559.33	10745.03

विवरण–II

क्र.स.	देश का नाम	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1858.5	12315.0	34618.5	17862.4
2.	युनाइटेड किंगडम	321.0	1176.7	6227.3	12336.9
3.	जर्मनी	410.0	862.7	1759.3	5357.5
4.	आस्ट्रेलिया	26.1	776.2	295.6	3856.3
5.	जापान	527.1	6102.3	2574.3	3594.1
6.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
7.	मारीशस	–	–	1242.4	2347.4
8.	हांगकांग	211.5	570.8	879.5	1274.1
9.	नीदरलैंड	559.2	967.9	3216.5	1046.3
10.	रूस	86.1	115.9	19.5	1042.2
11.	अफगानिस्तान	–	–	1.0	–
12.	अर्मेनिया	–	–	1.2	–
13.	आस्ट्रिया	15.9	61.4	155.7	198.2
14.	बहामास	–	7.5	–	81.2
15.	बहरीन	–	4.0	4.1	17.0

1	2	3	4	5	6
16.	बेल्जियम	16.1	237.0	60.0	62.4
17.	बेलोरशिया	–	–	0.5	–
18.	बरमुडा	–	33.2	–	260.3
19.	ब्राझील	0.1	1.1	–	–
20.	ब्रिटिश विरजिन द्वीपसमूह	–	5.3	46.0	–
21.	कॅनाडा	48.6	7.8	272.8	417.1
22.	केमन द्वीपसमूह	–	–	33.0	35.0
23.	चॅनेल द्वीपसमूह	–	–	–	12.5
24.	चीन	7.5	–	616.6	272.5
25.	चेक गणतन्त्र	–	–	4.4	–
26.	चेकोस्लावाकिया	–	52.6	–	–
27.	डेन्मार्क	111.7	252.3	319.9	510.6
28.	इस्टोनिया	–	–	70.0	–
29.	फिनलैंड	25.3	105.0	20.7	72.1
30.	फ्रांस	193.3	296.4	1290.9	313.2
31.	हंगरी	–	–	22.7	1.6
32.	इंडोनेशिया	–	19.0	3.8	0.0
33.	आयरलैंड	–	0.1	1656.4	7.5
34.	इजराइल	–	12.7	14.6	69.3
35.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
36.	कजाकिस्तान	–	–	15.0	–
37.	कोरिया (उत्तर)	1.6	–	–	–
38.	कोरिया (दक्षिण)	61.5	394.0	293.3	603.7
39.	कुवैत	–	0.9	0.5	30.9
40.	लटविया	–	2.6	–	–
41.	लक्समबर्ग	–	–	29.0	–
42.	मलेशिया	1.8	744.3	84.8	242.9
43.	मालद्वीप	–	–	–	6.0
44.	माल्टा	–	1.3	–	–
45.	मेक्सिको	–	52.0	2389.8	0.1
46.	नेपाल	–	–	–	0.2
47.	न्यूजीलैंड	–	3.2	0.5	0.0
48.	नाइजिरिया	–	–	–	15.4
49.	नॉर्वे	3.8	9.2	26.7	3.1
50.	ओमान	–	–	5429.8	15.8
51.	पनामा	–	–	25.5	–
52.	फिलिपीन्स	–	50.0	132.5	34.0
53.	पोलैंड	0.4	–	1.5	–

1	2	3	4	5	6
54.	पुर्तगाल	1.6	12.0	140.0	0.0
55.	कतार	–	45.3	–	–
56.	रशिया	86.1	115.9	19.5	1042.2
57.	सिंगापुर	13.7	602.1	667.4	955.6
58.	स्लोवाकिया	–	–	0.5	0.0
59.	स्पेन	3.3	19.2	98.0	20.2
60.	श्रीलंका	–	–	15.1	23.6
61.	स्वीडन	69.8	484.1	6.2	62.6
62.	स्वीट्जरलैंड	355.0	6897.6	4268.0	264.4
63.	ताइवान	4.5	180.0	100.1	70.9
64.	थाइलैंड	–	25.2	3684.2	91.8
65.	यू.ए.ई.	22.0	64.5	4044.9	512.3
66.	यूक्रेने	–	8.4	2.8	4.5
67.	उरूग्वे	–	0.1	–	–
68.	वेस्ट इंडीज	–	3.0	–	0.5
69.	यूगोस्लाविया	–	4.4	–	–
70.	एनआरआई*	197.0	4391.3	10433.2	4307.4
71.	यूरो इश्यज*	–	–	–	45510.9
72.	उपर सामाविष्ट सभी देश	5341.1	380875.4	88593.3	107450.3

[हिन्दी]

यूरिया का आयात

1165. **श्री केशरी लाल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कुछ उर्वरक एककों और सहकारी संस्थाओं को यूरिया के आयात की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) किन–किन एककों और सहकारी संस्थाओं को इसकी अनुमति दी गई है; और

(घ) इनमें से प्रत्येक एकक और संस्था द्वारा कितनी–कितनी मात्रा में यूरिया का आयात किया जाएगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ). देश में यूरिया की अपेक्षित मात्रा लाने के लिए एम एम टी सी लि. के प्रयासों को पूरा करने के लिए सरकार ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों अर्थात् मद्रास फर्टिलाइजर्स लि. (एमएफएल), नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एनएफएल) और पाइराइट्स फासफेट्स एण्ड केमिकल्स लि. (पीपीसीएल) को क्रमशः 2 लाख टन, 2 लाख टन और 1 लाख टन यूरिया आयात करने की स्वीकृति दी है।

[अनुवाद]

केरल में खादी और कुटीर उद्योग

1166. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में खादी और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए प्रस्तावित नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की स्थापना के लिए किस प्रकार की सहायता दी जा रही है;

(ग) किन–किन योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) इन योजनाओं के अन्तर्गत केरल को गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी सहायता राशि दी गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, त्रिवेन्द्रम (केरल) में पेरूमकाडाविला ब्लाक में विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू कर रहा है तथा 1996–97 तक अल्लेपी जिले में भी क्रमशः 1000 तथा ब्लाक में 10,000 रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम शुरू कर रहा है।

(ख) के.वी.आई.सी., डी.आर.डी.ए. तथा बैंकों द्वारा अनुदान तथा ऋण के रूप में उपर्युक्त विशेष कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय सहायता दी जायेगी। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपने अनुमोदित सहायता पैटर्नों के अनुसार साधारण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान तथा ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करता है।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अपनी अनुमोदित सहायता पैटर्न के अनुसार इसके क्षेत्राधिकार में आने वाले खादी (सूती,ऊनी,रेशम तथा ..मल) तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान और ऋण रूप में वित्तीय सहायता मुहैया करता है।

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के कार्यकलापों के लिए केरल को दी गई वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है :

(रू. लाख रू.)

वर्ष	खादी		ग्रामोद्योग		कुल	
	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण	अनुदान	ऋण
1991–92	208.70	55.34	12.13	191.78	220.83	247.12
1992–93	159.28	97.28	43.97	606.45	203.25	704.40
1993–94	149.26	25.40	17.58	244.18	166.84	269.58

सेना के हेलीकॉप्टर का दुर्घटनाग्रस्त होना

1167. श्री श्रीकान्त जेना : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितंबर, 1994 में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार एक मेजर जनरल तथा कुछ अन्य अधिकारियों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दुर्घटना की जांच करने हेतु गठित जांच न्यायालय के निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है तथा मृतकों के परिवारों को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). एक चीता हेलीकॉप्टर जिसे मेजर जे.पी. सिंह और मेजर बी.के. देका उड़ा रहे थे, 21 सितम्बर, 1994 को पूर्वी सिक्किम में संक्रियात्मक टोही उड़ान पर था और उसमें 27 इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल अफसर कमांडिंग मेजर जनरल के.एम. पलांदे, अ वि से मे और लेफ्टि. कर्नल एम.पी. सिंह जी एस ओ 1 (ऑप्स) भी सवार थे। यह हेलीकॉप्टर जब लगभग 09.30 बजे उड़ान भर ही रहा था कि तभी 09.33 बजे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस संबंध में 22 सितम्बर, 1994 को जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं। जांच अदालत के विचारार्थ विषयों में इस दुर्घटना की परिस्थितियों की खोज करके उसके कारणों का पता लगाना तथा इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना शामिल है। जांच अदालत की रिपोर्ट अभी प्राप्त होनी है। दिवंगत कार्मिकों के परिवार सम्बद्ध नियमों के अनुसार पेंशन और मृत्यु उपदान पाने के हक़दार हैं। उनके निकट संबंधी भी वायुयान दुर्घटना के लिए एक लाख रूपए की अनुग्रहपूर्वक अदायगी पाने के भी हकदार हैं।

[हिन्दी]

पिछडे वर्गों को आरक्षण

1168. श्री भेरू लाल मीणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत पिछड़े वर्ग के लोगों को रोजगार में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई औद्योगिक नीति के अन्तर्गत इन वर्गों को विशेष सुविधाएं देने की दृष्टि से कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). यद्यपि जुलाई, 1991 की औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य में पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगार में किसी आरक्षण के लिए विशेष परिकल्पना नहीं की गई है तो भी उनको लाभ मिलेगा क्योंकि वक्तव्य में दिये गये विभिन्न उपायों के फलस्वरूप सभी प्रकार के रोजगार के अवसरों में वृद्धि होने की आशा है।

[अनुवाद]

गुजरात में निगम

1169. श्री काशीराम राणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणधीन निगमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अक्तूबर, 1994 तक इन निगमों को सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) कौन–कौन सी निगमें घाटे में चल रही हैं तथा कौन–कौन सी निगम लाभ अर्जित कर रही हैं; और

(घ) अब तक इन निगमों द्वारा कुल कितना लाभ अर्जित किया गया अथवा इन्हें हुए घाटे का अलग–अलग ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) गुजरात राज्य में उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोई निगम नहीं है। तथापि, खारागोड़ा और अहमदाबाद में क्रमशः मैसर्स हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड, जयपुर तथा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, नई दिल्ली की इकाइयां हैं।

(ख) इस वर्ष अक्तूबर, 1994 तक सरकार द्वारा कोई निधियां जारी नहीं की गईं हैं।

(ग) और (घ). इन इकाइयों के लिए अलग से कोई लाभ/हानि खाते नहीं रखे जा रहे हैं।

सफाई कार्यक्रम

1170. श्री बापू हरि चौरे :
श्री माणिकराव होडल्या गावीत :
डा. परशुराम गंगवार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे रहने वाले लोगों के लिए है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1994–95 और 1995–96 के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को राजसहायता प्रदान करके सफाई शौचालयों के निर्माण के लिए राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के लिए अब तक राज्यवार निर्मित सफाई परिसरों/सुलभ शौचालयों के संबंध में जानकारी एकत्र करने का है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) लक्ष्य वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1994–95 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों के लिए पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण का राज्यवार लक्ष्य संलग्न विवरण में दिया गया है। व्यैक्तिक पारिवारिक शौचालयों की अनुमोदित इकाई लागत में से कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित समूह को सबसिडी के रूप में 80 प्रतिशत लागत मुहैया कराई जाती है जिसे केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा मैचिंग आधार पर वहन किया जाता है। 1995–96 के लिए लक्ष्य 1994–95 के अंत में निर्धारित किया जाएगा।

(ग) जी, हां। राज्यों को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी होती है जिसमें महिलाओं के लिए ग्राम स्वच्छ परिसरों के निर्माण के लक्ष्य शामिल होते हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश और जम्मू व कश्मीर की राज्य सरकारों का सम्बन्ध है, उन्होंने महिलाओं के लिए क्रमशः 307 और 3 स्वच्छता परिसरों के निर्माण की सूचना दी है।

विवरण–I

1994-95 के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के लिए पारिवारिक स्वच्छ शौचालयों के निर्माण हेतु राज्यवार संयुक्त (केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम) लक्ष्य

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	लक्ष्य (1994–95)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	27172
2.	अरूणाचल प्रदेश	1000
3.	असम	4700
4.	बिहार	52342
5.	गोवा	1100
6.	गुजरात	25000
7.	हरियाणा	6220
8.	हिमाचल प्रदेश	55000
9.	जम्मू व कश्मीर	15014
10.	कर्नाटक	112823
11.	केरल	15956
12.	मध्य प्रदेश	11000
13.	महाराष्ट्र	23457
14.	मणिपुर	5650
15.	मेघालय	2400
16.	मिजोरम	468
17.	नागालैंड	1235
18.	उड़ीसा	20617
19.	पंजाब	7258
20.	राजस्थान	27340
21.	सिक्कम	450
22.	तमिलनाडु	24513
23.	त्रिपुरा	2233
24.	उत्तर प्रदेश	101438

1	2	3
25.	पश्चिम बंगाल	23362
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	2218
27.	चण्डीगढ़	1968
28.	दादर व नगर हवेली	218
29.	दमन व दीव	468
30.	दिल्ली	1468
31.	लक्षयदीप	568
32.	पांडिचेरी	420
	योग	575076

बायो-केमेस्ट्री तथा मॉलिक्यूलर बॉयोलोजी पर हुई अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस

1171. डा. विश्वनाथम कैनिथी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16वीं अंतर्राष्ट्रीय बायो–केमिस्ट्री तथा मॉलिक्यूलर बॉयोलोजी कांग्रेस की तीन दिन की बैठक हाल ही में दिल्ली में हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्मेलन में क्या–क्या निष्कर्ष निकले तथा इसमें क्या–क्या निर्णय लिए गए?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कांग्रेस ने जीव वैज्ञानिक रसायन शास्त्रियों को विश्व के विभिन्न भागों के विशेषज्ञों से संपर्क करने तथा अपने अनुसंधान अनुभवों का आदान–प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। कांग्रेस ने चुनिंदा क्षेत्रों जैसे–मॉलिक्यूलर जीवविज्ञान, अनुवांशिकी, प्रजननात्मक जीवविज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी तथा एड्स के नियंत्रण के बारे में अनुसंधान की वर्तमान स्थिति तथा भावी दिशा पर प्रकाश डाला। कांग्रेस के दौरान 62 देशों के करीब 2000 वैज्ञानिकों ने अपनी खोजें प्रस्तुत कीं।

कांग्रेस की खास–खास बातें इस प्रकार रही :–

- छह पूर्णाधिवेशन व्याख्यान जिनमें दो नोबेल प्रतिष्ठितों द्वारा दिए गए।
- विभिन्न विषयों पर 75 सिम्पोजिया।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए दो दिवसीय विशेष कार्यक्रम।
- आठ केन्द्रों में 13 सेटेलाइट सिम्पोजिया।
- उद्योग, शैक्षिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच विचारों के अधिक आदान–प्रदान को प्रोत्साहित करने के लिए सिम्पोजिया।

इस कांग्रेस की समाप्ति तक जो फीडबैक प्राप्त हुआ उससे पता चला कि :

- पिछले दशक में देश में मॉलिक्यूलर जीवविज्ञान और जीव–रसायन विज्ञान के क्षेत्रों में अनुसंधान की गुणवत्ता और स्तर में काफी वृद्धि हुई।
- उद्योग–शैक्षिक संस्थानों–राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच विचारों के अधिक आदान–प्रदान की आवश्यकता है।
- मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान और जीव रसायनविज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधान में बड़ी संख्या में युवा वैज्ञानिक जुटे हुए हैं।

[हिन्दी]

प्लास्टिक निर्माण करने वाले एकक

1172. श्री भीम सिंह पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी.वी.सी. रेसिन के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि होने के कारण प्लास्टिक का निर्माण करने वाले लघु एकक गंभीर संकट में हैं;

(ख) क्या पी.वी.सी. रेसिन निर्माता पी.वी.सी. रेसिन के मूल्यों में मनमानी वृद्धि कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसके मूल्यों पर नियंत्रण रखने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). आयात के लिए पी.वी.सी. रेसिन खुले सामान्य लाइसेंस के अंतर्गत है। इसलिए लघु क्षेत्र तथा संगठित क्षेत्र के एककों के पास अपने वाणिज्यिक–निर्णय के आधार पर पी.वी.सी. का आयात करने या स्थानीय रूप से खरीदने का विकल्प है। पी.वी.सी. रेजिन और उनके कच्चे माल की कीमतें मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत नहीं हैं और बाजार शक्तियों द्वारा संचालित होती हैं।

पी.वी.सी. रेजिन की अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू कीमतें पिछले 6/8 महीनों के दौरान बढ़ी हैं। पी.वी.सी. उत्पादकों द्वारा यह जानकारी दी गई है कि ऐसा उनके कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि के कारण हुआ है जिनमें से कुछ का आयात करना पड़ता है।

[अनुवाद]

खड़की आयुध कारखाने में विस्फोट

1173. श्रीमती सरोज दुबे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुणे के निकट खड़की स्थित आयुध कारखाने में हाल ही में हुए भयंकर विस्फोट में कुछ लोगों की मृत्यु हो गयी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विस्फोट के कारणों का पता लगाने हेतु कराई गई जांच के परिणाम क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख). खड़की स्थित गोला बारूद निर्माणी के एक भवन मे 10 अक्तूबर, 1994 को हुए विस्फोट में नौ कामगारों की मृत्यु हो गई थी।

(ग) और (घ). दुर्घटना की जांच के लिए गठित जांच बोर्ड के निष्कर्षों और उसके संबंध में आयुध निर्माणी बोर्ड की टिप्पणियों के शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है।

[हिन्दी]

भूमि माफिया द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा

1174. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी भूमि पर भूमि माफिया का कब्जा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1.12.94 को इसका बाजार मूल्य कितना था; और

(ग) सरकारी भूमि से इस प्रकार के लोगों का कब्जा हटाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और 1993–94 के दौरान अब तक कितनी भूमि से इस प्रकार का कब्जा हटाया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (ग). दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने इस प्रकार जानकारी दी है :–

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध में आने वाली भूमि के अनधिकृत कब्जे के बाबत कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, 1329 एकड़ नजूल भूमि, अतिक्रमणाधीन बतायी गयी है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है :–

झुग्गियां	459.00 एकड़
धार्मिक संस्थान	84.81 एकड़
वाणिज्यिक	67.00 एकड़
मुकदमा/स्थगन आदेशाधीन	278.70 एकड़
अन्य	439.79 एकड़

बाजार मूल्य का आकलन करने के लिए कोई जांच नहीं करायी गयी है।

दि.वि.प्रा. भूमि पर निगरानी रखने के लिए सुरक्षा गार्ड और राजस्व कार्मिक तैनात किये गये हैं, ज्योंहि डी.डी.ए. भूमि पर अतिक्रमण का प्रयास किया जाता है, उसे भूमि सुरक्षा तंत्र की सहायता से हटा दिया जाता है। 1993–94 के दौरान दि.वि.प्रा. ने 859 एकड़ भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगम के अनुसार नरेला जोन में दि.न.नि. की लगभग 950 वर्ग गज भूमि अनधिकृत कब्जे में बतायी गयी है, जिसका बाजार मूल्य लगभग 10.00 लाख रूपये है।

दि.न.नि. ने 1.12.1994 तक नरेला–लामपुर रोड पर 50 वर्ग गज भूमि अतिक्रमण से मुक्त करायी है। लोगों के कड़े प्रतिरोध के कारण 100 वर्ग गज भूमि खाली नहीं करायी जा सकी है। बकाया भूमि न्यायालय में मुकदमाधीन है।

भूमि तथा विकास कार्यालय, दिल्ली छावनी, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और नई दिल्ली नगर परिषद् ने बताया है कि उनके नियंत्रणाधीन कोई भूमि भू–माफिया के कब्जे में नहीं है।

[अनुवाद]

"माइ लार्ड" सम्बोधन

1175. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों को सम्बोधन करने की प्रणली भारत में ब्रिटिश शासन के समय विद्यमान प्रणाली की तरह ही चल रही है;

(ख) क्या न्यायालय में न्यायाधीश को "माइ लार्ड" और "योर–आनर" शब्दों से सम्बोधित करना अनिवार्य है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटिश समय की ऐसी परंपराओं और न्यायाधीश द्वारा न्यायालय में पहने जाने वाले गाउन, विग, हैंडवियर आदि के बारे में सोचा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) यदि नहीं, तो इस क्षेत्र में भारतीय मूल्यों और संस्कृति को नहीं अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) से (ड). विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों को सम्बोधित करने की रीति वकीलों और न्यायाधीशों के बीच अनेक वर्षों से चली आ रही है और यही उचित होगा कि कोई परिवर्तन या सुधार, इन्हीं स्रोतों में से निकाला जाना चाहिए।

पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्पादन

1176. डा. के.वी.आर. चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994–95 के दौरान पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित विद्युत की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत अपारंपरिक ऊर्जा के अन्य स्रोतों से उत्पादित विद्युत की लागत से कम बैठती है; और

(ग) यदि हां, तो 1994–95 के दौरान पवन ऊर्जा द्वारा उत्पादित विद्युत का क्या लक्ष्य रखा गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) पवन विद्युत उत्पादन की औसत लागत सामान्यतया 2.00 रूपये से 2.50 रूपये प्रति यूनिट के बीच आती है जो स्थल विशेष पर निर्भर करती है।

(ख) पवन से विद्युत उत्पादन की लागत अन्य अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादन के अनुकूल ही है।

(ग) वर्ष 1994–95 के लिए पवन विद्युत परियोजनाओं से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 85 मेवा निर्धारित किया गया है।

छावनियों में बंगलों के निर्माण संबंधी नीति

1177. श्री अन्ना जोशी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी क्षेत्रों में बंगलों के निर्माण और मरम्मत की वर्तमान नीति को उदार बनाने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य–मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग). केवल सरकारी भूमि/स्थलों पर बने तथा "ओल्ड ग्रांट" शर्तों पर दिए गए बंगलों के निर्माण/मरम्मत पर प्रतिबन्ध है। मौजूदा नीति का निरन्तर पुनर्मूल्यांकन किया जाता रहता है। इस मामले में सरकार के अन्तिम निर्णय क्या होंगे, इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ

1178. श्री के. राममूर्ति टिंडिवनाम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का मदुराई में मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित हो जायेगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). भारत सरकार, इस मामले में तभी कोई कार्रवाई कर सकती है, जब तमिलनाडु सरकार से, जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, कोई विनिर्दिष्ट पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो। राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

बम विस्फोट

1179. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान जम्मू और कश्मीर में विभिन्न स्थानों पर कितने बम विस्फोट हुए और इनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गए और घायल हुए हैं;

(ख) इस संबंध में कराई गई जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इनके परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(घ) क्या किसी आतंकवादी संगठन ने इन बम विस्फोटों के लिए अपनी जिम्मेदारी ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन विस्फोटों से पीड़ित व्यक्तियों को कितना मुआवजा दिया गया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी): (क) से (च). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर फार्म हाउस

1180. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में प्राधिकरण की भूमि पर विनियमों के उल्लंघन में अनधिकृत रूप से निर्मित किए गए फार्म हाउसों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) ऐसे कितने फार्म हाउस की पहचान की गई है;

(ग) दि.वि.प्रा. द्वारा ऐसे कितने फार्म हाउस गिराये गए;

(घ) ऐसे शेष फार्म हाउसों को न गिराये जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अब तक न गिराये गए अनधिकृत फार्म हाउसों के मालिक/काबिज को अपने निर्माण स्वयं गिराने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर कोई फार्म हाउस नहीं बना है।

(ख) से (च). प्रश्न ही नहीं उठता।

महाराष्ट्र में सरकारी उपक्रम

1181. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विद्यमान सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इनमें से घाटा उठाने वाले उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान इनमे से प्रत्येक ने कितना घाटा उठाया है;

(ग) इस घाटे के क्या कारण हैं; और

(घ) राज्य में रूग्ण सरकारी उपक्रमों के पुनरूद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). 31.3.1993 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों के पंजीकृत कार्यालय महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित थे। इन सरकारी उद्यमों के नाम 23.2.1994 को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992–93 के खण्ड–1 के वि. पृष्ठ 227 पर दिए गए हैं। गत पांच वर्षों के दौरान घाटा उठाने वाले सरकारी उद्यमों के निवल घाटे का ब्यौरा उपर्युक्त खण्ड के वि. पृष्ठ 47 से 50 पर दिया गया है।

(ग) घाटे के कारण प्रत्येक उद्यम के सन्दर्भ में अलग–अलग हैं। बहरहाल, पुराने एवं अप्रचलित संयंत्र एवं मशीनें, अप्रचलित प्रौद्योगिकी, अतिरिक्त श्रम शक्ति, भारी ब्याज भार आदि घाटे के प्रमुख कारण हैं।

(घ) महाराष्ट्र स्थित केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 28 उद्यमों में से 4 उद्यम अर्थात रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि., नेशनल बाइसाइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि., एन.टी.सी. (महाराष्ट्र नार्थ) लि. तथा एन.टी.सी. (साऊथ महाराष्ट्र) लि. को रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 तथा 1991 में यथासंशोधित उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल (बी.आई.एफ.आर.) में पंजीकृत कर दिया गया है। बी.आई.एफ.आर. ने प्रत्येक कंपनी के नवीकरण/पुनर्स्थापन के संबंध में योजनाएं तैयार करने के लिए प्रचालन अभिकरण की नियुक्ति की है। बी.आई.एफ.आर. ने सम्बद्ध उच्च न्यायालय को नेशनल बाइसाइकिल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि. को बन्द करने की सिफारिश की है।

अनुसंधान और विकास पैकेज

1182. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्मास्यूटिकल उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास पैकेज में निर्धारित समय से अधिक विलंब किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या–क्या हैं; और

(घ) औषध एककों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य पर कितना खर्च किया जायेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). वर्तमान औषध नीति के अन्तर्गत अनुसंधान और विकास के लिए भेषज उद्योग विभिन्न प्रोत्साहनों का पहले ही लाभ उठा रहा है। आधारभूत अनुसंधान को और प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित निर्णय लिया है :–

1. कोई नई औषध जो कहीं भी उत्पादित नहीं की गई है, यदि स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास द्वारा विकसित की जाती है, तो उस कंपनी जिसने इसका अनुसंधान एवं विकास किया है, के पक्ष में वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए मूल्य नियंत्रण से बाहर रखी जायेगी।

2. रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग औषध क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को आगे और प्रोत्साहन देने के उपायों पर एक निश्चित समय सीमा के अन्दर निर्णय लेने के लिए एक अन्तर–मंत्रालय समूह की स्थापना करेगा।

ऊपर (1) मे बताये उपाय सितम्बर, 1994 में "औषध नीति, 1986 में संशोधन" की घोषणा से लागू हो गए हैं। जहां तक ऊपर (2) का संबंध है, एक अन्तर–मंत्रालय समूह की स्थापना कर दी गई है और वह सम्बद्धित मुद्दों से अवगत है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए बिहार को धन

1183. श्री राम कृपाल यादव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस उद्देश्य से राज्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और क्या लक्ष्य तय किया गया; और

(ग) राज्य में इन स्रोतों से विद्युत के कितने उत्पादन की सम्भावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार राज्य में विभिन्न संगठनों/संस्थाओं को लगभग 6.54 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध की गई है।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों के लिए धनराशियां वर्ष प्रति वर्ष के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय मानदण्डों के अनुसार राज्यों को प्रदान की जाती हैं। पूरी योजना अवधि के लिए राज्य–वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) बिहार राज्य में संचयी संस्थापित क्षमता/अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की संख्या/संस्थापित इकाइयों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बिहार राज्य में संस्थापित नई और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संचयी संख्या

क्र.सं.	एन.आर.एस.ई. प्रणालियां	संस्थापना
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	80000
2.	सी.बी.पी./आई.बी.पी	15
3.	उन्नत चूल्हा	830590
4.	सौर जल तापन प्रणालियां और अन्य सौर तापीय प्रणालियां	2612 वर्ग मी.
5.	सौर कुकर	730
6.	एसपीवी सड़क रोशनी	248
7.	एसपीवी घरेलू रोशनी	6
8.	एसपीवी सामुदायिक टेलीविजन	33
9.	सौर लालटेन	895
10.	एसपीवी जल पम्प	82
11.	पवन पम्पन प्रणालियां	252

[अनुवाद]

कापार्ट

1184. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कापार्ट ने ग्रामीण लोगों के लिए रोजगार पैदा करने हेतु कोई योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट द्वारा कुल कितने रोजगार उत्पन्न किए गए;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान कितने ग्रामीण लोग अब तक लाभान्वित हुए हैं;

(ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने लोग लाभान्वित होंगे;

(च) योजना के लिए कुल कितनी राशि नियत की गई है; और

(छ) शेष राशि के उपयोग हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) कापार्ट (लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्) ग्रामीण क्षेत्रों में बेराजगार और अल्प रोजगार वाले लोगों के लिए अतिरिक्त लाभकारी रोजगार सृजित करने के मूल उद्देश्य से स्वयंसेवी एजेंसियों की मार्फत जवाहर रोजगार योजना को कार्यान्वित कर रही है।

(ग) और (घ). गत तीन वर्षों के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कापार्ट की मार्फत कार्यान्वित परियोजनाओं में रोजगार के 77.74 लाख श्रम दिन सृजित किए गए हैं।

(ङ) आठवीं योजना अवधि के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(च) और (छ). जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत कापार्ट को स्वयंसेवी एजेंसियों से प्राप्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर आवश्यकतानुसार वार्षिक तौर पर निधियां रिलीज की जाती हैं। गत तीन वर्षों के दौरान कापार्ट को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 25 करोड़ रूपये दिए गए हैं। कापार्ट ने इस अवधि में उनके पास उपलब्ध आदि शेष सहित 26.53 करोड़ रूपये इस्तेमाल किए हैं।

अति लघु (टाइनी) क्षेत्र

1185. श्री हाराधन राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अति लघु (टाइनी) क्षेत्र हेतु नीति संबंधी एक पैकेज को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रस्तावित नीति के बारे में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से के साथ परामर्श किया जा रहा है, जिसके बाद नीति को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

कापार्ट

1186. श्री विश्वेश्वर भगत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान कापार्ट योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए योजनावार कितनी राशि स्वीकृत की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार कापार्ट योजना के अंतर्गत चल रहे कार्य के आकलन, निरीक्षण तथा नियंत्रण को जिला प्रशासन (कलक्टर) को सौंपने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) वर्ष 1993–94 के दौरान और 1.4.1994 से 31.10.1994 की अवधि में मध्य प्रदेश में कापार्ट द्वारा सहायता की गई स्वयंसेवी एजेंसियों की संख्या, स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या और स्वयंसेवी एजेंसियों के लिए स्वीकृत और रिलीज की गई राशि संलग्न विवरण–I और II में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण—I

1993-94

(लाख रू. में)

क्र.सं	योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या	एजेंसियों की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा)	06	04	09.60	06.08
2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	01	01	01.83	01.82
3.	जनसहयोग	09	03	48.72	34.61
4.	जवाहर रोजगार योजना	04	03	12.31	07.07
5.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	08	06	13.53	10.49
6.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	07	07	31.48	18.86
7.	लाभार्थियों का संगठन	13	09	03.57	02.20
8.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना	02	02	06.71	06.50
9.	सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण	04	04	02.25	02.82
	योग	54	39	130.00	90.00

विवरण—II

1.4.1994 से 31.10.1994 तक

(लाख रूपये में)

क्र.सं	योजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या	एजेंसियों की संख्या	स्वीकृत राशि	रिलीज की गई राशि
1.	ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा)	03	03	07.19	04.66
2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	01	01	04.69	01.32
3.	जनसहयोग	03	03	11.58	04.47
4.	जवाहर रोजगार योजना	02	02	08.55	06.68
5.	केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	10	10	22.13	09.31
6.	त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम	03	02	10.97	09.58
7.	लाभार्थियों का संगठन	02	02	00.55	01.05
8.	ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास योजना	01	01	06.50	04.04
9.	सामाजिक कार्यकर्ता को प्रशिक्षण	02	02	00.82	01.20
	योग	27	26	72.98	42.31

चण्डीगढ़ में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोग

1187. श्री पवन कुमार बंसल : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा इस समय चण्डीगढ़ में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) इस अवधि के दौरान पुनर्वास कालोनियों में कितने ऐसे लोगों को स्थान/भू-खंड उपलब्ध कराए गए; और

(ग) इस शहर में गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष अनुमानतः कितनी नई झुग्गियां बनी हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) :

(क)	1991–92	19754	ढांचे
	1992–93	18205	
	1993–94	15459	
	1995–96	13976	

(30.11.1994 तक)

(ख)	1991–92	शून्य	परिवार
	1992–93	1549	
	1993–94	2746	
	1994–95	1483	
	(30.11.1994 तक)		

(ग) वर्ष 1990 के बाद कोई सर्वे नहीं किया गया है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान समय–समय पर झुग्गियों को गिराया गया।

उर्वरक मिश्रणों पर राजसहायता

1188. प्रो. के.वी. थामस :
श्री वी.एस. विजयराघवन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उर्वरक मिश्रणों के निर्माताओं को राजसहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

1189. श्री हरिन पाठक :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री लोकनाथ चौधरी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कश्मीर में डोडा क्षेत्र का नियंत्रण पूरी तरह से आतंकवादियों के हाथ में है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में आतंकवाद पर रोक लगाने हेतु सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). उग्रवादियों ने जम्मू एवं कश्मीर में अपनी गतिविधियों का उच्च स्तर बनाए रखने का प्रयास किया है। तथापि, जमीनी स्तर पर स्थिति में गुणात्मक एवं प्रत्यक्ष परिवर्तन आया है जो सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए उग्रवाद विरोधी अभियानों में मिली सफलताओं, सतत् अन्तरदलीय झड़पों, सिविलियनों पर उग्रवादियों के बढ़ते अत्याचारों, उग्रवादियों की गतिविधियों के प्रति लोगों का मोह भंग बढ़ना और उनकी मनःस्थिति में प्रत्यक्ष परिवर्तन से स्पष्ट दिखाई देता है।

(ग) डोडा में स्थिति नियंत्रण में है।

(घ) उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने और जनता में सुरक्षा एवं विश्वास की भावना उत्पन्न करने के लिए विशेषतया संवेदनशील, नाजुक एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। स्थानीय पुलिस को सुदृढ़ बनाने के लिए भूतपूर्व सैनिकों की भरती की गई है और नियंत्रण रेखा पर गश्त एवं चौकसी और बढ़ा दी गई है। इस जिले और राज्य में अन्यत्र भी उग्रवादी विरोधी अभियानों में वृद्धि कर दी गई है। उग्रवादियों को अलग–थलग कर देने और लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए, अन्य उपायों के साथ–साथ उग्रवादियों पर दबाव बनाए रखा जाएगा।

[हिन्दी]

कस्बों का विकास

1190. श्री हाराधन राय : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने शहरों और कस्बों के विकास के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे शहरों और कस्बों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अब तक आई.डी.एस.एम.टी. स्कीम के अन्तर्गत शहरों और कस्बों के विकास हेतु 170 नये परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जो स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुरूप थे, स्वीकृत कर दिये गये हैं और 34.11 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता रिलीज कर दी गयी है। आठवीं योजना के दौरान आई.डी.एम.एम.टी. के अन्तर्गत शामिल किये गये 170 कस्बों के नाम संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

आठवीं योजना के दौरान (30.12.94 तक) आई.डी.एस.एम.टी. की स्कीम के अन्तर्गत शामिल किये गये कस्बों की सूची

क्र.सं.	राज्य/कस्बे	कस्बे
1	2	3
1.	**आन्ध्र प्रदेश**	1. वानापार्थी
		2. काकीनाडा
		3. जग्यापेटा
		4. कुरूनुल
		5. कुडापेह
		6. निदादावलूर
		7. मदनापल्ली

1	2	3
		8. चिराला
		9. रापेल
		10. पुन्नूर
		11. नारायण पेट
		12. जगतीयाल
		13. श्रीकलाहस्ती
		14. निजामाबाद
		15. अनन्तपुर
		16. विकाराबाद
		17. चिलाकलुरीपेट
		18. अमलापुरम
		19. मिरयालगुडा
		20. अदोनी
		21. संग्गारेड्डी
		22. गुडूर
		23. हिन्दुपुर
		24. बोधन
2.	**असम**	1. नालबाड़ी
		2. मंगलदोई
3.	**गोवा**	1. कुरुचोरेम
4.	**गुजरात**	1. वाधवन
		2. भडूच
		3. नादियाड
		4. वोरसाद
		5. धेराजी
		6. पालिटना
5.	**जम्मू और कश्मीर**	1. सम्बा
		2. सोपोर
		3. आर.एस.पुरा
6.	**कर्नाटक**	1. तिपतूर
		2. गौरीविन्दुर
		3. बादामी
		4. गुरुमीतकल
		5. सौनदाती
		6. व्यादागी
		7. करवार
		8. विदार
		9. हावेरी
		10. वेलारी
		11. मधुगीरि
		12. के.आर.नगर
		13. इलकल
		14. निप्पानी
		15. डोडावालारपुर
		16. बैलहोंगाल
		17. मुदालगी
		18. मुलवागल
		19. लिंगसुगर
		20. मंदया
		21. बीजापुर
		22. लक्ष्मेश्वर
		23. सिंगांव
		24. सावनेर
		25. बदागबेटागीरि
		26. कोटूर
		27. मालूर
		28. सोरापुर
		29. कुन्दापुर
7.	**केरल**	1. अलमूझा
		2. कोल्लम
		3. चेताल्ला
8.	**मध्य प्रदेश**	1. सागर
		2. मन्दसौर
		3. टीकमगढ़
		4. मांदला
		5. मुलतैई
		6. पंडरौना
		7. सौसार
		8. खण्डवा
		9. जौरा
9.	**महाराष्ट्र**	1. जलगांव
		2. श्रीरामपुर
		3. सीरपुर (वरवाडे)
		4. वाणी
		5. अम्बाद
		6. अहमदनगर
		7. कोपारगांव
		8. लातूर
		9. पलटन
		10. संगमनेर

1	2	3
		11. सांगली
		12. धूले
		13. मुखेड
		14. पचौरा
		15. वरोरा
		16. भुसावल
		17. देगलूर
		18. गांधीगंज
		19. परतूर
10.	**मणीपुर**	1. सेकभाई
		2. थाबल
		3. मामबोल
11.	**मिजोरम**	1. सेरछिप
		2. कोलाशिव
12.	**उड़ीसा**	1. जाजपुर
		2. वासुदेवपुर
		3. अटागढ़
		4. जारसूकुडा
		5. विगापहाड़ी
		6. भजनम नगर
		7. तितलागढ़
		8. उमरकोट
		9. चौदवार
		10. तरभा
13.	**पंजाब**	1. राजपुरा
		2. मालेरकोटला
		3. फरीदकोट
14.	**राजस्थान**	1. निम्बाहेड़ा
		2. राजामाड
		3. झुनझुनु
		4. रतनगढ़
		5. देवली
		6. विजयनगर
		7. चक्सु
		8. देवगढ़
		9. फतेहनगर
15.	**सिक्किम**	1. रंगपो
16.	**तमिलनाडु**	1. वारगुर
		2. इडापाडी
		3. टेंकसी
		4. कुरडालोर

1	2	4
		5. भवानी
		6. कुमारपल्यम
		7. कांची
		8. तिरूथंगल
		9. अगिनासी
		10. अधिरमपट्टिनम
		11. सुलूर
		12. सथुआचारी
		13. उसलीमपट्टी
		14. मनमादुरई
		15. कोडागिरी
		16. तिरवलूर
		17. पुनारी
		18. पल्डाम
17.	**त्रिपुरा**	1. खोवाई
18.	**उत्तर प्रदेश**	1. पिलखुआ
		2. थानाभवन
		3. कोटद्वार
		4. कांधला
		5. सिरसागंज
		6. बस्ती
19.	**पश्चिम बंगाल**	1. झालदा
		2. माल
		3. मिरीक
		4. चकदा
		5. रामपुरघाट
		6. डायमंड हारवर
		7. नवाद्वीप
		8. तमलुक
		9. सोनामुखी
		10. मथाभगा
		11. अशोकनगर–कल्याणगढ़
		12. पुराना मालदा
		13. वीरनगर
		14. कुलटी
		15. मेमारी
		16. रलियागंज
		17. गोवरधंगा
		18. चन्दकोना
		19. कौंडी
		20. गुसकारा
20.	**पाण्डिचेरी**	1. अरियमकुप्पम्

फल और सब्जी बाजार

1191. **श्री मंजय लाल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कोंडली के पास फल और सब्जी का बाजार स्थापित करने का है;

(ख) इस प्रस्ताव के उद्देश्य क्या हैं और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(ग) इस बाजार का आजादपुर के फल और सब्जी बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) कोंडली में प्रस्तावित फल और सब्जी बाजार में स्टालों/दुकानों के आबंटन हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार कोंडली के निकट क्षेत्रीय वितरण बाजार के विकास का प्रस्ताव है, जिसमें वेयर हाऊसिंग और ट्रक ट्रर्मिनल की सुविधा हो। उक्त प्रस्ताव का उद्देश्य इस प्रकार है :–

1. नगर में भीड़–भाड़ कम करना,
2. दिल्ली में आने वाले क्षेत्रीय मालवाहक गाड़ियों को रोकना,
3. सड़क एवं रेल द्वारा माल के लाने–ले जाने को एकीकृत करना, और
4. थोक, वेयरहाउसिंग एवं ट्रक टर्मिनल आदि की एकीकृत सुविधा उपलब्ध कराना।

(ग) इससे आजादपुर फल एवं सब्जी बाजार की गतिविधियां विकेन्द्रीकृत होंगी।

(घ) कोंडली में प्रस्तावित फल एवं सब्जी बाजार में आवंटन की पद्धति बाबत निर्णय वहां मार्किट बनने के बाद ही लिया जाएगा।

[अनुवाद]

परमाणु विद्युत संयंत्र

1192. **श्री सुधीर सावंत :**
श्री नारायण सिंह चौधरी :
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक परमाणु विद्युत संयंत्र की कुल अधिष्ठापित क्षमता तथा उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन संयंत्रों, में कितनी विद्युत का वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) इस संयंत्रों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितना विद्युत उत्पादन होने का अनुमान है; और

(घ) क्या इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत अन्य स्रोतों द्वारा उत्पादित विद्युत की तुलना में सस्ती है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) तथा (ख). देश में स्थापित प्रत्येक परमाणु बिजलीघर की इस समय निर्धारित कुल स्थापित क्षमता और उसकी तुलना में उनके वास्तविक उत्पादन तथा क्षमता गुणक वर्ष 1991–92, 1992–93 तथा 1993–94 के संदर्भ में नीचे दिए गए हैं :

परमाणु बिजलीघर	स्थापित क्षमता (मेगावाट)	वास्तविक उत्पादन (मिलियिन यूनिट)			क्षमता गुणक (%)		
		91–92	92–93	93–94	91–92	92–93	93–94
तारापुर–1	160	745	1147	898	53.02	81.79	64.05
तारापुर–2	160	966	788	925	68.69	56.24	66.00
राजस्थान–1	100	123	133	163	7.37	15.16	18.58
राजस्थान–2	200	1062	925	1097	60.47	52.80	62.64
मद्रास–1	220	869	1191	373	42.75	61.80	19.35
मद्रास–2	220	1292	787	1015	63.58	40.83	52.69
नरोरा–1	220	532	1031	–*	26.17	53.51	–*
नरोरा–2	220	–**	649	335	–**	44.81	17.36
ककरापार–1	220	–***	–***	621	–***	–***	36.00
	1720	5589	6651	5427	51	55	38

* नरोरा–1 को वर्ष 1993–94 के दौरान आग लगने की घटना के बाद बंद कर दिया गया था।

** नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना–2 ने जुलाई, 1992 से वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू किया।

*** ककरापार–1 ने मई, 1993 से वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू किया।

(ग) आशा है कि परमाणु बिजली के उत्पादन की कुल 2600 मेगावाट संचयी स्थापित क्षमता आठवीं पंचवर्षीय योजना–अवधि के अंत तक हासिल कर ली जाएगी। वर्ष 1996–97 के दौरान 9.5 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन होने की आशा है।

(घ) परमाणु बिजलीघरों से उत्पादित बिजली का शुल्क उस क्षेत्र में स्थापित उन ताप बिजलीघरों जो कोयले को ईंधन के रूप में काम में लाते हैं, के द्वारा उत्पादित बिजली की तुलना में सामान्यतः कम होता है।

भूमिहीनों को भूखण्डों का आबंटन

1193. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 के दशक के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में अनुसूचित जातियों के भूमिहीन व्यक्तियों को कितने भूखण्ड आबंटित किए गए;

(ख) कितने व्यक्तियों को अभी तक कब्जे नहीं दिए गए हैं;

(ग) इन आबंटियों को अब तक भूखण्डों पर कब्जा नहीं देने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने आंबटियों और आबंटन के लिए विकसित/निर्धारित भूखंडों की प्रामाणिक सूची तैयार कर ली है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 1980–90 के दौरान दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लोगों को कुल 28,397 भूखण्ड आबंटित किये गये थे। अनुसूचित जाति के लोगों को किए गए आबंटन बाबत सूचना अलग से नहीं रखी गई।

(ख) अनेक मामलों में भूखण्डों का वास्तविक कब्जा नहीं दिया गया है। इस सम्बन्ध में चूंकि शिकायतें समय–समय पर प्राप्त हो रही हैं इस बाबत बिलकुल सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अनेक आबंटियों को विभिन्न प्रकार के विवादों के कारण कब्जा नहीं दिया जा सका।

(घ) और (ङ). राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने, इस मामले की जांच करने हेतु एक जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव किया है।

केन्द्रीय भण्डार

1194. श्री सोमजीभाई डामोर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991–92, 1992–93 और 1993–94 के लिए केन्द्रीय भण्डारों का केन्द्रीय भण्डार–वार वास्तविक योजना परिव्यय कितना है;

(ख) उपरोक्त अवधि के लिए प्रत्येक मामले में वास्तविक और संशोधित योजना परिव्यय कितना है;

(ग) 1994–95 के लिए केन्द्रीय भण्डारों का प्रस्तावित योजना परिव्यय कितना है;

(घ) 1993–94 के लिए संशोधित परिव्यय और 1994–95 के लिए प्रस्तावित परिव्यय के बीच केन्द्रीय भण्डार–वार आंतरिक–वार्षिक अंतर कितना है; और

(ङ) इतने अधिक अंतर के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा): (क) से (ङ). सरकार द्वारा केन्द्रीय भण्डार के लिए वर्ष 1991–92 से लेकर 1994–95 तक कोई योजना परिव्यय नहीं दिया गया। अतएव यह सूचना "शून्य" है।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र

1195. श्री गुमान मल लोढा :
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र में लगातार कमी आती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1950 में देश में प्रति व्यक्ति भूमि क्षेत्र कितना था और 1990 में प्रति व्यक्ति अनुमानित भू–क्षेत्र कितना था;

(ग) क्या सरकार का विचार भूमि की उपलब्धता में हो रही निरंतर कमी को ध्यान में रखते हुए भावी विकास योजनाओं के लिए भूमि के अधिकतम उपयोग हेतु कोई व्यापक अध्ययन कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा, भूमि की उपलब्धता की घटती हुई इस प्रवृति पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय किए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, हां। जैसाकि कृषि तथा सहकारी विभाग ने बताया है, भूमि की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1951 के दौरान 0.9 हैक्टेयर थी जो घटकर 1991 के दौरान 0.4 हैक्टेयर रह गयी।

(ग) और (घ). कृषि मंत्रालय के राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड ने देश के भू–संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग और प्रबंध के लिए राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति संबंधी रूपरेखा और कार्य मदें तैयार की हैं। राष्ट्रीय भूमि उपयोग नीति संबंधी रूपरेखाओं का अनुमोदन राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा बंजर भूमि विकास परिषद (एन एल डब्ल्यू सी) द्वारा 6.2.86 को प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित अपनी बैठक में किया गया और इन्हें प्रयोग हेतु सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों को परिचालित

किया गया। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय भूमि उपयोग तथा संरक्षण बोर्ड ने संबंधित अंचलों यथा उत्तरवर्ती, पश्चिमवर्ती, मध्यमवर्ती, पूर्ववर्ती, दक्षिणवर्ती और पश्चिम अंचलों के प्रसिद्ध संस्थाओं/परामर्शदाताओं को आंचलिक आधार पर भूमिसंसाधनों के संरक्षण, विकास तथा प्रबंधन के लिए परिदृश्य योजना बनाने का भी कार्य सौंपा है। पूर्ववर्ती, दक्षिण तथा पश्चिमवर्ती अंचलो से रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं तथा तीन अंचलों से रिपोर्टों की अपेक्षा है।

जनसंख्या वृद्धि–दर में कमी के फलस्वरूप अंततोगत्वा भूमि पर दबाव में कमी आयेगी, जिसके लिए स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आवश्यक उपाय किये जाते हैं।

[अनुवाद]

विकिरण का प्रभाव

1196. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में कर्मचारियों पर विकिरण के प्रभाव की समीक्षा करने हेतु परमाणु ऊर्जा विनियामक बोर्ड ने कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी संरचना क्या है; और

(ग) यह समिति अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर देगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) से (ग). देश में विकिरण कार्यों से संबद्ध कर्मकारों पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की पुनरीक्षा करने के वास्ते परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ए ई आर बी) ने एक शिखर समिति गठित की है। इस समिति का कार्य निरंतर चलने वाले स्वरूप का है। इस समिति की बैठकें आवधिक तौर पर होती हैं और ये समय–समय पर सिफारिशें करती हैं। इस समिति का गठन निम्नानुसार है :

डा. एस.एस. रामास्वामी, भूतपूर्व महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा एवं श्रम संस्थान तथा इस समय परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के सदस्य–अध्यक्ष।

अन्य सदस्य निम्नलिखित हैं :

डा. अरविंद कुलकर्णी, विकिरण अर्बुदविद, बम्बई अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।

डा. रवि रामाकांथन, प्रोफैसर तथा अध्यक्ष, विकिरण चिकित्सा विज्ञान, के.ई.एम. अस्पताल, बम्बई।

श्री जी. वैद्यानाथन, उप–महानिदेशक, कारखाना परामर्श सेवा निदेशालय तथा श्रम संस्थान, बम्बई।

डा. अभिजीत गंगोपाध्याय, प्रोफैसर तथा अध्यक्ष, कार्मिक प्रबन्धन तथा औद्योगिक सम्पर्क विभाग, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई।

श्री एस. कृष्णामणि, अध्यक्ष, स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।

डा. जी.के. अय्यर, प्रभारी, व्यावसायिक स्वास्थ्य यूनिट, चिकित्सा प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।

डा. के.एस. पार्थसारथी, सचिव, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड, बम्बई।

डा. जी. वेंकटरमण, अध्यक्ष, विकिरण संरक्षा सेवा प्रभाग, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई।

[हिन्दी]

अप्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1197. **श्री तेज नारायण सिंह :**
श्री राजेश कुमार :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993–94 के दौरान आज तक विदेशी कम्पनियों तथा अप्रवासी भारतीयों द्वारा कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया, और

(ख) किन–किन उद्योगों में अप्रवासी भारतीयों तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के 509 अथवा अधिक इक्विटी शेयर हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). जनवरी, 1993 से अक्तूबर, 1994 की अवधि के दौरान, अनिवासी भारतीय निवेश सहित 19604.36 करोड़ रू. के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मंजूरी दी गई है। जिन क्षेत्रों में 50 प्रतिशत या उससे अधिक विदेशी इक्विटी शामिल है वे इस प्रकार हैं, धातुकर्मी उद्योग, इलैक्ट्रॉनिक्स उपकरण, इलैक्ट्रॉनिक्स, होटल एवं पर्यटन संबंधी उद्योग, औद्योगिक मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण, औषध एवं भेषज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, विद्युत इत्यादि।

लघु एवं कुटीर उद्योग

1198. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा वस्तुओं का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ख) वर्तमान में इन उद्योगों में कितने व्यक्ति कार्यरत हैं;

(ग) इन क्षेत्रों के द्रुत विकास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन उद्योगों को कितनी राशि दी गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (घ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

कैगा विद्युत परियोजना में अग्निकांड

1199. श्री के.जी. शिवप्पा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैगा न्यूक्लियर पावर प्रोजैक्ट के रिएक्टर संख्या दो में 31 मई, 1994 को 2 बजे मध्याहन पश्चात् को सेंटरिंग कार्य में पैकिंग के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्लाईवुड में आग लग गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह कैगा विद्युत परियोजना में हाल ही में हुई दूसरी अग्निकांड की घटना है;

(घ) यदि हां, तो पहला अग्निकांड कब हुआ; और

(ङ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख). रिएक्टर भवन–2 में सेन्टरिंग के लिए जो प्लाईवुड उपयोग में लाई गई थी उसमें वेल्डिंग की चिनगारियों के कारण आग लग गई थी। इस मामूली किस्म की आग का पता 31–5–94 को प्रातः लगभग 3 बजकर 10 मिनट के आसपास लगा और इसे कैगा परियोजना के अग्निशमन कर्मचारियों की सहायता से आधे घंटे के भीतर बुझा दिया गया। इस घटना की वजह से न तो जान–माल की कोई क्षति हुई और न ही किसी भवन संरचना को कोई नुकसान पहुंचा।

(ग) और (घ). 31–5–94 को आग लगने की जो घटना घटित हुई वह संयंत्र के निर्माणाधीन भवनों के भीतर घटित होने वाली पहली घटना थी। तथापि, भवनों के बाहर घास, अपशिष्ट रूई आदि में आग लगने की कुछ मामूली सी घटनाएं हुई थीं। इन आगों को बिना किसी दुष्परिणामों के तत्काल बुझा लिया गया था।

(ङ) कैगा परियोजना में पर्याप्त अग्निशमन सुविधा जैसेकि दो अग्निशमन गाड़ियां, लगभग 40 कार्मिकों के अग्निशमन दल और अन्य आवश्यक अग्निशमन उपस्कर की पूर्णरूप से व्यवस्था की हुई है। आग लगने की सभी घटनाओं, जिनमें छुटपुट घटनाएं भी शामिल हैं, का विश्लेषण और निवारक कार्रवाई इस प्रयोजन के लिए कैगा परियोजना में गठित की गई समिति द्वारा किए जाते हैं।

[हिन्दी]

भारत-पाक सीमा पर गोलीबारी

1200. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल :
श्री ब्रह्मानंद मंडल :
श्री पंकज चौधरी :
श्री जनार्दन मिश्र :
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विभिन्न स्थानों पर गोलीबारी की घटनाएं दिनों–दिन बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान प्रत्येक घटना के परिणामस्वरूप जानमाल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या सीमा–क्षेत्र में रहने वाले किसान इन घटनाओं के कारण खेती नहीं कर पाते;

(घ) क्या इन किसानों की सहायता हेतु केन्द्रीय सरकार किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इन घटनाओं के संबंध में पाकिस्तान सरकार से विरोध प्रकट किया गया है; और

(छ) यदि हां, तो इस पर पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ङ). जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा के आसपास के स्थानों में पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी किया जाना एक निरंतर घटना बन गयी है। पिछले छः महीनों में इस प्रकार की घटनाओं की संख्या सामान्यतया एक जैसी ही बनी रही है। पाकिस्तानी गोलीबारी से होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमारी सेना द्वारा पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। इन घटनाओं में कुछ सिविलियन और हमारे सैनिक हताहत हुए हैं। इस प्रकार की गोलीबारी से कई बार सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का सामान्य जीवन भी प्रभावित होता है।

(च) और (छ). सरकार हमारी सुरक्षा तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाली इस प्रकार की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखती है। अधिकतर घटनाओं पर दोनों देशों के समकक्ष फील्ड कमांडरों के बीच होने वाली ध्वज बैठकों में विचार–विमर्श किया जाता है। इनमें से कुछ घटनाओं पर भारत और पाकिस्तान के सैन्य संक्रिया महानिदेशकों के बीच होने वाली साप्ताहिक टेलीफोन वार्तालाप के दौरान विचार–विमर्श किया जाता है। कभी–कभी बड़ी घटनाओं का मुद्दा राजनयिक स्तर पर उठाया जाता है।

बिहार में विकास केन्द्र

1201. श्री लाल बाबू राय : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार सरकार द्वारा राज्य में विकास केन्द्रों के विकास हेतु प्रस्तुत की गई परियोजना रिपोर्ट के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इनको कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी तथा इनके लिए धन कब तक मंजूर किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) बिहार राज्य की परियोजनाएं मूल्यांकन हेतु वित्तीय संस्थान के विचाराधीन हैं।

(घ) केन्द्र सरकार, बिहार की परियोजनाओं का शीघ्र मूल्यांकन करने हेतु वित्तीय संस्थान पर दबाव डाल रही है।

रसायनिक विस्फोट

1202. **श्री बारे लाल जाटव :**
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :
श्री आनन्द अहिरवार :

क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 29 अक्तूबर, 1994 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "केमिकल ब्लास्ट किल्स सिक्स इन फेपिटल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसी कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा इनकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

नेशनल इन्फार्मेटिक सैन्टर नेटवर्क

1203. **श्री शरत पटनायक** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में निजी प्रयोक्ताओं को नेशनल इन्फार्मेटिक सेंटर नेटवर्क का उपयोग करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम रूप से तैयार योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र नैटवर्क (निकनेट) के प्रयोग के लिए निजी प्रयोक्ताओं द्वारा अब तक किसी स्कीम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

रेनीटिडाइन का मूल्य

1204. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अल्सर के उपचार हेतु उपयोगी रेनीटिडाइन नामक औषधि के मूल्य में कमी करने की घोषणा की है;

(ख) क्या बहुराष्ट्रीय फार्मास्युटिकल कंपनी के हस्तक्षेप के कारण औषधि के मूल्य में उक्त कमी को लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ग) रेनीटिडाइन के मूल्यों में कमी को कब तक लागू किया जाएगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य स्वंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग). प्रपुंज औषध रेनिटिडाइन पर आधारित सूत्रयोगों की अधिकतम कीमते निम्न प्रकार से संशोधित की गई हैं :–

क्र.सं.	सूत्रयोग का नाम	पूर्व कीमत (20–6–88) (रू.)	वर्तमान कीमत (6–7–94) (रू.)
1.	रेनिटिडाइन एच.सी.एल. टिकियां 150 मिग्रा. (10 का पत्ता)	17.44	9.04
2.	रेनिटिडाइन एच.सी.एल.टिकियां 300 मिग्रा. (10 का पत्ता)	33.84	16.64
3.	रेनिटिडाइन एच.सी.एल. इन्जे. 25 मिग्रा./मि.लि. (5×2 मि.लि. एम्प.)		9.98 (नई)

सरकारी क्वार्टरों का निर्माण

1205. **श्री एन.जे. राठवा :**
श्री अन्ना जोशी :
डा. लाल बहादुर रावल :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों के लिए क्वार्टरों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्माण कार्य की निगरानी उप–खण्ड स्तर पर की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कितने उप–खण्ड हैं और इन उप–खण्डों का नियंत्रण प्राधिकारी कौन है;

(ङ) प्रत्येक उप–खण्ड को ऐसे निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई;

(च) क्या इस कार्य की निगरानी के संबंध में अधिकारियों में मतभेद है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (छ). सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करना

1207. श्री मोहन रावले :
श्री राम विलास पासवान :
श्री श्रीकान्त जेना :
श्री स्नत कुमार मंडल :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में भीड़–भाड़ कम करने के लिए सरकारी क्षेत्र के कतिपय उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों और सरकारी कार्यालयों के क्या नाम हैं जिन्हें स्थानान्तरित कर दिया गया है अथवा करने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन शेष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यालयों को कब तक स्थानान्तरित कर दिया जायेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम और सरकारी कार्यालय, जो अभी तक बाहर स्थानान्तरित हो गये हैं और स्थानान्तरित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं, के नाम क्रमशः संलग्न विवरण–I और II में दिए गए हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/कार्यालयों का वास्तविक स्थानान्तरण भूमि की उपलब्धता, भवनों का निर्माण, आदि जैसे बहुत से निर्धारक कारकों पर निर्भर करता है। इसे देखते हुए, बकाया सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सरकारी कार्यालयों के वास्तविक स्थानान्तर के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

विवरण–I

ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सरकारी कार्यालयों के नाम, जो दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित हो गए हैं :

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

1. मै. पीराइट्स, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड
2. मै. पारादीप फास्फेट्स लिमिटेड
3. मैं. इण्डो–वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड (केमिकल डिवीजन)
4. नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड (राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि. के नाम से पुनः नामकृत)

सरकारी कार्यालय

1. पोस्टल स्टाफ कालिज
2. नेशनल लेबर इन्स्टीट्यूट
3. राष्ट्रीय महिला व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

विवरण-II

ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सरकारी कार्यालयों के नाम, जो दिल्ली के बाहर स्थानान्तरित किए जाने हेतु प्रस्तावित हैं :–

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
2. स्टेट फार्मस् कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3. सेन्टर वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
4. भारतीय खाद्य निगम
5. हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंसी कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
6. भारतीय हेलीकाप्टर निगम
7. एयरलाइन्स एलाईड सर्विसेज लि.
8. भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण
9. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.
10. राष्ट्रीय उर्वरक निगम लि.
11. भारतीय उर्वरक निगम
12. हिन्दुस्तान उर्वरक निगम लि.
13. नेशनल हाइड्रो–इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन
14. राष्ट्रीय वस्त्र निगम (दिल्ली, पंजाब व राजस्थान) लि.
15. भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.
16. भारतीय खनिज एवं लौह धातु व्यापार निगम लि.
17. नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन लि.
18. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि.
19. भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि.
20. भारतीय सीमेंट निगम

सरकारी कार्यालय

1. तटरक्षक (मुख्यालय)
2. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, डाक विभाग
3. निरीक्षण निदेशालय, एन. आई. सर्किल
4. राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय
5. दीपाघर एवं दीपापोत विभाग
6. केन्द्रीय रोजगार सेवाएं अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, श्रम मंत्रालय
7. भुगतान आयुक्त, औद्योगिक विकास विभाग
8. प्रकाशन विभाग
9. के.लो.नि.वि. प्रशिक्षण संस्थान
10. नेशनल एकादमी ऑफ कस्टम्स, एक्साइज एण्ड नारकोटिक्स
11. अखिल भारतीय मृदा एवं भू-उपयोग सर्वेक्षण, कृषि एवं सहकारिता विभाग
12. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में छंटनी

1208. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक उपक्रम विभाग ने सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्यमों में कार्यरत कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में कोई नियम या दिशा-निर्देश तैयार किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पश्चिम बंगाल में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

1209. श्री बीर सिंह महतो :
श्री दिलीप सिंह भूरिया :
श्री अर्जुन सिंह यादव :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री हरि केवल प्रसाद :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा उपलब्धियों का राज्य-वार एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को गरीबी उन्मूलन के लिए कोई योजना पेश की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग). 1994-95 के दौरान मुख्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अर्थात् (1) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और उसकी उपयोजनाएं, ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) और ग्रामीण महिला एवं शिशु विकास योजना (डवाकरा) (2) जवाहर रोजगार योजना और इसकी उपयोजनाएं, इंदिरा आवास योजना और दस लाख कुओं की योजना (3) 120 पिछड़े जिलों में गहन जवाहर रोजगार योजना (4) देश के पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले खण्डों में सुनिश्चित रोजगार योजना विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

विवरण

जवाहर रोजगार योजना, गहन जवाहर रोजगार योजना और सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	जवाहर रोजगार योजना						गहन जवाहर रोजगार योजना	सुनिश्चित रोजगार योजना
		1991-92		1992-93		1993-94		1993-94	1993-94
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	रोजगार सृजन	रोजगार सृजन
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	आंध्र प्रदेश	698.88	680.41	659.76	677.93	1025.61	903.06	125.84	62.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.47	6.57	10.01	6.52	10.01	4.85	0.00	3.64
3.	असम	100.94	124.02	119.72	109.72	228.90	278.24	0.00	31.75
4.	बिहार	893.77	847.68	937.94	1036.16	1467.71	1321.64	153.21	31.44
5.	गोवा	10.96	9.56	8.36	8.12	10.12	8.53	0.00	0.00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
6.	गुजरात	244.25	254.13	236.73	235.03	211.40	210.55	22.09	6.75
7.	हरियाणा	37.67	37.49	33.71	32.63	38.64	33.29	0.00	15.20
8.	हिमाचल प्रदेश	30.47	34.16	29.77	26.16	33.73	34.54	0.00	0.05
9.	जम्मू व कश्मीर	95.88	60.37	62.87	43.01	72.75	27.60	3.44	3.46
10.	कर्नाटक	418.36	401.64	441.08	418.29	718.01	588.64	62.66	32.12
11.	केरल	138.98	177.08	138.63	134.54	113.47	120.43	0.00	2.60
12.	मध्य प्रदेश	812.43	945.39	643.77	709.66	766.00	769.25	79.99	51.26
13.	महाराष्ट्र	654.72	771.64	838.77	823.53	1378.27	1129.94	53.56	31.53
14.	मणिपुर	3.87	5.11	9.84	5.23	14.84	6.68	0.00	3.06
15.	मेघालय	23.07	12.02	11.61	8.90	16.89	9.55	0.00	0.00
16.	मिजोरम	3.71	5.95	4.37	4.78	5.24	6.32	0.00	8.52
17.	नागालैंड	21.71	27.92	20.74	15.47	14.74	16.02	0.00	33.92
18.	उड़ीसा	300.09	348.86	306.52	326.39	557.70	479.07	43.87	31.43
19.	पंजाब	29.42	19.76	24.67	31.78	29.93	38.57	0.00	0.00
20.	राजस्थान	242.64	387.63	340.62	339.09	426.66	403.13	47.24	50.00
21.	सिक्किम	9.58	13.62	6.66	13.42	8.19	10.14	0.00	0.82
22.	तमिलनाडु	521.03	831.73	671.94	767.86	853.62	855.02	26.08	10.96
23.	त्रिपुरा	19.02	20.71	18.10	13.94	22.04	23.41	0.00	16.14
24.	उत्तर प्रदेश	1472.69	1562.14	1389.00	1496.29	1779.57	179.18	51.98	15.00
25.	पश्चिम बंगाल	544.08	491.99	557.24	525.55	563.81	495.18	38.38	52.53
26.	अंडमान व निकोबार	2.68	2.18	4.47	1.71	3.27	1.81	0.00	0.10
27.	दादर व नगर हवेली	3.51	3.94	3.55	2.70	2.73	2.34	0.00	0.04
28.	दमन व दीव	1.45	0.88	1.63	0.12	1.63	0.59	0.00	0.04
29.	लक्षद्वीप	2.64	2.23	2.55	2.68	2.62	2.21	0.00	0.00
30.	पांडिचेरी	3.37	5.20	3.32	3.81	5.16	4.27	0.00	0.00
	कुल	7354.35	8092.01	7537.95	7821.02	10383.76	9523.45	713.36	494.74

नोट : (I) गहन जवाहर रोजगार योजना 1993–94 की दूसरी छमाही से देश के 12 राज्यों के 120 पिछड़े जिलों में कार्यान्वित की जा रही है। इसलिए 1993–94 के लिए गहन जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए थे।

(II) सुनिश्चित रोजगार योजना जिसे 1993–94 की दूसरी छमाही से कार्यान्वित किया जा रहा है, इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उन सभी लोगों जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है और जो काम करना चाहते हैं, को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया जाता है। चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना रोजगार की मांग पर आधारित कार्यक्रम है इसलिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भौतिक लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1.	आंध्र प्रदेश	165680	138079	204024
2.	अरूणाचल प्रदेश	15022	12519	16630
3.	असम	45249	37711	67158
4.	बिहार	331578	276337	387248
5.	गोवा	3129	2608	3446
6.	गुजरात	68227	56861	74909
7.	हरियाणा	16326	13606	17989
8.	हिमाचल प्रदेश	5845	4871	5863
9.	जम्मू व कश्मीर	8163	6803	11193
10.	कर्नाटक	103701	86425	136981
11.	केरल	56335	46950	49836
12.	मध्य प्रदेश	219698	183097	258521
13.	महाराष्ट्र	177472	147906	222394
14.	मणिपुर	1310	1092	4848
15.	मेघालय	3930	3275	4655
16.	मिजोरम	6259	5216	6971
17.	नागालैंड	6572	5477	7273
18.	उड़ीसा	108539	90457	165479
19.	पंजाब	13806	11507	12792
20.	राजस्थान	105818	88189	107400
21.	सिक्किम	1251	1043	1352
22.	तमिलनाडु	148749	123969	184436
23.	त्रिपुरा	4635	3863	15000
24.	उत्तर प्रदेश	443427	369554	416354
25.	पश्चिम बंगाल	185332	154457	182836
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1564	1304	1726
27.	चण्डीगढ	–	–	–
28.	दादर व नगर हवेली	312	261	372
29.	दिल्ली	1554	–	–
30.	दमन व द्वीव	625	522	690
31.	लक्षद्वीप	150	133	159
32.	पांडिचेरी	1251	1043	1407
	अखिल भारत	2251519	1875135	2569942

1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान लाभान्वित परिवारों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1991–92	1992–93	1993–94
1.	आंध्र प्रदेश	222848	179038	259097
2.	अरूणाचल प्रदेश	10888	13642	15207
3.	असम	46416	40204	63381
4.	बिहार	336972	264252	335908
5.	गोवा	2989	2456	3452
6.	गुजरात	72326	61842	79725
7.	हरियाणा	24756	23349	34026
8.	हिमाचल प्रदेश	11819	6956	9128
9.	जम्मू व कश्मीर	13581	7331	7408
10.	कर्नाटक	108841	103856	132361
11.	केरल	57562	50517	53698
12.	मध्य प्रदेश	294810	184083	242673
13.	महाराष्ट्र	197967	177651	217671
14.	मणिपुर	4908	3158	6333
15.	मेघालय	2874	3011	2635
16.	मिजोरम	2811	3474	4684
17.	नागालैंड	5442	3996	5489
18.	उड़ीसा	111712	93226	160000
19.	पंजाब	27453	25248	33736
20.	राजस्थान	131986	101366	116567
21.	सिक्किम	1610	1142	1218
22.	तमिलनाडु	161603	144986	214888
23.	त्रिपुरा	16343	11414	16297
24.	उत्तर प्रदेश	462259	387961	445403
25.	पश्चिम बंगाल	201476	171695	73818
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	1502	895	1171
27.	चण्डीगढ़	–	–	–
28.	दादर व नगर हवेली	313	300	372
29.	दिल्ली	550	–	–
30.	दमन व दीव	482	524	507
31.	लक्षद्वीप	124	156	81
32.	पांडिचेरी	1343	1043	1407
	अखिल भारत	2536566	2068773	2539441

[अनुवाद]

क्षेत्रीय असंतुलन

1210. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री रामचन्द्र वीरप्पा :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या योजना आयोग का विचार क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने का है; और

(ख) योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावित योजनाओं/प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र आदि जैसे कार्यक्रमों के लिए जो इन क्षेत्रों की विशेष समस्याओं के लिए अभिप्रेत है, विशेष केन्द्रीय सहायता के माध्यम से क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याओं से निपटने के लिए राज्यों की सहायता करती है। इसके अलावा राज्यों की वार्षिक योजनाओं हेतु दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के संबंध में उपयोग में लाये जा रहे फार्मूले में पिछड़ेपन को सम्यक अधिभार दिया जाता है।

औषधियों पर लेवी

1211. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार देश में कुछ औषधियों के उत्पादन मूल्य पर एक प्रतिशत लेवी कर लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार वसूल किए गए राजस्व का उपयोग औषधि निर्माण क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने पर किया जाएगा;

(ग) क्या सरकार ने रसायन विभाग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है; और

(घ) यदि, हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ). सितम्बर, 1994 में घोषित "औषध नीति, 1986 में संशोधन" के अनुसार सरकार ने जी एम पी सहित औषध निमंत्रण पद्धति को सुदृढ़ बनाने के लिए और अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए औषधों और भेषजों के उत्पादन पर 1 प्रतिशत उप-कर कानून के माध्यम से लगाने का प्रस्ताव किया है, जिसके ब्यौरे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार किये जा रहे हैं।

उर्वरकों का उत्पादन

1212. श्री गोपी नाथ गजपति : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में निर्धारित तथा प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) विभिन्न किस्म के उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के मुताबिक आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष (1996–97) में पोषकों के रूप में नाइट्रोजनी और फास्फेटिक उर्वरकों का अनुमानित उत्पादन क्रमशः 98 लाख टन और 30 लाख टन सूचित किया गया है। इसकी तुलना में 1993–94 (अर्थात् आठवीं योजना के दूसरे वर्ष) में वास्तविक उत्पादन 72.31 लाख टन नाइट्रोजन और 18.16 लाख टन फास्फेट था। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि फास्फेट का उत्पादन 1991–92 में 25.62 लाख टन बढ़ गया था किन्तु फास्फेटिक उर्वरकों के अनियंत्रण के पश्चात् कम उठान के कारण बाद में कम हो गया।

14.34 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष नाइट्रोजन की अतिरिक्त क्षमता इस समय कार्यान्वयनाधीन है और अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवधिक ऋणों पर ब्याज की रियायती दर और नए संयंत्र स्थापित करने तथा चालू संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर सीमा शुल्क की समाप्ति को मंजूरी प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु और हथकरघा उद्योग

1213. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लघु और हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहन देकर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में कितने लघु और हथकरघा उद्योगों का पंजीकरण किया गया है; और

(घ) इन उद्योगों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा कितना पूंजी निवेश किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं। तथापि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, के.वी.आई.सी. अधिनियम में अधिसूचित 96 ग्रामोद्योगों के संबंध में देशभर में खादी तथा ग्रामोद्योग कार्यक्रम कार्यान्वित करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन करने के उद्देश्य से सामान्य कार्यक्रमों के अलावा

के.वी.आई.सी. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए आठवीं योजना के दौरान देश में 50 जिलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 5.0 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 125 ब्लाक विकास कार्यक्रम भी शुरू किए हैं, जिससे आठवीं योजना में 1.25 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

भोपाल गैस पीड़ित

1214. श्री अमल दत्त :
श्री अजय मुखोपाध्याय :
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवंबर, 1994 तक भोपाल में यूनियन कार्बाइड त्रासदी के कितने पीड़ितों/आश्रितों को मुआवजा दिया गया;

(ख) क्या दावों को अभी भी निपटाना बाकी है;

(ग) उनके दावों को निपटाने में विलंब करने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन दावों को पूरी तरह निपटाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30.11.94 तक 1,23,876 मुआवजा मामलों पर निर्णय ले लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) पीड़ितों के मामलों को निपटाने में मुख्य बाधा यह है कि अपेक्षित संख्या में न्यायाधीश उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) शेष दावों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) चूंकि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपेक्षित संख्या में न्यायिक अधिकारी उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, अतः कल्याण आयुक्त को 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ताओं को भर्ती करने की अनुमति दी गई है जो उपायुक्तों का कार्य करेंगे।

(2) उच्चतम न्यायालय के सेवा–निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री एन.एम. कसलीवाल की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समन्वय समिति मामलों के शीघ्र निपटान हेतु अर्थोपाय सुझाने के उद्देश्य से गठित की गई है। मामलों को निपटाने पर कड़ी निगरानी तथा कल्याण आयुक्त से नियमित संपर्क किया जाता है ताकि मामलों को निपटाने में उनके सम्मुख आ रही किसी प्रकार की बाधा को दूर किया जा सके।

उर्वरकों पर राजसहायता

1215. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री ए. चार्ल्स :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उर्वरकों पर राजसहायता में वृद्धि करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) 1991–92 से 1993–94 तक उर्वरक उद्योग को कितनी राजसहायता दी गई तथा 1994–95 के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या वास्तविक लाभभोक्ताओं को राजसहायता का लाभ मिल रहा है या नहीं, यह पता लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इस समय इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) वर्ष 1991–92 से 1993–94 की अवधि के दौरान स्वदेशी उर्वरकों पर दी गई राजसहायता राशि और 1994–95 के लिए आवंटन निम्नानुसार है :—

वर्ष		दी गयी राजसहायता (रू./करोड़)
1991–92	–	3500
1992–93	–	4800
1993–94	–	3800
1994–95 (बजट अनंतिम)	–	3500

(ग) और (घ). सरकार ने इस तरह का कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, स्वदेशी नियंत्रित उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य–सह–राजसहायता योजना (आर पी एस) के अधीन सरकार द्वारा मूल्यांकित उत्पादन की लागत और किसानों को निर्धारित जारी मूल्य के बीच का अन्तर सरकार द्वारा राजसहायता के रूप में दिया जाता है। योजना की प्रकृति चाहे जो भी है, राजसहायता का लाभ किसानों को मिलता है क्योंकि प्रतिधारण मूल्य–सह–राजसहायता योजना की अनुपस्थिति में नियंत्रित उर्वरकों के बाजार मूल्य अपेक्षाकृत उच्च होते हैं।

पनानगुडी थिरूमरूगल में विकास केन्द्र

1216. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में पनानगुडी थिरूमरूगल विकास केन्द्र परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु में प्रत्येक विकास केन्द्र के विकास हेतु अब तक कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) शीर्ष समिति ने पनानगुडी थिरूमरूगल विकास केन्द्र संबंधी परियोजना रिपोर्ट पर 2.12.94 को विचार किया और यह निर्णय लिया गया था कि अंतिम अनुमोदन देने से पूर्व राज्य सरकार से कुछ स्पष्टीकरण की जरूरत है। राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।

(ख) अब तक, तमिलनाडु के लिए अनुमोदित दो विकास केन्द्रों अर्थात् इरोड और तिरूनेलवेली (गंगई कोंडन नानून् ब्लाक) के लिए भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के रूप में क्रमशः 1.5 करोड़ रू. और 2.00 करोड़ रू. की राशि जारी की गयी है।

कम्प्यूटर केन्द्र

1217. डा. साक्षीजी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कार्यरत कम्प्यूटर केन्द्रों का राज्य–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में नए कम्प्यूटर केन्द्रों की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (ग). सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयुध कारखानों की अप्रयुक्त क्षमता

1218. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 अक्तूबर, 1994 के "स्टेट्समैन" में "आर्डनेंस फेसिलिटीस लाई अनयूस्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न कारखानों में अतिरिक्त आयुध सुविधाएं अप्रयुक्त पड़ी हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). 155 मि.मी. तोप के गोला–बारूद का उत्पादन देश में ही शुरू कर दिया गया है।

तटीय पट्टी की सुरक्षा

1219. श्री हरिभाई पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय पट्टी की सुरक्षा हेतु कोई नई नीति तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ और अन्य तटीय पट्टी वाले क्षेत्रों को कोई विशेष सुरक्षा दर्जा प्रदान किया गया है;

(घ) क्या इस वर्ष इस पट्टी से राज्य में आतंकवादियों की घुसपैठ की किन्हीं घटनाओं की खबर मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) तटीय क्षेत्र की गश्त लगाने की मौजूदा प्रणाली में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य में आतंकवादियों की घुसपैठ का कोई मामला भारतीय नौसेना और तटरक्षक की जानकारी में नहीं आया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए महाराष्ट्र को धन

1220. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से महाराष्ट्र में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले एककों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई;

(ख) आठवी पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई और इस संबंध में क्या लक्ष्य तय किए गए; और

(ग) राज्य में इन अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से विद्युत के कितने उत्पादन की सम्भावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में विभिन्न इकाइयों/संगठनों/संस्थाओं को लगभग 38.22 करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध की गई है।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के कार्यक्रमों के लिए धनराशियां वर्ष–प्रति–वर्ष के आधार पर विभिन्न कार्यक्रमों के वित्तीय मानदण्डों के अनुसार राज्यों को प्रदान की जाती है। पूरी योजना अवधि के लिए राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में संचयी संस्थापित क्षमता/अपारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों की संख्या/संस्थापित इकाइयों संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र राज्य में संस्थापित नई और अक्षय ऊर्जा प्रणालियों की संख्या (संचयी)

क्र.सं.	एन.आर.एस.ई. प्रणालियां	संस्थापना
1.	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	5,36,000
2.	सी.बी.पी./आई.बी.पी.	197
3.	उन्नत चूल्हा	11,75,811
4.	बायोमास गैसीफायर	305 (2 मेवा)
5.	सौर जल ताप्न प्रणालियां और अन्य सौर तापीय प्रणालियां	25793 वर्ग मी.
6.	सौर कुकर	40557
7.	पवन विद्युत	2.6 मेवा
8.	छोटी पन–बिजली परियोजनाएं	3.58 मेवा
9.	एस.पी.वी. सड़क रोशनी	2892
10.	एस.पी.वी. घरेलू रोशनी	69
11.	एस.पी.वी. सामुदायिक टेलीविजन	64
12.	एस.पी.वी. जल पम्प	102
13.	सौर लालटेन	2800
14.	एस.पी.वी. विद्युत संयंत्र	3 (6.4 कि.वा.)
15.	छोटी बैटरी चार्जिंग प्रणालियां	8 कि.वा.
16.	पवन पम्पन प्रणालियां (संख्या)	11
17.	बैटरी चालित गाड़ियां	3

[अनुवाद]

नई औद्योगिक नीति

1221. **श्री एन. डेनिस** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की नई औद्योगिक नीति पर सहमति हो गई है और इसे सभी राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिया है और लागू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) वे कौन से राज्य हैं जिन्होंने नई औद्योगिक नीति को स्वीकार नहीं किया है या इसे लागू नहीं किया है; और

(घ) इस नीति के वे कौन से मुद्दे हैं जो इन राज्यों को स्वीकार्य नहीं हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). केन्द्र सरकार की औद्योगिक नीति संपूर्ण देश के लिए लागू है। अधिकतर राज्यों ने नयी औद्योगिक नीति के भीतर राज्यों में औद्योगिक एककों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए प्रोत्साहन/रियायतें मंजूर करने संबंधी अपनी–अपनी नीतियां तैयार करके पहले से कार्रवाई कर दी है।

[हिन्दी]

सुपर कम्प्यूटर

1222. **श्री केशरी लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एक और कम्प्यूटर तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्य का कहां प्रदर्शन किया गया है; और

(ग) इससे क्या–क्या फायदे मिलेंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के अन्तर्गत उन्नत अभिकलन विकास केन्द्र (सी–डैक) नामक एक स्वायत्त संस्था ने दूसरी पीढ़ी के समानान्तर सुपर कम्प्यूटर परम 9000 का विकास किया है और 14–18 नवम्बर, 1994 के दौरान वाशिंगटन में आयोजित सुपर कम्प्यूटिंग, 94 प्रदर्शनी में इसका प्रदर्शन किया गया।

(ग) इस सुपर श्रेणी के कम्प्यूटरों के अनुप्रयोगों में मौसम का पूर्वानुमान, सदूर संवेदन उपग्रहों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का संसाधन, उन्नत हवाई जहाजों का डिजाइन, अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण वाहनों का सिमुलेशन, तेल की खोज के लिए भूकम्पीय डेटा संसाधन, तेल निकासी के लिए तैलाशयों की मॉडलिंग, औषधियों के तर्क–संगत डिजाइन, बड़े पैमाने के एकीकृत परिपथों का सिमुलेशन तथा अन्य वैज्ञानिक एवं इंजीनियरी अनुप्रयोग शामिल हैं।

[अनुवाद]

नियंत्रित औषधियां

1223. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषधि नीति में मूल्य नियंत्रित औषधियों की संख्या कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो औषधियों को मूल्य नियंत्रण से हटाने के मानदंड क्या हैं; और

(ग) औषधियों के मूल्य और उनकी आपूर्ति पर इस नियंत्रण को हटाने का समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). नया औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश जिसमें सरकार द्वारा सितम्बर, 1994 में घोषित किए गए "औषध नीति, 1986 में संशोधन" जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है, में दिए गए मापदंडों के अनुसार मूल्य नियंत्रण के अन्तर्गत औषधों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, को अभी अंतिम रूप दिया जाना है और अधिसूचित किया जाना है।

(ग) यह आशा की जाती है कि मूल्य नियंत्रण से बाहर रखी जाने वाली औषधों के मूल्यों में अचानक कोई वृद्धि नहीं होगी। फिर भी, सरकार आपूर्ति और मूल्य की स्थिति पर कड़ी नजर रखेगी और जब भी आवश्यक होगा, मूल्य नियंत्रण को फिर से लागू करने सहित सभी उपचारात्मक कदम उठाएगी।

उर्वरक संवर्द्धन और कृषि अनुसंधान प्रभाग

1224. डा. असीम बाला : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक संवर्द्धन और कृषि अनुसंधान प्रभाग को भारी वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की इस प्रभाग को कृषि के विकास हेतु और अधिक उपयोगी बनाने की योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख). यू.के. द्वारा सहायता प्राप्त इंडो–ब्रिटिश उर्वरक शिक्षण परियोजना जिसका कार्यान्वयन हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. के उर्वरक प्रवर्धन एवं कृषि अनुसंधान प्रभाग द्वारा किया जा रहा है, की पूर्णता के साथ इस प्रभाग के पास निधियों की कमी है। तथापि, इस समय एफपी एण्ड एआरडी की निधिगत आवश्यकताएं एच एफ सी के समग्र बजटीय आवंटन मे से पूरी की जा रही हैं।

(ग) और (घ). इस समय एफपी एण्ड एआरडी यू.के. द्वारा निधिकृत वर्षा पोषित कृषि परियोजना पश्चिम बंगाल, बिहार और उडीसा में निष्पादित कर रहा है जो एचएफसी के सामान्य विपणन कार्यों के अतिरिक्त है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास लंबित मामले

1225. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरूद्ध 30 नवम्बर, 1994 तक गत तीन वर्षों से लम्बित मामलों की संख्या क्या है;

(ख) इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) ये मामले कब तक निपटा दिए जाएंगे?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास दिनांक 30.11.1994 की स्थिति के अनुसार केवल 239 मामले लम्बित थे।

(ख) से (ग). केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यकरण स्वायत्त स्वरूप का है। इसलिए सरकार आयोग के कार्यकरण में हस्तक्षेप नहीं करती है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मुख्यालय

1226. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के अनेक उपक्रमों के अपने उत्पादन–एकक देश के विभिन्न स्थानों पर हैं किन्तु उनके मुख्यालय दिल्ली में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इससे इन उपक्रमों के प्रशासनिक कार्य में कार्यकुशलता तथा मुस्तैदी पर प्रभाव पड़ रहा है; और

(घ) इन उपक्रमों के मुख्यालयों को उनके उत्पादन के स्थानों पर स्थानान्तरित करने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ). सरकारी क्षेत्र के उन उत्पादकारी/विनिर्माणकारी उपक्रमों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं जिनके मुख्यालय दिल्ली में अवस्थित हैं परन्तु उत्पादन एकक देश के विभिन्न भागों में अवस्थित हैं। चूंकि उनके उत्पादन और प्रचालन सम्बन्धी कार्यकलाप देश के विभिन्न भागों में फैले हुये हैं, इसलिये यह वांछनीय समझा गया है कि उनके मुख्यालय ऐसे स्थान पर अवस्थित हों जहां से उन पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण रखा जा सके।

विवरण

क्र.सं.	उपक्रम का नाम
1	2
1.	भारत एल्युमिनियम कंपनी लि.
2.	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.
3.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
4.	भारतीय उर्वरक निगम लि.
5.	भारतीय गैस प्राधिकरण लि.

1	2
6.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपो. लि.
7.	हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लि.
8.	हिन्दुस्तान वेजीटेबल ऑयल कारपो. लि.
9.	इंडियन ऑयल कारपो. लि.
10.	इंटेलीजेंट कम्युनिकेशन सिस्टम इंडिया लि.
11.	माडर्न फूड इण्डस्ट्रीज इंडिया लि.
12.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.
13.	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपो. लि.
14.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
15.	नेशनल टेक्सटाईल कारपो. लि.
16.	नेशनल थर्मल पावर कारपो. लि.
17.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
18.	ऑयल इंडिया लि.
19.	ओएनजीसी (विदेश) लि.
20.	भारतीय राज्य फार्म निगम लि.
21.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग

1227. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 नवम्बर, 1994 के "इकोनामिक टाइम्स" (दिल्ली संस्करण) में "लिब्रलाइजेशन एडवर्सली अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आर्थिक उदारीकरण इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास में वृद्धि करने के मामले में लाभप्रद नहीं रहा है;

(ग) क्या नवम्बर, 1994 में नई दिल्ली में "इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव्स एण्ड औटोमेटम सिस्टम" के संबंध में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय विचार गोष्ठी में दिए गए सुझावों को देखते हुए सरकार का इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग संबंधी नीति की समीक्षा अथवा इसका पुनः समायोजन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ). उदारीकृत आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए उपायों/किए गए उपायों के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनिकी के उत्पादन में बढ़ोत्तरी हुई है। उत्पादन की दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग ने वर्ष 1991–92 के दौरान 11.0 प्रतिशत और वर्ष 1992–93 तथा वर्ष 1993–94 के दौरान 16.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के लिए शुल्क के ढांचे को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया जारी है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार

1228. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने अनुचित तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार व्यवहारों पर प्रभावी ढंग से नियंत्रण लगाने के लिए बदले हुए आर्थिक वातावरण से निपटने हेतु अधिक शक्तियां मांगी हैं;

(ख) यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने इस संबंध में क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या आयोग इस समय एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में स्वीकृत सदस्यों की संख्या से प्रायः आधे सदस्यों के साथ कार्य कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग). एम.आर.टी.पी. अधिनियम, 1969 में इसके अधिनियमित किए जाने के बाद से अनेक परिवर्तन किए गए हैं। पिछला संशोधन 1991 में किया गया था। अनुभव के आधार पर एम.आर.टी.पी. आयोग ने इस अधिनियम को और युक्तिसंगत बनाने के लिए हाल ही में कुछ सुझाव दिए हैं। संबंधित प्राधिकारियों के परामर्श से इन पर विचार किया जाएगा।

(घ) से (ङ). एम.आर.टी.पी. अधिनियम में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। सरकार ने एक अध्यक्ष और 3 सदस्यों की मंजूरी दी है। इस समय अध्यक्ष और दो सदस्य कार्य कर रहे हैं। एक सदस्य 30.9.1994 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस पद को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

राष्ट्रीय विकास परिषद की मितव्ययता संबंधी समिति

1229. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** 8 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1596 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय विकास परिषद की मितव्ययता संबंधी समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से प्रत्येक सिफारिश पर विभिन्न राज्यों के विचार क्या हैं तथा इनके कार्यान्वयन पर अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों द्वारा इन सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई सामान्य निर्देश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) से (घ). राष्ट्रीय विकास परिषद की मितव्ययता संबंधी समिति की सिफारिशें राज्यों के ध्यान में लाई गई थीं। केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों द्वारा इन सिफारिशों के कार्यान्वयन पर हुई प्रगति को मानीटर नहीं कर रही है। राज्य सरकारों को इस संबंध में अभी कोई निर्देश जारी करने का केन्द्र सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को धन

1230. श्री अंकुशराव टोपे : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को अपनी योजना हेतु भूमि की खरीद के लिए ऋण जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस ऋण के वितरण हेतु पात्रता के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) यह योजना किन–किन नगरों में आरम्भ की जाएगी;

(घ) इस योजना से कितने कर्मचारी लाभान्वित होंगे; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक चालू वर्ष के दौरान संगठन को कितनी धनराशि जारी की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) और (ख). जी, नहीं। तथापि, सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन को भूमि की खरीद हेतु 17 करोड़ रूपये की पूंजी अनुदान मुहैया कराया है।

(ग) और (घ). सी.जी.ई.डब्ल्यू.एच.ओ. की नोरूल (न्यू बम्बई), मद्रास, कलकत्ता, नोएडा (उ.प्र.) और खडगपुर (न्यू बम्बई) में आवास स्कीमें चल रही हैं। चण्डीगढ़, पंचकुला और गुडगांव में भी स्कीमें चलाये जाने की संभावना है। पाचं स्कीमें, जो चल रही हैं, इनसे 2500 से भी अधिक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान संगठन को रिलीज किये गये अनुदानों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

वर्ष	पूंजी अनुदान	राजस्व अनुदान
		(रूपये लाखों में)
1991–92	500.00	11.00
1992–93	350.00	15.00
1993–94	350.00	15.00
1994–95 (आज की स्थिति के अनुसार)	300.00	5.00

[हिन्दी]

हुडको सेंटर

1231. श्री तेज नारायण सिंह :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में हुडको सेंटरों की स्थापना के संबंध में 22 नवम्बर, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हुडको ने इस संबंध में राज्यों में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). कम लागत की आवास प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन और विकेन्द्रीकृत अभिगम के आधार पर उचित निर्माण सामग्री के प्रयोग तथा स्थानीय कारीगरों के कौशल उन्नयन के बाबत राष्ट्रीय आवास नीति (एन.एच.पी.) में वर्णित कार्यनीति के अनुरूप केन्द्र सरकार हडको के माध्यम से विभिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों में निर्मित केन्द्रों के राष्ट्रीय नेटवर्क की स्कीम को कार्यान्वित कर रही है।

यह कार्यक्रम अनिवार्यतः मांग प्रेरित है, और राज्यों और स्थानीय एजेंसियों, अनुसंधान तथा व्यावसायिक निकायों द्वारा किये गये प्रयासों पर निर्भर करते हुए गांवों तथा छोटे और मझौले कस्बों को लाभान्वित करेगा।

इस बाबत हडको ने राज्यों में कोई विशेष सर्वे नहीं कराया है।

[अनुवाद]

विदेशी निवेश

1232. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने जुलाई, 1991 में सुधार संबंधी उपाय लागू करने के समय से 67.7 बिलियन रूपए के विदेशी निवेश को आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्षेत्र–वार कुल कितने विदेशी सहयोग को मंजूरी प्रदान की गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख). जुलाई, 1991 में नई औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् सरकार ने अक्तूबर, 1994 के अन्त तक 238.96 बिलियन रूपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति दी है (जिसमें 45.51 बिलियन रूपये की राशि यूरो इशूज के जरिये जुटाना शामिल है)।

अनुमोदित विदेशी सहयोग प्रस्तावों के क्षेत्रवार ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1.8.1991 से 31.10.94 के दौरान अनुमोदित विदेशी सहयोग मामलों के क्षेत्रवार ब्यौरे

क्र.सं.	उद्योग का नाम	कुल			
		जोड़	तकनीकी	वित्तीय	राशि (रू. मिलियन में)
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग				
	लौह	114	69	45	13905.65
	अलौह	56	28	28	7620.95
	विशेष धातुमिश्रण	38	26	12	237.15
	विविध (अन्य मदें) धातुकर्मी	19	14	5	435.13
	योग	227	137	90	22198.88
2.	ईंधन				
	पावर	8	0	8	30822.45
	तेल शोधक	60	26	34	29580.37
	अन्य	35	16	19	4290.19
	योग	103	42	61	64693.01
3.	बायलर और भाप जनित्रण संयंत्र	34	22	12	581.41
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	7	5	2	22.45
5.	विद्युत उपकरण				
	विद्युत उपकरण	549	359	190	7007.71
	कंप्यूटर साफ्टवेयर उद्योग	209	33	176	6802.03
	इलैक्ट्रोनिक्स	140	64	76	2497.23
	अन्य (एस.डब्ल्यू)	21	12	9	68.12
	योग	919	468	451	16375.09
6.	दूरसंचार	81	52	29	1941.27
7.	परिवहन उद्योग				
	आटोमोबाइल उद्योग	179	124	55	6014.71
	वायु/समुद्री परिवहन	33	6	27	10441.49
	अन्य (परिवहन)	24	18	6	234.71
	योग	236	148	88	16690.91
8.	औद्योगिक मशीनरी	549	387	162	8479.63
9.	मशीनी औजार	68	40	28	397.84
10.	कृषि मशीनरी	21	18	3	55.46
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	31	20	11	129.69
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	190	97	93	1356.80

1	2	3	4	5	6
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	39	22	17	815.67
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	22	8	14	183.61
15.	औद्योगिक उपकरण	76	50	26	192.36
16.	वैज्ञानिक उपकरण	27	8	15	348.38
17.	उर्वरक	20	17	3	36.45
18.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	629	389	240	20237.21
19.	फोटोग्राफी रॉ फिल्म, तथा पेपर	7	4	3	186.32
20.	रंजक सामग्री	6	2	4	47.05
21.	औषध तथा भेषज	101	55	46	1884.18
22.	वस्त्र (रजक,मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों सहित)	181	55	126	10952.89
23.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	56	33	23	3320.59
24.	चीनी	2	0	2	535.00
25.	फर्मेन्टेशन उद्योग	30	9	21	2003.87
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग				
	खाद्य उत्पाद	222	57	165	17731.19
	समुद्री उत्पाद	71	12	59	648.07
	विविध (खाद्य उत्पाद)	2	0	2	80.00
	योग	295	69	226	18459.26
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	20	2	18	288.84
28.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपरेशन	14	4	10	408.38
29.	रबड़ की वस्तुएं	67	42	25	848.61
30.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिस्कारक	71	19	52	574.19
31.	कांच	28	15	13	1808.30
32.	सिरेमिक	95	35	60	1729.62
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	33	17	16	2232.32
34.	टिम्बर उत्पाद	2	1	1	1.10
35.	सुरक्षा उद्योग	2	2	0	0.00
36.	परामर्शदायी सेवाएं	94	29	65	355.41
37.	सेवा क्षेत्र				
	वित्तीय	55	0	55	13983.22
	गैर–वित्तीय सेवाएं	98	4	94	8515.26
	बैंकिंग सेवाएं	1	0	1	5.00
	अन्य सेवाएं	7	2	5	29.15
	योग	161	6	155	22532.63
38.	होटल तथा पर्यटन				
	होटल तथा रेस्टोरेन्ट	62	22	40	10835.52
	पर्यटन	17	3	14	16.66
	योग	79	25	54	10852.18

1	2	3	4	5	6
39.	ट्रेडिंग कंपनी	110	0	110	644.01
40.	विविध उद्योग				
	बागवानी	15	9	6	79.72
	कृषि	41	23	18	182.52
	पुष्पकृषि	44	16	28	271.93
	अन्य (विविध उद्योग)	320	200	120	4025.15
	योग	420	248	172	4559.32
	योग	5149	2602	2547	238960.16

कानूनी सहायता योजना

1233. श्री हरिन पाठक :
श्री काशीराम राणा :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कानूनी सहायता योजना से लाभान्वित हुए लोगों का वर्षवार एवं राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान उक्त योजना के लिए राज्यों को उपलब्ध कराई गई धनराशि का पूरा उपयोग किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में अन्तर्विष्ट है।

(ख) और (ग). केन्द्रीय निधियों का आबंटन "राज्य के आधार" पर नहीं किया जाता है। विधिक सहायता स्कीम् कार्यान्वयन समिति, विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन विधि सहायता शिविर/लोक अदालतें आयोजित करने, विश्वविद्यालयों और विधि महाविद्यालयों में विधिक सहायता क्लिनिकं स्थापित करने, विविध साक्षरता के संवर्द्धन और पराविधिकों के प्रशिक्षण, आदि के लिए विधिक सहायता के क्षेत्र में लगे हुए राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और गैर–राजनैतिक रजिस्ट्रीकृत सामाजिक कार्य समूहों को "वित्तीय वर्ष" के आधार पर सहायता अनुदान मंजूर करती है।

निधियों के उपयोग न किए जाने के कारण, विधि और व्यवस्था बाढ़/सूखा और व्यावसायिकों के दृष्टिकोण आदि पर आधारित होते हुए, भिन्न हो सकते हैं।

विवरण

वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में विधिक सहायता स्कीम द्वारा फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या
(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान फायदा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या		
		1991–92	1992–93	1993–94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,543	2,079	1,218
2.	असम	236	104	4,116
3.	बिहार	376	348	760
4.	गोवा	38	82	276
5.	गुजरात	71,476	46,847	*56,052
6.	हरियाणा	575	541	515
7.	हिमाचल प्रदेश	404	415	473
8.	जम्मू–कश्मीर	746	184	308
9.	कर्नाटक	62,053	44,236	70,966
10.	केरल	25,000	27,564	29,888

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	47,274	40,205	42,722
12.	महाराष्ट्र	55,656	35,790	उपलब्ध नहीं
13.	मणिपुर	2	15	कुछ नहीं
14.	मेघालय	कुछ नहीं	7	4
15.	मिजोरम	1,400	2,045	2,548
16.	उड़ीसा	5,719	4,625	3,285
17.	पंजाब	2,717	2,707	4,369
18.	राजस्थान	1,840	2,358	3,353
19.	सिक्किम	16	16	28
20	तमिलनाडु	44,333	47,409	40,068
21.	उत्तर प्रदेश	3,40,331	4,51,714	5,91,834
22.	पश्चिमी बंगाल**	2,816	2,606	उपलब्ध नहीं
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप**	–	11	2
24.	दिल्ली	2,436	2,480	2,641
25.	पांडिचेरी	5,790	4,790	3,150
26.	चंडीगढ़ प्रशासन		कुछ नहीं	
27.	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र		कुछ नहीं	

* 31.12.93 तक

** कलैंडर वर्ष अर्थात् 1991, 1992 और 1993 के लिए

[हिन्दी]

गुजरात में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

1234. श्री एन.जे. राठवा :

श्री दिलीप भाई संघाणी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में, विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में कुल कितने भूतपूर्व सैनिक हैं और उनमें से अभी तक कितनों का पुनर्वास नहीं किया गया है;

(ख) इन भूतपूर्व सैनिकों को लाभप्रद रोजगार देने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं और 1993–94 और 1994–95 के दौरान अब तक इससे कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बारे में राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच समन्वय न होने के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ). 30.9.1994 की स्थिति के अनुसार गुजरात के जिला सैनिक बोर्डों में कुल 8234 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हैं। 30.6.1994 की स्थिति के अनुसार जिला सैनिक बोर्डों के चालू राजस्टरों में रोजगार सहायता के लिए 2225 भूतपूर्व सैनिकों के नाम हैं। इनमें से जनवरी, 1991 और जून, 1994 के बीच में रोजगार के लिए 1777 भूतपूर्व सैनिक पंजीकृत हुए थे। इन 1777 भूतपूर्व सैनिकों में से अब तक 563 भूतपूर्व सैनिक केन्द्र/राज्य सरकार और निजी क्षेत्र मे रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। तथापि, क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

2. केन्द्र सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते ग्रुप "ग" और "घ" के पदों में क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रखी है। राष्ट्रीयकृत बैंकों सहित केन्द्र सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भूतपूर्व सैनिकों के वास्ते ग्रुप "ग" और "घ" के पदों में क्रमशः 14.5 प्रतिशत और 24.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रखी जाती है। गुजरात की राज्य सरकार ने समूह "ग" और "घ" के पदों में क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था रखी है। इसके अलावा, रक्षा सुरक्षा कोर में मुख्य रूप से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भर्ती निर्धारित की गई है। भूतपूर्व सैनिकों को आयु तथा शैक्षणिक योग्यताओं में भी छूट दी जाती है।

3. राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों के बीच में तालमेल में कमी संबंधी किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी

1236. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में एकक स्थापित किए जाने के लिए वर्ष 1993–94 और 1994–95 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना के अंतर्गत अलग–अलग कुल कितने आवेदकों को उद्योग लगाने की स्वीकृति दी गई;

(ख) नवम्बर, 1994 के अंत तक कितने आवेदन स्वीकृति के लिए लंबित रहे; और

(ग) लंबित आवेदनों की स्वीकृति के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) योजना और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजना के अन्तर्गत तमिलनाडु में वर्ष 1993–94 तथा 1994–95 के दौरान अनुमोदित इकाइयों की संख्या इस प्रकार है :

वर्ष	अनुमोदित इकाइयों की संख्या	
	ईएचटीपी	एसटीपी
1993–94	6	11
1994–95 (नवम्बर, 1994 तक)	8	8

(ख) नवम्बर, 1994 तक ईएचटीपी और एसटीपी योजनाओं के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए कोई आवेदन–पत्र लम्बित नहीं हैं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

सड़क पर रहने वालों के लिए रैनबसेरे

1237. **डा. साक्षीजी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों के दौरान और अब तक उत्तर प्रदेश में सड़क के किनारे रहने वाले लोगों के लिए रैनबसेरा तथा सफाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई है; और

(ख) इस उद्देश्य के लिए योजनावार कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) नेहरू रोजगार योजना में पटरी निवासियों के लिए रैनबसेरे और सफाई सुविधाओं के लिए प्रावधान नहीं है। तथापि, शहरी पटरी निवासियों के रैन बसेरा और सफाई सुविधाओं हेतु स्वतन्त्र रूप से चलाई जा रही एक केन्द्रीय स्कीम है, जिसके तहत वर्ष 1992–93 के दौरान हुडको द्वारा उत्तर प्रदेश में पटरी निवासियों के लिए रैनबसेरा तथा 'भुगतान करो उपयोग करो' शौचालय सुविधा की व्यवस्था करने के लिए दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। वर्ष 1993–94 और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कोई परियोजना अनुमोदित नहीं की गई है।

(ख) उपर्युक्त दो स्कीमों के लिए 4.20 लाख रूपये की केन्द्रीय सब्सिडी स्वीकृत की गई है।

[अनुवाद]

टायर उद्योग

1238. **श्री श्रवण पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर उद्योग प्राकृतिक रबड़ की कम आपूर्ति और जून, 1994 से उनके मूल्य में हुई वृद्धि के कारण संकट में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस उद्योग की सहायता करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). देश में प्राकृतिक रबड़ की सामान्य या विशेष कमी नहीं है तथा प्राकृतिक रबड़ की कम आपूर्ति के कारण टायर उद्योग में कोई संकट उत्पन्न नहीं हुआ है। प्राकृतिक रबड़ का मूल्य, जिसमें जून, 1994 के पश्चात वृद्धि हुई थी, उसमें अक्तूबर–नवम्बर, 1994 में अधिकतम उत्पादन अवधि के आरंभ होने के पश्चात् स्थिरता आई है।

पश्चिम बंगाल में बड़े/मझौले/छोटे औद्योगिक एकक

1239. **श्री हाराधन राय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कितने बड़े, मझौले, छोटे और लघु उद्योग स्थापित किए गए;

(ख) निजी और संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किए गए ऐसे उद्योगों की अलग–अलग संख्या कितनी है; और

(ग) पश्चिमी बंगाल से प्राप्त कितने आशयपत्रों संबंधी प्रस्ताव इस समय केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1991 से

1993 के दौरान पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 8 औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किए गए थे। इनमें से एक लाइसेंस "व्यवसाय जारी रखना" के लिए है।

किसी औद्योगिक लाइसेंस की प्रारंभिक वैधता अवधि 2 वर्ष होती है जिसके दौरान वाणिज्यिक उत्पादन स्थापित किया जाना होता है। पर्याप्त औचित्य के आधार पर इस अवधि में और वृद्धि, यदि आवश्यक हो, की जाती है। किसी औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में प्रायः 4 से 5 वर्ष का समय लगता है। अतः ये औद्योगिक लाइसेंस कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

विकास आयुक्त, लघु उद्योग के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य उद्योग निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार के पास पंजीकृत लघु तथा अति लघु उद्योगों की संख्या निम्न प्रकार है :

1991	139878
1992	141825
1993	142222

(ख) उपर्युक्त 8 औद्योगिक लाइसेंसों में से 7 लाइसेंस निजी क्षेत्र से संबंधित उपक्रमों और एक लाइसेंस संयुक्त क्षेत्र के एक उपक्रम को जारी किए गए थे।

(ग) 13 (1.12.1994 की स्थिति के अनुसार)।

लोक अदालतें

1240. डा. रमेश चन्द तोमर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में राज्यवार कितनी लोक अदालतें लगायी गयी हैं;

(ख) इन अदालतों द्वारा प्रत्येक राज्य में उक्त अवधि के दौरान कितने मामलों का निपटारा किया गया है;

(ग) क्या काफी अधिक मामले अभी तक इनमें लंबित पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इनके शीघ्र निपटारे के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ). लोक अदालत में कोई भी मामला लंबित नहीं रह सकता, क्योंकि यदि किसी मामले को लोक अदालत द्वारा नहीं निपटाया जाता है तो, उसे न्यायालयों को वापस भेज दिया जाता है।

(ङ) लोक अदालत, जो समझाने–बुझाने और सुलह कराने के तरीके से विवादों का समाधान करने का स्वैच्छिक प्रयास है, न्यायालय के बाहर मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए एक कारगर तंत्र सिद्ध हुई है।

विवरण

गत तीन वर्षों (1991, 1992 और 1993) के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों और निपटाए गए मामलों की राज्य-वार संख्या

(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं.	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या
*1.	आंध्र प्रदेश	256	65,092
2.	असम	16	2,838
*3.	बिहार	13	6,694
4.	गोवा	12	896
5.	गुजरात	316	43,750
6.	हरियाणा	232	70,000
7.	हिमाचल प्रदेश	121	15,227
8.	जम्मू–कश्मीर	2	134
9.	कर्नाटक	880	61,407
*10.	केरल	35	21,961
*11.	मध्य प्रदेश	317	1,56,596
*12.	महाराष्ट्र	453	29,819
13.	मणिपुर	कोई नहीं	कोई नहीं
14.	मेघालय	कोई नहीं	कोई नहीं
15.	मिजोरम	4	268
16.	उड़ीसा	917	2,61,937
17.	पंजाब	127	30,541
*18.	राजस्थान	30	2,49,894
19.	सिक्किम	कोई नहीं	कोई नहीं
20.	तमिलनाडु	399	16,774
21.	त्रिपुरा	2	432
*22.	उत्तर प्रदेश	824	7,96,284
23.	पश्चिमी बंगाल	8	633
24.	चंडीगढ़	3	106
25.	दिल्ली	11	3,438
26.	पांडिचेरी	8	672

ये आंकड़े, वित्तीय वर्षों अर्थात् 1991–92, 1992–93 और 1993–94 पर आधारित हैं।

सरकारी उपक्रमों का कार्य-निष्पादन

1241. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घाटे में चल रहे कतिपय सरकारी उपक्रमों को अपने कार्य–निष्पादन में सुधार करने हेतु कुछ हिदायतें जारी की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन हिदायतों का ब्यौरा क्या है और इन हिदायतों की परिधि के अन्तर्गत किन–किन उपक्रमों को लाया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को भी इसी प्रकार की हिदायतें जारी करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ). सरकार ने 24 जुलाई, 1991 को औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य जारी किया, जिसमें सरकारी क्षेत्र से सम्बन्धित नीति का भी समावेश है। इसमें घाटा उठाने वाले तथा लाभ अर्जित करने वाले उद्यमों दोनों श्रेणी के सरकारी उद्यमों के सम्बन्ध में व्यापक नीति का वर्णन है। कथित नीति में समाविष्ट सरकारी निर्णयों का संक्षिप्त विवरण 23.2.1994 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1992–93 के खण्ड–1 के प्रथम अध्याय में ही पृष्ठ 1 से 3 पर है।

जम्मू और कश्मीर में सीमा उल्लंघन

1242. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान जम्मू और कश्मीर राज्य में वास्तविक सीमा नियंत्रण रेखा को छोड़कर क्षेत्रवार सीमा उल्लंघन की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) इस अवधि के दौरान वायुमंडल क्षेत्र में उल्लंघन की कितनी घटनाएं हुई ;

(ग) क्या इन घटनाओं पर संबंधित देशों की सरकार के साथ चर्चा की गई; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) वर्ष 1992–93 तथा 1993–94 के दौरान नियंत्रण–रेखा के बाहर जम्मू तथा कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की एक और गोली–बारी की छह घटनाएं हुई हैं।

(ख) वर्ष 1992–93 और 1993–94 के दौरान जम्मू तथा कश्मीर में नियंत्रण रेखा के बाहर सीमा पर पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की सात घटनाएं हुई हैं।

(ग) और (घ). हवाई क्षेत्र के उल्लंघन की घटनाओं को राजनयिक स्तरों के जरिए पाकिस्तानी प्राधिकारियों के साथ उठाया गया था। पाकिस्तान ने बाद में इस बात से इंकार कर दिया कि उसने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है।

[हिन्दी]

बीस सूत्री कार्यक्रम

1243. श्री एन.जे. राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान गुजरात में, विशेषतः आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने राज्य में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) अभी तक गुजरात में 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में (सहायता प्राप्त जनजाति के परिवारों के संबंध में) गत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई प्रगति निम्नलिखित है :

वर्ष	वास्तविक (लाभ भोगी)	वित्तीय (लाभ रू. में)
1991–92	95253	3585.46
1992–93	92638	4057.08
1993–94	82642	2978.52
1994–95	37400	1358.41
	(नवम्बर, 94 तक)	(सितम्बर, 94 तक)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

तकनीकी विकास निधि के अंतर्गत सहायता

1244. श्री पी. कुमारासामी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तकनीकी विकास निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) 1993–94 और 1994–95 के दौरान अब तक इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु को कितनी सहायता दी गई है; और

(ग) राज्य में वर्षवार कितने औद्योगिक एककों को उपरोक्त सहायता दी गई है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) तकनीकी विकास निधि योजना के अधीन वित्तीय सहायता का उपयोग निम्नलिखित संचालन के क्षेत्रों के लिए किसी लघु, मझौले अथवा बड़े क्षेत्रों में मौजूदा औद्योगिक एकक द्वारा किया जा सकता है :

(1) प्रौद्योगिकी उन्नयन

(2) उत्पाद मिश्रण युक्तियुक्तकरण

(3) आधुनिकीकरण और युक्तियुक्तकरण

(4) लागत कमी; और

(5) निर्यात क्षमता और मात्रा

इस योजना में किसी विशेष वित्तीय वर्ष में किसी एकक द्वारा 5 करोड़ रूपये मूल्य तक की विदेशी मुद्रा की प्रौद्योगिकी के आयात की व्यवस्था है। पात्र मामलों में मंहगी प्रौद्योगिकी के आयात के लिए इस सीमा में छूट भी दी जाती है।

(ख) और (ग). 1993-94 के दौरान, तमिलनाडु में 3 औद्योगिक एककों को 1.58 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता दी गई थी। किन्तु, चालू वित्तीय वर्ष 1994-95 के दौरान तमिलनाडु में किसी एकक से अब तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विदेशी निवेश

1245. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 से सितम्बर, 1994 तक स्वीकृत विदेशी-निवेश संबंधी प्रस्तावों में क्षेत्र-वार और देश-वार कुल कितने मूल्य के पूंजी निवेश की अभिकल्पना की गई है; और

(ख) देश में निवेश-प्राप्तकर्ता राज्यों के संबंध में इसके अलग-अलग आंकड़े क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1991 से 1994 तक (अक्तूबर तक) अनुमोदित प्रस्तावों में परिकल्पित विदेशी निवेश का क्षेत्र-वार तथा देश-वार ब्यौरा दर्शाने वाले विवरण क्रमशः विवरण-I तथा विवरण-II में संलग्न हैं।

(ख) 1993 से 1994 (अक्तूबर तक) अनुमोदित विदेशी निवेश का राज्यवार ब्यौरा विवरण-III में संलग्न है।

1993 से पूर्व विदेशी निवेश के राज्यवार आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे गए हैं।

विवरण-I

1991, 1992, 1993 तथा 1994 (अक्तूबर तक) विदेशी निवेश का क्षेत्रवार ब्यौरा

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग का नाम	1991 राशि	1992 राशि	1993 राशि	1994 (अक्तूबर तक) राशि
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	2.23	58.87	1246.53	884.75
2.	ईंधन	2.30	1504.11	2822.54	2137.15
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.72	0.12	53.86	3.47
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनित्रण के अलावा)	–	–	–	2.24
5.	विद्युत उपकरण	101.39	371.84	645.85	563.64
6.	दूर संचार	13.58	119.07	46.98	14.68
7.	परिवहन	20.11	145.36	306.25	1178.52
8.	औद्योगिक मशीनरी	55.70	70.71	86.84	652.64
9.	मशीनी औजार	1.97	6.73	12.99	17.94
10.	कृषि मशीनरी	–	5.54	–	–
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	0.08	0.55	0.60	111.73
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	0.84	37.17	40.38	67.65

1	2	3	4	5	6
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	–	63.81	9.27	8.71
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	4.25	3.60	8.17	6.31
15.	औद्योगिक उपकरण	2.07	14.81	1.69	0.84
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1.65	32.89	–	0.34
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	–	–	–	–
18.	उर्वरक	1.00	–	1.66	0.99
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	146.32	421.17	349.89	1122.12
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	–	7.90	10.73	–
21.	रंजक सामग्री	–	0.08	13.58	0.25
22.	औषध तथा भेषज	0.80	30.17	29.91	128.60
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा प्रक्रियागत वस्त्रों सहित)	18.55	139.25	119.21	906.14
24.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	4.40	20.15	115.27	198.34
25.	चीनी	–	–	53.50	–
26.	फार्मेन्टेशन उद्योग	–	4.99	147.45	16.00
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	54.09	4002.22	907.87	521.84
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3.03	6.13	10.88	11.68
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपरेशन	–	18.86	0.47	21.91
30.	रबड़ की वस्तुएं	1.09	2.37	54.09	21.14
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	3.14	27.25	17.04	11.74
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	–	–	–	–
33.	कांच	0.75	0.34	49.98	85.76
34.	सिरेमिक्स	12.74	19.38	30.98	115.16
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12.00	6.79	25.20	177.73
36.	टिम्बर उत्पाद	–	–	0.16	–
37.	सुरक्षा उद्योग	–	–	–	–
38.	परामर्शदायी सेवाएं	5.81	12.16	10.31	11.28
39.	सेवा क्षेत्र	–	67.21	1136.28	1056.76
40.	होटल तथा पर्यटन	–	198.77	352.98	427.17
41.	ट्रेडिंग कंपनी	–	5.43	22.57	33.10
42.	विविध उद्योग	63.52	61.74	118.29	270.97
	योग	534.11	3887.54	8859.33	10745.03

विवरण—II

1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का देशवार ब्यौरा

(रू. मिलियन में)

क्र.सं.	देश का नाम	1991	1992	1993*	1994
1	2	3	4	5	6
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1858.5	12315.0	34618.5	17862.4
2.	युनाइटेड किंगडम	321.0	1176.7	6227.3	12336.0
3.	जर्मनी	418.0	862.7	1759.3	5357.5
4.	आस्ट्रेलिया	26.1	776.2	295.6	3856.3
5.	जापान	527.1	6102.3	2574.3	3594.1
6.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
7.	मारीशस	–	–	1242.4	2347.4
8.	हांगकांग	211.5	570.8	879.5	1274.1
9.	नीदरलैंड	559.2	967.9	3216.5	1046.3
10.	रूस	86.1	115.9	19.5	1042.2
11.	अफगानिस्तान	–	–	1.0	–
12.	अर्मेनिया	–	–	1.0	–
13.	आस्ट्रिया	15.9	61.4	155.7	198.2
14.	वहामास	–	7.5	–	81.2
15.	बहरीन	–	4.0	4.1	17.0
16.	बेल्जियम	16.1	237.0	60.0	62.4
17.	बेलोरशिया	–	–	0.5	–
18.	बरमुडा	–	33.2	–	260.3
19.	ब्राझील	0.1	1.1	–	–
20.	ब्रिटिश विरजिन द्वीपसमूह	–	5.3	46.0	–
21.	कॅनाडा	48.6	7.8	272.8	417.1
22.	केमन द्वीपसमूह	–	–	33.0	35.0
23.	चैनेल द्वीपसमूह	–	–	–	12.5
24.	चीन	7.5	–	616.6	272.5
25.	चेक गणतन्त्र	–	–	4.4	–
26.	चेकोस्लावाकिया	–	52.6	–	–
27.	डेनमार्क	111.7	252.3	319.9	510.6
28.	इस्टोनिया	–	–	70.0	–
29.	फिनलैंड	25.3	105.0	20.7	72.1
30.	फ्रांस	193.3	296.4	1290.9	313.2
31.	[illegible]री	–	–	22.7	1.6
32.	[illegible]डोनेशिया	–	19.0	3.8	0.0
33.	आयरलैंड	–	0.1	1656.4	7.5
34.	इजराइल	–	12.7	14.6	69.3

1	2	3	4	5	6
35.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
36.	कजाकिस्तान	–	–	15.0	–
37.	कोरिया उत्तर	1.6	–	–	–
38.	कोरिया दक्षिण	61.5	394.0	293.3	603.7
39.	कुवैत	–	0.9	0.5	30.9
40.	लटविया	–	2.6	–	–
41.	लक्समबर्ग	–	–	29.0	–
42.	मलेशिया	1.8	744.3	84.8	242.9
43.	मालद्वीप	–	–	–	6.0
44.	मालटा	–	1.3	–	–
45.	मेक्सिको	–	52.8	2389.8	0.1
46.	नेपाल	–	–	–	0.2
47.	न्यूजीलैंड	–	3.2	0.5	0.0
48.	नाइजिरिया	–	–	–	15.4
49.	नार्वे	3.8	9.2	26.7	3.1
50.	ओमान	–	–	5429.8	15.8
51.	पनामा	–	–	25.5	–
52.	फिलिपीन्स	–	50.0	132.5	34.0
53.	पोलैंड	0.4	–	1.5	–
54.	पुर्तगाल	1.6	12.0	140.0	0.0
55.	कतार	–	45.3	–	–
56.	रशिया	86.1	115.9	19.5	1042.2
57.	सिंगापुर	13.7	602.1	667.4	955.6
58.	स्लोवाकिया	–	–	0.5	0.0
59.	स्पेन	3.3	19.2	98.0	20.2
60.	श्रीलंका	–	–	15.1	23.6
61.	स्वीडन	69.8	484.1	6.2	62.6
62.	स्वीट्जरलैंड	355.0	6897.6	4268.0	264.4
63.	ताइवान	4.5	180.0	100.1	78.9
64.	थाइलैंड	–	25.2	3684.2	91.8
65.	यू.ए.ई.	22.0	64.5	4044.9	512.3
66.	यूक्रेन	–	8.4	2.8	4.5
67.	उरूग्वे	–	0.1	–	–
68.	वेस्ट इंडीज	–	3.0	–	0.5
69.	यूगोस्लाविया	–	4.4	–	–
70.	एनआरआई*	197.0	4391.3	10433.2	4307.4
71.	यूरो इश्यूज*	–	–	–	45510.9
72.	ऊपर समाविष्ट सभी देश	5341.1	38875.4	88593.3	107450.3

विवरण—III

जनवरी, 1993 से अक्तूबर, 1994 तक अनुमोदित विदेशी निवेश का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	अनुमोदित निवेश (रू. मिलियन में)
महाराष्ट्र	50990.52
दिल्ली	25497.82
गुजरात	17609.80
तमिलनाडु	11601.62
पश्चिम बंगाल	10149.51
आंध्र प्रदेश	10173.53
उड़ीसा	8134.86
मध्य प्रदेश	7936.58
पंजाब	4967.67
राजस्थान	2762.51
हरियाणा	2410.59
कर्नाटक	2361.08
उत्तर प्रदेश	1175.86
पांडिचेरी	1113.18
चंडीगढ़	715.35
बिहार	709.69
गोवा	399.55
दादर एवं नगर हवेली	351.64
केरल	352.34
हिमाचल प्रदेश	122.49
दमन एवं दीव	54.78
अंडमान एवं निकोबार	9.60
असम	2.74
अन्य (राज्य जिनका उल्लेख नहीं है)	36464.96
कुल	196068.24

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का विकास

1246. श्री एन.जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात को लघु उद्योगों के विकास हेतु और अधिक धन राशि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित की गई धनराशि गत पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा और अधिक धनराशि आवंटित करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ङ). लघु उद्योगों के विकास के लिए 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात के लिए 222.42 करोड़ रू. के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था, जबकि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 93.61 करोड़ रू. के परिव्यय का अनुमोदन किया गया था। इसके अतिरिक्त लघु उद्योगों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वत की जा रही योजनाओं में से गुजरात राज्य को अपना हिस्सा प्राप्त हो रहा है।

विदेशी निवेश

1247. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994–95 के दौरान देश में कुल कितनी राशि का विदेशी निवेश होने का अनुमान है; और

(ख) यह निवेश किन–किन क्षेत्रों में किया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख). वर्ष 1994–95 (अप्रैल–अक्तूबर) के दौरान 9569.92 करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है।

स्वीकृत परियेानाएं धातुकर्मी उद्योग, विद्युत उपकरण, इलैक्ट्रॉनिक्स, दूर–संचार, औद्योगिक मशीनरी, वैज्ञानिक उपकरण, रसायन, औषध और भेषज, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, पावर इत्यादि जैसे क्षेत्रों में है।

परियोजना की फलनावधि भिन्न–भिन्न होती है।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश

1248. श्री उद्धव बर्मन :

श्री बसुदेव आचार्य :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोर तथा बेसिक क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु अनिवासी भारतीयों द्वारा कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ख) उन उद्योगों का ब्यौरा क्या है जहां उत्पादन शुरू हो गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) सरकार ने कम्प्यूटर साफ्टवेयर, खाद्य प्रसंस्करण, इलैक्ट्रोनिक्स, वस्त्र, होटल, रसायन और पैट्रो–रसायन आदि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए पिछले तीन वर्षों में अर्थात् 1991 से 1993 तक अनिवासी भारतीयों के 385 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है जिनमें 2365.60 करोड़ रू. का विदेशी निवेश अन्तर्ग्रस्त है।

(ख) हर परियोजना और हर उद्योग की परिपक्वता अवधि भिन्न–भिन्न होती है और उद्यमी को उत्पादन आरंभ होने से पूर्व परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कई कारगर उपाय करने पड़ते हैं। राज्य सरकारें अपने–अपने राज्यों में स्थित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर अनुवर्ती कार्रवाई करती हैं। इस प्रकार के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

विदेशी पूंजी निवेश

1249. **श्री सत्यदेव सिंह :**
श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :
श्री साईमन मरान्डी :
डा. रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 से अब तक कुल कितनी विदेशी पूंजी निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई तथा कितनी विदेशी पूंजी का निवेश हुआ ;

(ख) किन–किन देशों ने हमारे यहां पूंजी निवेश के लिए उत्सुकता दिखलाई हैं;

(ग) क्या निवेश की गई विदेशी पूंजी विदेशी निवेश हेतु प्राप्त प्रस्तावों की राशि से बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) चालू वित्त वर्ष के दौरान और अधिक विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित विदेशी निवेश और विदेशी निवेश की पुनः प्राप्ति के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

अनुमोदित विदेशी निवेश	विदेशी निवेश की वास्तविक प्राप्ति
24026.01 करोड़ रूपये (यूरो–इशूज के जरिये 4551.09 करोड़ रूपये की राशि सहित)	5033.50 करोड़ रूपये

(ख) 1991 से 1994 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के देश–वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) और (घ). परियोजनाओं का कार्यान्वयन तथा विदेशी निवेश की वास्तविक प्राप्ति प्रत्येक परियोजना की परिपक्वता अवधि पर निर्भर करती है जो हर परियोजना में अलग–अलग होती है। विद्युत, ईंधन आदि जैसी बड़ी परियोजनाओं की परिपक्वता अवधि अपेक्षाकृत ज्यादा होती है। बड़ी परियोजनाओं के संबंध में अनुमोदित निवेश को छोड़कर और यूरो इशूज के जरिए विदेशी निवेश जुटाने के लिए अनुमोदन अर्न्तप्रवाह अनुपात लगभग 2:1 होगा।

(ङ) विदेशी निवेश पर सरकार की नीति की निरन्तर निगरानी की जाती है ताकि विदेशी निवेशकों की वास्तविक आवश्यकताओं पर तत्परता से प्रतिक्रिया की जा सके और इसे अन्तर्राष्ट्रीय रूप में प्रतियोगी बनाया जा सके।

विवरण

1991 से 1993 (अक्तूबर तक) के दौरान अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के देश-वार ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं	देश का नाम	1991	1992	1993	1994
1	2	3	4	5	6
1.	यू.एस.ए	1858.5	12315.0	34618.5	17862.4
2.	यू.के.	321.0	1176.7	6227.3	12336.9
3.	जर्मनी	418.0	862.7	1759.3	5357.5
4.	आस्ट्रेलिया	26.1	776.2	295.6	3856.3
5.	जापान	527.1	6102.3	2574.3	3594.1
6.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
7.	मारीशस	–	–	1242.4	2347.4
8.	हांगकांग	211.5	570.8	879.5	1274.1
9.	नीदरलैंड	559.2	967.9	3216.5	1046.3
10.	रूस	86.1	115.9	19.5	1042.2
11.	अफगानिस्तान	–	–	1.0	

1	2	3	4	5	6
12.	अर्मेनिया	–	–	1.0	–
13.	आस्ट्रिया	15.9	61.4	155.7	198.2
14.	बनामास	–	7.5	–	81.2
15.	बहरीन	–	4.0	4.1	17.0
16.	बेल्जियम	16.1	237.0	60.0	62.4
17.	बेलारूस	–	–	0.5	–
18.	बेरमुडा	–	33.2	–	260.3
19.	ब्राजील	0.1	1.1	–	–
20.	ब्रिटिश ब्रिजन आइसलैंड	–	5.3	46.0	–
21.	कनाडा	48.6	7.8	272.8	417.1
22.	केमन आईसलैंड	–	–	33.0	35.0
23.	चेनल आईसलैंड	–	–	–	12.5
24.	चीन	7.5	–	616.6	272.5
25.	चैक गणराज्य	–	–	4.4	–
26.	चैकोस्लावाकिया	–	52.6	–	–
27.	डेनमार्क	111.7	252.3	319.9	510.6
28.	स्टोनिया	–	–	70.0	–
29.	फिनलैंड	25.3	105.0	20.7	72.1
30.	फ्रांस	193.3	296.4	1290.9	313.2
31.	हंगरी.	–	–	22.7	1.6
32.	इंडोनेशिया	–	19.0	3.8	0.0
33.	आयरलैंड	–	0.1	1656.4	7.5
34.	इजरायल	–	12.7	14.6	69.3
35.	इटली	178.1	893.9	1173.5	3578.6
36.	कजाकिस्तान	–	–	15.0	–
37.	कोरिया (उत्तर)	1.6	–	–	–
38.	कोरिया (दक्षिण)	61.5	394.0	293.3	603.7
39.	कुवैत	–	0.9	0.5	30.9
40.	लाटविया	–	2.6	–	–
41.	लक्ष्मबर्ग	–	–	29.0	–
42.	मलेशिया	1.8	744.3	84.8	242.9
43.	मालद्वीप	–	–	–	6.0
44.	माल्टा	–	1.3	–	–
45.	मैक्सिको	–	52.8	2389.8	0.1
46.	नेपाल	–	–	–	0.2
47.	न्यूजीलैंड	–	3.2	0.5	0.0
48	नाइजीरिया	–	–	–	15.4
49.	नार्वे	3.8	9.2	26.7	3.1

1	2	3	4	5	6
50.	ओमान	–	–	5429.8	15.8
51.	पनामा	–	–	25.5	–
52.	फिलिपीन्स	–	50.0	132.5	34.0
53.	पौलैंड	0.4	–	1.5	–
54.	पुर्तगाल	1.6	12.0	140.0	0.0
55.	कतर	–	45.3	–	–
56.	रूस	86.1	115.9	19.5	1042.2
57.	सिंगापुर	13.7	602.1	667.4	955.6
58.	स्लोवाकिया	–	–	0.5	0.0
59.	स्पेन	3.3	19.2	98.0	20.2
60.	श्रीलंका	–	–	15.1	23.6
61.	स्वीडन	69.1	484.1	6.2	62.6
62.	स्विटजरलैंड	355.0	6897.6	4268.0	264.4
63.	ताइवान	4.5	180.0	100.1	78.9
64.	थाइलैंड	–	25.2	3684.2	91.8
65.	यू.ए.ई.	22.0	64.5	4044.9	512.3
66.	उक्रेन	–	8.4	2.8	4.5
67.	उरुग्वे	–	0.1	–	–
68.	वेस्टइंडीज	–	3.0	–	0.5
69.	यूगोस्लाविया	–	4.4	–	–
70.	अनिवासी भारतीय*	197.0	4391.3	10433.2	4307.4
71.	यूरो इश्यूज#	–	–	–	45510.9
72.	ऊपर समाविष्ट सभी देश	5341.1	38875.4	88593.3	107450.3

[अनुवाद]

विदेशी निवेश के लिए प्रस्तावित परियोजनाएं

1250. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सीधे विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्रस्तावित उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत तीन महीनों के दौरान मंजूरी दी गई है;

(ख) विदेशों में स्थित कंपनियों तथा स्वदेशी कंपनियों द्वारा निवेश की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा क्या है और यह निवेश किन–किन क्षेत्रों में किया जायेगा;

(ग) संयुक्त उद्यमों वाले प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनमें से शत–प्रतिशत निर्यातोन्मुख प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनसे अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग). अगस्त, 1994 से अक्तूबर 1994 के दौरान 354 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं जिनमें 8147.80 करोड़ रू. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना की गई है। इनमें भारतीय कंपनियों द्वारा 4551.09 करोड़ रूपये यूरो इश्यू के जरिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने के लिए 18 प्रस्ताव शामिल हैं। अनुमोदित शेष प्रस्ताव 3596.71 करोड़ रूपये के कुल निवेश से भारतीय संयुक्त उद्यमों में निवेश करने के लिए हैं।

इस अवधि के दौरान विदेशी कंपनियों के पक्ष में अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) इनमें से 63 प्रस्ताव 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों के लिए हैं जिनमें 864.89 करोड़ रूपये के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की परिकल्पना की गई है। 5 वर्ष की अवधि में इन एककों द्वारा अनुमानित निर्यात आय का अन्दाजा 34968 करोड़ रूपये लगाया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा 1.8.94 से 31.10.94 तक अनुमोदित विदेशी सहयोग मामलों के उद्योगवार ब्यौरे की सूची

क्र.सं.	उद्योग का नाम	योग			
		योग	तकनीकी	वित्तीय	कुल राशि
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग				
	लौह	20	10	10	703.95
	विशेष धाातु मिश्रण	1	0	1	1.80
	विविध (अन्य मदें) धातुकर्मी	3	2	1	11.10
	जोड़	24	22	12	716.85
2.	ईधन				
	पावर	1	0	1	351.35
	तेल शोधक	6	0	6	542.98
	अन्य	3	0	3	340.74
	जोड़	10	0	10	1735.57
3.	बायलर और भाप जनित्रण संयंत्र	2	1	1	0.51
4.	वैद्युत उपकरण	57	32	25	280.25
	कंप्यूटर सोफ्टवेयर उद्योग	24	1	23	39.14
	इलैक्ट्रोनिक्स	8	1	7	57.25
	जोड़	89	34	55	376.64
5.	दूरसंचार	3	1	2	4.69
6.	परिवहन उद्योग	16	10	6	182.62
	आटोमोबाइल उद्योग वायु/ समुद्र परिवहन	9	0	9	946.29
	जोड़	25	10	15	1128.91
7.	औद्योगिक मशीनें	38	21	17	616.82
8.	मशीनी औजार	5	4	1	3.00
9.	मिट्टी हटाने वाली मशीनें	3	2	1	10.49
10.	विविध यांत्रिक तथा इंजीनियरी उद्योग	24	3	21	35.27
11.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	1	0	1	3.81
12.	औद्योगिक उपकरण	5	5	0	0.00
13.	वैज्ञानिक उपकरण	1	0	1	0.34
14.	उर्वरक	2	1	1	0.99
15.	रसायन (उर्वरकों के अलावा)	59	27	32	892.66

1	2	3	4	5	6
16.	रंगने का सामान	2	1	1	2.45
17.	औषध तथा भेषज	19	11	8	99.97
18.	वस्त्र (रंगाई छपाई सहित)	25	4	21	674.03
19.	कागज एवं लुगदी कागज उत्पाद सहित	4	1	3	155.45
20.	किण्वन उद्योग	2	1	1	5.50
21.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग				
	खाद्य उत्पाद	28	7	21	407.13
	समुद्री उत्पाद	8	0	8	12.33
	जोड़	36	7	29	419.46
22.	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	2	0	2	2.22
23.	साबुन, सौन्दर्य प्रसाधन एवं टॉयलेट प्रिप	3	0	3	4.39
24.	रबड़ वस्तु	5	3	2	1.32
25.	चमड़ा, चमड़ा सामान एवं पिकर्स	9	1	8	4.42
26.	सिरामिक	7	3	4	97.59
27.	सीमेंट एवं जीप्सम उत्पाद	1	1	0	0.00
28.	परामर्शदायी सेवाएं	11	0	11	8.35
29.	सेवा क्षेत्र				
	वित्तीय	10	0	10	473.08
	गैर–वित्तीय सेवाएं	12	0	12	16.62
	जोड़	22	0	22	489.71
30.	होटल एवं पर्यटन				
	होटल एवं रेस्ट्रोरेंट	8	2	6	356.31
	पर्यटन	1	0	1	0.60
	जोड़	9	2	7	357.91
31.	ट्रेडिंग कंपनी	12	0	12	22.86
32.	विविध उद्योग				
	बागवानी	6	2	4	1.52
	कृषि	3	0	3	0.81
	फूल बागवानी	17	4	13	16.91
	अन्य (विविध उद्योग)	91	61	30	257.37
	जोड़	117	67	50	276.62
	जोड़	577	223	354	8147.80

वानिकी हेतु धनराशि

1251. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वानिकी के लिए कितनी राशि आबंटित की गई, और यह राशि इन योजनाओं के कुल आवंटन का कितने प्रतिशत थी;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम धनराशि आबंटित करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या धनराशि देने वाली किसी विदेशी एजेन्सी ने यह पाया है कि सरौर. द्वारा यथेष्ठ धनराशि उपलब्ध न कराए जाने के कारण विदेशी सहायता पोषित वानिकी परियोजनाएं अनुमोदित परियोजना के दस्तावेजों में उल्लिखित प्रगति नहीं कर पाई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने वन संरक्षण के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वानिकी तथा वन्य जीवन के लिए 1859.10 करोड़ रू. का आबंटन किया गया था तथा यह कुल योजना आबंटन का 1.03 प्रतिशत है। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वानिकी तथा वन्य जीवन क्षेत्रक के लिए 4081.87 करोड़ रू. का कुल योजना आबंटन किया गया है तथा यह 8वीं योजना के दौरान के कुल योजना आबंटन का 1.64 प्रतिशत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कुछ मामलों में धनराशि देने वाली विदेशी एजेन्सियों ने बताया कि विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं के लिए राज्य बजट में प्रतिरूप निधि के अपर्याप्त प्रावधान है जिसकी वजह से परियोजना कार्यकलापों की प्रगति धीमी हुई है। केन्द्र सरकार ने यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया तथा उनसे परियोजना परिव्यय के अनुरूप बजट आबंटन बढ़ाने का अनुरोध किया। कुछ अन्य क्षेत्रकों से उठ रही प्रतिस्पर्धा मांगों को संतुलित करने तथा जहां तक संसाधनों की उपलब्धता इसकी अनुमति देती है, उस हद तक राज्य सरकारों ने उपचारी उपाय किए हैं।

(घ) वनों के संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैः वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का अधिक सख्ती से कार्यान्वयन, विकृत वनों के पुनर्स्थापन विशेषकर वन प्रबंधन, सामाजिक तथा खेतीवानिकी, पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रमों, संबंधित सुरक्षा कार्यकलापों इत्यादि सहित भारी वनरोपण कार्यक्रम।

[हिन्दी]

पर्वतीय विकास बोर्ड

1252. **श्रीमती शीला गौतम** :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास संबंधी पर्वतीय विकास बोर्ड का गठन करने संबंधी एक प्रस्ताव निर्णय हेतु केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लम्बित पड़ा है और इस समय यह किस स्थिति में है;

(ग) इस पर विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या नीति है और इस मामले पर क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गमांग) : (क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों के विकास के लिए पर्वतीय विकास बोर्ड गठन करने संबंधी कोई प्रस्ताव योजना आयोग के समक्ष नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम

1253. **श्री पी. कुमारासामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से चलाने के लिए देश के स्वयंसेवी संगठनों के साथ संयुक्त तंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए किन–किन स्वयंसेवी संगठनों का चयन किया गया है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). स्वयंसेवी संगठनों तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्र मंत्रालयों में भारत सरकार के सचिवों की 7–8 मार्च, 1994 को आयोजित संयुक्त बैठक में स्वयंसेवी संगठनों एवं सरकार के बीच सहयोगी संबंध के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई। कार्य योजना एक संयुक्त मशीनरी की स्थापना करने की व्यवस्था करती है जिसमें सामाजिक विकास क्षेत्र में गरीबी निवारण सहित कार्यक्रमों के वास्तविक कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले चुनिन्दा स्वयंसेवी संगठनों और गरीबी निवारण कार्यक्रमों से सीधे–सीधे जुड़े भारत सरकार के सचिव शामिल होंगे। तदनुसार, कार्य योजना की सिफारिशों पर अमल करने के लिए 9 सितम्बर, 1994 को एक संयुक्त मशीनरी गठित की गई है। समिति का संगठन संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

संयुक्त मशीनरी अन्य बातों के अलावा विकास के मॉडलों जिनमें लोग हर समय केन्द्र में रहेंगे, का विकास करने के लिए निचले स्तर पर लोगों के सामाजिक संगठन और इस प्रकार संगठित समूह पर आधारित ऐसे मॉडलों को समुचित स्तरों पर समर्थन ढांचों द्वारा पुष्ट करेगी। तैयार किए गए मॉडल इस प्रकार के होने चाहिएं जिससे लोगों को अधिकार मिले और वे उनके लिए बनाए गए कार्यक्रमों को गैर–सरकारी संगठनों, जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेंगे, की अपेक्षित सहायता से स्वयं चला सकें।

संयुक्त मशीनरी की पहली बैठक 2 दिसम्बर, 1994 को हुई थी।

विवरण

संयुक्त मशीनरी का गठन

1.	उपाध्यक्ष, योजना आयोग	अध्यक्ष
2.	मंत्रिमंडल सचिव	सदस्य
3.	सदस्य सचिव, योजना आयोग	सदस्य
4.	सचिव, शिक्षा	सदस्य
5.	सचिव, महिला एवं शिशु विकास	सदस्य
6.	सचिव, ग्रामीण विकास	सदस्य
7.	सचिव, स्वास्थ्य	सदस्य
8.	सचिव, परिवार कल्याण	सदस्य
9.	सचिव, कल्याण	सदस्य
10.	सचिव, श्रम	सदस्य
11.	सचिव, लघु उद्योग	सदस्य
12.	सचिव, युवा मामले	सदस्य
13.	सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय	सदस्य
14.	श्री अन्ना हजारे, अध्यक्ष, हरिजन सेवक संघ, रलेगांव सिद्धी जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र	सदस्य
15.	श्री मोहन धारिया, अध्यक्ष वनाराय, 2064, विजयनगर कालोनी पुणे–411030, महाराष्ट्र	सदस्य
16.	श्रीमती ईला आर. भट्ट, सामान्य सचिव सेवा, सेवा स्वागत केन्द्र विक्टोरिया गार्डन के सामने, भद्रा अहमदाबाद–380001, गुजरात	सदस्य
17.	श्रीमती अवाबई बी. वाडिया, अध्यक्ष भारतीय परिवार नियोजन संघ बी–28, कुतब एन्कलेव इन्स्टीट्यूशनल एरिया नई दिल्ली	सदस्य
18.	श्रीमती चेन्नूपती विद्या अध्यक्ष वस्वया महिला मंडली 62–2–22, पताम्ता लंका, विजयवाड़ा–520014, आन्ध्र प्रदेश	सदस्य
19.	स्वामी नित्यानन्द रामाकृष्ण विवेकानंद मिशन 7–रिखरसाइड रोड, बारकपुर नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल	सदस्य
20.	श्री के. विश्वनाथन निदेशक, मित्रानिकेतन पी.ओ. विलानंद–695543 केरल	सदस्य
21.	श्री अच्चयुत दास अगरागामी ए.टी. व पी.ओ. काशीपुर जिला: कोरापूत–765015 उड़ीसा	सदस्य
22.	श्री विनोद रैना सचिव एकलव्य, ई–1/208 अरेरा कालोनी, भोपाल–462016 मध्य प्रदेश	सदस्य
23.	श्री अनिल बोरडिया अध्यक्ष लोक जुम्बिश परिषद बी–10, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया जयपुर–302904, राजस्थान	सदस्य
24.	महानिदेशक, कांपार्ट	सदस्य–सचिव

(I) पेपर मिलों के बारे में दिनांक 27 जुलाई, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 522 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : दिनांक 27.7.1994 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 522 (अंग्रेजी संस्करण) के भाग (ड) से (च) के उत्तर के प्रथम पंक्ति में मुद्रण संबंधी त्रुटि के कारण "परिमाण अवरोध" के स्थान पर 'गुणवत्ता अवरोध' शब्द प्रकाशित हुए हैं। उत्तर के प्रथम दो शब्दों को 'गुणवत्ता अवरोध' के स्थान पर 'परिमाण अवरोध' पढ़ें।

(II) अनधिकृत कालोनियों के बारे में दिनांक 3 अगस्त, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1489 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : यह बात हमारी सूचना में आई है कि अनधिकृत कालोनियों के बारे में दिनांक 3.8.1994 के लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1489, का उत्तर भेजते समय प्रश्न के उत्तर के अंग्रेजी संस्करण में टंकण के दौरान असावधानीवश भाग (घ), (ड) और (च) के उत्तर छूट गये हैं।

भाग (घ), (ड) और (च) का उत्तर निम्नलिखित रूप में पढ़ा जाये:

(घ) जी, नहीं।

(ड) और (च). उपर्युक्त भाग (घ) का उत्तर देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

शुद्धि करने वाले वक्तव्य को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण यह है कि हाल ही में रिकार्डों को संकलित करते समय इस त्रुटि का पता चला हैं।

सभा को हुई असुविधा के लिए खेद है।

(III) विदेशों में तैनात भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के बारे में दिनांक 24.08.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4303 के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : दिनांक 24.08.1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4303 के अनुबंध–I के भाग (क) के उत्तर में निम्नलिखित सूचना दी गई थी :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	दूतावास/अन्तर्राष्ट्रीय संगठन का नाम	धारित पद
13.	श्री एन.के. सिन्हा भा.पु.से.	भारतीय उच्चायुक्त इस्लामाबाद।	मिनिस्टर

इसे निम्न प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए :–

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	दूतावास/अन्तर्राष्ट्रीय संग्रठन का नाम	धारित पद
13.	श्री एम.के. सिन्हा, भा.पु.से.	भारतीय उच्चायोग इस्लामाबाद।	प्रथम सचिव

[अनुवाद]

12.00 बजे मध्याहन

चीनी के आयात पर ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के सम्बन्ध में

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : कल हमने मांग की थी कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखी जाये ...**(व्यवधान)** वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते ...**(व्यवधान)** रिपोर्ट को रखने से उन्हें कौन रोक रहा है? हम रिपोर्ट जानना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान (रोसंड़ा) : कोई संसदीय कार्य मंत्री यहां उपस्थित नहीं है।...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अब, उन्होंने एक अन्य समिति नियुक्त की है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान यह इस देश में सबसे बड़ा स्कैण्डल का मामला है।

[अनुवाद]

यह घोटाले से भी बड़ा मामला है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आप उन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए कहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपमें से कोई एक सदस्य बोल सकता है...

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, यह आश्चर्यजनक है कि कल हमारी लगातार मांग के बावजूद भी सरकार चीनी घोटाले पर ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट सभा में रखने के लिए आगे नहीं आई। ...**(व्यवधान)**

समिति का गठन किसलिए किया गया था? महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाइये। अपने में से किसी एक सदस्य को बोलने दीजिये। मैं उन्हें जवाब देने के लिए कहूंगा।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम घोटाले के बारे में सच्चाई जानने के लिए रिपोर्ट चाहते हैं। इस सभा से कुछ भी नहीं छिपाया जा सकता। सारे देश में इस पर बहस चल रही हैं ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : सरकार रिपोर्ट को छिपा रही है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सरकार जान–बूझकर करप्शन के मामले को शील्ड कर रही है।

[अनुवाद]

आप सर्वोच्च संरक्षक हैं। महोदय, आप कृपया सरकार को निर्देश दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया जा रहा है?

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : सरकार को कोई चिन्ता नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये। आपमें से कोई एक सदस्य बोल सकता है। मैं उन्हें जवाब देने के लिए कहूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : हम रिपोर्ट चाहते हैं। वे रिपोर्ट को क्यों छिपा रहे हैं? रिपोर्ट को पेश क्यों नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये। मैं उन्हें उत्तर देने के लिए कहूंगा।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने कल बार–बार मांग की है कि सरकार ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे ...**(व्यवधान)**

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : हम सदन का ध्यान दिलाना चाहते हैं, इस बात की अपेक्षा आपको भी रखनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कुछ हो रहा है ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बुलाया है, पहले मुझे सुन लीजिए। कल हम लोगों ने सरकार से मांग की थी कि ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखे। **(व्यवधान)** अध्यक्ष महोदय, यह करप्शन का मामला है। जानबूझकर बी.जे.पी. के लोग इस मामले को डाल्यूट करना चाहते हैं...**(व्यवधान)**

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, सदन नियमों से चलता है ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : पहले हम यह जानना चाहते है कि चीनी के मामले में क्या हुआ? ...**(व्यवधान)**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, आप पासवान जी को बोलने के लिये बुला रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि वह अपनी बात जरूर कहे ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। मैं एक के बाद एक सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने में मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने श्री पासवान को बोलने की अनुमति दी है और मंत्री महोदय जवाब देंगे तथा उसके बाद हम अन्य विषय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हमारे बहुत से लोग आपसे मिले थे। हम आपकी सहायता चाहते थे ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी हां, मैं सहमत हूं, आपको अनुमति दी जानी चाहिये; आपके दल को अनुमति दी जानी चाहिये।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे यह बताइये कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं आपकी सहायता करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इस मुद्दे को सुलझाने का प्रयास कर रहा हूं और आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक रास्ता निकाला है। कल भी मैंने रास्ता निकालने की कोशिश की थी। और भी कई महत्त्वपूर्ण मसले हैं, उन्हें आप पहले उठाने की इजाज़त दे दें। शक्कर वाला मामला बाद में ले लिया जाये ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : अध्यक्ष महोदय, हम संसद में चुन कर आये है। हमें अपनी बात उठाने की इजाज़त मिलनी चाहिये। उत्तर प्रदेश में खुले आम महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वहां पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। वहां चोरियां और डकैतियां भी हो रही हैं ...**(व्यवधान)**

12.09 म.प.

(इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पुनः 1.00 म.प. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

12.10 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 1.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई

1.00 म.प.

लोक सभा 1.00 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

...**(व्यवधान)**

1.30 म.प.

(इस समय श्री राम कृपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा-पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।) :

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, संक्षित कार्यवाही को चलने दीजिये। सभा पटल पर प्रपत्र रखे जाने हैं।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा की कार्यवाही चलनी चाहिये। अतः, कृपया धैये रखिये।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया मेरी बात मानिए।

....**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापिस चले जाइये। यह उचित तरीका नहीं है।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया मेरी बात मानिए। आप अपने स्थानों पर वापिस जाइये।

...**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.02 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा 2.00 म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

[हिन्दी]

2.01 म.प.

लोक सभा 2.01 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय **पीठासीन हुए**)

[अनुवाद]

चीनी के आयात पर ज्ञान प्रकाश समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के संबंध में—जारी

...(व्यवधानं)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया था, अगर आपकी अनुमति हो तो फिर शुरू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : बैठने के बाद अनुमति होगी।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोगों ने पिछले दो दिन से बराबर इस बात की मांग की है कि सरकार ने ज्ञान प्रकाश कमेटी बनाई थी। चीनी के आयात में जो घपला हुआ है और उसमें जो अनियमितताएं बरती गई हैं तो उसके संबंध में आपको मालूम है कि जिस दिन एटीआर का क्राइसिस खत्म हो रहा था तो उसी समय मैंने कहा था कि शुगर स्कैंडल पर भी डिबेट होनी चाहिए, इसके लिए आप समय दें तो आपने कहा कि कल उठाओ। हम लोग पिछले सत्र से लगातार मांग करते रहे, हम लोगों ने हमेशा मांग की कि इसकी जांच इंकवायरी कमिशन के तहत इस पर ज्यूडिशियल इंकवायरी होनी चाहिए। भारत सरकार ने हम लोगों के दबाव में आ कर यह कहा कि ज्यूडिशियल नहीं, हम इसकी जांच करा रहे है। अपने एडमिनिसट्रेटिव ज्ञान प्रकाश कमेटी की अध्यक्षता में जांच की और जब ज्ञान प्रकाश कमेटी की रिपोर्ट आ गई तो अखबार से हमको मालूम हुआ, सब जगह मालूम हुआ, टीवी के ऊपर डिसकशंस होने लगे, फोर्मर केबिनेट सैकेट्री का, फूड मिनिस्टर कल्पनाथ राय जी और फूड सैकेट्री का तथा सब का जब बयान आने लगा तो यह मामला आया कि शायद एक-दो करोड़ का नहीं बल्कि यह तो 25 सौ करोड़ रूपए की अनियमितताएं की गई हैं। इसमें धपलाबाजी हुई है।

अध्यक्ष महोदय : आप बोलते जाएंगे, जवाब नहीं देने देंगे। आपकी बात ही सिर्फ रिकार्ड में रहेगी, क्या यही दुरूस्त रहेगा?

श्री राम विलास पासवान : नहीं, हम लोग जवाब सुनेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय को जवाब देने के लिए तैयार होने दीजिये। कृपया संसदीय कार्य मंत्री को बुलाइये।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : हम यहां सदस्यों की बात सुनने के लिए ही बैठे हैं ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह देखना किसका कर्त्तव्य है कि जिसे इसका जवाब देना है, वह सभा में उपस्थित रहे?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : इसका जवाब दिया जाये या नहीं, इसका निर्णय किया जाना है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह निर्णय क्या है?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : इसका जवाब दिया जाये अथवा नहीं, इसका निर्णय किया जाना है ...(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, सत्तारूढ़ दल विपक्ष पर आरोप कैसे लगा सकता है? अब, विपक्ष तो यह यह काम नहीं कर रहा है...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, आप स्वयं ही अपना और अपनी सरकार का पर्दाफाश कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बात आप पर छोड़ता हूं। मैं आपको यह बता दूं कि आप स्वयं ही अपना तथा अपनी सरकार का पर्दाफाश कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, मुझे अपनी स्थिति स्पष्ट करने दीजिये। मैं यह बात सरकार तक पहुंचा दूंगा; और इसका जवाब किसको देना है, इसका निर्णय किया जाना है ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लेकिन उन्हें यहां उपस्थित होना चाहिये।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : मैं यह बात सरकार को बता दूंगा ...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप लोग हाउस को कंट्रोल कर रहे हैं?

[अनुवाद]

मैं आपको निदेश देता हूं कि जिसे भी उत्तर देना है उसे सभा में उपस्थित होना चाहिए। आपको इसका ध्यान रखना चाहिए।

श्री मल्लिकार्जुन : मैं आपके निर्देश को गंभीरता से ले रहा हूं। मैं यहां से जाकर यह बात उन्हें बता दूंगा ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब यह सरकार पर निर्भर है कि वह जैसे भी चाहे इस मुद्दे पर कार्यावाही कर सकती है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, तो उसके बाद हमने बार-बार मांग की कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, ज्यूडिशियल कमेटी या कमीशन बनाकर जांच होनी चाहिए। सरकार ने विपक्ष के दबाव में तथा जन-भावनाओं का आदर करते हुए श्री ज्ञान प्रकाश की अध्क्षता में, जो कि भूतपूर्व सीएजी हैं, एक कमेटी बनाई, जिसने

अपनी रिपोर्ट दी है और बताया है कि 2500 करोड़ रूपए की अनियमितता हुई। इस बारे में आज एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में भी बताया गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए आपको अनुमति दे रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : ठीक है अध्यक्ष महोदय। हम लोगों ने इस सदन में बार-बार मांग की और आपने इस मामले की जांच करने के लिए आपने एक कमेटी गठित की, जिसने अपनी रिपोर्ट दे दी है इस रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करना सदन का हक है। संसदीय कार्य मंत्री ने यह भी बताया कि इसके जन-हित या राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न भी नहीं है, सिर्फ यह बताया कि कुछ अधिकारियों के नाम हैं जिन्होंने साक्ष्य दी है, जिसके प्रकाश में आने पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस बारे में हम लोगों ने यह सुझाव दिया था कि उन अधिकारियों के नाम हटा दीजिए सिर्फ कंटेंट्स रहने दीजिए। एक सुझाव यह भी दिया गया कि अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाकर यह रिपोर्ट देख ले। मैं समझता हूं कि सारे माननीय सदस्यों को समान अधिकार हैं और मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि भ्रष्टाचार से संबंधित समिति, जिसका गठन संसद के निर्देशों पर हुआ हो, की रिपोर्ट को प्रस्तुत न किया जाए। इससे महत्त्वपूर्ण मामला और कोई नहीं हो सकता और दोषियों के नाम प्रकाश में आने चाहिएं।

अध्यक्ष महोदय, में नहीं समझता कि सारे मंत्री या सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, लेकिन 1-2 मंत्रियों के कारण सारा मंत्रीमंडल बदनाम हो या 1-2 अधिकारियों के कारण सारे अधिकारी बदनाम हो, यह ठीक नहीं है। कांग्रेस पक्ष और ईमानदार साथियों से भी मेरा अनुरोध है कि यह उनके भी हित में है और वे सरकार पर दबाव डालें कि यह रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाए, ताकि उस पर चर्चा हो सके और पता लग सके कि कौन दोषी है। जब तक रिपोर्ट हम लोगों के सामने नहीं आ जाती, तब तक इन सारी बातों का पता नहीं लगाया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, इसलिए हमारी मांग है कि रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करने का निर्देश देने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। दल का प्रत्येक सदस्य बोलेगा और तत्पश्चात मंत्री महोदय को बोलने नहीं दिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्हें बोलने दिया जाएगा।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, हमारा ध्यान रखने के लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करना आवश्यक समझता हूं कि वास्तव में परेशानी क्या है। संपूर्ण विपक्ष की सरकार से एक ही शिकायत है। यदि मेरे दल के सहयोगी सही और न्यायसंगत बात कहना चाहते हैं चाहे वह उतराखंड के बारे में हो या अलीगढ़ के बारे में जहां हरिजन और मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, अथवा हम मुजफ्फरनगर का मुद्दा उठाना चाहते हों तो यह सरकार की लापरवाही को दर्शाता है कि वह पूरे विपक्ष की तर्कसंगत और उपयुक्त मांग को सुन नहीं रही है। महोदय, मांग क्या है? मांग यह है कि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट को बिना सेंसर किए और बिना उसमें कोई परिवर्तन किए सभा पटल पर रखा जाए।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने पहला तर्क या कारण यह दिया है कि यदि इस प्रकार का कदम उठाया जाता तो जिन अधिकारियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया है उनके नाम सार्वजनिक हो जाते आदि-आदि। उसका काफी प्रभावी उत्तर हमारे सहयोगियों ने दे दिया है। यद्यपि इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है फिर भी हमने यह कहा कि यदि आप उन अधिकारियों को बचाना चाहते हैं तो उनके नाम प्रकाश में मत लाइए। उन अधिकारयों द्वारा दिए गए साक्ष्य के आधार पर ही समिति किसी निष्कर्ष पर पंहुची है। अतः यदि आप उन अधिकारियों निष्कर्ष हमें बताना चाहते हैं लेकिन उनके नाम नहीं बताना चाहते तो चलो ठीक है, फिर यह बात मुझे समझ नहीं आती कि सारे मामले में अड़चन क्या है। संसद में सरकार ने न तो यह दावा किया है कि यह सार्वजनिक हित के विरूद्ध है और न ही इसे राष्ट्रीय हित के विरूद्ध माना है। जबकि उन्होंने संसद में ऐसा कोई दावा नहीं किया है, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इससे पहले कि सरकार कोई ऐसा दावा करे कृपया इस बारे में कुछ बताइए। मैं सरकार से भी इस बारे में कुछ बताने की अपील करता हूं।

सरकार का यह कहना है कि यह विभागीय और प्रशासनिक जांच थी और चूंकि यह विभागीय और प्रशासनिक जांच थी इसलिए संसद के प्रक्रिया नियमों के अनुसार ऐसे प्रतिवेदन को सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता है।

मैं दो निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले यह है कि जहां संसद के प्रक्रिया नियमों के अनुसार सरकार पर ऐसा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता है वहीं नियमों में यह नहीं कहा गया है कि सरकार ऐसा प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रख सकती है। सरकार, यह तर्क देकर कि प्रक्रिया नियमों के अनुसार उसे सभा पटल पर यह प्रतिवेदन रखने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वास्तव में, ठीक नहीं कर रही है। दरअसल जो भी करना चाहें यह उनकी अपनी बात है। लेकिन इससे सरकार नामक पूरी संस्था की गरिमा को काफी धक्का पंहुच रहा है।

मुख्य रूप से यह जांच इसलिए करवाई गई थी क्योंकि यह मुद्दा संसद में उठाया गया था। उसके पश्चात् ,सरकार ने एक आसान तरीका अपनाते हुए विभागीय जांच के आदेश दे दिए। जैसा कि मेरे मित्र और सहयोगी राम विलास पासवान जी ने कहा है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि संसद का सत्र नहीं था और हम यह नहीं पूछ सकते थे कि वे क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का कदम उठाकर अब सरकार का यह कहना कि "चूंकि यह विभागीय जांच है और हम उस पर इसे सभा पटल पर रखने के लिए ज़ोर नहीं डाल सकते हैं" एक बेतुका तर्क है, इससे इस संसद, संसद में विषय

उठाने का, हमारी चिंता का और विधायिका द्वारा कार्यपालिका पर अंकुश रखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

इसीलिए महोदय मैं आपसे अपील करता हूं। इस विषय में कोई तकनीकी बारीकियां शामिल नहीं हैं। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। इस सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, जो अब सेवानिवृत मंत्रीमंडलीय सचिव हैं, ने बताया है कि इसमें 2500 करोड़ रूपये की राशि शामिल है। सभा में न केवल एक मंत्री यह मंत्रालय का उत्तर बल्कि पूरी सरकार का उत्तर एक अभियोग पत्र की भांति है ...

मैं आपके द्वारा समय के लिए बजाई गई घंटी को सम्मानपूर्वक सुन रहा हूं और मैं, केवल यह कहकर बैठ जाऊंगा कि "कृपया तकनीकी बारीकियों में मत उलझिए"। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट पांच मिनट में प्रस्तुत कर दीजिए। कृपया कहिए कि आप ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करने के बाद हम अन्य कार्यवाही तथा मुद्दों को लेंगे जो हम सबकी चिंता के विषय हैं। वे भी अलीगढ़, मुज्जफ्फरनगर और उत्तराखंड के लिए हमारी चिंता में शामिल हों। ऐसा नहीं है कि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार का यह अडियल दृष्टिकोण आज हमारे देश के विभिन्न मुद्दों की सही और स्पष्ट व्याख्या करने में व्यवधान डाल रहा है। ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट सभा पटल पर रखिए।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : आपने ठीक ही कहा है; मुझे डर है कि आज भी मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा। वह मेरी आशंका है। जबकि विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं लेकिन जब मैं सरकार की ओर से कुछ कहना चाहता हूं तो उसमें बाधा डाली जाती है। कल भी जब मैं अपनी बात कह रहा था तो बड़ी मुश्किल से मैं कुछ कह पाया और आपने मेरी बात सुनवाने के लिए काफी प्रयास किए तब मैं कुछ बातें कह सका।

श्री जसवन्त सिंह ने शिकायत की है कि मैंने वह बात नहीं कही जो मुझे कहनी चाहिए थी। जब मुझे सभा में बोलने का अवसर ही नहीं दिया गया तो मैं अपनी बात कैसे कहता? मुझे अपनी पूरी बात कहने नहीं दिया गया और जब भी मैं कुछ कहने लगा तो उसमें व्यवधान डाला गया।

कल से यह नियम पुस्तक मैं अपने साथ ला रहा हूं और महोदय मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे अपनी बात पूरी करने दी जाए। मेरी बात पूरी होने के बाद आप अपना निर्णय दे सकते हैं और हम उसका पालन करेंगे।

महोदय, यह कोई तकनीकी मामला नहीं है। सरकार किसी तकनीक का सहारा नहीं ले रही है। हम केवल इस सभा में स्थापित परंपराओं का पालन कर रहे हैं। इस सभा की यही परंपरा रही है कि प्रशासनिक रिपोर्टें सभा पटल पर नहीं रखी जाती हैं...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : कृपया ध्यान से मेरी बात सुनिए।

महोदय, मैं नियम उद्‌घृत करता हूं। यह नियम 368 का प्रावधान (2) है...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : हां, आप उस पर तर्क–वितर्क कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री विद्याचरण शुक्ल : नियम 368 के प्रावधान (2) में कहा गया है:

> "परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण–पत्र या राज–पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दें तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा।"...**(व्यवधान)**

महोदय, मेरा यह कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा करने से रोका जा रहा है। हमें इस सभा में कोई दस्तावेज़ रखने से रोका नहीं जा रहा है। यदि आप अनुमति देंगे तो कोई भी प्रमाणित दस्तावेज़ सभा पटल पर रखा जाएगा। लेकिन इस सभा की यह परंपरा रही है कि अभी तक प्रशासनिक प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे गए हैं। और मैं उस परंपरा से हटना नहीं चाहता हूं।

मैं तीन बातें कहना चाहता हूं, एक तो यह नियम विशेष है, दूसरे इस प्रकार सार्वजनिक रूप से नाम बताने से जो कठिनाइयां पैदा होंगी और तीसरे मैं दोनों सभाओं में इस सुस्थापित अभिसमय और परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता कि प्रशासनिक प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखे जाते हैं।

महोदय, अनेक प्रकार की प्रशासनिक जांचे होती रहती हैं और हर महीने अनेक प्रशासनिक जांचें होती रहेंगी। कुछ का इस सभा में उल्लेख किया जाएगा और कुछ का नहीं लेकिन जब भी प्रशासनिक जांच की जाएगी और उसके लिए यह मांग की जाएगी कि इन्हें सरकारी फाइलों से निकाल कर सभा पटल पर रखा जाए तब तो इस प्रकार से कार्य करना सरकार के लिए कठिन हो जायेगा, क्योंकि यह प्रशासनिक जांचें हमारे आंतरिक प्रयोजनों के लिए होती हैं और हम यहां कह ही रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण जानकारी है।

श्री ज्ञान प्रकाश की नियुक्ति इसलिए की गई थी कि वह कमियों, कठिनाइयों तथा इस मामले विशेष की विभिन्न समस्याओं के बारे में बता सकें। उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। उस प्रतिवेदन के आधार पर आज सभा में अतारांकित प्रश्न का उत्तर भी दिया जा चुका है।

महोदय, जब इस अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिया गया था तब मैंने कहा था कि हम जो वक्तव्य देंगे वह इस अतारांकित प्रश्न के उत्तर से और अधिक विस्तार से होगा और यदि किसी माननीय सदस्य को यह संदेह है कि कोई तथ्य छुपाया जा रहा है तो उसे प्रतिवेदन देखने और पहले पृष्ट से अंतिम पृष्ठ तक उसे पढ़ने की स्वतंत्रता है ताकि वह यह सुनिश्चित कर सके कि क्या सरकार द्वारा कोई तथ्य छुपाया जा रहा है या नहीं।

मेरा यह कहना है कि यदि किसी मंत्री या किसी अधिकारी का नाम इस प्रतिवेदन में होगा तो उसे छुपाया नहीं जाएगा और अपने वक्तव्य में हम वह नाम भी बता देंगे। लेकिन सच को छुपाने या इस प्रतिवेदन के किसी भाग को छुपाने की बात की जांच माननीय सदस्य आपके कक्ष में जाकर प्रतिवेदन देखकर कर सकते हैं। वक्तव्य में यह बताया जाएगा कि यह घटना क्यों और कैसे घटी तथा इसके बाद क्या कार्यवाही की गई।

अब मेरा यह तर्क पूरा हो जाता है कि हम माननीय सदस्यों की इस मांग को क्यों नहीं पूरा कर पा रहे हैं हालांकि मैं चाहता हूं कि यह सभा पटल पर रखी जाये लेकिन हम इस सभा में अभी तक पालन की जाती रही परंपराओं और प्रथाओं को नहीं तोड़ना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : वे एक और बात चाहते है। वे इस पर चर्चा चाहते हैं। इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमने कहा है कि वक्तव्य के बाद हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री जसवंत सिंह : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

हमारी तीन मांगे हैं; (क) सभा पटल पर पूरा प्रतिवेदन रखा जाए, (ख) सरकार प्रतिवेदन पर विस्तृत वक्तव्य दे, और (ग) बाद में इस पर चर्चा की जाए। मैं चर्चा की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि यह आपकी स्वीकृति के अध्यधीन है और आप यह निर्णय करेंगे कि इस पर कब चर्चा की जाए। सरकार को चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं दूसरे प्रश्न पर भी ज़ोर नहीं दे रहा हूं कि सरकार को विस्तृत वक्तव्य देना चाहिए क्योंकि सरकार का कहना है कि वह वक्तव्य देगी।

पहले प्रश्न के बारे में मेरा कहना है कि सरकार ने एक नियम विशेष उद्धृत किया है और इस प्रतिवेदन विशेष को सभा पटल पर रखने में अक्षमता व्यक्त की है क्योंकि यह एक प्रशासनिक प्रतिवेदन है। मैं इस बारे में दो बातें कहना चाहता हूं।

आपका एक व्यक्ति के रूप में और आपके पद का सम्मान करते हुये मेरा पहला निवेदन है कि इस संबंध में अध्यक्ष की कोई भूमिका नहीं है। अध्यक्ष सरकार को सभा पटल पर यह प्रतिवेदन रखने के लिए निदेश नहीं दे सकता है। महोदय, मेरी बात को पीठासीन अधिकारी का अपमान न माना जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की भावना को समझ रहा हूं।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, फिर भी आप अवशिष्ट शक्तियों के माध्यम से कुछ कर सकते हैं। मैं पीठासीन अधिकारी से निदेश नहीं चाहता हूं। मेरा यह कहना है कि सभा पटल पर प्रशासनिक प्रतिवेदन रखना सरकार के अधिकार में है। मैं कौल और शकधर के पृष्ठ 969 का उल्लेख करता हूं जो सभा पटल पर दस्तावेज़ रखने के अधिकार के बारे में है। मैं अध्यक्ष के विनिर्णय का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं दस्तावेज सभा पटल पर रखने के अधिकार की और किसे यह निर्णय करने का अधिकार है कि कौनसा दस्तावेज़ सभा पटल पर रखा जाए उसकी बात कर रहा हूं। मैं थोड़ा और समय लेते हुए **संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार** से उद्धृत करता हूं क्योंकि मैं इसे आवश्यक समझता हूं,

> "सामान्यतया मंत्री दस्तावेज़ों को सभा पटल पर रखते हैं। अधिकतर दस्तावेजों को संविधियों या संविधान के उपबन्धों या प्रक्रिया नियमों तथा अध्यक्ष के निदेशों के अनुसार सभा पटल पर रखा जाना जरूरी है।"

हम अध्यक्ष महोदय से निदेश नहीं मांग रहे हैं। मैं आपके विद्वान पूर्वाधिकारियों द्वारा दिए गए विनिर्णय का उल्लेख करता हूं:

> "यह निर्णय करना सरकार का कार्य है कि क्या विभागीय समिति का प्रतिवेदन अथवा कोई प्रतिवेदन विशेष सभा पटल पर रखा जाना चाहिए या नहीं"

हम सरकार से अपील कर रहे हैं और मैं भी यही बात कह रहा हूं। मैं अध्यक्ष के विदेश की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि सरकार को यह अधिकार है कि वह प्रशासनिक प्रतिवेदन के बारे में भी निर्णय कर सकती है कि उसे सभा पटल पर रखे या नहीं। सरकार यह कह रही है कि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह नहीं कहा कि हमारे पास अधिकार नहीं हैं। मैंने केवल यह कहा है कि हम परंपरा नहीं तोड़ना चाहते।

श्री जसवन्त सिंह : महोदय, 'अधिकार' के स्थान पर अब इन्होंने कहना शुरू कर दिया है 'हम ऐसा नहीं करना चाहते'।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने स्पष्ट रूप से यह बात कही हैं।

श्री जसवन्त सिंह : मैं उसे समझता हूं। पहले हम यह मानते थे कि सरकार ने यह कहा है कि ऐसा करना उसके लिए बाध्यकारी नहीं है। अब सरकार कह रही है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती है। मैं **संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार** के पृष्ठ 970 में से उद्धत कर रहा हूं :

> "केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच हुए पत्र–व्यवहार को सभा पटल पर रखने अथवा सदस्यों को उसे परिचालित करने का दायित्व..."

शहाबुद्दीन जी एक तरीका है। यदि वे शर्म महसूस करते हैं, यदि वे तकनीकी बारीकियों में जाते हैं तो सरकार को इसे सभी सदस्यों को परिचालित करने से कौन रोकता है? इसे इस सभा के प्रत्येक सदस्य को भेज दिया जाए। हालांकि इसे सभा पटल पर नहीं रखा गया है, फिर भी इससे सभी की संतुष्टि हो जायेगी क्योंकि तब यह सार्वजनिक हो जाएगी। मैं फिर से उद्धत करता हूं:

> "केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच हुए पत्र–व्यवहार को सभा पटल पर रखने अथवा सदस्यों को इसे परिचालित करने का दायित्व सरकार का है।"

एक बार फिर हम अध्यक्ष महोदय के निदेश की मांग नहीं कर रहे है। इसलिए इस मुद्दे पर सरकार का यह कहना कि कोई पूर्वोद्धाहरण नहीं है अत्यंत बेतुका स्पष्टीकरण है क्योंकि यह अति लोक महत्त्व का विषय है। यह संपूर्ण जांच कार्य संसद में चिंता व्यक्त करने के कारण की गई थी और जैसा कि पहले भी कहा गया है कि इस प्रकार संसद में किसी मुद्दे को उठाने का, उस पर चिंता व्यक्त करने का महत्त्व ही समाप्त हो जाएगा। हमने यह विषय उठाया, आपने उस पर प्रशासनिक जांच के आदेश दे दिए और फिर कहा कि "नहीं, इसे सभा पटल पर रखना मेरे लिए संभव नहीं है।" महोदय, यह तकनीकी बारीकियों या पूर्वोद्धाहरण का प्रश्न नहीं है। हम अध्यक्ष महोदय के निदेश की भी मांग नहीं कर रहे हैं। हम

सरकार से कह रहे हैं कि आपके पास अधिकार है आप इसे सभा पटल पर रखिए अथवा जैसा मेरे मित्र शहाबुद्दीन साहब ने पहले कहा है कि इसे सदस्यों को परिचालित कर दिया जाए। यदि आप इसे सभा पटल पर नहीं रखना चाहते क्योंकि आप इतने बड़े मुद्दे को देखते हुए भी इसकी तकनीकी बारीकियों में ही उलझे रहना चाहते हैं तो इसे सभी सदस्यों को परिचालित कर दीजिये। महोदय, मैं सरकार से यही अपील करता हूं...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, क्या मैं एक बात कह सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : हां

...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, मैं किसी तकनीकी बारीकियों का सहारा नहीं ले रहा हूं। मेरा यह कहना है कि यदि संसद में किसी विषय के बारे जानने की मांग की जाती है तो हम उसकी जांच करते हैं। हमने इसकी जांच की है और जांच करने के बाद हमें जो जानकारी मिली है वह हम उन्हें दे रहे हैं। यह प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने या न रखने का प्रश्न है। केवल यही विवाद है और अन्य कोई बात नहीं है। प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी तथ्य माननीय सदस्यों के सामने है।

श्री जसवन्त सिंह : मैंने परिचालित करने का प्रस्ताव किया है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सभी तथ्य माननीय सदस्यों के सामने हैं। सरकार द्वारा जो वक्तव्य दिया जाएगा और उसके बाद जो चर्चा होगी उसमें सबको सभी तथ्यों की जानकारी मिल जाएगी। महोदय, बात केवल यह है कि सन् 1952 से इस सभा की यह एक स्थापित परंपरा है कि कोई प्रशासनिक प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा जाता है। मैं उस परंपरा को तोड़ना नहीं चाहता और न ही मैं यह चाहता हूं कि श्री जसवन्त सिंह सभा की इस परंपरा को तोड़ने की मांग करें। मैं केवल यही कह रहा हूं। अन्यथा, संपूर्ण तथ्य...**(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : यदि माननीय मंत्री आधे मिनट के लिए मान जाएं तो मैं उनके इस शिष्टाचार का बहुत आभारी होऊंगा। यदि आप इसे सभा पटल पर नहीं रखना चाहते, तो इसे सभी सदस्यों के बीच परिचालित कर दें।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं कह रहा हूं कि यह अध्यक्ष महोदय के पास उपलब्ध है। प्रत्येक सदस्य वहां जाकर उसे देख सकता है। सदस्यों पर कोई रोक नहीं है। यदि आपको अध्यक्ष महोदय के कक्ष में जाकर उसे देखने में कोई आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। ...**(व्यवधान)** आपको वहां जाने और उसे देखने की पूरी स्वतंत्रता है। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सैफुद्दीन, मैं आपको अनुमति दूंगा। मैं कानूनी मुद्दे पर आपकी बात सुनूंगा। आपने कहा कि आप कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

... **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मंत्री जी ने कोई कानूनी मुद्दा पेश नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नियम उद्धृत किया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उस नियम का इस बात से कोई संबंध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इसी बात की व्याख्या करेंगे।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक तथ्य जो सामने नहीं आया है उसे दलील देने के लिए पेश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया है और इसलिए वे ऐसा नहीं कह सकते कि यदि उनके वक्तव्य में किसी दस्तावेज को उद्घृत किया गया है, तो उन्हें वह सभा में अवश्य देना होगा। ऐसा अभी होना है। यहां तक कि इससे पहले कि वे कोई वक्तव्य दे, हम यह मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट को ज्ञान प्रकाश समिति को सौप देना चाहिए जो इस सभा में मांग किए जाने के बाद गठित की गई थी। सरकार लोगों द्वारा की जाने वाली पूछताछ तथा सार्वजनिक जानकारी से बचने के लिए इसे एक साधन के रूप में उपयोग नहीं कर सकती है। आप प्रशासनिक जांच के आदेश दीजिए और फिर सभा में रिपोर्ट न देने के लिए आप कहिए कि इसे आपने किसी वक्तव्य से उद्धृत नहीं किया है। आपने इसे उद्घृत नहीं किया होगा लेकिन आपने रिपोर्ट का हवाला दिया होगा। इसलिए, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि लोगों को इस घोटाले की जानकारी प्राप्त हो। मुख्य मुद्दा यही है, महोदय। इस सभा में हम यह मांग करते है कि इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भविष्य में इतने बड़े पैमाने पर हुए घोटाले में कोई सरकार ऐसी प्रशासनिक जांच न करवाए जिसमें मामलों के संबंध में सच्चाई को लोगों की जानकारी से दूर रखा जाए। आने वाले समय में इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन मामलों की सार्वजनिक जांच होनी चाहिए तथा उनकी जानकारी लोगों को होनी चाहिए जिन मामलों ने सभी लोगों को चिन्ता में डाला है। यही हमारी चिन्ता का विषय है। जिस नियम की बात वे कर रहे हैं उसका यहां कोई संबंध नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : कल एक वक्तव्य दिया मया था कि पूरे मामले को लोगों की जानकारी में लाया जाएगा। वक्तव्य देने के बाद ही इसे लोगों की जानकारी में लाया जाएगा। इसके बाद जो चर्चा होगी वह इसे और स्पष्ट कर देगी। सभी को सब कुछ मालूम हो जाएगा।...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हो सकता है आपके वक्तव्य में पूरा सच न हो।

श्री बसुदेव आचार्य : मेरे पास एक नया मुद्दा है, महोदय। ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : सभा की एक प्रथा है और मैं इस प्रथा को तोड़ नहीं सकता। ऐसा करने में मैं अपनी असमर्थता स्वीकार करता हूं।...**(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत [illegible] (मिदनापुर) : मुझे यह कहते हुए बहुत दुःख हो रहा है महो[illegible] जब माननीय मंत्री जी इस रिपोर्ट को

सभा पटल पर प्रस्तुत करने के विरोध में अपने तक दे रहे थे, तब केवल एक मुख्य तर्क को ही उन्होंने अपना सहारा बना लिया था और वह तर्क था, जिसे वे स्वयं प्राविधिकता कहते हैं अर्थात कुछ अधिकारियों अथवा कुछ व्यक्तियों की गोपनीयता का सम्मान करने की आवश्यकता। **(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कहने से आपका क्या तात्पर्य है कि आपको पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई। कल भी आप इसी बात पर तर्क कर रहे थे। कल, आप उस आधार पर तर्क नहीं दे रहे थे जिस पर आज दे रहे हैं। श्री शुक्ल जी आज आपका मुख्य तर्क यह है कि यह एक चिरप्रचलित प्रथा एवं परम्परा है और जिसे सन् 1952 से अपनाया जा रहा है और इसलिए उस परिपाटी को तोड़ने वाले आप प्रथम मंत्री नहीं बनना चाहेंगे। ऐसी प्रशासनिक समिति की रिपोर्टों को कभी भी सभा पटल पर नहीं रखा गया है और इस रिपोर्ट को भी नहीं रखा जाएगा। जो तर्क आप कल दे रहे थे यह उससे बिल्कुल भिन्न है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल जिस बात पर आप तर्क दे रहे थे, वह ऐसा मुद्दा था जिसके हल का रास्ता ढूंढने के लिए हम सब आपके साथ बैठने को तैयार थे कि किस तरह से कुछ लोगो के नामों पर ध्यान न दिया जाए जो यह नहीं चाहते हैं कि उनके नाम को प्रकट किया जाए। ऐसा हो सकता था। ऐसा करना कठिन नहीं है। आज आप कह रहे हैं कि यह प्रथा का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक समितियों का गठन अनेक बातों पर गौर करने के लिए किया जाता है। क्या हम इन सभी मसलों को समान दृष्टि से केवल इसलिए देखें क्योंकि यह एक प्रशासनिक मामला है? क्या एक प्रशासनिक मामले को उसके विस्तार, महत्ता तथा उसमें निहित लोक महत्त्व के परिमाण को ध्यान में रखे बिना किसी अन्य प्रशासनिक मामले के समान माना जा सकता है? यह एक ऐसा मामला है जिसमें सैकड़ों और हजारों करोड़ रू., मुझे नहीं मालूम कि कितने करोड़ रू. जनता का धन स्वयं सरकार की कुछ गलतियों अथवा कमियों के कारण चीनी मिल मालिकों, चीनी के थोक बिक्रेताओं तथा अन्य लोगों की जेबों में चला गया। यह एक ऐसा मामला है जहां सरकार की करनी के कारण अथवा सरकार द्वारा कुछ न कर पाने के कारण 12 रू. प्रति किलो की दर पर चीनी खरीदने वाली जनता को अचानक रातों–रात 20 रू. प्रति किलों की दर पर चीनी खरीदनी पड़ी। क्या यह एक ऐसा मामला है जिसे किसी अन्य प्रशासनिक मामले की तरह आराम से निपटाया जाए? इसलिए हम यह मानते हैं कि यह एक बड़ा घोटाला है जो हाल ही में हुए कुछ अन्य घोटालों से ऊपर है। यह एक ऐसा मामला है जिसे जानने के लिए जनता काफी इच्छुक है और यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में जनता जानना चाहती है कि ऐसा क्यों हुआ और ऐसा किस तरह से हुआ। आप आज प्रस्तुत किए गए अतारांकित प्रश्न के जवाब को देखिए उसमें कहा गया है : "निम्नलिखित कारकों के कारण ये घटनायें घटीं।" वे कारक यह दर्शाते हैं कि सरकार अपने विभागों और मंत्रालयों को कुछ सिद्धांतों तथा कुछ प्रक्रियाओं का बिना अनुकरण किए संचालित कर रही है जब कि उनका अनुपालन करने के लिए सरकार बाध्य होती है। वह ऐसा नहीं कर रही है। निःसंदेह, यदि कोई चर्चा होती है, तो हम इस मुद्दे पर अधिक विस्तारपूर्वक बोलेंगे। लेकिन यह एक अति गंभीर मामला है। ऐसा दुबारा भी हो सकता है। यह बार–बार हो सकता है। इसके विरूद्ध कोई रक्षोपाय नहीं है। जनता के हित के लिए कोई संरक्षणात्मक उपाय नहीं हैं। यदि आपको यही तरीका अपनाना है और इस तकनीकी तर्क के पीछे टाल–मटोल करना है कि चूंकि कोई प्रशासनिक रिपोर्ट सभा पटल पर नहीं रखी गई है, इसलिए यह रिपोर्ट भी सभा पटल पर नही रखी जाएगी मानों वे सब एक समान हों, हम इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानते।

मैं जानना चाहूंगा कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसकी प्रतियां करवाकर उन्हें सभी सदस्यों को देने में क्या अन्तर है जबकि आप पूरी रिपोर्ट अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखने के लिए तैयार हैं। कृपया मुझे समझाइए। आपने कल कहा था कि नेतागण जा कर उसे देख सकते हैं। आज आप कह रहे हैं। कोई भी सदस्य जाकर देख सकता है। उसमें और सभी सदस्यों को उसकी प्रतियां परिचालित करने के बीच क्या अन्तर है? सभी सदस्यों को प्रतियां परिचालित करने और सभा पटल पर उसे रखने में क्या अन्तर हैं? आपको उसे सभा पटल पर रखने की आवश्यकता नहीं है।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं यह समझाता हूं। चूंकि हम ऐसे मामलों को अत्यधिक महत्त्व देते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यहां उस पर पूरी चर्चा हो। हम यहां बहस के लिए आए हैं। हम चर्चा को रोक नहीं रहे हैं। इस मामले पर चर्चा का हम स्वागत करते हैं और चर्चा होने दीजिए, उससे सारा मामला स्पष्ट हो जाएगा।

जनता को यह जानना चाहिए कि जहां कहीं भी सरकार की तरफ से कोई गलती हुई होगी, हमें उसे स्वीकार करने में खुशी होगी और हम देखेगे कि उसे ठीक किया जाए। हम सदस्यों के सुझावों का स्वागत करेंगे, वे हमें बताये कि ये कठिनाइयां हैं जिन्हें दूर करना है और ये व्यक्ति दोषी है जिन्हें सज़ा दी जानी चाहिए। यदि ऐसा हो, तो उन्हें चर्चा में उछाला जाएगा। हम निश्चय ही उसका ध्यान रखेंगे और चर्चा के बाद तदनुसार कार्यवाही करेंगे।

जहां तक इस रिपोर्ट को अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखने के मामले का संबंध है, उसको रखने के अनेक तरीके हैं–मैं कहूंगा कि उसे रखने के चार तरीके हैं। एक तो उसे सभा पटल पर रखना, दूसरा ग्रन्थालय में उसकी प्रतियां रखना जहां प्रत्येक सदस्य जा कर उसे देख सके। यहां तक कि प्रेस का भी कोई व्यकित जाकर उसे देख सके। तीसरा तरीका जिसका सुझाव दिया गया है वह यह है कि सभा पटल पर रखे बिना इसकी एक–एक प्रति प्रत्येक सदस्य को दे दी जाए और चौथा तरीका कि इसे आपके कक्ष में रख दिया जाए जहां कोई भी सदस्य जाकर उसे देख सके।

मैंने नेताओं का नाम इसलिए लिया था क्योंकि अपने दल की ओर से नेता ही अध्यक्ष के कक्ष में सुझाव देने और उनसे परामर्श करने जाते हैं। मेरा अर्थ यह नहीं है कि केवल नेताओं को ही अनुमति दी गई है और दूसरों को वंचित किया गया है। यह आप पर निर्भर है। यदि आप अन्य सदस्यों को भेजना चाहते हैं तो वे जा सकते हैं और उसे देख सकते हैं ...**(व्यवधान)** लेकिन मैं कह रहा हूं कि सही बात तो यह होगी कि चर्चा होने दीजिए और चर्चा के बाद, हम चर्चा का जवाब देंगे और उसे स्वीकार करेंगे अथवा उन सुझावों पर अपनी राय देंगे जो चर्चा के दौरान सामने आयेगे ...**(व्यवधान)**

मुझे विश्वास है कि चर्चा के समय सभा हमारे लिए काफी उपयोगी सुझाव देगी जिससे हम कार्यवाही कर सकेंगे और भविष्य में ऐसी कठिन स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

चीनी की कमी अथवा चीनी का आयात अथवा ऐसा कोई भी मामला ऐसा मामला. नहीं है जिसके साथ हम पक्षपातपूर्ण रवैया अपनायें ...**(व्यवधान)** यह ऐसा मामला है जिसके लिए हम सब चिन्तित हैं। हम यह चाहते हैं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए, आज तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए हमने उस विशिष्ट विषय की प्रश्नावली में पूछी गई मुख्य बातों का उल्लेख किया है।

महोदय, मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे रिपोर्ट देखें, सभा पटल पर प्रस्ताव रखे और इस मामले पर पूर्ण चर्चा करें। इस बहस के बाद हम आवश्यक कार्यवाही करेंगे ताकि इस देश में ऐसी बातें न दोहरायी जाएं। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : जी नहीं, महोदय मैं भी कोई तकनींकी बात नहीं कह रहा। मैं यह कहना नहीं चाहता कि हम इस रिपोर्ट को कैसे देखेंगे। आप उसे परिचालित करें। अब आप उसे अध्यक्ष के कक्ष में रखने के लिए तैयार हैं। आप कल उसे वहां रखने के लिए तैयार नहीं थे। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर (मईलादुतुराई) : यह कार्यवाही वृतान्त में भी है, हम कल भी तैयार थे। **(व्यवधान)**

श्री जसवन्त सिंह : अब वह कह रहे हैं कि वह सभी सदस्यों के देखने के लिए उसे अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखने के लिए तैयार हैं। यह कोई व्यावहारिक सुझाव नहीं है ...**(व्यवधान)** उनके पास अब दो विकल्प हैं। उन्होंने चार का उल्लेख किया है। वह उसे ग्रन्थालय में रखवा सकते हैं, यदि उन्हें उसे परिचालित करने में शर्म महसूस हो रही है तो वे उसे पुस्तकालय में रखवा सकते हैं ताकि सभी सदस्य देख लें। ...**(व्यवधान)** उन्हें यह मानने दीजिए कि वे उसे ग्रन्थालय में रखवायेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकिशोर सिंह जी, कृपया संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष जी मैं दो मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, मैं संसदीय कार्य मंत्री की याददाश्त ताजा करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी आपकी मदद करनी चाहिए इसलिए संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह : पाँचवीं लोक सभा में, आज से 20 साल पहले लाइसेंस स्कैंडल के सम्बन्ध में इसी तरह का विवाद हुआ था। तक भी इसी तरह से हाउस चल रहा था तो अन्त में तय हुआ था कि लाइसेंस स्कैंडल की लाइब्रेरी में रिपोर्ट रख दी जायेगी। मैं कहना चाहता हूं कि शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट लाइब्रेरी में रख दी जाये।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, सरकार द्वारा जिस समिति को नियुक्त किया गया था—एक सदस्यीय समिति—उसे प्रशासनिक समिति कैसे कहा जा सकता है क्योंकि जिस व्यक्ति को एक सदस्यीय समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है वह बाहर का व्यक्ति है?

वह भारत के पूर्व नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि यह रिपोर्ट इनके आन्तरिक उद्देश्यों के लिए है। उन्होंने यही सभा में कहा था। इस रिपोर्ट को किसी अन्य प्रशासनिक रिपोर्ट की तरह साधारण रिपोर्ट नहीं माना जा सकता। यह एक अति महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट है। सभा में इसके लिए मांग की गई थी। चूंकि हमने यह मांग की थी इसलिए सरकार को एक सदस्यीय समिति नियुक्त करनी पड़ी, जिसने पूरी समस्या के बारे में जांच की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। महोदय, संसदीय कार्य मंत्री आपके कक्ष में रिपोर्ट रखने के लिए तैयार हो गए हैं और उन्होंने कहा है कि यह रिपोर्ट सभी 540 सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी और सभी माननीय सदस्य आपके कक्ष में जाकर उस रिपोर्ट को देख सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। यह एक भारी रिपोर्ट है। मैं नहीं जानता कि उसमें कितने पृष्ठ हैं। उसे पढ़ने में एक सदस्य को कम से कम एक घंटा लगेगा।**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही—वृतान्त में नहीं शामिल किया जा रहा है।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब वह उसे आपके कक्ष में रखने के लिए तैयार हो गए हैं, तो इस रिपोर्ट को संसदीय पुस्तकालय में क्यों नहीं रखा जा सकता—एक प्रति नहीं, बल्कि पर्याप्त अनेक प्रतियां—ताकि हम उसकी जांच कर सकें? उस रिपोर्ट के बिना हम यहां क्या चर्चा कर सकते हैं? ...**(व्यवधान)** वे संसदीय ग्रन्थालय में उसकी पर्याप्त प्रतियां रख दे और हम वहां से ले लेंगे।

इसलिए, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसमें सरकार द्वारा सभा पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने, यहां तक कि किसी प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में भी कोई अड़चन हो।

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी बहुत आभारी हूं। मैं माननीय सदस्यों, विशेषकर श्री जसवन्त सिंह द्वारा व्यक्त किए गए विचारों की प्रशंसा करती हूं। हम इस बात से भी सहमत हैं कि यह एक लोक महत्त्व का मामला है। ....**(व्यवधान)**

आप मुझे बोलनै की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। मुझे बोलने दें। आप ताली क्यों बजा रहे हैं? मैं आपसे तालियां बजाने को नहीं कह रही हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह आपसे केवल यह कह रही हैं कि आप उनका वक्तव्य पूरा होने के बाद ताली बजाएं।

** कार्यवाही —वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बनर्जी : हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में यदि लोक महत्त्व के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वह हमें करना होगा। मैं समझती हूं इस घोटाले में, अपराधी व्यक्तियों को अवश्य सजा मिलनी चाहिए और लोगों को मालूम होना चाहिए कि वास्तव में इस घोटाले में कौन लोग लिप्त हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने पहले ही कह दिया है कि प्रशासनिक कारणों से इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता, लेकिन इसके साथ ही ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : वह प्रशासनिक कारण क्या है?

कुमारी ममता बनर्जी : मैं आपको जवाब नहीं दे सकती। कृपया मुझे कह लेने दीजिए।

मंत्री जी ने कहा है कि यह संसदीय ग्रन्थालय में और अध्यक्ष महोदय के कक्ष में उपलब्ध होगा। हम इस पर पूर्ण चर्चा कर सकते हैं ताकि हम इस मामले पर गंभीरता से विचार–विमर्श कर सकें और उस पर विस्तृत चर्चा कर सकें कि वास्तव में कौन लोग दोषी हैं और कौन नहीं। यह राजनीति का मामला नहीं है। इस मामले में जनता का हित शामिल है। इसलिए, मैं जो कुछ भी संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर पूर्ण चर्चा करने के बारे में कहा है, उससे सहमत हूं। इसके साथ ही, मैं माननीय विपक्ष के सदस्यों से यह जानना चाहूंगी कि उनके राज्य के विधान सभाओं में ऐसी कितनी प्रशासनिक रिपोर्टें सभा पटल पर प्रस्तुत की गई हैं। कृपया हमें यह तथ्य भी जनने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : कितनी बार वे सरकार को सभा पटल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जोर दे चुके हैं। ...**(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : कोई रिपोर्ट नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम यहां सफल हो जायेंगे। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, हम यहां पर लोक महत्त्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए चुने गए हैं न कि यहां उन मामलों की चर्चा होने देने के लिए। मैं समझती हूं कि सत्ता पक्ष में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस लोक महत्त्व के मामले पर चर्चा करने के संबंध में विपक्ष से पीछे हो।

मैं समझती हूं कि संसद की अपूरणीय क्षति हुई है। महोदय मैं आपके माध्यम से यह बात श्री जसवन्त सिंह जी को कह रही हूं। मैं समझती हूं कि उस समय संसद की अपूरणीय क्षति हुई है जब विपक्ष के हमारे मित्र हमें लोक महत्त्व के मामलों पर विचार–विमर्श करने से रोक रहे थे।

अब, श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा की गई टिप्पणी से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस रिपोर्ट को अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखने और इसे सदस्यों को परिचालित करने के बीच कोई अन्तर नहीं है क्योंकि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने स्वयं यह पूछा है कि "इन दोनों के बीच क्या अन्तर है"? उन्होंने श्री शुक्ला जी से यह प्रश्न पूछा था। मैं शुक्ला जी की ओर से यह प्रश्न पूछती हूं। इन दोनों के बीच क्या अन्तर है? चूंकि श्री इन्द्रजीत गुप्त का विचार यह है कि रिपोर्ट को अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखने और रिपोर्ट को परिचालित करने के बीच कोई खास अन्तर नहीं है, अतः इस आधार पर चर्चा में कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी, मैं यह दोहराना चाहूंगी कि पिछले दो दिन में हमारी संसदीय कार्यवाही में इस प्रकार के व्यवधान के आने से बहुत पहले संसदीय कार्य मंत्री ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में यह कहा था कि इस व्यापक रिपोर्ट के अतिरिक्त, जिसे यहां सभा पटल पर रखा जाएगा, सभा में सरकार द्वारा यथासंभव एक और व्यापक वक्तव्य प्रस्तुत किया जाएगा। उस समय उन्होंने कहा था कि वे पूरी रिपोर्ट को अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रखेंगे ताकि यदि कोई विसंगति पाई जाए तो वह जनता के ध्यान में लाई जाएगी। श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा दिए गए तर्क कि हम लोगों को इस बात की जानकारी देने से बचने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। हम पूरे मुद्दे को जनता के समक्ष ला रहे हैं लेकिन इस सभा की परम्परा के अनुसार यह संसदीय शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है कि सभा का कार्य रोकने के लिए सत्ता पक्ष के सदस्यों को बोलने से रोका जाए, सभा के बीचोंबीच आया जाए, मैं शिष्टतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं महोदय कि यह संसदीय कार्य मंत्री का कार्य है कि वे गलत परम्परा न डालें। इस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना एक गलत परम्परा होगी और चूंकि श्री इन्द्रजीत गुप्त जी के कथनानुसार अध्यक्ष महोदय के कक्ष में रिपोर्ट रखने और उसे सदस्यों के बीच परिचालित करने में कोई अन्तर नहीं है मैं यह सुझाव दूंगा कि हम संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जो कुछ भी कहा गया है, उससे सहमत हों और हमें, संसद को प्रेस की और देश को इस मुद्दे के सार तक पहुंचने की अनुमति दीजिए जोकि ज्ञान प्रकाश समिति की रिपोर्ट का निष्कर्ष है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : आप जैसे एडवाइज़र लोग आ गए हैं, तो आन्ध्र प्रदेश में सरकार बदल गई हैं। **(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर : आप जैसे एडवाइजर हैं...,* मैं इस के बारे में बात करना चाहता हूं ...* आपने जार्ज फर्नान्डीज को ... **(व्यवधान)** आप जैसे एडवाइजर हैं, तो वी.पी. सिंह तबाह हुए हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आप सभी ने इसका समर्थन किया था। आपने ताली बजाकर सपोर्ट किया था।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य राम विलास पासवान जी पर सीधा आरोप लगाया गया है।

श्री राम विलास पासवान : उनको सब अधिकार है, लगाने का उन्हें इसकी छूट मिली हुई हैं। ...**(व्यवधान)**

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : संसदीय परम्परा की चर्चा कर रहे हैं। संसदीय परम्परा नई स्थापित हो रही है। ... **(व्यवधान)** संसदीय परम्परा नई स्थापित हो रही है। ...**(व्यवधान)**

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, केवल दो–तीन बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो शुक्ला जी ने तीन–चार ऑपशन्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट को हम सब मिल कर देख सकते हैं। सब मैम्बर्स देख सकते हैं। यह जो रिपोर्ट है, एक असाधारण रिपोर्ट है, अगर साधारण रिपोर्ट होती तो सब मिल कर

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

कभी प्रैस नहीं करते। आप इतनी एन्क्वायरी करते हैं, हमने कभी इस तरह की एन्क्वायरी में डिटेल में जाने का काम नहीं किया है। आपने नदवा पर छापा मारा, हम लोगों ने उसको प्रैस नहीं किया, स्ट्रैस नहीं किया। यह मामला गम्भीर है, इसमें जनता का पैसा डूबा है, इस लिए इस लिहाज से यह रिपोर्ट असाधारण है।

शुक्ल जी ने 3–4 ऑप्शन अभी आपके सामने दिये थे, उसमें आपके चेम्बर में सभी मेम्बर्स को अलाऊ करने के लिए उन्होंने कहा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शुक्ल जी ने यह भी कहा था कि हम उस रिपोर्ट को लाइब्रेरी में रख देंगे, यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह बात कही है। ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैंने यह नहीं कहा कि मैं लाइब्रेरी में रखूंगा, यह कहा गया कि यह 4–5 तरीके हैं। हमने तो यह कहा कि स्पीकर साहब के चेम्बर में रखी जाएगी, लाइब्रेरी में नहीं रखी जाएगी।

श्री शरद यादव : आपने यह तरीके बताए थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या रिपोर्ट को यहां टेबल पर रखने में आपकी नाक नीची हो जाएगी। आप चेम्बर में रख रहे हैं तो पार्लियामेंट के चेम्बर में आप सारे मेम्बरों को पढ़ने के लिए दे रहे हैं, अब यदि उनको यह सुविधा हो जाए कि वें लाइब्रेरी में जाकर पढ लें, इस कमरे से उस कमरे में पढ ले तो इसमें आपके इस आर्गुमेंट में कौन–सा अंतर हो जाएगा और आपका जो सिक्रेसी का या एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट को टेबल पर न रखने का काम है उसको आप सदन में नहीं रख रहे हैं, आप यहां तक तैयार हैं कि चेम्बर में रखेंगे। आप लाइब्रेरी में रख देंगे और पढ़ने के लिए यहां भी लोग जाएंगे, वहां भी जाएंगे तो इसमें क्या अंतर पड़ जाएगा।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सदन में बहुत महत्त्वपूर्ण मसले हैं जो मेम्बर बहस करना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। अब सरकार यहां टेबल पर नहीं रखना चाहती तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि लाइब्रेरी में उस रिपोर्ट को आपके चेम्बर में रख कर सारे मेम्बर्स पढ़ सकते हैं, तो लाइब्रेरी में रखन में आपको क्या दिक्कत हो रही है। वहां टेबल है, कुर्सी है, लाइट है जैसे यहां है वैसे वहां है। आदमी 1, 2, 4 कदम यहां चलेगा तो 20 कदम वहां चलेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने ही चार रास्ते बताए थे, यह रास्ता भी आप यदि मान जाते हैं तो इस सदन में जो डेडलोक हो गया है उसमें भी एक रास्ता निकल आएगा। सवाल यह है कि जो महत्त्वपूर्ण मसले छूट रहे हैं उन महत्त्वपूर्ण मसलों पर भी बहस का सिलसिला इस सदन में जारी हो जाएगा। मैं इसलिए सरकार से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इसको ले–डाउन कर दें। मतलब यहां नहीं करना चाहते तो लाइब्रेरी में इसको रख दें तो बढ़िया रास्ता निकल सकता है। ...**(व्यवधान)** मैं सोचता हूं कि शुक्ल जी इस पर एग्री थे लेकिन अब वह इस पर हट गए हैं। मेरी समझ में नहीं आता है कि देश की जनता से कोई चीज छिपाने में जो रिपोर्ट, इतने बड़े घपले की आपने इंक्वायरी करवाई तो क्या मतलब है कि आप उसको टेबल पर रखने को तैयार नहीं हैं। आप लाइब्रेरी तक में भी रखने को तैयार नहीं है, जबकि यहां आपको चेम्बर में रखने को तैयार हैं। ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष जी, जसवंत जी ठीक कह रहे हैं कि यह जो चेम्बर है उसको आप मान लीजिए वही चेम्बर है। स्पीकर साहब ही तो इस सब के मालिक हैं, इस पूरे सदन के मालिक तो स्पीकर साहब ही हैं। ये सारी चेम्बर इन्ही की है। आप क्यों नही लाइब्रेरी में रख देते हैं और मैं सोचता हूं कि इस सदन में बात को आगे बढ़ाने की आपकी जिम्मेदारी है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आप पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर हैं, आप कई बार ऐसे इंतजाम कर लेतें हैं कि अकारण ही फंस जाते हैं और यह सरकार भी फंसा देते हैं। मेरा आपसे कहने का मतलब यह है आपकी यदि इच्छा है कि जो भ्रष्ट, करप्ट लोग हैं वे पकड़े जाएं तो फिर आपको इस बात के लिए ज्यादा नहीं अड़ना चाहिए और लाइब्रेरी में इस रिपोर्ट को रख दें तो एक रास्ता निकल सकता है।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा) : महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका घन्यवाद करता हूं। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो मेरे अन्य सहयोगियों ने कही हैं। मैं एक नए मुद्दे पर बोलना चाहता हूं। चूंकि श्री जसवन्त सिंह और श्री इन्द्रजीत गुप्त नियम सम्बन्धी स्थिति और अन्य बातों के बारे में पहले ही बोल चुके हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है कि सरकार स्थापित परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहती है। सरकार का यह कहना है कि उसका विगत समय से परंपराओं मे दृढ़ विश्वास रहा हैं। मैं सरकार से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मुन्धरा मामले में तत्कालीन वित्त मंत्री श्री टी. टी. कृष्णमचारी, जो कि एक महान अर्थशास्त्री और स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू के विश्वास पात्र थे को तीन करोड़ रूपए की धोखाधड़ी के कारण अपना पद त्यागना पड़ा था और अब मंत्रिमंडल के किसी भी सदस्य ने प्रतिभूमि घोटाले में करोड़ों रूपए का नुकसान होने पर भी त्याग पत्र नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपका क्या सुझाव है?

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : महोदय, मैं अपना सुझाव दे रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रतिभूति घोटाले के बारे में लोगों के मन में जो संदेह हैं उसे दूर करने के लिए, यह बात सत्ताधारी दल के हित में है कि सरकार को स्वयं आगे आना चाहिए और रिपोर्ट की प्रतियां सभी संसद सदस्यों को उपलब्ध करवानी चाहिएं। यदि आप वास्तव में किसी दोषी व्यक्ति को बचाना नहीं चाहते हैं तो आपको रिपोर्ट की प्रतियां सदन के सभी सदस्यों को उपलब्ध करवानी चाहिएं। यही मेरा सुझाव है।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक है कि ज्ञान प्रकाश जांच समिति की रिपोर्ट में क्या है। मंत्री जी कहते हैं कि प्रशासनिक रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना आवश्यक और सुसंगत नहीं है। निसंदेह यह लोक महत्त्व का मामला है क्योंकि यह कई करोड़ रूपये का घोटाला है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रशासनिक रिपोर्ट में सिद्ध हुए प्रथम दृष्टया मामले की दृष्टि से मेरा सुझाव है कि जांच का स्तर न्यायिक जांच स्तर तक बढ़ाया जाना चाहिए। जिस समय प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए थे उस समय इसके बारे में प्रश्न उठाए गए थे और इसकी आलोचना हुई थी क्योंकि यह पूरी सच्चाई का

पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था। अतः मेरा सुझाव है कि केवल न्यायिक जांच ही इसका एकमात्र हल है।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : महोदय, मैं समझता हूं कि इसमें अंतर किया जाना चाहिए और केवल यह नहीं कहा जाना चाहिए कि यह एक प्रशासनिक रिपोर्ट है, अतः इसे सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता है क्योंकि इसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें अंतर करने का समय आ गया है। यह अन्तर करना पहले उस समय इतना जरूरी नहीं था जबकि कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व के प्रश्न ने उतना महत्त्वपूर्ण आयाम नहीं लिया था जितना कि उसने आज ले लिया है विशेष रूप से उस परिस्थिति में जबकि भारतीय राजनीति के घटनाचक्र में एक के बाद एक घोटाला सामने आया है। अतः मेरा सुझाव है कि जहां तक प्रशासनिक रिपोटों का संबंध है, केवल ऐसी रिपोर्टों के मामले में जहां मामला नितान्त रूप से प्रशासन से संबंधित हो उस मामले में ऐसी रिपोर्टो को सभा पटल पर न रखने की परिपाटी को जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन जब जांच के प्रश्नों में जनहित के पर्याप्त मामले शामिल हों जिनमें साधारण उपभोक्ता और बहुत गरीब लोगों की जेब से करोड़ों रूपए निकाले गए हों और उन लोगों की जेब में गए हों जिन्होंने चीनी के मूल्य बढ़ाने की साजिश की हो और कई तरीकों से आयात करने में सफल रहे हों, उस मामले में अन्तर किया जाना चाहिए। यह एक ऐसा मामला है जिसमें जनता शामिल है। इसीलिए हमने संसद में जांच की मांग की है। उस मांग को इस एक सदस्यीय जांच समिति ने पूरा करना था। इसके परिणाम–स्वरूप जब संसद की लोक लेखा समिति ने इस मामले को उठाना चाहा तो इसे इस आधार पर उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी कि जांच पहले से ही चल रही थी। अतः अन्य प्रशासनिक रिपोर्टों और इस तरह की रिपोर्टों जिनमें पर्याप्त लोकहित शामिल हैं, के बीच अन्तर करना होगा। यह एक ऐसा सिद्धान्त है जिसे स्वयं उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अन्तर्गत कानून बनाने के लिए राज्यों और संसद के क्षेत्राधिकार के मामले में लागू किया है। यह सारगर्भिता और मूल मुद्दे का सिद्धान्त है अर्थात् इस रिपोर्ट का मूल मुद्दा क्या है और क्या इसका मूल मुद्दा जनहित के मामले से संबंधित है और क्या यह इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसे जनता के समक्ष लाना आवश्यक है।

उस स्थिति में उसे सभा पटल पर न रखने का प्रश्न ही नहीं उठेगा।

श्री चिरंजी लाल शर्मा (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्ष के अपने विद्वान मित्र द्वारा दिए जा रहे तर्कों को बहुत ध्यान से सुना है। मैं श्री जसवंत सिंह जी और श्री शरद यादव जी द्वारा कही बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। श्री जसवंत सिंह जी ने कौल और शकधर की पुस्तक से उद्दत किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर नहीं सुनना चाहता। आप अपनी बातें कहिए और अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, प्रश्न बहुत साधारण है। संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने जो तर्क दिया है वह यह है कि इसके चार रास्ते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सरकार रिपोर्ट को पुस्तकालय में रखने को तैयार है। उन्होंने कहा है कि इसके चार रास्ते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात पर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। यह जरूरी है क्योंकि श्री शरद यादव जी ने यह कहते हुए संसदीय कार्य मंत्री जी के वक्तव्य पर जोर दिया है कि उन्होंने वक्तव्य दिया है। यह संसदीय कार्य मंत्री जी के वक्तव्य की गलत व्याख्या की जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप इसकी व्याख्या क्यों कर रहे हैं। उन्होंने स्वयं यह कहा है। आप यहां पर नहीं थे।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, मैं बिल्कुल यहीं था। माननीय सदस्य इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपको इस प्रश्न पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप दूसरे प्रश्न पर आइए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : महोदय, यह सरकार के स्वनिर्णय पर निर्भर करता है। सरकार रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए बाध्य नहीं है। यह एक प्रशासनिक रिपोर्ट है और चूंकि 1952 से ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है तो हम इसे क्यों तोड़े? अब वे लोग जनहित की बात कर रहे हैं। मंत्री जी ने जनहित में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि "इस पर हर पहलू से चर्चा होनी चाहिए।" सरकार रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखना चाहती है क्योंकि कुछ लोग गवाह के तौर पर उपस्थित होने में हिचक रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उनमें नामों को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। अन्यथा, सच्चाई को दबाने अथवा किसी बात को भी छिपाने का कोई विचार नहीं है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : अध्यक्ष महोदय, मुझे सिर्फ तीन बातें संक्षेप में कहनी है। पहली बात यह है कि कोई भी नियम सभी संभावित आकस्मिकताओं का अनुमान नहीं लगा सकता है। जहां तक मैं समझता हूं नियम न तो सरकार को रिपोर्ट रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और न ही रखने से रोकते हैं। लेकिन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसके महत्त्व को ध्यान में रखते हुए ओर जनहित को ध्यान में रखते हुए हम यह मांग करते रहे हैं। अतः मुझे आशा है कि मंत्री महोदय को जनहित में इसे स्वीकार करना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि मंत्री जी को हमें आपके कक्ष में बुलाने का अधिकार नहीं है। जैसा कि नियमों में दिया गया है इन परिस्थतियों में विशेष रूप से नेतागण ही आपके कक्ष में आ सकते है? प्रत्येक सदस्य आपके कक्ष में कैसे आ सकता है? वह ऐसा कैसे कर सकता है? इस मामले में वह संक्षम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : **शहाबुदीन** जी, संभवतः वह यह समझते हैं कि यदि नेतागण रिपोर्ट को पढ़ लें तो वह अपने सदस्यों को राजी कर सकते हैं।

श्री सैयद शहाबुद्दीन : महोदय, मेरी तीसरी बात बहुत संक्षिप्त है। मंत्रीं महोदय ने इस विषय पर व्यापक वाद–विवाद की पेशकश की है। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन रिपोर्ट के बगैर वाद–विवाद कैसे हो सकता है? जबकि भारत के भूतपूर्व नियंत्रक एवं

महालेखापरीक्षक ने क्षेत्रकार्य कर लिया है, आंकड़े एकत्र कर लिए हैं, सभी तथ्यों को संकलित कर लिया है, हम चाहते हैं कि यह चर्चा रचनात्मक हो, अच्छी चर्चा हो, उपयोगी चर्चा हो और ऐसी चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक कि रिपोर्ट परिचालित करके या सभा पटल पर रख कर या पुस्तकालय में रख कर हमें उपलब्ध न करवाई जाये। मैं चाहता हूं कि इसे पुस्तकालय में रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, बड़े अफसोस की बात है कि आज पूरे हिन्दुस्तान के लोग जानना चाहता हैं कि चीनी घोटाला कैसे हुआ, कौन उसके दोषी हैं, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं बता रही है। सरकार इस बात का सहारा ले रही है और कह रही है कि ट्रेडिशन उस रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने या पुस्तकालय में रखने की इजाजत नहीं देते। अगर परम्पराओं को जनहित में तोड़ा जाये तो मैं नहीं समझता कि यहां बैठे हुए सांसद इसका बुरा मानेंगे या हिन्दुस्तान की जनता बुरा मानेगी। अगर कोई कानून का सहारा लेकर कहे कि ट्रेडिशन नहीं है कि इसको सभा पटल पर या पुस्कालय में रखा जाये तो बात समझ मे आ सकती है। इतना बड़ा मामला है, लगभग 2500 करोड़ रूपये का घोटाला है, अगर कोई परम्परा टूटती है तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है।

श्री रामसागर (बाराबंकी) : कल से विपक्ष के नेता और सदस्य पूरी की पूरी रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की मांग कर रहे है। अधिकतर सदस्य आज इस रिपोर्ट को पुस्ताकलय में रखने की बात पर सहमत हो गये हैं। तो हमारी राय में सरकार को यह बात मान लेनी चाहिये और उस रिपोर्ट को पुस्कालय में रखना चाहिये ताकि सदन की बाधा खत्म हो जाये।

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरदारस) : अध्यक्ष महोदय, मेरा नया प्वांयट यह है कि प्रेस में अनुमानित खबरें छप रही हैं कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। लोग अनुमान लगा रहे हैं कि वह क्या चीज है। इसलिये सरकार को जल्दी से जल्दी सभा पटल पर रिपोर्ट रख देनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि पार्लियमेंट कंट्री का जिकर है और जनसाधारण यह जानने की चेष्टा कर रही है कि रिपोर्ट में क्या छिपाने की चेष्टा की जा रही है? जितना सरकार इस बात को छिपाने की चेष्टा करेगी, उतनी सरकार और उसकी पार्टी बदनाम होगी। मैं यह सरकार के पक्ष मे बात कह रहा हूं। इसलिये जल्दी से जल्दी इस बात को प्रकाश में लाया जाये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप सब लोग अपनी अपनी बातें कह चुके हैं, मैं समझता हूं कि दोनों पक्षों द्वारा कही गई सुसंगत बातों पर मेरा कुछ कहना आवश्यक हो जाता है।

पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि आपने कतिपय बिन्दुओं पर प्रकाश डालने के लिए सभी युक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की है। यदि हम इस पर पूरी तरह से सहमत नहीं हो सकते हैं तो आंशिक रूप से तो इस पर सहमत हो सकते हैं। कुछ अन्य सदस्य भारत की आर्थिक नीति पर चर्चा करना चाहते हैं, कृषि नीति भी कार्य सूची में है। यह पिछले सत्र में कार्यसूची में थी, यह अभी भी कार्यसूची में है। भारत की सांस्कृतिक नीति की मसौदा रिपोर्ट भी कार्यसूची में है। पिछले दो या तीन सत्रों से महिला सदस्याएं भारत में महिलाओं की स्थिति और दशा पर चर्चा करने की मांग करती रही हैं। इन नीतियों पर सभा में चर्चा करना हमारे लिए संभव नहीं हो पाया है।

सरकार को जिम्मेदार ठहराना, उसके द्वारा लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठाना और उसकी आलोचना करना सदस्यों का अनिवार्य कर्त्तव्य है। ऐसा करना उनका अधिकार है लेकिन सदस्यों का यह भी कर्त्तव्य है कि वह सभा में बनाई जाने वाली उन नीतियों के बारे में सरकार, संसद तथा लोगों का मार्गदर्शन करे जिनका केवल पांच वर्ष तक ही नहीं बल्कि हो सकता है दस वर्ष या पचास वर्ष तक अनुसरण किया जाये। इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए और इन सभी मुद्दों पर संक्षिप्त और सापेक्ष ढंग से चर्चा करने के लिए समय निकालना चाहिए। मेरी एकमात्र चिन्ता और दुख यह है कि ऐसा करना संभव नहीं हुआ है। इस मुद्दे पर कुछ कहे बगैर मैं **कौल और शकधर** की पुस्तक से कुछ उद्धत करना चाहता हूं। अब मैं पृष्ठ संख्या 872 से पढ रहा हूं। मैं सुसंगत अंशों को पढ़ूंगा। सुसंगत अंश यह है कि:

> "अधिकांश दस्तावेजों को सांविधिक या संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रिया नियमों के अनुसरण में और अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसरण में सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।"

हमें इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट होना चाहिए। यदि कोई सांविधिक अपेक्षा है, यदि कोई संवैधानिक अपेक्षा है यदि नियमों के तहत कोई अपेक्षा है या यदि अध्यक्ष ने निर्देश दिए है तो दस्तावेजों को रिकार्ड में रखना होगा। यह देखना होगा कि क्या यह एक सांविधिक दस्तावेज है या एक संवैधानिक दस्तावेज है या सभा पटल पर रखे जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज है या क्या अध्यक्ष ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

अब इस संबंध में जहां तक अध्यक्ष द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों का संबंध है, इस पुस्तक में कहा गया है :

> "अन्य दस्तावेजों के संबंध में, मंत्री को अपने आप निर्णय लेना होगा कि रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना है या नहीं और यदि रखना है तो कब रखना है।"

"अन्य दस्तावेजों के संबंध में" का तात्पर्य उन दस्तावेजों से है जिन्हें कानून संवैधानिक प्रावधानों, नियमों या निर्देशों के अन्तर्गत सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित नहीं है। इस सम्बन्ध में मंत्री या कार्यपालिका का फैसला ही अंतिम फैसला होता है।

इसमें आगे कहा गया है:

> "किसी विभागीय समिति या किसी अन्य रिपोर्ट विशेष का निर्णय सरकार को करना है।"

अब मैं मानता हूं कि यह निश्चित रूप से एक विभाग द्वारा नियुक्त समिति की रिपोर्ट है।

श्री बसुदेव आचार्य : इसे प्रधान मंत्री महोदय ने नियुक्त किया है।

अध्यक्ष महोदय : इसमे कहा गया है कि:

"सदस्यों द्वारा जब कभी अध्यक्ष को सुझाव देते हुए ऐसी रिपोर्टों को सभा पटल पर रखने का अनुरोध किया गया हो और अध्यक्ष सरकार को कोई निर्देश देने से इन्कार कर दे ऐसी रिपोर्टों को सभा पटल पर रखा जाना चाहिए।"

श्री जसवन्त सिंह जी ने इसे बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। मैं फिर से उद्धृत करता हूं:

"तथापि यदि कोई मंत्री इसे इस आधार पर प्रस्तुत करने से इन्कार कर दे कि इसे प्रस्तुत करना जनहित में नहीं होगा तो अध्यक्ष मंत्री को इसे सभा पटल पर रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है।"

इन तथ्यों को ध्यान मे रखते हुए मुझे विश्वास है कि हर कोई इन तथ्यों पर चर्चा करने का इच्छुक है और वास्तविकता का पता लगाने का इच्छुक है और साथ ही सरकार को ऐसे निर्देश देने के का भी इच्छुक है कि भविष्य में इस तरह के मामलों पर चर्चा करवाने के लिए उसे किस तरह का आचरण करना चाहिए। यदि मैंने गलत नहीं समझा है तो सरकार समिति के निष्कर्षों को सभापटल पर रखने के लिए तैयार है। सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार इस रिपोर्ट को अध्यक्ष के कक्ष म रखने के लिए तैयार है जो कि एक परंपरा है जैसा कि पहले किया जाता रहा है और माननीय मंत्री कह चुके हैं कि सभी सदस्य अध्यक्ष के कक्ष में जाकर इसे देख सकते हैं।

मैं नहीं जानता कि यदि सारे सदस्य आ जायें तो क्या होगा यद्यपि उन्होंने ऐसा कहा है, यदि आवश्यक हुआ तो इसकी अनुमति दी जाएगी। लेकिन इसकी बजाय मैं यह उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है कि विभिन्न दलों के सदस्यों को उनके दलों के नेताओं द्वारा दी गई सलाह पर विश्वास करना चाहिए। वे निश्चित रूप से तथ्यों को प्रकाश में लाने के इच्छुक होंगे और वे व्यापक जनहित और अपने दल को संरक्षित करने के इच्छुक होंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, आपने सही कहा कि यह सरकार के डिसक्रीशन पर है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार दोनों तरफ के लोगों की भावना को समझे। जब पूरे के पूरे सदन के आप मालिक हैं, इसके कसटोडियन हैं तो सिर्फ चैम्बर ही आपका नहीं हैं, लाइब्रेरी भी आपकी है। यदि आज यह बात तय हो ...**(व्यवधान)**

हम इसे सार्वजनिक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह पब्लिक की जानकारी में जाए। हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए और सरकार जब तैयार है कि स्पीकर के चैम्बर में रिपोर्ट रखी जा सकती है तो इसको संसद की लाइब्रेरी में भी रखने का काम करें। जैसा कि शरद जी कह रहे हैं कि आपने चार औप्शन दिये थे और उसमें एक यह भी था। इसलिए मैं आपको तो कंपेल नहीं कर सकता हूं, आग्रह कर सकता हूं। आपने कहा कि स्पीकर की पॉवर नहीं है इसलिए हम सरकार से मांग करेंगे और यदि सरकार इतने पर भी तैयार नहीं होती है तो मेरा सरकार पर सीधा चार्ज है कि चूंकि इसमें प्रधान मंत्री कार्यालय तक के हाई ऑफिशियल्स और खाद्य मंत्रालय तक इनवाल्व्ड है, इसलिए सरकार इसको छिपाना चाहती है।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अध्यक्ष महोदय के विनिर्पाय पर प्रश्न न उठाये। अध्यक्ष महोदय द्वारा विनिर्णय दिया जा चुका है और मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस पर चर्चा शुरू होने दें। ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : माननीय अध्यक्ष ने कोई विनिर्णय नहीं दिया है। ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रत्येक की संलिप्तता के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री राम विलास पासवान ने जो कुछ भी कहा है वह स्वागत योग्य है और वह रिपोर्ट को पढ़ कर यह पता लगा सकते हैं कि इसमे कौन शामिल है। ... **(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्य : इसका पता लगाने के लिए हम कहां जायें? आप इसे सभा पटल पर क्यों नहीं रख सकते ? ...**(व्यवधान)**

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, के विनिर्णय पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। आपको अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय पर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस रिपोर्ट को ग्रंथालय में रखने में क्या समस्या है? हम स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं। ... **(व्यवधान)**

हम स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि समस्या क्या है। इसे ग्रंथालय में क्यों नहीं रखा जा सकता है?

श्री बसुदेव आचार्य : उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की सराहना करता हूं कि आप इस मामले पर बहुत बुद्धिमता तथा समझदारी से चर्चा कर रहे थे। हम सदैव इसका स्वागत करेंगे। हम शोर-शराबे तथा उन्माद की बजाय विवेक और तर्क से कार्य कर रहे हैं तथा इसकी सराहना की जानी चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये। पहले आप बैठ जाईये।

...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जिस पद्धति से आप अपने विचार यहां पर प्रकट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसका अपना तरीका है, उसके अपने माने हैं जो आप कर रहे हैं, मगर उसके साथ-साथ यह भी है कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो मैं आपको और पूरे हाउस को बताना चाहूंगा कि जो दूसरे इम्पौटैंट मैटर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चर पौलिसी पर डिस्कशन है, वे सब नहीं आ सकते।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, यह मामला अब सरकार के ऊपर है ...**(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : हम रिपोर्ट को पब्लिक कराने के पक्ष मे हैं। पूरा हाउस इस बारे में एकमत है। सत्ता पक्ष इस मांग को कैसे ठुकरा सकता है। ...**(व्यवधान)**

|अनुवाद|

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम) : हम पूरी रिपोर्ट चाहते हैं।

3.17 म.प.

इस समय डा. राम चन्द्र डोम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे आप गली में व्यवहार कर रहे हों।

... **(व्यवधान)**

डा. राम चन्द्र डोम : सरकार को पूरी रिपोर्ट रखने में क्या कठिनाई है? ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कहना चाहता हूं कि यह बात रिकार्ड की जाये कि इस ढंग से सभा में सभी महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

... **(व्यवधान)**

3.18 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा गुरूवार, 15 दिसम्बर, 1994/24 अग्रहायण, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।